किसी सभ्यता की परख इस बात से की जाती है
कि वहां अल्पसंख्यकों के साथ कैसा
बर्ताव किया जाता है।

–महात्मा गाँधी

सत्यमेव जयते

# भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त

## अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

## भारत सरकार

## 51वाँ प्रतिवेदन

**(जुलाई 2013 से जून 2014)**

भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त 51वाँ प्रतिवेदन (जुलाई 2013 से जून 2014)

सत्यमेव जयते

# भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों

# के

# आयुक्त

# का

# इक्यावनवां प्रतिवेदन

## (जुलाई 2013 से जून 2014)

**www.nclm.nic.in**

सत्यमेव जयते

**संख्या/No.CLM REPORT/51/2015**

**आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक**
**अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय**
**भारत सरकार**

**Commissioner for Linguistic Minorities**
**Ministry of Minority Affairs**
**Government of India**

14/11, जाम नगर हाउस,
शाहजहां रोड,
नई दिल्ली–110011
टेलीफोन: 011- 23072651-52

14/11, Jam Nagar House,
Shahjahan Road,
New Delhi-110011
Telephone: 011-23072651-52

दिनांक/Dated: **15-07-2015**

सेवा में,

**भारत के माननीय राष्ट्रपति**

द्वारा : माननीया मंत्री, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

महामहिम,

मुझे भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ख(2) के अनुपालन में, जुलाई 2013 से जून 2014 की अवधि का 51वाँ प्रतिवेदन, प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत प्रतिवेदन भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सुरक्षणों की योजना के कार्यान्वयन के संबंध में मेरी विस्तृत प्रश्नावली के उत्तर में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों द्वारा प्रदत्त उत्तर से एकत्रित एवं आमेलित सूचनाओं के विश्लेषण तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और विभिन्न भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ मेरी हुई चर्चाओं पर आधारित है।

प्रतिवेदन में निष्कर्षों और सिफारिशों को अभिलेखबद्ध किया गया है जिन पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, यथा प्रयोज्य यथोचित कार्रवाई करनी है।

निवेदन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350ख (2) के अनुपालन में इस प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के पटल पर प्रस्तुत किया जाए।

अथाह आदर के साथ,

भवदीय,

**(प्रो० अख़्तरूल वासे)**
**भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त**

# विषय सूची


| अध्याय | शीर्षक | पृष्ठ |
|---|---|---|
| 1. | प्रस्तावना | 1—8 |
| **उत्तरी अंचल** | | |
| 2. | चण्डीगढ | 9—13 |
| 3. | दिल्ली | 14—24 |
| 4. | हरियाणा | 25—29 |
| 5. | हिमाचल प्रदेश | 30—34 |
| 6. | जम्मू और कश्मीर | 35—36 |
| 7. | पंजाब | 37—41 |
| 8. | राजस्थान | 42—46 |
| **मध्य अंचल** | | |
| 9. | बिहार | 47—49 |
| 10. | छत्तीसगढ | 50—55 |
| 11. | झारखण्ड | 56—60 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 61—66 |
| 13. | उत्तराखण्ड | 67—68 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 69—70 |
| **पूर्वी अंचल** | | |
| 15. | अरूणाचल प्रदेश | 71—74 |
| 16. | असम | 75—76 |
| 17. | मणिपुर | 77—82 |
| 18. | मेघालय | 83—84 |
| 19. | मिजोरम | 85—89 |
| 20. | नागालैण्ड | 90—96 |
| 21. | उड़ीसा | 97—98 |
| 22. | सिक्किम | 99—103 |
| 23. | त्रिपुरा | 104—109 |
| 24. | पश्चिम बंगाल | 110—118 |
| **पश्चिमी अंचल** | | |
| 25. | दादरा और नगर हवेली | 119—123 |
| 26. | दमन और दीव | 124—127 |
| 27. | गोवा | 128—130 |
| 28. | गुजरात | 131—135 |
| 29. | कर्नाटक | 136—144 |
| 30. | महाराष्ट्र | 145—159 |
| **दक्षिणी अंचल** | | |
| 31. | अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | 160—164 |
| 32. | आंध्र प्रदेश और तेलगाना | 165—166 |
| 33. | केरल | 167—172 |
| 34. | लक्षद्वीप | 173—176 |
| 35. | पुदुच्चेरी | 177—183 |
| 36. | तमिलनाडु | 184—193 |
| 37. | सिफारिशें | 194—204 |
| 38. | परिशिष्ट | 205—246 |

# परिशिष्टियाँ


| परिशिष्ट | शीर्षक | पृष्ठ |
|---|---|---|
| I | भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त | 205–206 |
| II | भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षण | 207–208 |
| III | आयुक्त के 51वें प्रतिवेदन की प्रश्नावली | 209–221 |
| IV | प्रांतीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत संकल्प (अगस्त 1949, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित) | 222 |
| V | भारत सरकार का 1956 का ज्ञापन | 223–227 |
| VI | भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों के लिए 1959 में हुई दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की मंत्री–स्तरीय समिति | 228–237 |
| VII | अगस्त, 1961 में राज्यों के मुख्य मंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक | 238–242 |
| VIII | क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्षों की पहली बैठक (नवंबर 1961) | 243–246 |

# प्रस्तावना 

1.1 मुझे भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त (सी०एल०एम०) का 51वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सी०एल०एम० कार्यालय राज्य पुनर्गठन आयोग (एस०आर०सी०) की सिफारिशों के अनुसरण में संविधान (7वां संशोधन) अधिनियम, 1956 के परिणामस्वरूप जुलाई, 1957 में अस्तित्व में आया। अनुच्छेद 350–ख में संविधान के तहत भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदत्त रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का सी०एल०एम० द्वारा अन्वेषण किए जाने तथा माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा यथानिर्दिष्ट समय–अंतरालों पर इन मामलों से संबंधित सूचना प्रस्तुत किए जाने का उल्लेख है। माननीय राष्ट्रपति जी ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं तथा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासन को भिजवाते हैं।

1.2 भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदत्त संवैधानिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर सहमतिजन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों के संबंध में भाषाई अल्पसंख्यकों के संगठनों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ चर्चाएं करते हैं। भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त का 50वां प्रतिवेदन जिसमें जुलाई, 2012 से जून, 2013 की अवधि

**प्रो० अख़्तरूल वासे, सी०एल०एम०, डॉ० नजमा ए० हेपतुल्ला, माननीया अल्पसंख्यक कार्यमंत्री, भारत सरकार को 50वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए**

को कवर किया गया है, लोक सभा तथा राज्य सभा के पटल पर क्रमशः 12 अगस्त, 2014 तथा 14 अगस्त, 2014 को रखा गया। 51वां प्रतिवेदन जुलाई 2013 से जून, 2014 की अवधि से संबंधित है। भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त के रूप में मुझे भाषाई अल्पसंख्यकों की मांगों एवं आकांक्षाओं को सरकार तथा हमारे लोकतंत्र के स्तंभ, संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने का गौरव हासिल हुआ है।

1.3 अल्पसंख्यक भाषाओं को संरक्षित तथा संवर्धित करने के हमारे प्रयास में मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम एच आर डी) द्वारा प्रदर्शित महत्वपूर्ण संकेत को अभिलेखबद्ध करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह बात व्यापक रूप से देखने में आई है कि मातृभाषा की शिक्षा देशभर में उपेक्षित हुई है। इसे हमारे देश में अनेक भाषाओं के विलुप्त होने के कारणों में से

भी एक कारण बताया जाता है। अनुच्छेद 350 क में उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक

**भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद के 125वें जन्मदिवस के अवसर पर श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, माननीया मानव संसाधन विकास मंत्री; श्री मुख्तार अब्बास नक्वी, माननीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री; डॉ० नजमा हेपतुल्ला, माननीया अल्पसंख्यक कार्यमंत्री, श्री थावर चन्द गहलोत, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री के साथ भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त (सी०एल०एम०), नई दिल्ली में**

स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 50वें प्रतिवेदन से

**मौलाना आजाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी (मानस), नई दिल्ली के नए कार्यालय भवन के उद्‌घाटन के मौके पर डॉ० नजमा ए० हेपतुल्ला, माननीया अल्पसंख्यक कार्यमंत्री के साथ सी०एल०एम०, साथ में डॉ० अरविन्द मायाराम, सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, डॉ० वाई०पी०सिंह, श्री राकेश मोहन तथा श्रीमती प्रीति मदान, संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार भी मौजूद**

संबंधित अपनी कृत कार्रवाई रिपोर्ट (ए०टी०आर०) में सूचित किया कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी०बी०एस०ई०) से संबद्ध सभी स्कूलों को सी०बी०एस०ई० के पत्र संख्या

सी०बी०एस०ई० (ए०एंड०एल०) 2014 दिनांक 29.09.2014 के तहत अनुदेश दिया गया है कि वे छात्रों के दाखिले के फार्म में (i) बच्चे की मातृभाषा; (ii) तरजीह दी गई प्रथम भाषा; (iii) माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई वैकल्पिक भाषा/तृतीय भाषा को दर्ज करें।

**अपने चेन्नई दौरे के दौरान भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त तमिलनाडु के महामहिम राज्यपाल श्री के०रोसैय्या का अभिवादन करते हुए**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से, मैं यह भी आशा तथा आग्रह करता हूँ कि वे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने स्कूलों में दाखिले के लिए दाखिले के फार्म में ऐसे ही स्तंभ शामिल करने के लिए समुचित सलाह भी दें ताकि बच्चे की मातृभाषा तथा त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत

**अपने बेंगलुरू दौरे के दौरान सी०एल०एम० माननीय अवसंरचना, हज और सूचना मंत्री, कर्नाटक सरकार, श्री आर० रोशन बेग के साथ**

उनकी पसंद की भाषाएं पढ़ने के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। इससे देश में अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधाएं तथा उनकी मातृभाषा को भी जीवित बनाए रखना सुनिश्चित हो सकेगा।

1.4 भारत के संविधान के अंतर्गत धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को कुछेक रक्षोपाय प्रदान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 29 तथा 30 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा तथा उनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने के अधिकार और उन्हें अपनी

**केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी०आई०आई०एल०), मैसूरू के निदेशक प्रो० अवधेश कुमार मिश्रा, क साथ सी०एल०एम० वार्ता करते हुए**

रूचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने के अधिकार को मान्यता दी गई है। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के पर्याप्त भाग द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को उस राज्य में या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जिसे राष्ट्रपति विनिर्दिष्ट करें, आधिकारिक रूप से मान्यता दिए जाने के लिए राष्ट्रपति के निर्देश का प्रावधान है। अनुच्छेद 350 द्वारा संघ/ राज्यों में प्रस्तुत होने वाली किसी भी भाषा में संघ या

**गोवा की महामान्या राज्यपाल, श्रीमती मृदुला सिन्हा के साथ मुलाकात करते हुए सी०एल०एम०**

राज्य के किसी प्राधिकारी को शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन दिए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 350 क में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा,

राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा प्रस्तावित रक्षोपाय राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ परामर्श करने के बाद जारी किए गए। 1956 का ज्ञापन एक अखिल भारतीय संहिता की प्रकृति का था जिसमें सभी राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किए जाने वाले सम्मत न्यूनतम

**पटना में जश्न–ए–उर्दू महोत्सव का उद्घाटन करते हुए, बिहार के माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ सी०एल०एम०**

रक्षोपायों को निर्दिष्ट किया गया है। हाल के दिनों में मेरे कार्यालय तथा सभी चारों आंचलिक कार्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं तथा व्यक्तियों से प्राप्त ऐसे अभ्यावेदनों एवं प्रश्नों की भरमार हो गई है जिनमें उन्हें धार्मिक अल्पसंख्यकों के समकक्ष दर्जे तथा सुविधाएं देने की मांग की गई है। हालांकि संविधान में धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के

**अपने कोलकाता दौरे के क्रम में भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री केसरी नाथ त्रिपाठी का अभिवादन करते हुए**

बीच फर्क नहीं किया गया है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की वजह से धार्मिक अल्पसंख्यकों को बेहतर स्थिति मिली हुई है। यहां तक कि अल्पसंख्यकों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र, 1992 में भी सभी प्रजातीय, धार्मिक

तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को समकक्ष रखा गया है। अतः मुझे पक्के तौर पर ऐसा महसूस होता है कि हमें अपनी बहु–सांस्कृतिक तथा बहुभाषी राष्ट्रीय पहचान बनाए रखने के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदत्त रक्षोपायों की समीक्षा करनी चाहिए।

**अपने महाराष्ट्र दौरे के क्रम में भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री सी० विद्यासागर राव का अभिवादन करते हुए**

1.5 11 तथा 12 अगस्त, 1961 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में मुख्यमंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। बैठक की चर्चा का मुख्य विषय भाषा और उसके विभिन्न पहलुओं का सवाल था। बैठक इस निर्णय के साथ समाप्त हुई कि राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करने की अत्यधिक महत्ता के दृष्टिगत, की जा

**महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडनवीस तथा महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव श्री स्वाधीन क्षत्रिय के साथ सी०एल०एम० वार्ता करते हुए**

रही कार्रवाई की समीक्षा करने और जब कभी आवश्यक हो, आगे के उपाय पर सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों की और भी बारम्बार बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। तथापि, पांच दशक से भी अधिक समय बीत जाने पर भी ऐसी कोई बैठक नहीं आयोजित की गई है। मेरा

विचार है कि वर्षों पहले तैयार की गई भाषा नीति तथा रक्षोपायों की समीक्षा तथा पुनः अभिपुष्टि करने हेतु मुख्यमंत्रियों तथा अकादमीशियन की बैठक बुलाने का यह सही समय है। अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि यथापरिकल्पित सम्मेलन यथाशीघ्र आयोजित किया जाए ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों की बढ़ती हुई मांगों, आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके तथा हमारी भाषाएं जीवंत रहे।

**सी०एल०एम० महाराष्ट्र सरकार के माननीय अल्पसंख्यक विकास एवं वक्फ मंत्री, श्री एकनाथराव गणपतराव खडसे के साथ। साथ में (बाएं से दाएं) श्रीमती जयश्री मुखर्जी, प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक विकास विभाग, प्रो० देवयानी सुहास फरांडे, माननीया विधान सभा सदस्य, नाशिक मध्य, श्रीमती ऐनुल अतर, संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक विकास विभाग तथा डा० एस० शिवकुमार, सहायक आयुक्त, भाषाजात अल्पसंख्यक भी मौजूद**

1.6 सी०एल०एम० संगठन भाषाई अल्पसंख्यक व्यक्तियों/समूहों/एसोसिएशन/संगठनों द्वारा उनके संज्ञान में लाए गए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण

**सी०एल०एम० दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव के प्रशासक श्री आशीष कुंद्रा तथा अन्य अधिकारियों के साथ, सिलवासा में**

करता है। आयुक्त, भाषाई अल्पसंख्यक रक्षोपायों की योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का मौके पर ही जायजा लेने के लिए स्वयं ही भाषाई अल्पसंख्यक क्षेत्रों तथा शैक्षणिक संस्थाओं का दौरा करते हैं। इस संबंध में आयुक्त राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लेफ्टिनेंट गर्वनरों से चर्चा करते हैं।

1.7 मुझे बिहार, दादरा और नगर हवेली, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलानाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश तथा कई अन्य स्थानों का दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ। अध्ययन दौरों के क्रम में मैने भाषाई अल्पसंख्यकों तथा अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण तथा संवर्धन से संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की जिससे कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति की मुझे जानकारी मिल सके। मैंने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, अल्पसंख्यक मामलों के प्रभारी मंत्रियों, मुख्य सचिवों तथा अन्य अधिकारियों से भी मुलाकात की। मैंने उन्हें भाषाई अल्पसंख्यकों के समक्ष आने वाली वास्तविक तथा अनुभूत कठिनाइयों से तथा रक्षोपायों के कार्यान्वयन में आने वाली अड़चनों को दूर करने के उपायों से अवगत कराया। मुझे ओटावा, कनाडा में 19—22 मई, 2015 तक आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर लैंग्वेज कमीशनर्स के सम्मेलन में शामिल होने तथा भारत में अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित अनुभव और शुरू की गई पहलों को भी साझा करने का अवसर प्राप्त हुआ।

**19 मई, 2015 को ओटावा, कनाडा में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर लैंग्वेज कमीशनर्स के सम्मेलन में सी०एल०एम० कनाडा के माननीय गवनर जेनरल श्री डेविड जांस्टन (दायीं आर) तथा (उनके बायीं ओर) श्री ग्राहम फ्रेजर, कमीशनर, राजभाषा कनाडा एवं अन्य प्रतिनिधिमंडल के साथ**

1.8 मैं माननीया अल्पसंख्यक कार्य मंत्री तथा मंत्रालय, का उनके द्वारा मुझे अपने संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने में प्रदत्त मूल्यवान सहायोग के लिए आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हालांकि सी०एल०एम० संगठन में कर्मचारियों की कमी है, फिर भी, यह संगठन मुझे प्रदत्त संवैधानिक कर्त्तव्य को पूरा करने में सफल रहा। मैं इस प्रतिवेदन को तैयार करने में इस संगठन के एकमात्र सहायक आयुक्त तथा स्टाफ द्वारा किए गए अत्यधिक कार्य की भी सराहना करना चाहूँगा।

**प्रो० अख़्तरूल वासे**
**भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त**

# चंडीगढ़ 2

## भाषाई रूपरेखा

2.1 जनगणना–2001 के अनुसार चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या 9,00,635 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् है:

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| हिंदी | 6,08,218 | 67.53 |
| पंजाबी | 2,51,224 | 27.89 |
| उर्दू | 7,254 | 0.81 |
| तमिल | 5,716 | 0.63 |

2.2 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचना की है कि चंडीगढ़ की 27.89 प्रतिशत जनसंख्या पंजाबी भाषा बोलती है।

2.3 **संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा :** संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा अंग्रेजी है तथा चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा कोई राजभाषा अधिनियम नहीं बनाया गया है।

## भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् है:

### 2.4 संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, आदेशों एवं अधिसूचनाओं इत्यादि के अनुवाद एवं प्रचार–प्रसार की कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि, प्रशासन ने अनुदेश जारी किए हैं कि पत्राचार का उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं सहित उसी भाषा में दिया जाए जिसमें वे प्राप्त हों।

ख. सूचना दी गई है कि शिकायतों के निवारण के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदन प्राप्त करने तथा उन्हीं भाषाओं में उत्तर देने के संबंध में कोई आदेश नहीं जारी किया गया है। तथापि, अल्पसंख्यक भाषाओं में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर राजभाषा में प्राप्त अभ्यावेदन के समान ही विचार किया जाता है। अल्पसंख्यक भाषा में प्राप्त अभ्यावेदनों के संबंध में प्रशासन के पास कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

### 2.5 संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती

क. सूचना दी गई है कि चंडीगढ प्रशासन द्वारा बनाई गई भर्ती नियमावली में संघ राज्य क्षेत्र की क्षेत्रीय/राजभाषा में प्रवीणता प्राप्त करने से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है।

ख. सूचना दी गई है कि संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती के लिए भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति नहीं है।

ग. संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती के समय कोई अधिवासीय प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं।

## 2.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता

बताया गया है कि प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के लिए पंजाब शिक्षा संहिता के तहत यथा उपबंधित "मान्यता प्रदान करने के नियम" इस संघ राज्य क्षेत्र में लागू हैं। कोई अलग नियम नहीं बनाए गए हैं क्योंकि विभाग को किसी भाषाई अल्पसंख्यक संस्था से कभी भी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। मान्यता प्रदान करने के लिए, डीपीआई (एस) मिडिल स्कूलों तक मान्यता देने हेतु सक्षम है।

## 2.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान संस्वीकृत करने से संबंधित नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

## 2.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है:

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| पंजाबी | 99 | 181 | 152 |

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| पंजाबी | 108 | 97,524 | 169 |

## 2.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है:

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| पंजाबी | 47 | 119 | 152 |

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषा की शिक्षा की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| पंजाबी | 100 | 63,661 | 169 |

## 2.10 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने की

सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है :

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| पंजाबी | 39 | 87 | 143 |

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषा की शिक्षा की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| पंजाबी | 87 | 37,927 | 164 |

## 2.11 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है :

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| पंजाबी | 28 | 937 | 77 |

ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| पंजाबी | 38 | 37,633 | 87 |

## 2.12 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएं निम्नलिखित हैं:

प्रथम भाषा : हिंदी/पंजाबी
द्वितीय भाषा : पंजाबी/हिंदी
तृतीय भाषा : अंग्रेजी

ख. कक्षा 8 में पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी सीख रहे विद्यार्थियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

| भाषा | विद्यालय |
|---|---|
| पंजाबी | 18,143 |
| हिंदी | 18,148 |
| अंग्रेजी | 18,143 |

## 2.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. शिक्षा के एक विषय तथा एक माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षण के लिए शिक्षकों के स्वीकृत/भरे हुए पदों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

| भाषा | माध्यम | | विषय | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत पद | भरे हुए पद | स्वीकृत पद | भरे हुए पद |
| पंजाबी | सूचना नहीं दी गई है | | 169 | 152 |

ख. राज्य शिक्षा संस्थान (स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एड्यूकेशन) को अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण संस्थान के रूप में बताया गया हैः

| प्रशिक्षण संस्थान | अल्पसंख्यक भाषा | |
|---|---|---|
| | पढ़ाई के माध्यम के रूप में | विषय के रूप में |
| राज्य शिक्षा संस्थान, सेक्टर 32, चण्डीगढ़ | हां | हां |

## 2.14 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

बताया गया है कि राज्य शिक्षा संस्थान, चंडीगढ़ द्वारा पाठ्य–पुस्तकों का अनुवाद हिंदी से पंजाबी में किया जाता है। ये पुस्तकें पंजाब विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रतियोगी/इमदादी दरों पर, उपलब्ध कराई जाती हैं।

## 2.15 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

सूचना दी गई है कि भाषाई वरीयता' पंजियों का रख–रखाव संघ राज्य क्षेत्र के स्कूलों में नहीं किया जाता है।

## 2.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषाओं के संर्वधन एवं विकास के लिए अकादमियों के बारे में भी कोई सूचना नहीं दी गई है।

## 2.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

सूचना दी गई है समाज कल्याण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। उपायुक्त एवं संयुक्त सचिव (गृह) डी०पी०आई०(सी), डी०पी०आई०(एस) और डी०एस०डब्ल्यू०, चंडीगढ़ प्रशासन इस समिति के सदस्य हैं। फिर भी, संदर्भाधीन अवधि के दौरान आयोजित बैठकों के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की गई है। यह भी सूचना दी गई है कि चंडीगढ संघ राज्य क्षेत्र एक ही जिला नगरीय संघ राज्य क्षेत्र है और इसीलिए भाषाई अल्पसंख्यकों के मामलों की देखभाल राज्य स्तर पर नियुक्त अधिकारियों द्वारा की जाती है।

## 2.18 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

क. सूचना दी गई है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने भारत के संविधान में भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए यथा निर्धारित रक्षोपायों के संबंध में निदेशक, जन संपर्क, चंडीगढ़ प्रशासन के माध्यम से तीन समाचार–पत्रों, अंग्रेजी, हिन्दी और पंजाबी के एक–एक समाचार–पत्र में जनसूचना जारी की है।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों का समन्वय करने के लिए निदेशक, समाज कल्याण को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है तथा इस अवधि के दौरान कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है।

## 2.19 निष्कर्ष/संस्तुतियां

क. संघ राज्य क्षेत्र में जनसंख्या के 60 प्रतिशत से अधिक लोग हिंदी भाषी हैं। अतः संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को हिंदी को संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ की अतिरिक्त राजभाषा घोषित करने

पर विचार करना चाहिए।

ख. संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को संघ राज्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, अधिसूचनाओं तथा शासनादेशों इत्यादि का अंग्रेजी के अलावा हिंदी और पंजाबी भाषाओं में अनुवाद और प्रचार–प्रसार करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

ग. संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में, जहां कहीं अपेक्षित हों, अभ्यावेदन की प्राप्ति और उनके उत्तर संबंधित भाषा में देना भी सुनिश्चित करना चाहिए।

घ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की सिविल सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अल्पसंख्यक भाषाओं के प्रयोग के बारे में, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विस्तृत जानकारी प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

ङ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में भाषाई प्राथमिकता पंजियों का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर–विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।

च. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

छ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से आग्रह किया जाता है कि वे उन स्कूलों में छात्र–शिक्षक के संबंध में प्रदत्त सूचना को स्पष्ट करें जहां पंजाबी एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है तथा यह भी आग्रह है कि पर्याप्त संख्या में शिक्षकों एवं प्रशिक्षण सुविधा की व्यवस्था करें।

ज. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को चंडीगढ़ संघराज्य क्षेत्र में तमिल तथा उर्दू पढ़ने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

झ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों/सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करने की सलाह दी जाती है।

ञ. संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने हेतु संघशासित क्षेत्र स्तरीय कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने की सलाह दी जाती है।

ट. संघराज्य क्षेत्र प्रशासन, चंडीगढ़ के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर समय पर प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी नियत समय में अपनी रिपोर्ट तैयार कर माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

2.20 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, चंडीगढ़, से अनुरोध है कि आवश्यक उपचारी कदम उठाएं, जिससे कि, संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जा सके।

# दिल्ली

## भाषाई रूपरेखा

3.1 जनगणना–2001 के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या 13,850,507 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् हैः

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| हिंदी | 1,12,10,843 | 80.94 |
| पंजाबी | 9,88,980 | 7.14 |
| उर्दू | 8,74,333 | 6.31 |
| बंगाली | 2,08,414 | 1.50 |

3.2 निम्नांकित अल्पसंख्यक भाषाएं जनपद/तहसील/तालुका/नगरपालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैः

| भाषा | तहसील/तालुका/नगरपालिका | भाषा | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| उत्तर | सदर बाजार | उर्दू | 36.60 |
| उत्तर | कोतवाली | उर्दू | 23.82 |
| उत्तर–पूर्व | सीलमपुर | उर्दू | 17.51 |
| उत्तर–पूर्व | शाहदरा | उर्दू | 23.75 |
| मध्य | दरियागंज | उर्दू | 52.65 |
| पश्चिम | पटेल नगर | पंजाबी | 20.18 |
| पश्चिम | राजौरी गार्डन | पंजाबी | 26.30 |
| दक्षिण | डिफेंस कालोनी | उर्दू | 17.25 |

3.3 क. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की राजभाषा :** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की राजभाषा हिन्दी है।

ख. **अतिरिक्त राजभाषा (राजभाषाएं)** : पंजाबी तथा उर्दू को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अतिरिक्त राजभाषाएं घोषित की गई है।

## भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् है :

### 3.4 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. यह सूचित किया गया है कि सरकारी नियमों, आदेशों इत्यादि के अनुवाद एवं प्रचार–प्रसार की पर्याप्त व्यवस्था विद्यमान है।

ख. बताया गया है कि शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषा में अभ्यावेदन स्वीकार करने एवं संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में उनके उत्तर प्रदान करने के संबंध में आदेश मौजूद हैं, तथापि, इस संबंध में आकड़े नहीं दिए गए हैं।

## 3.5 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. प्राथमिक शिक्षकों, टीजीटी, पीजीटी के भाषा विशिष्ट अर्थात पंजाबी, संस्कृत, बंगाली, तमिल, उर्दू के पदों के मामले में तथा उन पदों पर भर्ती के लिए भी, जहां भर्ती नियमावली के अनुसार अल्पसंख्यक भाषाओं का अध्ययन एक अनिवार्य अर्हता है, क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित बताया गया है।

ख. प्राथमिक शिक्षकों, टीजीटी, पीजीटी के भाषा विशिष्ट अर्थात पंजाबी, संस्कृत, बंगाली, तमिल, उर्दू के पदों के मामले में तथा उन पदों पर भर्ती के लिए भी, जहां भर्ती नियमावली के अनुसार अल्पसंख्यक भाषा में शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य है, उन भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न–पत्रों का उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति होने की सूचना दी गई है।

ग. सूचना दी गई है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सेवाओं में भर्ती के समय कोई अधिवासीय प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं।

## 3.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता

क. बताया गया है कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम एवं नियमावली 1973/शिक्षा का अधिकार नियम 2004/दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957, के अर्न्तगत भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान की जाती है। यह भी बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक को मान्यता देने के संबंध में प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग द्वारा जारी किया जाता है।

ख. तथापि, 30 जून, 2014 तक मान्यता प्राप्त भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में कोई आकड़े नहीं दिए गए है।

## 3.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

क. बताया गया है कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम एवं नियमावली 1973 के अनुसार शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार भाषायी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता–अनुदान मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

ख. वर्ष 2013–2014 के दौरान सहायता–अनुदान प्राप्त भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है:

| भाषा | प्राथमिक | उच्च माध्यमिक | माध्यमिक | उच्चतर माध्यमिक |
|---|---|---|---|---|
| बंगाली | 1 | 2 | 1 | 1 |
| गुजराती | 1 | 1 | 0 | 1 |
| कन्नड़ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| मलयालम | 1 | 1 | 1 | 2 |
| मराठी | 0 | 0 | 0 | 1 |
| पंजाबी | 0 | 9 | 8 | 6 |
| सिंधी | 0 | 1 | 1 | 1 |
| तमिल | 1 | 1 | 1 | 4 |
| तेलुगु | 3 | 2 | 3 | 2 |
| उर्दू | 0 | 5 | 6 | 3 |

## भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

### 3.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है:

**शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०**

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 11 | 2,903 | 66 |
| मलयालम | 02 | 1,147 | 17 |
| तमिल | 03 | 719 | 13 |
| तेलुगु | 01 | 200 | 08 |
| पंजाबी | 01 | 778 | 06 |

**दक्षिण दिल्ली नगर निगम**

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 13 | 3,509 | 78 |

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 31 | 4,824 | 95 |
| तमिल | 3 | 410 | 4 |

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 23 | 1,371 | 270 |

**एन०डी०एम०सी० शिक्षा विभाग**

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 9 | 505 | 42 |

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

**शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०**

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| गुजराती | 01 | 1,230 | 01 |
| बंगाली | 03 | 1,504 | 15 |
| कन्नड़ | 01 | 387 | 06 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| मराठी | 01 | 375 | 01 |
| मलयालम | 03 | 1,113 | 13 |
| पंजाबी | 30 | 4,802 | 47 |
| सिंधी | 01 | 486 | 02 |
| तमिल | 04 | 862 | 28 |
| तेलुगु | 05 | 1,952 | 16 |
| उर्दू | 12 | 4,230 | 18 |

**दक्षिण दिल्ली नगर निगम**

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 09 | 1,837 | 11 |

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 32 | 1,760 | 21 |
| पंजाबी | 97 | 5,305 | 88 |

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 07 | 1,823 | 30 |

**एन०डी०एम०सी० शिक्षा विभाग**

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 01 | 157 | 01 |

3.9 **उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8)**

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत हैः

**शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०**

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 28 | 7,617 | 242 |
| पंजाबी | 01 | 36 | 01 |

**एन०डी०एम०सी०**

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 04 | 105 | 12 |

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

**शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०**

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| अरबी | 02 | 217 | 02 |
| बंगाली | 05 | 1,200 | 04 |
| कन्नड़ | 01 | 38 | 01 |
| मराठी | 01 | 323 | 01 |
| पर्शियन | 02 | 156 | 02 |
| पंजाबी | 235 | 18,472 | 237 |
| सिंधी | 01 | 316 | 02 |
| तमिल | 07 | 1,495 | 08 |
| तेलुगु | 05 | 2,148 | 10 |
| उर्दू | 186 | 47,827 | 128 |
| मलयालम | 03 | 784 | 05 |
| गुजराती | 01 | 320 | 11 |

**एन०डी०एम०सी०**

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 04 | 161 | 06 |
| पंजाबी | 02 | 32 | 02 |

3.10 **माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10)**

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है :

**शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०**

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 23 | 3,781 | 62 |
| पंजाबी | 01 | 20 | 01 |
| बंगाली | 01 | 10 | 01 |

**एन०डी०एम०सी०**

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 02 | 56 | 08 |

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

**शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०**

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| अरबी | 02 | 155 | 02 |
| बंगाली | 05 | 907 | 03 |
| कन्नड़ | 01 | 12 | 01 |
| मराठी | 01 | 323 | 01 |
| पर्शियन | 02 | 85 | 01 |
| पंजाबी | 157 | 9,404 | 177 |
| सिंधी | 01 | 223 | 02 |
| तमिल | 07 | 891 | 07 |
| तेलुगु | 04 | 302 | 03 |
| उर्दू | 125 | 18,155 | 83 |
| गुजराती | 01 | 0 | 0 |
| मलयालम | 02 | 0 | 0 |

**एन०डी०एम०सी०**

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 02 | 166 | 02 |
| पंजाबी | 02 | 32 | 02 |

3.11 **उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)**

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है :

**शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०**

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 18 | 2,863 | 57 |

ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

**शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०**

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| अरबी | 01 | 22 | 0 |
| बंगाली | 04 | 171 | 02 |
| कन्नड़ | 01 | 0 | 0 |
| मराठी | 01 | 0 | 0 |
| पर्शियन | 01 | 12 | 0 |
| पंजाबी | 39 | 2,203 | 34 |
| सिंधी | 01 | 217 | 02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| तमिल | 07 | 332 | 07 |
| तेलुगु | 03 | 32 | 01 |
| उर्दू | 40 | 3,847 | 35 |
| मलयालम | 01 | 0 | 0 |

3.12 **त्रिभाषा सूत्र**

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएं निम्नवत् हैंः

**शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०**

प्रथम भाषा : हिंदी
द्वितीय भाषा : अंग्रेजी
तृतीय भाषा : उर्दू / पंजाबी / बंगाली / सिंधी / तमिल / तेलुगु / मलयालम / कन्नड़ / गुजराती / मराठी / संस्कृत / अरबी / फारसी

**एन०डी०एम०सी०**

प्रथम भाषा : हिन्दी
द्वितीय भाषा : अंग्रेजी
तृतीय भाषा : उर्दू, पंजाबी, संस्कृत

ख. त्रिभाषा सूत्र के तहत शामिल छात्रों का ब्यौराः

**शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०**

| **भाषा** | **विद्यालय** | **छात्र** | **शिक्षक** |
|---|---|---|---|
| अरबी | 217 | 155 | 22 |
| बंगाली | 656 | 331 | 71 |
| कन्नड़ | 10 | 5 | 0 |
| मराठी | 323 | 375 | 0 |
| पर्शियन | 156 | 85 | 12 |
| पंजाबी | 9,770 | 5,362 | 293 |
| सिंधी | 105 | 110 | 105 |
| तमिल | 789 | 219 | 133 |
| तेलुगु | 718 | 154 | 15 |
| उर्दू | 22,973 | 10,169 | 2,531 |
| मलयालम | 623 | 108 | 0 |
| गुजराती | 327 | 0 | 0 |
| संस्कृत | 21,11,441 | 1,40,639 | 24,948 |

**एन०डी०एम०सी०**

| **भाषा** | **विद्यालय** | **छात्र** | **शिक्षक** |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 105 | 116 | — |
| पंजाबी | — | 32 | — |

3.13 **अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षक**

क. अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में तथा माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों का विवरण निम्नवत है :

**शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०**

| भाषा | माध्यम | | विषय | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत | भरे हुए | स्वीकृत | भरे हुए |
| अरबी | 00 | 00 | 01 | 00 |
| बंगाली | 00 | 00 | 18 | 16 |
| गुजराती | 00 | 00 | 01 | 00 |
| कन्नड़ | 00 | 00 | 07 | 07 |
| मलयालम | 40 | 29 | 02 | 02 |
| मराठी | 00 | 00 | 01 | 00 |
| फारसी | 00 | 00 | 01 | 00 |
| पंजाबी | 22 | 13 | 234 | 207 |
| सिंधी | 00 | 00 | 03 | 02 |
| तमिल | 23 | 22 | 22 | 20 |
| तेलुगु | 15 | 08 | 06 | 01 |
| उर्दू | 361 | 224 | 316 | 234 |

**एन०डी०एम०सी०**

| भाषा | माध्यम | | विषय | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत | भरे हुए | स्वीकृत | भरे हुए |
| उर्दू | 46 | 44 | 18 | 15 |
| पंजाबी | 00 | 00 | 18 | 16 |

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

| भाषा | माध्यम | | विषय | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत | भरे हुए | स्वीकृत | भरे हुए |
| उर्दू | 89 | 89 | – | – |
| पंजाबी | 00 | 00 | – | – |

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

| भाषा | माध्यम | | विषय | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत | भरे हुए | स्वीकृत | भरे हुए |
| उर्दू | – | 129 | – | 02 |

ख. अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु विवरण निम्नवत है :

**शिक्षा निदेशालय, जी०एन०सी०टी०डी०**

| प्रशिक्षण संस्थान | अल्पसंख्यक भाषा | |
|---|---|---|
| | माध्यम के रूप में | विषय के रूप में |
| एन०सी०ई०आर०टी० | – | – |
| एस०सी०ई०आर०टी० | – | – |
| जे०एम०आई० | – | – |

**एन०डी०एम०सी०**

| प्रशिक्षण संस्थान | अल्पसंख्यक भाषा | |
|---|---|---|
| | माध्यम के रूप में | विषय के रूप में |
| एन०डी०एम०सी०, विज्ञान एंव मानविकी शिक्षा विद्यालय | उर्दू | उर्दू |
| | उर्दू | उर्दू |

## 3.14 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री शैक्षणिक सत्र के आरंभ में ही भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को उपलब्ध हो जाने की सूचना दी गई है।

ख. सरकारी तथा सरकारी सहायता–प्राप्त स्कूलों के लिए 8वीं कक्षा तक अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकों एवं शिक्षण सामग्री तैयार और प्रकाशन का कार्यभार संभालने वाले अभिकरण दिल्ली पाठ्य–पुस्तक ब्यूरो हैं। यह भी सूचित किया गया है कि एन०सी०ई०आर०टी० उर्दू पाठ्य–पुस्तकों का प्रमाण उर्दू अकादमी, दिल्ली के जरिए कक्षा 9 से 12 तक के लिए किया जाता है।

ग. सूचना दी गई है कि छात्रों को पुस्तकों की आपूर्ति शिक्षा विभाग, जी०एन०सी०टी०डी० द्वारा निःशुल्क की जाती है। यह भी बताया गया है कि प्राथमिक स्तर तक एन०सी०ई०आर०टी० द्वारा तैयार की गई सभी पुस्तकें इमदादी दरों पर उपलब्ध कराई जाती है।

## 3.15 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को उनकी भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु 'भाषाई वरीयता पंजियों का रख–रखाव शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, एन०डी०एम०सी० तथा सभी तीनों डी०एम०सी० के तहत विद्यालयों द्वारा किया जा रहा है।

## 3.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

क. बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अल्पसंख्यक भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु योजनाएं मौजूद हैं। यह भी बतााया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं को "दिल्ली राजभाषा अधिनियम 2000" में निहित उपबंधों के अनुसार बढ़ावा दिया जाता है। चार अल्पसंख्यक भाषाई अकादमियां अर्थात् उर्दू, पंजाबी, सिंधी तथा मथिली–भोजपुरी स्थापित की गई है। यह भी बताया गया है कि छात्र उर्दू अकादमी के समारोहों तथा प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। एन०डी०एम०सी० के शिक्षक बारम्बार सर्वेक्षण हेतु, दौरा करते हैं। स्कूलों में भिन्न–भिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि वाद–विवाद, प्रश्नोत्तरी कौशल, गजल/काव्यपाठ, हस्तलेखन प्रतियोगिता तथा प्रदर्शनियां इत्यादि आयोजित की जाती हैं।

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए स्थापित भाषायी अकादमियों का विवरण निम्नवत् हैः

| **भाषा** | **अकादमी का नाम** | **कब स्थापित** | **वर्ष 2010–11 का बजट (लाख में)** |
|---|---|---|---|
| उर्दू | उर्दू अकादमी | 1981 | प्लान 450<br>नान–प्लान 320<br>शिक्षण 300 |
| मैथिली एवं भोजपुरी | मैथिली एवं भोजपुरी अकादमी | 18 मार्च 2008 | प्लान 89.01 |
| पंजाबी | पंजाबी अकादमी | 17 सितम्बर 1981 | प्लान 200<br>शिक्षण 475 |
| सिंधी | सिंधी अकादमी | जुलाई 1994 | प्लान 229<br>नान–प्लान 146.25 |

## 3.17 सुरक्षणों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसख्यकों के रक्षापायों के कार्यान्वयन की निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्तर पर कोई तंत्र/समिति स्थापित नही है। तथापि, यह बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण व उसकी समीक्षा का कार्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का कला–संस्कृति और भाषा विभाग करता है।

ख. सूचित किया गया है कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग मौजूद है किन्तु यह भाषाई अल्पसंख्यकों के मामले नहीं देखता है।

## 3.18 संवैधानिक अधिकार एवं सुरक्षणों का प्रचार–प्रसार

बताया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार का कला, संस्कृति और भाषा विभाग, भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु रक्षोपायों के प्रचार–प्रसार का कार्य विज्ञापनों, पत्रों, परिपत्रों और पैम्फलेटों के वितरण आदि के माध्यम से समय–समय पर करता है।

## 3.19 निष्कर्ष/संस्तुति

क. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करने और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब देने का समुचित प्रबंध करना चाहिए।

ख. भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त के कार्यालय में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अनेक भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं तथा व्यक्तियों को भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए अभ्यावदेनों तथा प्रश्नों की भरमार हो गई है। यह भी सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण एवं संर्वधन के निमित्त कार्यरत व्यक्तियों तथा निकायों को भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ स्थानीय स्तर पर कोई पदनामित प्राधिकारी नहीं है। अतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से आग्रह है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के निमित्त कार्यरत व्यक्तियों तथा संगठनों को भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए आवश्यक नियम/दिशा निर्देश बनाएं तथा जिला स्तरों पर प्राधिकारियों को पदनामित करें।

ग. अल्पसंख्क भाषाओं को पढ़ने की सुविधा के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा प्रदत्त आंकड़ो के विश्लेषण से पता चलता है कि छात्र शिक्षक का अनुपात चिंताजनक है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए सुविधा के संबंध में सरकार द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है। भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की जानकारी में यह बात भी आई है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के अधीन वर्ष 2013–14 के दौरान उर्दू टी०जी०टी० के 200 पद थे तथा वर्ष 2014–15 के दौरान इसे घटाकर 28 पद कर दिया गया है। यह भी सूचित किया गया है कि उर्दू शिक्षकों के संस्वीकृत पदों को तब घटा दिया गया है जब उर्दू छात्रों की संख्या समान है। अतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से आग्रह है कि वे भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षकों की संस्वीकृत संख्या बहाल करें तथा शैक्षणिक सत्र 2015–16 के प्रारम्भ होने से पूर्व नियुक्ति सुनिश्चित करें।

घ. भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की जानकारी में यह बात भी आई है कि उर्दू पाठ्य–पुस्तकों की आपूर्ति समय पर नहीं की गई है। अतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से आग्रह है कि शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से पूर्व पाठ्यक्रम तथा उर्दू पाठ्य–पुस्तकों की आपूर्ति के लिए एन०सी०ई०आर०टी० के साथ मिलकर आवश्यक व्यवस्था करे।

ङ भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों को सूचित किया गया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए नए आवेदन–प्रपत्र में दिल्ली के भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों द्वारा तृतीय भाषा का विकल्प चुनने के लिए कोई स्तंभ शामिल नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम०एच०आर०डी०), भारत सरकार ने भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की 50वीं रिपोर्ट संबंधी कृत अपनी कार्रवाई रिपोर्ट (ए०टी०आर) में सूचना दी है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी०बी०एस० ई०) से संबद्ध सभी स्कूलों को सी बी एस ई के पत्र संख्या सी बी एस ई/जे एस (ए० एवं एल०)/2014 दिनांक 29.09.2014 के तहत अनुदेश दिया गया है कि वे छात्रों के दाखिले के फार्म में (i) बच्चे की मातृभाषा (ii) तरजीह दी गई प्रथम भाषा (iii) माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई वैकल्पिक/तीसरी भाषा दर्ज करें। अतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से आग्रह है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्र में आवश्यक स्तम्भ को बनाए रखें तथा शामिल करें ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।

च. प्रदेश में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण तथा कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार उपयुक्त प्राधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति भी गठित की जानी चाहिए ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

छ. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नोडल अधिकारी को आयुक्त की प्रश्नावली का विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर समय पर प्रेषण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी नियत समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर भारत के महामहिम राष्ट्रपति को, प्रस्तुत कर सकें।

3.21 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से अनुरोध किया जाता है कि वे उपचारी उपायों के लिए उपर्युक्त निष्कर्षों का संज्ञान लें ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो।

# हरियाणा



## भाषाई रूपरेखा

4.1 जनगणना–2001 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या 2,11,44,564 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| हिंदी | 1,84,60,843 | 87.31 |
| पंजाबी | 22,34,626 | 10.57 |
| उर्दू | 2,60,687 | 1.23 |
| बंगाली | 39,199 | 0.19 |
| नेपाली | 20,362 | 0.10 |

4.2 क. **राज्य की राजभाषा** : राज्य की राजभाषा हिन्दी है।

ख. **अतिरिक्त राजभाषा** : राज्य सरकार की अधिसूचना सं० 52/4/96–शिक्षा दिनांक 29 मई, 1996 के अनुसार पंजाबी अतिरिक्त राजभाषा घोषित की गई है।

4.3 राज्य सरकार ने सूचना दी है कि राज्य में ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ कोई अल्पसंख्यक भाषा वहाँ की जनसंख्या के 60 प्रतिशत या अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हो। तथापि, कुछ जिलों में वहाँ की स्थानीय जनसंख्या के 15 प्रतिशत या अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का विवरण निम्नवत् है:

| जिला | भाषा | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| कुरूक्षेत्र | पंजाबी | 18.63 |
| सिरसा | पंजाबी | 34.54 |
| मेवात | उर्दू | 16.52 |

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् है:

### 4.4 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. सूचित किया गया है कि महत्वपूर्ण नियमों, विनियमों और सूचनाओं आदि का प्रकाशन अल्पसंख्यक भाषाओं में नहीं होता है।

ख. बताया गया है कि शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को स्वीकर करने और उनके उसी भाषा में उत्तर देने के संबंध में कोई आदेश विद्यमान नहीं है।

### 4.5 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. बताया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए राजभाषा अर्थात् हिंदी का ज्ञान पूर्वपेक्षित है।

ख. यह भी बताया गया है कि राज्य की सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में लिखने की अनुमति नहीं है।

ग. राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध लागू नहीं होता है। तथापि, यह सूचित किया गया है कि आरक्षण के लाभ के लिए अभ्यर्थी को हरियाणा राज्य का अधिवासी होना चाहिए।

### 4.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. बताया गया है कि वर्ष 2008 के बाद किसी भी भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता नहीं दी गई है और न ही मान्यता के संबंध में कोई नियम/दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। आगे यह भी बताया गया है कि हरियाणा सरकार का प्रशासनिक प्रभाग भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता प्रदान करने हेतु सक्षम है।

ख. सूचित किया गया है कि 30 जून 2014 तक 22 स्कूलों/संस्थाओं को भाषाई अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। भाषाई अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता के लिए कोई भी आवेदन लंबित नहीं है।

### 4.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

बताया गया है कि वर्ष 2008 से पूर्व राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा सहायता अनुदान दिए जाते थे किन्तु 2008 में सहायता–अनुदान का मामला भाषा विभाग में अंतरित हो जाने के बाद से कोई सहायता अनुदान जारी नहीं किया गया है।

## भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

### 4.8 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर

राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के प्राथिमक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर अल्पसंख्यक भाषाओं के छात्रों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

### 4.9 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत राज्य में पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ निम्नवत् हैं:

प्रथम भाषा : हिन्दी
द्वितीय भाषा : पंजाबी
तृतीय भाषा : अंग्रेजी

ख. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शामिल छात्रों के बारे में आंकड़े प्रदान नहीं किए गए हैं।

### 4.10 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षण के लिए शिक्षकों के पदों के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रदान की गई है:

| भाषा | माध्यम | |
|---|---|---|
| | स्वीकृत | भरे हुए |
| उर्दू | 48 | 9 |
| पंजाबी | 1,182 | 849 |

ख. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक भाषाओं को एक माध्यम एवं एक विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के आदान–प्रदान/शिक्षक प्रशिक्षण संस्था/केन्द्र खोलने के लिए पड़ोसी राज्यों से कोई सहयोग/व्यवस्था नहीं है।

### 4.11 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. ऐसा बताया गया है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, छात्रों को अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध बताई जाती हैं।

ख. कक्षा 6 से 8 तक अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा तथा कक्षा 9 और कक्षा 10 की पंजाबी भाषा की पाठ्य–पुस्तकें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, द्वारा तैयार एवं प्रकाशित कराई जाती हैं। बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री प्रतियोगी/इमदादी दरों पर उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।

### 4.12 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

सूचना दी गई है कि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा के दिनांक 18.05.1997 के पत्र के अनुसरण में प्राथमिक शिक्षा के सभी अधिकारियों को वैसे छात्रों को पंजीकृत करवाने का निर्देश दिया गया है जो अतिरिक्त भाषा के रूप में उर्दू या पंजाबी भाषा का विकल्प चुनते हैं।

### 4.13 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

क. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए कोई योजना मौजूद नहीं है।

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित भाषाई अकादमियों का विवरण निम्न है:

| भाषा | अकादमी का नाम | कब स्थापित की गई | वर्ष 2012–13 का बजट (करोड़ में ) |
|---|---|---|---|
| उर्दू | हरियाणा उर्दू अकादमी | 23.10.1986 | 1.50 |
| पंजाबी | हरियाणा पंजाबी अकादमी | 23.10.1997 | 1.00 |

### 4.14 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण और समीक्षा करने के लिए राज्य/जनपद स्तर पर कोई समिति गठित नहीं है।

## 4.15 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

सूचना दी गई है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों और सुविधाओं के बारे में जानकारी देने हेतु राज्य में कोई तंत्र नहीं है। भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं को प्रदर्शन बोर्ड, बैनर इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शित करने के संबंध में जिलों तथा तहसील कार्यालयों को जारी आदेशों के संबंध में बताया गया है कि 2008 के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

## 4.16 निष्कर्ष / संस्तुतियां

क. जिस जिले / तहसील / तालुका / नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

ख. शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करने और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब देने का प्रबंध किया जाना चाहिए।

ग. राज्य सरकार को भर्ती के समय राज्य की क्षेत्रीय / राजभाषा के पूर्वज्ञान पर जोर नहीं देना चाहिए, न तो सरकार को राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध लगाना चाहिए।

घ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानो को मान्यता तथा सहायता–अनुदान प्रदान करने के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उपाय शुरू करने चाहिए। यह भी अनुरोध किया जाता है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्यरत व्यक्तियों एवं निकायों को भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ स्थानीय स्तर पर पदनामित प्राधिकारी को अधिसूचित किया जाए।

ड. राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

च. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम०एच०आर०डी०), भारत सरकार ने भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की 50वीं रिपोर्ट संबंधी कृत अपनी कार्रवाई रिपोर्ट (ए०टी०आर) में सूचना दी है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी०बी०एस० ई०) से संबद्ध सभी स्कूलों को सी बी एस ई के पत्र संख्या सी बी एस ई / जे एस (ए० एवं एल०) / 2014 दिनांक 29.09.2014 के तहत अनुदेश दिया गया है कि वे छात्रों के दाखिले के फार्म में (i) बच्चे की मातृभाषा (ii) तरजीह दी गई प्रथम भाषा (iii) माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई वैकल्पिक / तीसरी भाषा दर्ज करें। अतः हरियाणा सरकार से आग्रह है कि राज्य के स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्र में ऐसी ही स्तंभ शामिल करें ताकि भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को अपनी मातृभाषा पढ़ने की सुविधा सुनिश्चित हो सके।

छ. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

ज. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई करने की

आवश्यकता है। अकादमियों के लिए बजटीय आवंटन के संबंध में भी सूचना प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

झ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों में जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

ञ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, एक जनपद स्तरीय समिति का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

ट. हरियाणा सरकार के नोडल अधिकारी को आयुक्त की प्रश्नावली के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी नियत समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर भारत के महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सके।

4.17 हरियाणा राज्य सरकार से अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

# हिमाचल प्रदेश **5**

## भाषाई विवरण

5.1 जनगणना–2001 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 60,77,900 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत हैः

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशत |
|---|---|---|
| हिंदी | 54,09,758 | 89.01 |
| पंजाबी | 3,64,175 | 5.99 |
| नेपाली | 70,272 | 1.16 |
| किन्नौरी | 64,293 | 1.06 |

5.2 क. **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा हिंदी है।

ख. **अतिरिक्त राजभाषा :** बताया गया है कि अंग्रेजी राज्य की अतिरिक्त राजभाषा है।

ग. उन जिलों के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है जहां अल्पसंख्यक भाषाएं जिले की जनसंख्या के 60 प्रतिशत या अधिक द्वारा बोली जाती हैं। उन क्षेत्रों जहां की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या अधिक द्वारा अल्पसंख्यक भाषाऐं बोली जाती हैं, के संबंध में बताया गया है कि लाहुल–स्पीती के कीलोगं काजा–उदयपुर क्षेत्र तथा पंगी चंबा के पेंज ऐसे क्षेत्र हैं। तथापि, इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत हैः

### 5.3 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. सूचित किया गया है कि सभी महत्वपूर्ण नियमों, विनियमों तथा सूचनाओं, इत्यादि का प्रकाशन केवल हिंदी और अंग्रजी भाषाओं में ही किया जाता है।

ख. बताया गया है कि शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषा में अभ्यावेदनों की प्राप्ति तथा संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में उत्तर प्रेषित करने का कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। तथापि, यह भी बताया गया है कि आवेदक किसी भी भाषा में आवेदन/अभ्यावेदन देने के लिए स्वतंत्र हैं।

### 5.4 राज्य सेवाओं में भर्ती

क. सूचित किया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती हेतु क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित है।

ख. यह भी सूचना दी गई है कि राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न–पत्रों के उत्तर

केवल हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखने की अनुमति है।

ग. राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध लागू होने के संबंध में बताया गया है कि अभ्यर्थी राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।

## 5.5 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता

क. भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने वाले पदनामित सक्षम प्राधिकारी तथा तत्संबधी नियमों और विनियमों/दिशानिर्देशों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. 30 जून, 2014 तक भाषावार मान्यता प्रदान की गई भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ग. भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने हेतु उनसे प्राप्त अभ्यावेदनों/शिकायतों/याचिकाओं के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## 5.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता–अनुदान

क. भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता अनुदान देने के संबंध में बनाए गए अधिसूचित नियमों/विनियमों के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है जबकि इस प्रयोजनार्थ पदनामित प्राधिकारी के संबंध में बताया गया है कि अभी तक इस प्रयोजन हेतु किसी भी प्राधिकारी को पदनामित नहीं किया गया है।

ख. समीक्षाधीन अवधि के दौरान सहायता–अनुदान प्राप्त भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षिणिक सुविधाएँ

## 5.7 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

ऐसा बताया गया है कि राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, शिक्षण का माध्यम हिंदी है।

## 5.8 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाए जाने की सुविधा के संबंध में कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है। तथापि, सूचना दी गई है कि भोटी शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विषय के रूप में पढ़ाई जा रही है जिसका ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| भोटी | 45 | 1,015 | 45 |

## 5.9 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के माध्यम या विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा के संबंध में सूचना नहीं दी गई हैं।

## 5.10 उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

शिक्षा के उच्च माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के माध्यम या विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा के संबंध में सूचना नहीं दी गई हैं।

## 5.11 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ निम्नलिखित हैं:

| | | |
|---|---|---|
| प्रथम भाषा | : | हिंदी |
| द्वितीय भाषा | : | अंग्रेजी |
| तृतीय भाषा | : | संस्कृत |

ख. कक्षा 8, 10 और 12 में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शामिल छात्रों का ब्यौरा नहीं दिया गया है।

## 5.12 अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम और एक विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नवत हैं:

| भाषा | माध्यम | | विषय | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत पद | भरे हुए पद | स्वीकृत पद | भरे हुए पद |
| उर्दू | 100 | 34 | 100 | 34 |
| पंजाबी | 100 | 72 | 100 | 72 |
| भोटी | 45 | 45 | 45 | 45 |

ख. सूचना दी गई है कि उर्दू को एक भाषा एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को, उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, सोलन में प्रशिक्षित किया जाता है। अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु पड़ोसी राज्यों से कोई परस्पर सहयोग/व्यवस्था नहीं है।

| प्रशिक्षण संस्थान | अल्पसंख्यक भाषा | |
|---|---|---|
| | पढाई का माध्यम | विषय के रूप में |
| उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, सोलन, हिमाचल प्रदेश | उर्दू | उर्दू |

## 5.13 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा में पाठ्य–पुस्तकों तथा अन्य शिक्षण सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में ही उपलब्ध करा दी जाती हैं।

ख. भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकों तथा अन्य शिक्षण सामग्री का प्रापण करने वाली एजेन्सियों/अन्तर–राज्य व्यवस्था के संबंध में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, कांगड़ा अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकों के प्रापण के लिए जिम्मेदार है।

ग. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्रतियोगी/इमदादी दरों पर

अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकों तथा अन्य शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराने की कोई व्यवस्था नहीं है।

### 5.14 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

ऐसा सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा के छात्रों की भाषाई वरीयता दर्ज करने के लिए भाषाई वरीयता पंजियों का विद्यालयों में रख–रखाव नहीं किया जाता है।

### 5.15 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

क. बताया गया है कि पंजाबी को विषय के रूप में राज्य के सौ (100) स्कूलों में शामिल किया गया है।

ख. सूचना दी गई है कि उर्दू भाषा के विकास के लिए सोलन में उर्दू शिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र है जिसका ब्यौरा निम्नवत् है:

| भाषा | संस्थान का नाम | कब स्थापित हुई | वर्ष 2013–14 के लिए बजट |
|---|---|---|---|
| उर्दू | उर्दू शिक्षण और अनुसंधान केन्द्र, सप्रुन, सोलन, हिमाचल प्रदेश | 1973 | मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन |

### 5.16 रक्षोपायोंके कार्यान्वयन हेतु तंत्र

राज्य/जिला स्तरों पर किसी भी समिति के गठन के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

### 5.17 संवैधानिक अधिकार एवं रक्षोपायोंका प्रचार–प्रसार

राज्य सरकार ने संवैधानिक अधिकारों तथा रक्षोपायों के प्रचार–प्रसार के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है।

### 5.18 विश्लेषण/संस्तुति

क. भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, राज्य सरकार को, सरकारी नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का अनुवाद एवं प्रकाशन प्रासंगिक अल्पसंख्यक भाषाओं में सुनिश्चित करना चाहिए।

ख. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करने और उनके उत्तर देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ग. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता और सहायता–अनुदान की स्वीकृति संबंधी संवैधानिक उपबंध के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है।

घ. राज्य सरकार को भर्ती के समय राज्य की क्षेत्रीय/राजभाषा के पूर्व ज्ञान पर जोर नहीं देना चाहिए और राज्य सेवाओं में भर्ती हेतु अधिवासीय प्रतिबंध भी नहीं लगाना चाहिए।

ङ. राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्राथमिक/उच्च

प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तरों की शिक्षा संबंधी सुविधाओं के बारे में विस्तृत सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए।

च. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार से सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' के रख–रखाव सुनिश्चित करने का आग्रह किया जाता है ताकि राज्य में शिक्षा के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने हेतु अन्तर–विद्यालय समायोजन को सुसाध्य बनाया जा सके।

छ. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम०एच०आर०डी०), भारत सरकार ने भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की 50वीं रिपोर्ट संबंधी कृत अपनी कार्रवाई रिपोर्ट (ए०टी०आर) में सूचना दी है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी०बी०एस० ई०) से संबद्ध सभी स्कूलों को सी बी एस ई के पत्र संख्या सी बी एस ई/जे एस (ए० एवं एल०)/2014 दिनांक 29.09. 2014 के तहत अनुदेश दिया गया है कि वे छात्रों के दाखिले के फार्म में (i) बच्चे की मातृभाषा (ii) तरजीह दी गई प्रथम भाषा (iii) माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई वैकल्पिक/तीसरी भाषा दर्ज करें। अतः हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह है कि राज्य के स्कूलों के में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्र में ऐसी ही स्तंभ शामिल करें ताकि भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को अपनी मातृभाषा पढ़ने की सुविधा सुनिश्चित हो सके।

ज. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किया जाना चाहिए।

झ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिला स्तर पर भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जानी चाहिए ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

ञ. हिमाचल प्रदेश के नोडल अधिकारी को, आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत व समेकित उत्तर का समय पर प्रेषण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी नियत समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत कर सकें।

5.19 हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक उपचारी उपाय करें, जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों की योजना का राज्य में प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

# जम्मू और कश्मीर 6

## भाषाई रूपरेखा

6.1 जनगणना–2001 के अनुसार जम्मू और कश्मीर की जनसंख्या 1,01,43,700 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत हैः

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशत |
|---|---|---|
| कश्मीरी | 54,25,733 | 53.49 |
| डोगरी | 22.05,560 | 21.74 |
| हिन्दी | 18,70,264 | 18.44 |
| पंजाबी | 1,90,675 | 1.88 |
| लद्दाखी | 1,01,466 | 1.00 |

6.2 **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा उर्दू है।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

6.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार से आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

6.4 **संस्तुतियां**

क. राज्य सरकार से प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की तथ्यपरक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है।

ख. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं से सम्बन्धित समुचित नीति बनाने की आवश्यकता है।

ग. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

घ. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ड़. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

च. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत सूचना प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

छ. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

ज. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर–विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।

झ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

ञ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार को व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किया जाना चाहिए।

ट. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

ठ. जम्मू और कश्मीर सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर समय पर प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी नियत समय में अपनी रिपोर्ट तैयार कर माननीय राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

6.5 जम्मू और कश्मीर सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जा सके।

# पंजाब 7

## भाषाई रूपरेखा

7.1 जनगणना–2001 के अनुसार पंजाब की जनसंख्या 2,43,58,999 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् हैः

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| पंजाबी | 2,23,34,369 | 91.69 |
| हिंदी | 18,51,128 | 7.60 |
| उर्दू | 27,660 | 0.11 |
| बंगाली | 206,55 | 0.08 |
| नेपाली | 19,778 | 0.08 |

7.2 **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा गुरूमुखी लिपि में पंजाबी है।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत हैः

### 7.3 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. राज्य सरकार ने सूचना दी है कि भाषा विभाग, पटियाला द्वारा अल्पसंख्यक भाषाओं में नियमों, विनियमों तथा सूचनाओं आदि के अनुवाद की समुचित व्यवस्था है। यह भी बताया गया है कि पंजाब सरकार ने हाल ही में पंजाब उर्दू अकादमी की स्थापना की है।

ख. सूचित किया गया है कि भाषा विभाग, पंजाब उर्दू में तथा इसके प्रतिक्रम में अनुवाद हेतु अपनी सेवाएं देता हैं। तथापि, बताया गया है कि पंजाब में अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

ग. बताया गया है कि शिकायतों के निवारण के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदन स्वीकार करने के संबंध में सरकार के आदेश विद्यमान हैं। यह भी बताया गया है कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों की कोई शिकायत नहीं है।

### 7.4 राज्य सेवाओं में भर्ती

क. सूचना दी गई है कि मैट्रिकुलेशन स्तर तक पंजाबी भाषा का ज्ञान राज्य सेवा में भर्ती के लिए पूर्वापेक्षित है।

ख. सूचित किया गया है कि राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अल्पसंख्यक भाषा में उत्तर देने की अनुमति नहीं है।

ग. राज्य सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध लागू नहीं होते।

## 7.5 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. बताया गया है कि 1948 में भाषा विभाग की स्थापना के बाद से अल्पसंख्यक भाषाओं, उर्दू तथा संस्कृत को संरक्षित किया जा रहा है। उर्दू के संवर्धन के लिए पंजाब उर्दू अकादमी की स्थापना की गई है। संस्कृत भाषा के लिए पटियाला, नाभा, खन्ना तथा होशियारपुर में सात संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं के अलावा, विश्वविद्यालय, कालेज तथा स्कूल भी अल्पसंख्यक भाषाओं अर्थात् उर्दू तथा संस्कृत के विकास के लिए कार्यरत हैं।

ख. सूचित किया गया है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान छह शैक्षणिक संस्थाओं को भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं के रूप में मान्यता दी गई है। यह भी सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों से उनकी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता दिए जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

## 7.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

क. भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान की संस्वीकृति के लिए विनियमों/दिशानिर्देशों तथा इस प्रयोजनार्थ पदनामित प्राधिकारी के संबंध में बताया गया है कि संस्कृत विद्यालयों के लिए विशिष्ट नियम हैं।

ख. सूचित किया गया है कि वर्ष 2013–14 के लिए किसी भी भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को भाषावार सहायता–अनुदान नहीं दिए गए हैं।

## भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

## 7.7 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 31 | 2,752 | 32 |

## 7.8 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाए जाने के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है।

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढाएं जाने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 4 | 587 | 4 |
| संस्कृत | 83 | 6,692 | 88 |

## 7.9 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाए जाने के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है।

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढाने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 4 | 307 | 3 |
| संस्कृत | 83 | 4,397 | 71 |

## 7.10 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12)

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढाने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | — | — | — |
| संस्कृत | 28 | 903 | 7 |

## 7.11. त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ इस प्रकार हैं:

प्रथम भाषा : पंजाबी
द्वितीय भाषा : हिंदी
तृतीय भाषा : अंग्रेजी

ख. राज्य में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शामिल छात्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## 7.12 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. उर्दू भाषा के शिक्षकों के लिए संस्वीकृत पदों का ब्यौरा निम्नवत है:

| भाषा | माध्यम | | विषय | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत पद | भरे हुए पद | स्वीकृत पद | भरे हुए पद |
| उर्दू | — | — | 31 | 31 |

ख. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के आदान–प्रदान/शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र खोले जाने के लिए पड़ोसी राज्यों से कोई सहयोग/व्यवस्था नहीं है।

7.13 **अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें**

क. सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

ख. बताया गया है कि डी०पी०आई० (ई) की रिपोर्ट के अनुसार पाठ्य–पुस्तकों से संबंधित एक प्रस्ताव डी०जी०एस०ई को डी०ई०ओ०, संगरूर के जरिए भेजा गया है।

7.14 **विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव**

बताया गया है कि डी०पी०आई० (ई) की रिपोर्ट के अनुसार राज्य मे प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषाई वरीयता का पंजीकरण करने के लिए भाषाई वरीयता पंजियों का रख–रखाव किया जा रहा है।

7.15 **अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास**

क. ऐसा बताया गया है कि योजनाएं भाषा विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं। योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

| क्र०सं० | भाषा विभाग, पंजाब की संस्कृत से संबंधति योजनाएं |
|---|---|
| 1. | प्रतिवर्ष शिरोमणि संस्कृत साहित्यकार पुरस्कार के तहत 250000 रू० का पुरस्कार, प्लैक तथा शाल प्रदान किए जाते हैं। |
| 2. | प्रतिवर्ष संस्कृत पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को 21000 रू० का पुरस्कार (कालिदास पुरस्कार) दिया जाता है। |
| 3. | संस्कृत के जरूरतमंद विद्वानों को वित्तीय सहायता दी जाती है। |
| 4. | प्रतिवर्ष संस्कृत दिवस मनाया जाता है। |
| 5. | संस्कृत के क्लासिकी साहित्यिक कृतियों का पंजाबी में अनुवाद किया जा रहा है। |

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए स्थापित संस्थाओं का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

| भाषा | संस्था का नाम | कब स्थापित हुई | वर्ष 2013–14 हेतु बजट |
|---|---|---|---|
| उर्दू | पंजाब उर्दू अकादमी | 9.11.2006 | – |
| संस्कृत तथा उर्दू | भाषा विभाग, पंजाब पटियाला | 1948 | – |

7.16 **रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र**

राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण और समीक्षा करने के लिए राज्य/जिला स्तर पर गठित किसी तंत्र/समिति के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

7.17 **संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार**

क. बताया गया है कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों तथा सुविधाओं के बारे में उन्हे सूचित करने के कोई समुचित तंत्र नहीं है। यह भी बताया गया है कि पंजाब उर्दू अकादमी तथा भाषा विभाग, पटियाला को यह कार्य सौपा गया है।

ख. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में बताया गया है कि भाषा विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

ग. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का ब्यौरा देने वाले पैम्पलेट के प्रकाशन के संबंध में सूचित किया गया है कि ऐसी जानकारी भाषा विभाग की वेबसाइट द्वारा प्रदान की जाती है।

7.18 **निष्कर्ष / संस्तुतियां**

क. राज्य सरकार द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं में भी अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए जैसा कि उर्दू के लिए किया जाता है।

ख. राज्य सरकार को राज्य सेवा भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न–पत्रों का उत्तर अल्पसंख्यक भाषा में देने की अनुमति पर विचार करना चाहिए।

ग. प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

घ. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ाने हेतु अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

ङ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

च. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों में जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू करने की आवश्यकता है।

छ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण एवं समीक्षा करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है जिससे की भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

ज. पंजाब सरकार के नोडल अधिकारी को आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है ताकि संवैधानिक प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

7.19 पंजाब राज्य सरकार से अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जा सके।

# राजस्थान 8

## भाषाई रूपरेखा

8.1 जनगणना–2001 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 5,65,07,188 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है :

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| हिन्दी | 5,14,07,216 | 90.97 |
| भीली | 26,00,933 | 4.60 |
| पंजाबी | 11,41,200 | 2.01 |
| उर्दू | 6,62,983 | 1.17 |

8.2 क. **राज्य की राजभाषा** : राज्य की राजभाषा हिन्दी है।

ख. **अतिरिक्त राजभाषा** : हिंदी के साथ अंग्रेजी को अतिरिक्त राजभाषा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् है :

### 8.3 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक भाषाओं में महत्वपूर्ण नियमों, विनियमों तथा अधिसूचनाओं इत्यादि के अनुवाद व प्रकाशन के बारे में कोई सूचना नहीं प्रदान की है।

ख. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में, अभ्यावेदनों को स्वीकार करने और उन्हीं भाषाओं में उत्तर देने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

### 8.4 राज्य सेवाओं में भर्ती

क. सूचना दी गई है कि राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित नहीं है।

ख. बताया गया है कि राज्य की सेवाओं में भर्ती हेतु भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति नहीं है।

ग. सूचित किया गया है कि राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए कोई अधिवासीय प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं।

### 8.5 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए निदेशक, अल्पसंख्यक कार्य विभाग, राजस्थान सरकार, सक्षम प्राधिकारी हैं। बताया गया है कि 30 जून, 2014 तक किसी भी भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को भाषावार मान्यता नहीं दी गई है। 30 जून, 2014 तक भााषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के रूप में मान्यता हेतु कोई आवेदन लम्बित नहीं बताया गया है।

8.6 **भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान**

क. सूचित किया गया है कि राजस्थान सरकार के अल्पसंख्यक कार्य विभाग के निदेशक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान देने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं।

ख. वर्ष 2013–14 के लिए भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को स्वीकृत सहायता–अनुदान का विवरण निम्नवत है :

| स्तर | अल्पसंख्यक भाषा | विद्यालयों की संख्या |
|---|---|---|
| प्राथमिक | उर्दू | 3548 मदरसा |
| उच्च प्राथमिक | उर्दू | 279 मदरसा |

**भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ**

8.7 **प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)**

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैं:

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 13 | 1,863 | 26 |
| सिन्धी | 02 | 45 | 02 |

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 3,548 मदरसा | 2,29,417 | 4,468 (पैराशिक्षक) |
| उर्दू | 173 | 12,938 | 80 |
| सिन्धी | 10 | 781 | 12 |

8.8 **उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)**

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैं:

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 09 | 1,082 | 23 |
| सिन्धी | 05 | 94 | 20 |

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 279 मदरसा | 26,596 | 825 (पैराशिक्षक) |
| उर्दू | 833 | 80,896 | 594 |
| सिन्धी | 07 | 310 | 09 |
| पंजाबी | 788 | 43,084 | 788 |

8.9 **माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)**

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाए जाने के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 347 | 21,600 | 469 |
| पंजाबी | 68 | 15,406 | 47 |
| सिन्धी | 25 | 695 | 35 |
| गुजराती | 10 | 648 | 10 |

8.10 **उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)**

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को माध्यम एवं एक विषय के रूप में पढ़ाये जाने से संबंधित कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है। हालांकि, बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा पंजाबी इस भाषा की जानकारी वाले सामान्य शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाती है।

8.11 **त्रिभाषा सूत्र**

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ इस प्रकार हैंः

प्रथम भाषा : हिंदी
द्वितीय भाषा : अंग्रेजी
तृतीय भाषा : उर्दू/पंजाबी/गुजराती/सिंधी/संस्कृत

ख. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शामिल कक्षा 8, 10 और 12 के छात्रों का विवरण निम्नवत हैः

| भाषा | कक्षा 8 | कक्षा 10 | कक्षा 12 |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 44,638 | 7,684 | 1,640 |
| पंजाबी | 48,022 | 7,011 | 996 |
| गुजराती | – | 229 | 109 |
| सिंधी | 475 | 190 | 82 |
| संस्कृत | 10,90,018 | – | – |

8.12 **अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक**

क. उर्दू भाषा के शिक्षकों के लिए स्वीकृत पदों का विवरण निम्नवत् हैः

| भाषा | माध्यम के रूप में | | विषय के रूप में | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत | भरे हुए | स्वीकृत | भरे हुए |
| उर्दू | 8,619 | 5,293 | – | – |

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय तथा माध्यम के रूप में पढ़ाए जाने हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ग. अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र खोले जाने के लिए पड़ोसी राज्यों से सहयोग के संबंध में राज्य सरकार ने कोई सूचना नहीं दी है।

### 8.13 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. सूचित किया गया है कि राजस्थान पाठ्य–पुस्तक मण्डल, जयपुर, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर, अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकों को तैयार और प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी अभिकरण हैं।

ख. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा के छात्रों को पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री मुफ्त प्रदान की जाती हैं।

### 8.14 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

जानकारी दी गई है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को उनकी भाषाई वरीयता का पंजीकरण करने के लिए सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियाँ' रखी जा रही हैं। लेकिन, इस संबंध में स्कूलों के कोई आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

### 8.15 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु किसी योजना के बारे में राज्य सरकार ने कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए स्थापित अकादमियों का विवरण निम्नवत् हैः

| भाषा | अकादमी का नाम | कब स्थापित हुई | 2013–14 के लिए बजट (रू0 लाख में) |
|---|---|---|---|
| उर्दू | राजस्थान उर्दू अकादमी, जयपुर | 1979 | 40.00 |
| सिंधी | राजस्थान सिंधी अकादमी, जयपुर | 1979 | 14.09 |

### 8.16 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. राज्य सरकार ने भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण और समीक्षा करने के लिए राज्य/जिला स्तर पर गठित तंत्र/समिति के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

ख. सूचना दी गई है कि जिला स्तर पर, भाषाई अल्पसंख्यकों के मामलों की देख–भाल करने का कार्य प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को सौंपा गया है।

### 8.17 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

ऐसा सूचित किया गया है कि सभी संबंधित जनपदों के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को भाषाई अल्पसंख्यकों को उन्हें उपलब्ध रक्षोपायों और सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने का कार्य सौंपा जाता है। बताया गया है कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अधिकारियों के लिए आदेश जनवरी, 2005 में जारी किए गए हैं। तथापि, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का ब्यौरा देने वाले कोई पैम्फलेट आदि प्रकाशित नहीं किए गए हैं। हालांकि, यह भी बताया गया है कि महत्वूपर्ण सूचनाएं सूचना–पट्टों पर प्रदर्शित की जाती हैं।

## 8.18 निष्कर्ष / संस्तुतियां

क. राज्य सरकार को उन क्षेत्रों को अधिसूचित करने की सलाह दी जाती है जहाँ भाषाई अल्पसंख्यक स्थानीय जनसंख्या के 15 प्रतिशत या अधिक हैं।

ख. राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में अल्पसंख्यक भाषाओं के इस्तेमाल के संबंध में विस्तृत जानकारी दिए जाने तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ उन जिला/तहसील/तालुक/नगर–पालिका, जहां भाषाई अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 15 प्रतिशत या उससे अधिक है, में नियमों, विनियमों तथा सूचनाओं, आदि का प्रासंगिक अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

ग. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा मे उनके उत्तर देना सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

घ. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षकों के सृजित/स्वीकृत पदों और उनके प्रशिक्षण सुविधाओं का पूर्ण ब्यौरा दिए जाने की आवश्यकता है। प्रदत्त सूचना में पाया गया है कि उर्दू के संबंध में छात्र शिक्षक का अनुपात अत्यंत चिंताजनक है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वे रिक्त पदों को भरें।

ङ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

च. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति उनमें जागरूकता के प्रसार हेतु उनके लिए रक्षोपायों का ब्यौरा देने वाले पैम्फलेट के प्रकाशन सहित व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू करना चाहिए ताकि राज्य में उनमें जागरूकता फैल सके।

छ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण एवं समीक्षा करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, एक जनपद स्तरीय समिति का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसख्ंयकों के रक्षोपायों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

ज. राजस्थान सरकार के नोडल अधिकारी को आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी नियत समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर भारत के महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

8.19 राजस्थान सरकार से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त बिंदुओं पर ध्यान दें और आवश्यक उपचारी उपाय करें, जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का राज्य में प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

# बिहार 9

## भाषाई रूपरेखा

9.1 जनगणना–2001 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 8,29,98,509 दर्ज की गई तथा इसकी भाषाई रूपरेखा निम्नवत हैः

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| हिन्दी | 6,06,35,284 | 73.06 |
| मैथिली | 11,8,30,868 | 14.25 |
| उर्दू | 94,57,548 | 11.39 |
| बंगाली | 4,43,426 | 0.53 |

9.2 क. **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा हिन्दी है।

ख. **अतिरिक्त राजभाषाः** उर्दू को राज्य की अतिरिक्त राजभाषा घोषित किया गया है।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

9.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

9.4 **अभ्युक्तियां/संस्तुतियां**

आयुक्त ने सहायक आयुक्त (प्रभारी पूर्वी अंचल) के साथ पटना का दौरा किया तथा मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, गृह एवं अल्पसंख्यक कल्याण, प्रधान सचिव शिक्षा एवं निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग तथा विभिन्न भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के साथ 6 नवम्बर, 2014 को चर्चाएं की। आयुक्त ने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की तथा उन्हें राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों की स्थिति से अवगत कराया। 8 नवम्बर 2014 को आयुक्त ने गया का दौरा किया तथा विभिन्न भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चाएं की और मगध विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ बातचीत की।

सूचना दी गई कि राज्य के प्रत्येक विद्यालय में उर्दू का एक अनुभाग है और वर्ष के दौरान और अधिक पदों को सृजित किया गया है। यह भी सूचित किया गया कि दिसम्बर, 2014 तक टी०ई०टी० के जरिए शिक्षकों के 15000 पदों को भरे जाने की आशा है। बताया गया है कि संस्कृत मिडिल स्कूलों में पढ़ाई जाती है तथा सरकार उर्दू निदेशालय द्वारा प्रकाशित "भाषा संगम" के जरिए अल्पसंख्यक भाषाओं को प्रोत्साहन दे रही है। बिहार दौरे के दौरान हुई चर्चा के आधार पर राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति पर निम्नलिखित अभ्युक्तियां की जाती हैंः

क. राज्य सरकार से आग्रह किया जाता है कि वे उन जिलों तथा नगरपालिका क्षेत्रों को अधिसूचित करे जहां 15 प्रतिशत से अधिक स्थानीय जनसंख्या द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएं बोली जाती हैं।

ख. उर्दू भाषियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान सूचित किया गया कि उर्दू अनुवादक के अनेक पद दूसरे पदों में रूपांतरित कर दिए गए तथा वे पद समाप्त कर दिए गए हैं। अतः सरकार से आग्रह है कि वे भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ नियमों, विनियमों सूचना इत्यादि का प्रकाशन एवं अनुवाद सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त संख्या में अनुवादकों को तैनात करें।

ग. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

घ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर–विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।

ड़. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

च. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

छ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता देने वाले प्राधिकारी के संबंध में भी सूचना प्रदान करने की आवश्यकता है।

ज. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत सूचना प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

झ. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य में, भाषाई भाषाओं की अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

ञ. यह सराहनीय है कि राज्य सरकार ने "भाषा संगम" के प्रकाशन के जरिए अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन के लिए प्लैटफार्म प्रदान किया है। तथापि, भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों द्वारा सूचना दी गई कि लेखकों को पारिश्रमिक नहीं दिया गया है। अतः सरकार से आग्रह है कि वे लेखकों के लिए पर्याप्त पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित करें।

ट. उर्दू अकादमी के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा भी यह सूचित किया गया कि अकादमी के लिए 1 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था। तथापि यह राशि उर्दू के संवर्धन के लिए कार्यकलापों को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। अतः राज्य सरकार से आग्रह है कि वे उर्दू अकादमी के लिए पर्याप्त निधि का आबंटन करें जैसा कि बैठक के दौरान आश्वासन दिया गया था।

ठ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

ण. बिहार राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर समय पर प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

9.5 राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जा सके।

# छत्तीसगढ़ 10

## भाषाई रूपरेखा

10.1 जनगणना–2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,08,33,803 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् हैः

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| हिन्दी | 1,72,10,481 | 82.61 |
| गोंडी | 8,94,806 | 4.29 |
| उड़िया | 8,19,098 | 3.93 |
| हलाबी | 5,44,874 | 2.62 |
| कुरूख | 4,44,008 | 2.13 |
| बंगाली | 2,08,669 | 1.00 |

10.2 उन जिलों के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है जहां अल्पसंख्यक भाषाएं 15 प्रतिशत या अधिक स्थानीय जनसंख्या द्वारा बोली जाती हैं।

10.3 **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा हिन्दी है।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि में, भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नलिखित है :

10.4 **राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग**

क. महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, आदेशों तथा अधिसूचनाओं इत्यादि के अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन की व्यवस्था के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करने और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में उत्तर देने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

10.5 **राज्य सेवाओं में भर्ती**

क. राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषा/राजभाषा की जानकारी की पूर्वापेक्षा के संबंध में राज्य सरकार ने कोई सूचना नहीं दी है।

ख. राज्य सरकार ने राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षा के लिए प्रश्न पत्रों का उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में दिए जाने की अनुमति के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है।

ग. राज्य सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

## 10.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता प्रदान करने का प्राधिकार आयुक्त/निदेशक, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग, रायपुर के पास है। किन्तु इस कार्यालय को धार्मिक संस्थानों से ही मान्यता हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। यह भी बताया गया है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता तथा भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा प्रासंगिक क्रियाविधि का प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के आदेश सं०9096/2007/25–2/आजक दिनांक 11 अक्टूबर, 2007 तथा संशोधित आदेश सं0 एफ–20–57/25–3/2008 आजवि दिनांक 23 जून, 2010 के तहत किया गया है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए विहित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज को संलग्न किया जाना अपेक्षित हैः

i. फर्म तथा संस्था का पंजीकरण।
ii. नियमावली
iii. आवेदन से पूर्व तीन वर्षों के परीक्षित लेखे तथा वार्षिक रिपोर्ट।
iv. भर्ती नियम–शैक्षणिक/गैर–शैक्षणिक भर्ती नियम, जो भी लागू हो।
v. संस्था की चल, अचल संपत्ति की सूची तथा उनका सत्यापित मूल्यांकन पत्र, पाठ्यक्रम की सूची, शिक्षण/गैर–शिक्षण संकाय की शैक्षणिक अर्हताओं, उनके पद, वेतन एवं अन्य विवरण, मान्यता प्रदान करने वाले संस्थान अर्थात् अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए०आई०सी०टी०ई०) का प्रमाण पत्र एवं संबंधन विश्वविद्यालय/बोर्ड का प्रमाण पत्र।
vi. राज्य सरकार द्वारा विहित शुल्क।

ख. बताया गया है कि 31.10.2014 की स्थिति के अनुसार 66 धार्मिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को पंजीकृत किया गया है। यह भी बताया गया है कि सीमाक्षाधीन अवधि के दौरान मान्यता हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है या लंबित नहीं है।

## 10.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता–अनुदान

क. प्राथमिक तथा माध्यमिक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को सहायता–अनुदान संस्वीकृ त करने के नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों तथा इस प्रयोजनार्थ पदनामित प्राधिकारी के संबंध में कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई है। बताया गया है कि सहायता–अनुदान राज्य सरकार के प्रावधान के अनुसार संस्वीकृत किए जाते हैं।

ख. भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को वर्ष 2013–14 में सहायता–अनुदान दिए जाने का विवरण निम्नवत है :

| अल्पसंख्यक भाषा | विद्यालयों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | प्राथमिक | उच्च प्राथमिक | माध्यमिक | उच्चतर माध्यमिक |
| उर्दू | 05 | – | – | 03 |
| पंजाबी | 02 | 01 | – | 01 |

**भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ**

10.8 **प्राथमिक स्तर (1 से 5)**

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का विवरण निम्नवत् है:

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 03 | 180 | 16 |

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का विवरण निम्नवत् है:

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 02 | 175 | 10 |
| तेलुगु | 02 | 180 | 11 |

10.9 **उच्च प्राथमिक स्तर (6 से 8)**

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ाए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर एक विषय रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का विवरण निम्नवत् है:

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 01 | 135 | 04 |

10.10 **माध्यमिक स्तर (9 से 10)**

शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम या विषय के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ाए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

10.11 **उच्चतर माध्यमिक स्तर (11 से 12)**

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ाए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का विवरण निम्नवत् है:

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 02 | 175 | 07 |
| पंजाबी | 01 | 80 | 03 |

## 10.12 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ निम्नवत् हैं:

प्रथम भाषा : विशेष हिंदी/सामान्य अंग्रेजी/संस्कृत/उर्दू
द्वितीय भाषा : विशेष अंग्रेजी/सामान्य हिंदी/ संस्कृत/उर्दू
तृतीय भाषा : विशेष उर्दू/सामान्य हिन्दी/संस्कृत/अंग्रेजी

ख. कक्षा 8, 10 एवं 12 में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शामिल छात्रों के ब्यौरे के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है।

## 10.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. उर्दू को एक विषय और शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के स्वीकृत/सृजित पदों का विवरण निम्नवत है:

| भाषा | माध्यम के रूप में | | विषय के रूप में | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत | भरे हुए | स्वीकृत | भरे हुए |
| उर्दू | 340 | 340 | — | — |

ख. अल्पसंख्यक भाषा को एक माध्यम तथा विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का ब्यौरा निम्नवत् है:

| प्रशिक्षण संस्थान | माध्यम के रूप में | विषय के रूप में |
|---|---|---|
| एस०सी०ई०आर०टी० | हिंदी | गणित/पर्यावरण |
| डी०पी०आई० | अंग्रेजी, उर्दू | विज्ञान/समाज विज्ञान |

ग. अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के आदान–प्रदान के लिए तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र खोलने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग/व्यवस्था के संबंध में बताया गया है कि शिक्षकों को उर्दू भाषा का प्रशिक्षण जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली तथा यू०पी०एस०सी०ई०आर०टी० से प्रदान किया जाता है।

## 10.14 अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकें

क. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री, मुफ्त में समय से उपलब्ध कराई जाती है।

ख. अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकों को तैयार एवं प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी अभिकरण छत्तीसगढ़ स्टेट टेक्स्ट बुक कारपोरेशन है।

## 10.15 स्कूलो में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

स्कूलों में भाषाई वरीयता के रखरखाव के संबंध में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दी गई हैं। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग आंकड़े तैयार करता है।

## 10.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन तथा विकास

क. ऐसा बताया गया है कि उर्दू भाषा के सवंर्धन के लिए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अकादमी गठित की गई है।

ख. अल्पसंख्यक भाषा के संवर्धन और विकास हेतु स्थापित अकादमियों का विवरण निम्नवत् हैः

| भाषा | संस्था का नाम | कब स्थापित हुआ | वर्ष 2013–14 हेतु बजट |
|---|---|---|---|
| उर्दू | छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी | 01 अक्टूबर 2003 | सरकार द्वारा करीब 45.00 लाख का वार्षिक बजट दिया जाता है। |

## 10.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. सूचित किया गया है कि राज्य के प्रत्येक जिले में जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला अल्पसंख्यक कल्याण समिति गठित की गई है। इसके अलावा, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति विद्यमान है।

ख. सूचना दी गई है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय सहमतिजन्य तथा संवैधानिक रक्षोपायों को कार्यान्वित करने के लिए जुलाई, 2014 में छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।

ग. बताया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अल्पसंख्यक आयोग भाषाई अल्पसंख्यकों के मामलों को भी देखता है।

घ. सूचना दी गई है कि राज्य के सभी जिलों के जिलाधीशों को राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक संबंधी कार्य सौपें गए हैं।

## 10.18 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

क. संवैधानिक अधिकारों तथा रक्षोपायों के प्रचार–प्रसार के संबंध में जिला कलेक्टर कार्यालय तथा जिला शिक्षा अधिकारी जिला तथा ब्लॉक स्तरों पर सूचना उपलब्ध करते हैं।

ख. सूचना दी गई है कि रक्षोपायों की योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग द्वारा पोस्टर प्रकाशित किए जाते है। यह भी बताया गया है कि प्रदर्शन बोर्ड, बैनर इत्यादि के माध्यम से भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों तथा सुविधाओं को प्रदर्शित करने हेतु जिला तथा तहसील कार्यालयों को आदेश जारी किए गए हैं।

## 10.19 निष्कर्ष / संस्तुतियां

क. राज्य सरकार से उन जिलों, तहसीलों तथा नगरपालिका क्षेत्रों को अधिसूचित करने का आग्रह है जहां की 15 प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या अल्पसंख्यक भाषाओं के बोलने वाले हैं।

ख. राज्य सरकार को उन जिला / तहसील / तालुका / नगरपालिका के भाषाई अल्पसंख्यकों जहां उनकी जनसंख्या 15 प्रतिशत या अधिक है, के हितार्थ नियमों, विनियमों तथा सूचनाओं इत्यादि का प्रांसगिक अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

ग. राज्य सरकार को शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति, और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

घ. राज्य सरकार द्वारा राज्य में उड़िया तथा बंगाली सहित उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

ड. राज्य सरकार द्वारा अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षण के लिए शिक्षकों की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है जैसा कि उर्दू के लिए किया जाता है।

च. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।

छ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

ज. राज्य सरकार को राज्य स्तरीय समिति में अधिमानतः भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के स्थानीय सांसद को शामिल करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति में भी अधिमानतः भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के स्थानीय विधायक को शामिल किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

छ. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर समय पर, प्रस्तुत किए जाएं जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

10.20 छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से किया जा सके।

# झारखण्ड

## भाषाई रूपरेखा

11.1 जनगणना–2001 के अनुसार झारखण्ड की जनसंख्या 2,69,45,829 है तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नलिखित है:

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| हिन्दी | 1,55,10,587 | 57.56 |
| संथाली | 28,79,576 | 10.69 |
| बंगाली | 26,07,601 | 9.68 |
| उर्दू | 23,24,411 | 8.63 |
| कुरूख/ओरांव | 8,61,843 | 3.20 |
| मुंदारी | 8,60,275 | 3.19 |
| हो | 7,82,078 | 2.90 |
| उड़िया | 4,67,874 | 1.74 |

11.2 क. **राज्य की राजभाषा** : राज्य की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है।

ख. **अतिरिक्त राजभाषा** : सूचित किया गया है कि उर्दू को राज्य में द्वितीय राजभाषा पहले ही घोषित किया जा चुका है। यह भी बताया गया है कि उर्दू के अलावा संथाली, बंगला, मुंदारी, हो, खरिया, कुडुख (उराँव), कुरमाली, खोरथा, नागपुरी, पंचपरगानिया तथा उड़िया को भी द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तथापि, इन राजभाषाओं के इस्तेमाल का प्रयोजन एवं सीमाएं अभी तक निर्धारित नहीं की गई हैं।

11.3 उन जिलों/तहसील/तालुका/नगरपालिका के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है जहां भाषाई अल्पसंख्यकों की आबादी राज्य की जनसंख्या का 60 प्रतिशत या 15 प्रतिशत है।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की स्थिति निम्नवत् है:

### 11.4 राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

क. बताया गया है कि द्वितीय राजभाषा उर्दू का प्रयोग इसके लिए यथानिर्धारित सरकारी प्रयोजनों के लिए समस्त झारखण्ड में लागू है। झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं०6807 दिनांक 16.10.2007 में निम्नलिखित सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के अतिरिक्त उर्दू के प्रयोग को विनिर्दिष्ट किया गया है:

(1) उर्दू भाषा में याचिकाओं तथा आवेदनों की प्राप्ति तथा उसी भाषा में उनके जवाब देने के लिए।
(2) पंजीयक कार्यालय द्वारा उर्दू में लिखित दस्तावेजों को स्वीकार करने हेतु।
(3) महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों तथा अधिसूचनाओं के उर्दू में भी प्रकाशन के लिए।
(4) सार्वजनिक महत्व के सरकारी आदेशों तथा परिपत्रों को उर्दू में भी जारी करने हेतु।

(5) महत्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों के उर्दू में भी प्रकाशन हेतु।
(6) जिला राजपत्र को उर्दू पाठ में भी प्रकाशित करने हेतु।
(7) सूचनापट्ट को उर्दू में भी प्रदर्शित करने हेतु।

ख. बताया गया है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं० 6807 दिनांक 06.10.2007 के तहत उर्दू भाषा में लिखित अभ्यावेदनों/शिकायत–पत्रों को स्वीकार करने के आदेश मौजूद हैं। यह भी बताया गया है कि उक्त अधिसूचना में यह भी प्रावधान है कि शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदनों के जवाब उसी भाषा में दिए जाएं।

## 11.5 राज्य सेवाओं में भर्ती

क. सूचना दी गई है कि राज्य की सेवाओं में भर्ती हेतु राजभाषा हिन्दी का ज्ञान पूर्वापेक्षित है। सभी अभ्यर्थियों को हिन्दी के प्रश्नपत्र में अर्हक अंक लाना अनिवार्य है। सेवा में आने के बाद भी भर्ती के एक वर्ष के अन्दर हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण तथा हिन्दी लिखने–पढ़ने की योग्यता परीक्षा में उर्त्तीण होना वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु अनिवार्य है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सेवा तब तक संपुष्ट नही होती जबतक कि वे राजस्व पर्षद द्वारा संचालित विभागीय परीक्षा में उर्त्तीण नहीं हो जाते। इस परीक्षा में एक पत्र हिन्दी तथा एक पत्र संथाली, मुंडारी, उराँव तथा हो में कोई एक जनजातीय भाषा का होता है।

ख. राज्य सेवा में भर्ती हेतु प्रश्न–पत्रों का उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने के संबंध में सूचित किया गया है कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक के पत्रांक–2189 दिनांक 23.12.2011 के अनुसार राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में हिन्दी तथा अंग्रेजी दो भाषाओं में परीक्षा ली जाती है। आयोग की परीक्षा में उर्दू पूर्व से ही वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–2719 दिनांक 24.05.2004 के अनुसार अन्य भाषा जैसे संथाली, बंगला, उड़िया, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगानिया भी एक वैकल्पिक विषय के रूप में असैनिक सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में शामिल है।

ग. बताया गया है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र सं० 5448 दिनांक 12.09.2011 के अनुसार राज्य की सरकारी सेवाओं में, आरक्षण का लाभ प्राप्त करने में, अधिवासीय प्रतिबन्ध लागू होता है।

## 11.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता

क. झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने संबंधी, नियम, विनियम, दिशानिर्देश तथा पदनामित सक्षम अधिकारी के बारे में कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है।

ख. राज्य सरकार ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान मान्यताप्रदत्त भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं की संख्या के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है।

## 11.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता–अनुदान

क. प्राथमिक तथा माध्यमिक भाषाई स्तरों के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को

सहायता–अनुदान देने के संबंध में नियम/विनियम/दिशानिर्देश तथा इस प्रयोजनार्थ पदनामित सक्षम अधिकारी के बारे मे कोई सूचना नही दी गई है।

ख. राज्य सरकार ने उन भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है जिन्हें समीक्षाधीन अवधि के दौरान सहायता–अनुदान स्वीकृत किए गए थे ।

## भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षिणिक सुविधाएँ

### 11.8 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर

राज्य सरकार ने शिक्षा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा के छात्रों को दी जाने वाली शैक्षणिक सुविधा का कोई विवरण नहीं दिया है।

### 11.9 त्रिभाषा सूत्र

राज्य में त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाओं के संबंध मे कोई सूचना नहीं उपलब्ध कराई गई है।

### 11.10 अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप मे पढाने के लिए शिक्षकों के स्वीकृत एवं भरे हुए पदों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम तथा विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

### 11.11 अल्पसंख्यक भाषाओं को पाठ्य–पुस्तकें

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं मे पुस्तकों की उपलब्धता तथा उनके लिए अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकों एवं अन्य शिक्षण सामग्री के प्रापण के लिए उत्तरदायी एंजेसी के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

### 11.12 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

राज्य में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों में विद्यार्थियों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु भाषाई वरीयता पंजियों के रख–रखाव के संबंध में कोई सूचना नही दी गई है।

### 11.13 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए किसी योजना के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

### 11.14 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के अनुवीक्षण एवं समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर कोई समिति अथवा तंत्र के गठन संबंधी कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है। तथापि, राज्य के

अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने तथा उनके हित की रक्षा करने के लिए झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन वर्ष 2001 में किया गया था। सूचित किया गया है कि झारखण्ड में अल्पसंख्यक समुदाय धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को संदर्भित करता है। अधिसूचना संख्या 1/आयोग–30–083/2011–39 के अनुसार, राज्य अल्पसंख्यक आयोग में 11(ग्यारह) सदस्य हैं जिसमें एक अध्यक्ष तथा दो उपाध्यक्ष भी शामिल हैं।

ख. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर समिति के गठन के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## 11.15 संवैधानिक अधिकार एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

क. भाषाई अल्पसंख्यक को उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के बारे में उन्हें अवगत कराने के तंत्र के संबंध में सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्याओं का निवारण करने हेतु अल्पसंख्यक आयोग द्वारा समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

ख. बताया गया है कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पैम्फलेट बांटे जाते हैं तथा जिला स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान किया जाता है।

ग. सूचित किया गया है कि सिटीजन चार्टर/घोषणा–पत्र जिसमें भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का विवरण है, को 2013 में केवल हिन्दी भाषा में प्रकाशित किया गया था।

घ. यह भी बताया गया है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान राज्य अल्पसंख्यक आयोग को भाषाई अल्पसंख्यकों के संबंध में केवल एक शिकायत प्राप्त हुई। बताया गया है कि राज्य में कुल 625 पंजीकृत भाषाई अल्पसंख्यक संगठन/समितियां हैं।

## 11.16 निष्कर्ष/संस्तुति

क. राज्य सरकार द्वारा उन क्षेत्रों/जिलों/तहसीलों/नगर पालिका में 15 प्रतिशत या उससे अधिक बोलने वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, आदेशों, सूचनाओं आदि का अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

ख. शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करने, और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब देने का प्रबंध किया जाना चाहिए।

ग. राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए राज्य की क्षेत्रीय/राजभाषा के पूर्व ज्ञान को पूर्वापेक्षित नहीं बनाया जाना चाहिए।

घ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रो की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों मे भाषाई वरीयता पंजियो का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में शिक्षा के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षा सुगम हो सके।

ङ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक

स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

च. राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

छ. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत जानकारी दिए जाने की आवश्यकता है।

ज. राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। भाषाई अकादमियों को स्थापित किया जाना चाहिए तथा अल्पसंख्यक भाषाओं के विकास के लिए इन्हें समुचित रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

झ. रक्षोपायों एवं उपलब्ध सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू करने की आवश्यकता है।

ञ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है।, उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जाए जिससे कि भाषाई अल्पसख्ंयकों के रक्षोपायों का प्रभावकारी रूप से कार्यान्वियन सुनिश्चित हो सके।

ट. झारखण्ड राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को आयुक्त की प्रश्नावलियों का विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर, समय पर, प्रेषण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है. जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

11.17 झारखण्ड राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वियन प्रभावी रूप से, लागू किया जा सके।

# मध्य प्रदेश



## भाषाई रूपरेखा

12.1 जनगणना–2001 के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या 6,03,48,023 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् हैः

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| हिन्दी | 5,26,58,687 | 87.26 |
| भीली/भिलोड़ी | 29,73,201 | 4.93 |
| मराठी | 12,66,038 | 2.10 |
| उर्दू | 11,86,364 | 1.97 |
| गोण्डी | 9,25,417 | 1.53 |

12.2 निम्नलिखित अल्पसंख्यक भाषाएं जिले की जनसंख्या के 60 प्रतिशत या उससे अधिक द्वारा बोली जाती हैः

| जिला | भाषा | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| झाबुआ | भीली | 70 (लगभग) |
| डिंडौरी | गोण्डी | 65 (लगभग) |

12.3 निम्नांकित अल्पसंख्यक भाषाएं जिले/तहसील/तालुक/नगरपालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं:

| जिला | तहसील/तालुका/नगर पालिका | भाषा | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| भोपाल | हुजुर | उर्दू | 20 |
| विदिशा | कुरवाई | उर्दू | 20 |
| बुरहानपुर | बुरहानपुर | उर्दू | 20 |
| खंडवा/बुरहानपुर | खालवा/खन्नार | कोरकू | 60 |
| झाबुआ | सभी जिले | भीली | 70 |
| डिंडौरी | सभी जिले | गोण्डी | 40 |
| मंडाला | सभी जिले | गोण्डी | 40 |
| छिंदवाड़ा | सभी जिले | गोण्डी | 40 |
| बैतुल | सभी जिले | गोण्डी | 40 |

12.4 **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा हिन्दी है।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत है :

12.5 **राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग**

क. बताया गया है कि महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों, सूचनाओं आदि के अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रकाशन की कोई व्यवस्था नहीं है।

ख. सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा में प्राप्त अभ्यावेदन/आवेदन के उत्तर उसी भाषा में देने के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं और यथासंभव प्रयास किए जाते हैं कि अल्पसंख्यक भाषाओं में प्राप्त अभ्यावेदनों/आवेदनों का उत्तर उन्हीं भाषाओं में दिया जाए।

## 12.6 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. सूचित किया गया है कि राज्य सेवाओं की भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषा/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित नहीं है।

ख. यह भी बताया गया है कि राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति है।

ग. सूचित किया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं।

## 12.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. सूचित किया गया है कि आयुक्त, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, मध्य प्रदेश को भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। यह भी बताया गया है कि शैक्षणिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता देने तथा अल्पसंख्यक संस्था की घोषणा, 2007 से संबंधित मार्गदर्शी सिद्वान्तों एवं क्रियाविधि के अनुसरण में दिया जाता है।

ख. सूचित किया जाता है कि 30 जून, 2014 तक सिंधी भाषा की 4 शैक्षणिक संस्थाओं को भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के रूप में मान्यता दी गई है तथा 30 जून, 2014 तक की स्थिति के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में मान्यता देने के संबंध में कोई आवेदन लंबित नहीं है।

## 12.8 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता–अनुदान

क. सूचित किया गया है कि नई संस्थाओं को सहायता–अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाता है। पूर्व में स्वीकृत अनुदान के लिए स्थानीय निकायों को प्राधिकृत किया गया है।

ख. जिन स्कूलों को सहायता–अनुदान संस्वीकृत किए गए हैं, उनका ब्यौरा निम्नवत् हैः

| क्र०सं० | अल्पसंख्यक भाषा | स्तर | विद्यालय की सं० |
|---|---|---|---|
| 1 | मराठी | प्राथमिक | 152 |
| 2 | संस्कृत | | 27 |
| 3 | उर्दू | | 687 |
| 4 | मराठी | उच्च प्राथमिक/माध्यमिक | 67 |
| 5 | संस्कृत | | 44 |
| 6 | उर्दू | | 292 |
| 7 | मराठी | माध्यमिक | 2 |
| 8 | संस्कृत | | 20 |
| 9 | उर्दू | | 15 |
| 10 | मराठी | उच्चतर माध्यमिक | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | संस्कृत | | 18 |
| 12 | उर्दू | | 10 |

**भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ**

12.9 **प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)**

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 687 | 69,794 | 2,271 |
| मराठी | 152 | 11,495 | 705 |
| संस्कृत | 27 | 2,029 | 85 |

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने की सुविधा के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

12.10 **उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8)**

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 292 | 19,789 | 841 |
| मराठी | 67 | 6,347 | 409 |
| संस्कृत | 44 | 1,605 | 46 |

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने की सुविधा के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

12.11 **माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10)**

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ाए जाने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है :

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 15 | 1,582 | 53 |

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने की सुविधा का विवरण निम्नवत है :

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 69 | 6,751 | 105 |
| मराठी | 24 | 4,826 | 27 |
| सिंधी | 6 | 71 | 9 |

12.12 **उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12)**

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ाए जाने की सुविधा का विवरण निम्नवत् है :

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 10 | 398 | 18 |

ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने की सुविधा का विवरण निम्नवत् है :

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 35 | 2,065 | 45 |
| मराठी | 13 | 1,329 | 13 |
| सिंधी | 3 | 48 | 6 |

## 12.13 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं :

प्रथम भाषा : हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, मराठी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, कन्नड़

द्वितीय भाषा : हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी

तृतीय भाषा : हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, तमिल, अरबी, मलयालम, फारसी, फ्रेंच, रूसी, उड़िया, कन्नड

ख. त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत शामिल कक्षा 8वीं, 10वीं तथा 12वीं के छात्रों का विवरण निम्नवत् है:

| भाषा | कक्षा 8 | कक्षा 10 | कक्षा 12 |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 4,309 | 2,105 | 1,905 |
| मराठी | 2,696 | 2,524 | 2,134 |

## 12.14 अल्पसंख्यक भाषाओं हेतु शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषा को एक विषय या शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाने वाले शिक्षकों के पदों का विवरण निम्नवत् है:

| भाषा | माध्यम के रूप में | | विषय के रूप में | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत पद | भरे हुए पद | स्वीकृत पद | भरे हुए पद |
| — | — | — | 1,927 | 1,660 |

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है जिसका विवरण निम्नवत् है:

| प्रशिक्षण संस्थाएं | अल्पसंख्यक भाषा | |
|---|---|---|
| | पढ़ाई का माध्यम | विषय के रूप में |
| जिला प्रशिक्षण संस्थान, समस्त म०प्र०–डी०एड० पाठ्यक्रम | निरंक | निरंक किन्तु मांग के अनुसार उर्दू/संस्कृत भाषा वैकल्पिक विषय के रूप में उपलब्ध |

| | | |
|---|---|---|
| प्रगामी अध्ययन शिक्षा संस्थान भोपाल—बी०एड० पाठ्यक्रम | निरंक | वैकल्पिक भाषा के रूप में उर्दू भाषा |
| शिक्षक शिक्षण संस्थान बी०एड० पाठ्यक्रम | निरंक | देवास, जबलपुर में संस्कृत भाषा वैकल्पिक भाषा के रूप में |

## 12.15 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य—पुस्तकें

क. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा के छात्रों को पाठ्य—पुस्तकें शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में ही उपलब्ध कराई जाती हैं।

ख. सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषा के विद्यार्थियों को अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य—पुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री निम्नलिखित एंजेसियों से उपलब्ध कराई जाती हैः

1. राज्य शिक्षा केन्द्र
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
3. मध्य प्रदेश पाठ्य—पुस्तक निगम

ग. बताया गया है कि सरकारी संस्थाओं में पाठ्य—पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।

## 12.16 स्कूलों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रखरखाव

सूचना दी गई है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषाई वरीयता दर्ज करने के लिए स्कूलों में भाषाई वरीयता पंजियों का रखरखाव किया जाता है और इस संबंध में अनुदेश जारी किए गए हैं।

## 12.17 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

क. बताया गया है कि जनजातीय भाषाओं के लिए शब्दावली तथा व्याकरण जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान द्वारा तैयार और प्रकाशित कराए गए हैं। यह भी बताया गया है कि गोंडी, भीली तथा कोरकू से संबंधित शब्दावली तथा भीली, कोरकुस के व्याकरण प्रकाशित किए जा चुके हैं। मवासी, भीलाली, बारेली शब्दकोश तथा भील जनजातीय समूह के सांस्कृतिक आयाम, जनजातीय गीतों की स्वरलिपि और मौखिक साहित्य के संकलन एवं संपादन का कार्य प्रगति पर है।

ख. राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास हेतु संस्थाओं का विवरण निम्नवत् हैः

| अकादमी का नाम | स्थापित करने की तिथि | 2011—12 हेतु बजट (लाख में) |
|---|---|---|
| म०प्र० उर्दू अकादमी | 4 नवम्बर, 1976 | 55.00 |
| म०प्र० साहित्य अकादमी | 2002 | |
| क. इकबाल साहित्य प्रभाग | 1984 | 10.50 |
| ख. हिन्दी प्रभाग | | 42.15 |
| ग. मराठी प्रभाग | | 11.59 |

## 12.18 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. सूचित किया जाता है कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन और अनुवीक्षण हेतु राज्य/जिला स्तर पर कोई भी तंत्र स्थापित नहीं है।

ख. बताया गया है कि राज्य में एक राज्य अल्पसंख्यक आयोग स्थापित है और भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के मामले को राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा देखा जाता है।

## 12.19 संवैधानिक अधिकारों और रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षापायों एवं सुविधाओं के संबंध में राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अलग से सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। यह भी बताया गया है कि जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्था, मध्य प्रदेश द्वारा जनजातीय भाषाओं पर संकेन्द्रित संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं।

## 12.20 निष्कर्ष/संस्तुतियां

क. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

ख. राज्य सरकार को शिक्षा के प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों पर भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में पूर्ण जानकारी प्रदान करनी चाहिए।

ग. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम तथा विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के पदों तथा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकरी प्रदान करने की आवश्यकता है।

घ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

ङ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

च. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने हेतु राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, "एक जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

छ. मध्य प्रदेश सरकार के नोडल अधिकारी को आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर तैयार कर महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

12.21 मध्य प्रदेश राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सके।

# उत्तराखण्ड



## भाषाई रूपरेखा

13.1 जनगणना–2001 के अनुसार उत्तराखण्ड की जनसंख्या 84,89,349 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् हैः

| **भाषा** | **भाषा भाषी** | **प्रतिशतता** |
|---|---|---|
| हिन्दी | 74,66,413 | 87.95 |
| उर्दू | 4,97,081 | 5.86 |
| पंजाबी | 2,47,084 | 2.91 |
| बंगाली | 1,23,190 | 1.45 |
| नेपाली | 91,047 | 1.07 |

13.2 **राज्य की राजभाषाः** राज्य की राजभाषा हिंदी है।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

13.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तराखण्ड सरकार से प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक तथा अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की तथ्यपरक स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

### 13.4 संस्तुतियां

क. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं से संबन्धित समुचित नीति बनाने की आवश्यकता है।

ख. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

ग. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

घ. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

ड़. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत सूचना प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

च. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए।

राज्य में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

छ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर–विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।

ज. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

झ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार को व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किया जाना चाहिए।

ञ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

ट. उत्तराखण्ड सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर समय पर प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

13.5 राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जा सके।

# उत्तर प्रदेश 14

## भाषाई रूपरेखा

14.1 जनगणना 2001 के अनुसार, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16,61,97,921 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् है :

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| हिन्दी | 15,17,70,131 | 91.32 |
| उर्दू | 1,32,72,080 | 7.99 |
| पंजाबी | 5,23,094 | 0.31 |
| नेपाली | 2,63,982 | 0.16 |
| बंगाली | 1,81,634 | 0.11 |

14.2 क. **राज्य की राजभाषा** : राज्य की राजभाषा हिन्दी है।

ख. **राज्य की अतिरिक्त राजभाषा** : उर्दू को राज्य की अतिरिक्त राजभाषा घोषित किया गया है।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

14.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से पूर्ण एवं स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः 50वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को पुनः दोहराया जा रहा है।

### 14.4 संस्तुतियां

क. जिन जिला/तहसील/तालुक/नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

ख शिकायतों के निवारण हेतु उर्दू के अलावा अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करने और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ग. राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता तथा ऐसे संस्थानों के सहायता–अनुदान से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार से राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए किसी प्राधिकारी को पदनामित करने का भी आग्रह किया जाता है।

घ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि अन्तर–विद्यालयीन समायोजन के फलस्वरूप इन विद्यालयों में मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।

ड़. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

च. यह बात दोहराई जाती है कि 50वीं रिपोर्ट की प्रश्नावली के उत्तर के अनुसार 464 स्कूल ऐसे हैं जहां उर्दू को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है तथा वहां 31617 छात्र हैं। तथापि, वहां केवल 488 शिक्षक हैं, प्रत्येक स्कूल के लिए प्रायः एक शिक्षक है। यह खेदजनक है कि उर्दू पढ़ाने के लिए अर्हताप्राप्त शिक्षक राज्य में उपलब्ध नहीं हैं। यह भी शोचनीय है कि उर्दू पढ़ाने के लिए उर्दू पाठ्यक्रम संबंधी सामग्री भी उपलब्ध नहीं है। अतः राज्य सरकार से आग्रह है कि वे राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के हितार्थ पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराएं।

छ. भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की जानकारी में आया है कि माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट शिक्षा में उर्दू को एक विषय के रूप में लिया जा सकता है। तथापि, हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड ने इस तरह के पाठ्यक्रम तथा परीक्षा नियम बनाए हैं कि उर्दू भाषा–पत्र को महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि विज्ञान, गणित, वाणिज्य, संस्कृत इत्यादि के साथ नहीं लिया जा सकता है। अतः राज्य को इस संबंध में उपयुक्त संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि उर्दू भाषाभाषी अपने उज्जवल भविष्य के लिए आधुनिक विज्ञान, गणित तथा वाणिज्य पढ़ने के अपने मौलिक अधिकारों से वंचित न हो जाएं।

ज. भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की जानकारी में यह भी आया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिसूचना 1952 (अब यह इंटरमीडिएट बोर्ड के रूप में ज्ञात है) में घोषणा की गई थी कि ''संस्थाओं को हिंदी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए ही मान्यता दी जाएगी''। इससे गैर– हिंदी माध्यम स्कूल मान्यता के अधिकार से पूर्णतः वंचित हो गए हैं तथा यह संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में प्रदत्त रक्षोपायों के प्रतिकूल है। अतः राज्य से इस खंड की पुनर्जांच तथा इसमें उपयुक्त रूप से संशोधन करने का आग्रह है ताकि राज्य में रहने वाले भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की रक्षा हो सके।

झ. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण सुनिश्चित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय रक्षोपाय कार्यान्वयन समिति का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जनपद स्तरीय समिति का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

ञ. उत्तर प्रदेश सरकार के नोडल अधिकारी को आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर प्रेषण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी निर्धारित समय–सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर भारत के महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

14.5 उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से किया जा सके।

# अरूणाचल प्रदेश 15

## भाषाई रूपरेखा

15.1 जनगणना 2001 के अनुसार अरूणाचल प्रदेश की जनसंख्या 10,97,968 है तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नलिखित है:

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| निस्सी/डाफला | 2,08,337 | 18.97 |
| आदि | 1,93,379 | 17.61 |
| बंगाली | 97,149 | 8.85 |
| नेपाली | 94,919 | 8.64 |
| हिन्दी | 81,186 | 739 |

15.2 राज्य सरकार ने उन जिले/तहसील/तालुका/नगरपालिका आदि के बारे में कोई सूचना नहीं दी है जहाँ भाषाई अल्पसंख्यक उस क्षेत्र की जनसंख्या के 15 प्रतिशत अथवा इससे अधिक संख्या में हैं।

15.3 **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत है :

### 15.4 राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

क. महत्वपूर्ण नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, आदि का अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद/प्रकाशन की व्यवस्था नहीं है।

ख. राज्य सरकार द्वारा शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदन प्राप्त करने एवं उनके उत्तर संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में देने के बारे में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

### 15.5 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. सूचना दी गई है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित नहीं है। यह भी बताया गया है कि राज्य सरकार ने अब तक किसी भी भाषा को अल्पसंख्यक भाषा के रूप में चिन्हित/अधिसूचित नहीं किया है।

ख. बताया गया है कि राज्य सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

ग. राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध के लागू होने के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

## 15.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता

क. सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने संबंधी नियम, विनियम एवं दिशा निर्देश को राज्य सरकार द्वारा अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।

ख. बताया गया है कि राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों से उनकी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने के संबंध में कोई अभ्यावेदन/शिकायतें/याचिका नहीं प्राप्त हुई है।

## 15.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता–अनुदान

क. भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता–अनुदान की स्वीकृति और नियम, विनियम, दिशा निर्देश एवं सक्षम प्राधिकारी के बारे में बताया गया है कि राज्य सरकार ने अब तक किसी भी भाषा को अल्पसंख्यक भाषा चिन्हित/अधिसूचित नहीं किया है।

ख. वर्ष 2013–2014 के दौरान सहायता–अनुदान प्राप्त भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं की संख्या के संबंध में सूचित किया गया है कि अब तक किसी भी संस्था को वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

## भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षिणिक सुविधाएँ

## 15.8 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर

राज्य में शिक्षा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तरों पर भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

## 15.9 त्रिभाषा सूत्र

त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ निम्नवत हैं :

| | | |
|---|---|---|
| प्रथम भाषा | : | अंग्रेजी |
| द्वितीय भाषा | : | हिन्दी |
| तृतीय भाषा | : | संस्कृत/स्थानीय बोलियाँ (जनजातीय) |

हालांकि, राज्य सरकार द्वारा त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत कक्षा 8, 10 और 12 के अल्पसंख्यक भाषा के छात्रों का कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है।

## 15.10 अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षक

अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के माध्यम एवं एक विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों और उनके प्रशिक्षण के बारे में कोई जानकारी नही दी गई है।

## 15.11 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकों एवं अन्य शिक्षण सामग्री की आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है।

## 15.12 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषाई वरीयता दर्ज करने के लिए 'भाषाई वरीयता पंजियों' के रखरखाव के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है।

## 15.13 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

बताया गया है कि राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास की कोई योजना नहीं है।

## 15.14 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण और समीक्षा के लिए राज्य/जिला स्तर पर कोई समिति नहीं स्थापित की गई है।

ख. सूचना दी गई है कि राज्य सरकार का अब तक कोई अल्पसंख्यक आयोग नहीं है।

## 15.15 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

क. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्यों में उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के बारे में सूचित करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।

ख. यह भी बताया गया है कि अरूणाचल प्रदेश राज्य में जनजातीय लोगों का अधिवास है, जो विभिन्न बोलियाँ बोलते हैं। भोटी और पाली को छोड़कर इन बोलियों की कोई लिपि नहीं है।

## 15.16 निष्कर्ष/संस्तुतियां

क. भाषाई अल्पसंख्यकों की स्थिति के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा व्यापक उत्तर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाभाषियों की पहचान करने की भी आवश्यकता है तथा प्रशासन में अल्पसंख्यक भाषा के इस्तेमाल को सुसाध्य बनाना चाहिए।

ख. राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तथापि इस संबंध में अधिसूचना जारी होना अभी शेष है।

ग. राज्य की मुख्य राजभाषा से इतर किसी अन्य भारतीय भाषा के बोलने वाले उक्त राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक हैं, भले ही इन भाषाओं की कोई लिपि न हो। राज्य सरकार को विभिन्न अल्पसंख्यक/जनजातीय भाषाओं को संसाधन समझना चाहिए और, इसलिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराकर संरक्षण तथा संवर्धन करना चाहिए ताकि ये भाषाएं लुप्त न हो जाएं। संरक्षण हेतु राज्य सरकार को केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान सी०आई०आइ०एल० मैसूर से मिलकर समुचित लिपि विकसित करने/अपनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि इन भाषाओं को संरक्षित किया जा सके।

घ. उन क्षेत्रों में, जहाँ अल्पसंख्यक भाषाओं को बोलने वाले उस क्षेत्र विशेष की आबादी के 15 प्रतिशत या इससे अधिक हैं, महत्वपूर्ण नियमों, विनियमों, सूचनाओं आदि को भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

ड़. शिकायतों के निवारण के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदन प्राप्त करने, और उनके

उत्तर संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में दिए जाने के लिए उपयुक्त आदेश जारी किए जाने चाहिए।

च. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने तथा सहायता–अनुदान संस्वीकृत करने के लिए प्रासंगिक नियमों व विनियम/दिशानिर्देश की समीक्षा करनी चाहिए तथा इस प्रयोजनार्थ सक्षम प्रधिकारी को नामित करना चाहिए।

छ. राज्य सरकार के विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' के रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि अन्तर–विद्यालयीन समायोजन के फलस्वरूप इन विद्यालयों में मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।

ज. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

झ. राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तरों पर भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में, विस्तृत सूचना प्रेषित की जानी चाहिए।

ञ. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

ट. रक्षोपायों एवं उपलब्ध सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा इनका व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू करने की आवश्यकता है।

ठ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय रक्षोपाय समिति का गठन करने की आवश्यकता है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जनपद स्तरीय समिति का भी गठन किया जाना चाहिए जिससे कि भाषाई अल्पसख्यंको के रक्षोपायों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

ड. राज्य में जनजातीय भाषाओं के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा सी०आई०आई०एल०, मैसूर की समुचित विशेषज्ञ सहायता लेनी चाहिए।

ढ. अरूणाचल प्रदेश सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण किया जाना जाए जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

15.17 अरूणाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से किया जा सके।

# असम 16

## भाषाई रूपरेखा

16.1 जनगणना 2001 के अनुसार असम की जनसंख्या 2,66,55,528 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् हैः

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| असमिया | 1,30,10,478 | 48.81 |
| बंगाली | 73,43,338 | 27.55 |
| हिन्दी | 15,69,662 | 5.89 |
| बोडो | 12,96,162 | 4.86 |

16.2 **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा असमिया है।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

16.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। असम राज्य सरकार से पूर्ण एवं स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः 50वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को पुनः दोहराया जा रहा है।

16.4 **संस्तुतियां**

क. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं से सम्बन्धित समुचित नीति बनाने की आवश्यकता है।

ख. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

ग. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

घ. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

ड़. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत सूचना प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

च. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए।

राज्य में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं की अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

छ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर–विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।

ज. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

झ. उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकार को व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किया जाना चाहिए।

ञ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

ट. असम सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर समय पर प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी समय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकें।

16.5 असम सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जा सके।

# मणिपुर 17

## भाषाई रूपरेखा

17.1 जनगणना 2001 के अनुसार मणिपुर की जनसंख्या 21,66,788 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् है (इसमें सेनापति जिले के पाओमाता, माओ–मरम् और पुरूल अनुमण्डलों के आंकड़े शामिल नहीं हैं) :

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| मणिपुरी | 12,66,098 | 58.43 |
| थाडो | 1,78,696 | 8.25 |
| तांगखुल | 1,39,979 | 6.46 |
| काबुई | 87,950 | 4.06 |
| पइते | 48,379 | 2.23 |
| नेपाली | 45,998 | 2.12 |
| हमार | 43,137 | 1.99 |
| वाईफेई | 37,553 | 1.73 |
| लियांगमेई | 32,787 | 1.51 |
| बंगाली | 27,100 | 1.25 |
| हिन्दी | 24,720 | 1.14 |
| अनल | 22,187 | 1.02 |
| मारिंग | 22,154 | 1.02 |

17.2 क. जिन जिलों में अल्पसंख्यक भाषाएं 60 प्रतिशत या उससे अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाती है उनका विवरण निम्नवत् है:

| भाषा | भाषा | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| उखरूल | तांगखुल | – |
| तामेंगलांग | काबुई, कच्चा नागा | – |
| चूड़ाचांदपुर | थाडो, पइते, हमार, वाईफेई | – |
| चंडेल | अनल | – |
| सेनापति | – | – |

बताया गया है कि मणिपुर के पहाड़ी जिले में मुख्य रूप से बोली जाने वाली अल्पसंख्यक भाषाएं दर्शाई गई हैं और जिला स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा–भाषियों की भाषावार प्रतिशतता के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

ख. जिन जिलों में अल्पसंख्यक भाषाएं 15 प्रतिशत या उससे अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाती है उनका ब्यौरा निम्नवत् है:

| भाषा | भाषा | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| सेनापति | माओ, पोमाई | – |
| चंडेल | मारिंग | – |
| चूड़ाचांदपुर | जोउ, लुसाई, सिमटी | – |

17.3 क. **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा मणिपुरी है।

ख. **अतिरिक्त राजभाषा :** सूचित किया गया है कि अंग्रेजी के अलावा किसी भी अन्य भाषा को राज्य की अतिरिक्त राजभाषा घोषित नहीं किया गया है।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत है:

### 17.4 राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

क. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में नियमों, विनियमों तथा सूचनाओं इत्यादि के अनुवाद एवं प्रकाशन की कोई व्यवस्था नहीं है।

ख. यह भी बताया गया है कि शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति एवं उत्तर देने के संबंध में कोई आदेश मौजूद नहीं हैं।

### 17.5 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. सूचित किया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषा/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित है। इसके अलावा, यह भी सूचित किया गया है कि राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न–पत्रों का उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति नहीं है।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबन्ध लागू होते हैं।

### 17.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने से संबंधित नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों तथा इस प्रयोजनार्थ पदनामित सक्षम प्राधिकारी के संबंध में बताया गया है कि मणिपुर में भाषाई अल्पसंख्यकों का कोई शिक्षण संस्थान नहीं है। तथापि, बताया गया है कि मणिपुर में 36 अनुसूचित जनजातियाँ हैं। उनमें से अधिकांश राज्य के 5 पर्वतीय जिलों में रहती हैं तथा उनके बच्चे, निम्नलिखित विवरण के अनुसार जिलों के 5 पर्वतीय विद्यालयों में पढ़ते हैं:

| जिलों के नाम | उच्चतर माध्यमिक विद्यालय | | उच्च विद्यालय | | जूनियर हाई स्कूल | | प्राथमिक विद्यालय | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सरकारी | सहायता प्राप्त | सरकारी | सहायता प्राप्त | सरकारी | सहायता प्राप्त | सरकारी | सहायता प्राप्त |
| उखरूल | 4 | – | 22 | 2 | 35 | 2 | 27 | 33 |
| सेनापति | 1 | – | 9 | 7 | 51 | 9 | 69 | 72 |
| तामेंगलांग | 3 | – | 9 | 1 | 30 | – | 46 | 27 |
| चूड़ाचांदपुर | – | – | 27 | 3 | 45 | 24 | 50 | 40 |
| चंदेल | – | – | 7 | – | 15 | 5 | 29 | 40 |

### 17.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के आधार पर राज्य सरकार ने कोई विशिष्ट सहायता–अनुदान शुरू नहीं किया है।

## भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

### 17.8 प्राथमिक स्तर/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर

क. सूचित किया गया है कि जहां तक राज्य में शिक्षा (शिक्षण एवं परीक्षा) के माध्यम का प्रश्न है, कक्षा 1 से 10 तक अंग्रेजी और मणिपुरी में शिक्षा दी जाती है; तथा कक्षा 10 के बाद अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में जारी रखा जाता है।

ख. यह भी सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित मान्यताप्राप्त जनजातीय भाषाएं स्कूल में एक विषय के रूप मे पढ़ाई जा रही हैं:

| भाषा | कक्षा से | कक्षा तक |
|---|---|---|
| पौमाई | प्रथम | आठवीं |
| लियांगमेई | प्रथम | आठवीं |
| गंग्टे | प्रथम | आठवीं |
| माओ | प्रथम | दसवीं |
| रोंगमई | प्रथम | दसवीं |
| कोम | प्रथम | बारहवीं |
| वाईफेई | प्रथम | बारहवीं |
| मिजो | प्रथम | बारहवीं |
| जोउ | प्रथम | बारहवीं |
| तांगखुल | प्रथम | बारहवीं |
| हमार | प्रथम | बारहवीं |
| थाडोकुकी | प्रथम | बारहवीं |
| पइते | प्रथम | बारहवीं |

### 17.9 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएं (कक्षा 3 से 10 तक) निम्नलिखित हैं:

प्रथम भाषा : मणिपुरी या प्रमुख भारतीय भाषाओं में से एक (बंगाली, नेपाली, पंजाबी आदि) या नौ मान्यताप्राप्त जनजातीय भाषाओं में एक भाषा

द्वितीय भाषा : अंग्रेजी

तृतीय भाषा : मणिपुरी उनके लिए जिन्होंने इसे प्रथम भाषा के रूप में नहीं चुना है अथवा हिन्दी उनके लिए जिन्होंने हिन्दी को प्रथम भाषा के रूप में नहीं चुना है या प्रारम्भिक हिन्दी व प्रारम्भिक मणिपुरी उनके लिए जिन्होंने प्रथम भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त जनजातीय भाषाओं में से एक भाषा को चुना है।

ख. तथापि, त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत अध्ययन करने वाले छात्रों के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

### 17.10 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. बताया गया है कि विद्यालयी शिक्षा विभाग में क्षेत्रीय/अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ाने के लिए शिक्षकों के स्वीकृत पद अब तक नहीं हैं। तथापि, विद्यालय के किसी भी ऐसे शिक्षक, जिसकी मातृभाषा, कोई मान्यताप्राप्त जनजातीय भाषा है, को यह भाषा पढ़ाने का कार्य सौंप दिया जाता है।

ख. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय अथवा शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नही है। इसके अलावा, बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के आदान–प्रदान/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र खोलने के लिए पड़ोसी राज्यों से कोई सहयोग/व्यवस्था नहीं है।

## 17.11 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षिणिक सत्र के आंरभ में ही उपलब्ध करा दी जाती है।

ख. सूचना दी गई है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मणिपुर तथा संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं की साहित्यिक संस्थाएं मान्यताप्राप्त अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें तैयार करती हैं।

ग. सूचित किया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत, पाठ्य–पुस्तकें मुफ्त वितरित की जाती हैं। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जनजातीय भाषाओं में लिखी पुस्तकों को खरीदने तथा भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों में मुफ्त बाँटने की योजना भी है।

## 17.12 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

बताया गया है कि राज्य में भाषाई वरीयता पंजियों का सफलतापूर्वक रख–रखाव अभी किया जाना है। तथापि, कहा गया है कि मणिपुर के पर्वतीय जिलों के सभी प्राथमिक स्कूलों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' को खोलने हेतु शिक्षा विभाग, मणिपुर सरकार हर संभव प्रयास कर रहा है।

## 17.13 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

क. सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप किए जा रहे हैं:

i. विस्तृत व्याकरण तथा पठ्न–पाठ्न सामग्री की तैयारी एवं प्रकाशन।

ii. एकभाषी, द्विभाषी और बहुभाषी शब्दकोशों का संकलन।

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धक एवं विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित शैक्षणिक अकादमियों के ब्यौरे के संबंध में बताया गया है कि राज्य में अभी ऐसी अकादमी स्थापित की जानी है।

## 17.14 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. बताया गया है कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने के लिए राज्य स्तर पर कोई तंत्र नहीं है। यह भी बताया गया है कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग राज्य में गठित नहीं है।

ख. बताया गया है कि जिला स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों के मामलों की देखरेख का कार्य जिला शिक्षा विभाग (शिक्षा) के संबंधित जोनल शिक्षा अधिकारियों को सुपुर्द किया गया है।

## 17.15 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

क. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उन्हें उपलब्ध रक्षोंपायों एवं सुविधाओं की जानकारी राज्य की राजभाषा में मीडिया द्वारा दी जाती है।

ख. सूचना दी गई है कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम अभी चलाए जाने हैं। यह भी सूचित किया गया है कि भाषा के आधार पर शिकायतों को अभी वर्गीकृत किया जाना है।

## 17.16 निष्कर्ष / संस्तुतियां

क. राज्य सरकार से आग्रह है कि जिन जिला / तहसील / तालुका / नगरपालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएं बोली जाती हैं, वहाँ नियमों, अधिनियमों एवं सूचनाओं आदि का अनुवाद और प्रकाशन संबंधित अल्पसंख्यक / जनजातीय भाषाओं में सुनिश्चित करें।

ख. राज्य सरकार को, राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों का उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में लिखने की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए।

ग. राज्य सरकार को भर्ती के समय क्षेत्रीय भाषा / राजभाषा के पूर्व ज्ञान पर जोर नहीं देना चाहिए और न तो अधिवासी प्रतिबन्ध लागू करना चाहिए ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्य में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध हो सके। राज्य सरकार को अभ्यर्थियों को राजभाषा सीखने के लिए नियत परिवीक्षाधीन अवधि में पर्याप्त अवसर देना चाहिए।

घ. राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तरों पर उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दिए जाने की आवश्यकता है।

ङ. राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम और एक विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के पदों व उन्हें प्रशिक्षित करने की व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता है।

च. राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को भाषाई वरीयता पंजियों का रख–रखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि अन्तर–विद्यालयीय समायोजन के फलस्वरूप इन विद्यालयों में मातृभाषा / अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।

छ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

ज. राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों तथा सुविधाओं का राज्य में व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

झ. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने के लिए मुख्य सचिव/जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में क्रमशः राज्य/जिला स्तरीय समिति गठित किए जाने की आवश्यकता है।

ञ. मणिपुर सरकार के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के विस्तृत एवं समेकित उत्तर समय पर प्रस्तुत किए जाएं जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

17.16 मणिपुर सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लें तथा आवश्यक उपचारी कदम उठाएं, जिससे कि मणिपुर में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

# मेघालय 18

## भाषाई रूपरेखा

18.1. जनगणना–2001 के अनुसार मेघालय की जनसंख्या 23,18,822 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् हैः

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| खासी | 10,91,087 | 47.05 |
| गारो | 7,28,424 | 31.41 |
| बंगाली | 1,85,692 | 8.01 |
| नेपाली / गोरखाली | 52,155 | 2.25 |
| हिंदी | 50,055 | 2.16 |
| असमिया | 36,576 | 1.58 |
| राभा | 22,395 | 0.97 |
| कोच | 20,834 | 0.90 |

18.2 क. **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है।

ख. **राज्य की अतिरिक्त राजभाषा** : राज्य सरकार ने आयुक्त की 50वीं रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावती के उत्तर में सूचित किया था कि मेघालय के खासी–जैन्तिया पहाड़ी जिलों में स्थित राज्य सरकार के जिला, अनुमण्डल तथा ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में खासी भाषा को सभी प्रयोजनों हेतु अतिरिक्त राजभाषा घोषित किया गया है।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

18.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मेघालय राज्य सरकार से पूर्ण एवं स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः 50वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को पुनः दोहराया जा रहा है।

## 18.4 संस्तुतियां

क. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों की उपस्थिति को समझने तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ नियमों विनियमों तथा नोटिस इत्यादि का उन जिलों / तहसीलों / तालुकों / नगरपालिकाओं में प्रासंगिक अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जहां इन अल्पसंख्यक भाषाओं को बोलने वालों की संख्या 15 प्रतिशत या अधिक है।

ख. आयुक्त की 50वीं रिपोर्ट की प्रश्नावली के दिए गए उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि हालांकि गारो तथा खासी अतिरिक्त राजभाषाएं घोषित की गई हैं, तथापि, उनकी अपनी लिपि नहीं है। अतः राज्य सरकार को इन दो भाषाओं को भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ संवर्धित एवं विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

ग. राज्य सरकार को नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों की समीक्षा करनी चाहिए तथा भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता–अनुदान की संस्वीकृति एवं मान्यता प्रदान करने हेतु प्राधिकारी नामित करना चाहिए।

घ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शिक्षा के उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता, अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षकों के स्वीकृत और भरे गए पदों तथा अल्पसंख्यक भाषा को विषय तथा शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में पूर्ण एवं विस्तृत जानकारी उपलब्ध करनी चाहिए।

ड. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर–विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।

च. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

छ. राज्य सरकार द्वारा राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

ज. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, एक जनपद स्तरीय समिति का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसख्ंयकों के रक्षोपायों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

झ. मेघालय सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर, का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है ताकि संवैधानिक प्राधिकारी नियत समय में अपनी रिपोर्ट तैयार कर भारत के महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

18.5 मेघालय सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर ध्यान दें और आवश्यक उपचारी उपाय करें जिससे भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का राज्य में प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

# मिजोरम 19

## भाषाई रूपरेखा

19.1 जनगणना 2001 के अनुसार मिजोरम की जनसंख्या 8,88,573 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है :

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| लुशाई / मिजो | 6,50,605 | 73.21 |
| बंगाली | 80,389 | 9.05 |
| लाखेर | 34,731 | 3.91 |
| पावी | 24,900 | 2.80 |
| त्रिपुरी | 17,580 | 1.98 |
| पाइते | 14,367 | 1.62 |
| हमार | 14,240 | 1.60 |
| हिन्दी | 10,530 | 1.19 |
| नेपाली | 8,948 | 1.00 |

19.2 **राज्य की राजभाषा :** मिजो, अंग्रेजी तथा हिंदी राज्य की राजभाषाएं हैं।

19.3 जिले की 60 प्रतिशत या उससे अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली अल्पसंख्यक भाषाओं के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

19.4 जिले की 15 प्रतिशत या उससे अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली अल्पसंख्यक भाषाओं के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत है :

### 19.5 राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

क. महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, आदेशों तथा अधिसूचना के अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रचार–प्रसार की व्यवस्था के संबंध में मिजोरम सरकार ने कोई सूचना नहीं दी है।

ख. शिकायतों के निवारण के लिए अल्पसंख्यक भाषा में अभ्यावेदन की प्राप्ति तथा उसी भाषा में उत्तर देने के लिए कोई आदेश नहीं जारी किया गया है।

### 19.6 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. बताया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय / राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित है।

ख. यह भी बताया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए प्रश्न–पत्रों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति नहीं दी गई है।

ग. बताया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं।

## 19.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता प्रदान करने के नियमों एवं विनियमों/दिशानिर्देशों तथा इस प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. सूचित किया गया है कि 30 जून, 2014 तक 71 बंगाली तथा 15 नेपाली शैक्षणिक संस्थाओं को भाषावार मान्यता दी गई है।

ग. बताया गया है कि 30 जून, 2014 तक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में मान्यता देने हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं है।

## 19.8 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

क. प्राथमिक तथा माध्यमिक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को सहायता–अनुदान की संस्वीकृति के लिए नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों तथा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के संबंध में कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है।

ख. बताया गया है कि भाषाई अल्पंसख्यक संस्थाओं को वर्ष 2013–14 के लिए भाषावार सहायता–अनुदान जारी किया गया है जिसका ब्यौरा निम्नवत् हैः

| स्तर | अल्पसंख्यक भाषा | स्कूलों की संख्या |
|---|---|---|
| प्राथमिक | बंगाली,<br>नेपाली | 54<br>10 |
| उच्च प्राथमिक/मिडिल | बंगाली<br>नेपाली | 17<br>03 |
| माध्यमिक | बंगाली | शून्य |
| उच्चतर माध्यमिक | नेपाली | 02 |

## भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

## 19.9 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत हैः

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| बंगाली | 54 | 3,437 | 117 |
| नेपाली | 10 | 436 | 45 |

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है :

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| नेपाली | 2 | – | – |

19.10 **उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8)**

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है :

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| बंगाली | 17 | 2,447 | 103 |
| नेपाली | 03 | 120 | 12 |

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ाये जाने के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

19.11 **माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10)**

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है :

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| बंगाली | शून्य | – | – |
| नेपाली | 2 | – | – |

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है :

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| बंगाली | शून्य | – | – |
| नेपाली | 2 | – | – |

19.12 **उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12)**

शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम और विषय के रूप में पढ़ाए जाने से संबंधित सूचना नहीं दी गई है।

19.13 **त्रिभाषा सूत्र**

त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ निम्नवत हैं:

प्रथम भाषा : मिजो
द्वितीय भाषा : अंग्रेजी
तृतीय भाषा : हिंदी

त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत विभिन्न भाषाएँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्नवत है :

| भाषा | कक्षा 8 | कक्षा 10 | कक्षा 12 |
|---|---|---|---|
| मिजो | 2,447 | 20,230 | 11,800 |
| अंग्रेजी | 2,447 | 20,230 | 11,800 |
| हिन्दी | 2,447 | 20,230 | 11,800 |

## 19.14 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के विषय तथा माध्यम के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के संस्वीकृत/भरे गए पदों का ब्यौरा निम्नवत् है:

| भाषा | माध्यम के रूप में | | विषय के रूप में | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत | भरे हुए | स्वीकृत | भरे हुए |
| नेपाली | 50 | 50 | नेपाली | नेपाली |
| बंगाली | 10 | 10 | बंगाली | बंगाली |

ख. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के माध्यम तथा विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कोई व्यवस्था नहीं है।

## 19.15 अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकें

क. सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषा में पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में उपलब्ध करा दी जाती है।

ख. भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकों तथा अन्य शिक्षण सामग्री का प्रापण करने हेतु एजेंसियों/अन्तर–राज्य व्यवस्था के ब्यौरों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ग. सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री प्रतियोगी/रियायती दरों पर उपलब्ध नहीं कराई जाती है।

## 19.16 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

बताया गया है कि भाषाई वरीयता पंजियों का स्कूलों में रख–रखाव नहीं किया जाता है।

## 19.17 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

क. सूचना दी गई है कि राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन करने हेतु कोई योजना नहीं है।

ख. राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित अकादमियों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## 19.18 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

राज्य/जिला स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण एवं समीक्षा करने के लिए गठित तंत्र/समिति के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## 19.19 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

क. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उन्हें उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के बारे में जानकारी देने हेतु कोई तंत्र नहीं है।

ख. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षापायों के बारे में जागरूकता का प्रसार करने हेतु की गई कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

## 19.20 निष्कर्ष / संस्तुतियां

क. राज्य सरकार को महत्वपूर्ण नियमों, विनियमों, सूचनाओं आदि का उन जिलों / तहसीलों में अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद व प्रकाशन सुनिश्चित करना चाहिए जहाँ इनके बोलने वाले इन जिलों / तहसीलों की जनसंख्या के 15 प्रतिशत अथवा इससे अधिक हों।

ख. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक सुविधाओं के बारे में विस्तृत ब्यौरा प्रदान करने की आवश्यकता है।

ग. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि अन्तर–विद्यालयीन समायोजन के फलस्वरूप इन विद्यालयों में मातृभाषा / अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।

घ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

ड़. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं का राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

च. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, एक जनपद स्तरीय समिति का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसख्ंयकों के रक्षोपायों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

छ. मिजोरम सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि संवैधानिक प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट समय पर तैयार कर महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

19.5 मिजोरम सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से किया जा सके।

# नागालैण्ड 20

## भाषाई रूपरेखा

20.1 जनगणना 2001 के अनुसार नागालैण्ड की जनसंख्या 19,90,036 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् हैः

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| आओ | 2,57,500 | 12.94 |
| कोन्याक | 2,48,002 | 12.46 |
| लोथा | 1,68,356 | 8.46 |
| अंगामी | 1,31,737 | 6.62 |
| फोम | 1,22,454 | 6.15 |
| सेमा | 92,884 | 4.67 |
| यिम चुंगरू | 92,092 | 4.63 |
| संगतम् | 84,150 | 4.23 |
| चोकरी | 83,506 | 4.20 |
| चंग | 62,347 | 3.13 |
| जेलियांग | 61,492 | 3.09 |
| बंगाली | 58,890 | 2.96 |
| रेंगमां | 58,590 | 2.94 |
| हिंदी | 56,981 | 2.86 |
| खुझा (खेज़ा) | 40,362 | 2.02 |
| खेईमुंगन | 37,752 | 1.90 |
| नेपाली | 34,222 | 1.72 |
| कुकी | 16,846 | 0.85 |
| असमिया | 16,813 | 0.84 |
| पाचुरी | 16,681 | 0.84 |
| जेमी | 10,462 | 0.53 |
| गारो | 1,838 | 0.09 |
| लियांगमई | 1,295 | 0.07 |

20.2 जिन जिलों में अल्पसंख्यक भाषाएं 60 प्रतिशत या अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाती हैं, उनका ब्यौरा निम्नवत् हैः

| जिला | भाषा | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| मोन | कोन्यक | 97.00 |
| लोंगलेंग | फोम | 90.00 |
| जुन्हेबोटो | सूमी | 89.77 |
| मोवोकचुंग | आओ | 86.98 |
| वोखा | लोथा | 85.20 |
| पेरेने | जेमे | 80.00 |
| कोहिमा | अंगमी | 78.00 |
| किफिर | संगमत | 70.00 |

20.3 जिन जिलों में अल्पसंख्यक भाषाएं 15 प्रतिशत या अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाती हैं, उनका ब्यौरा निम्नवत् हैः

| जिला | भाषा | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| दिमापुर | सूमी | 40.00 |
| दिमापुर | आओ | 18.00 |
| दिमापुर | अंगमी | 15.00 |
| कोहिमा | अंगमी | 50.00 |
| कोहिमा | रेंगमा | 25.00 |
| किफिर | यिमचूगरू | 30.00 |
| किफिर | सूमी | 29.00 |
| किफिर | संग्तम | 38.00 |
| फेक | चोकरी | 50.00 |
| फेक | पोचुरी | 30.00 |
| फेक | खेझा | 35.00 |
| पेरेन | लियांगमेई | 15.00 |
| पेरेन | कूकी | 15.00 |
| त्यूनसांग | संग्तम | 15.00 |
| त्यूनसांग | चांग | 28.00 |
| त्यूनसांग | इक्चुंगरू | 16.00 |
| त्यूनसांग | खियाम्नुइनगन | 15.00 |

20.4 **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् हैः

### 20.5 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. बताया गया है कि महत्वपूर्ण नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं आदि के अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एंव प्रचार–प्रसार की व्यवस्था मौजूद है।

ख. बताया गया है कि भाषावार अनुवाद महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं, अधिनियमों इत्यादि के संबंध में किया गया है।

ग. राज्य सरकार ने सूचना दी है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में शिकायतों के निवारण हेतु अभ्यावेदनों को अल्पसंख्यक भाषाओं में प्राप्त करने के लिए कोई आदेश नहीं है।

### 20.6 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. बताया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए राजभाषा अर्थात अंग्रेजी का ज्ञान पूर्वापेक्षित है।

ख. बताया गया है कि राज्य सेवाओं के लिए प्रश्नपत्रों के उत्तर देने के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं के प्रयोग की अनुमति नहीं है।

ग. राज्य सरकार ने सूचना दी है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के समय कोई अधिवासीय प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं।

## 20.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने के नियमों एवं विनियमों/दिशानिर्देश तथा इस प्रयोजनार्थ पदनामित सक्षम प्राधिकारी के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है।

ख. राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में कोई मान्यताप्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था नहीं है।

ग. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों से उनकी संस्थाओं को भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में मान्यता देने हेतु कोई अभ्यावेदन/शिकायतें/याचिकाएं नहीं प्राप्त हुई हैं।

## 20.8 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

क. बताया गया है कि सहायता–अनुदान साहित्य समिति को, न कि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को जारी किए जाते हैं।

ख. राज्य सरकार ने सूचना दी है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान किसी भी भाषाई अल्पसंख्यक संस्था को भाषावार सहायता–अनुदान नहीं दिया गया है।

## भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

## 20.9 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पंसख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधाओं का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| आओ | 192 | 12,316 | 1,754 |
| अंगमी | 104 | 5,900 | 872 |
| चोकरी | 106 | 9,247 | 452 |
| चांग | 65 | 5,274 | 987 |
| कोन्यक | 162 | 25,271 | 868 |
| खियाम्नुइनगन | 51 | 5,758 | 261 |
| कूकी | 19 | 1,869 | 78 |
| खेजा | 22 | 2,157 | 154 |
| लोथा | 149 | 9,028 | 934 |
| लियांगमेई | 14 | 235 | 68 |
| फोम | 68 | 8,216 | 485 |
| पोचुरी | 35 | 2,163 | 186 |
| रेंगमा | 51 | 2,891 | 257 |
| सेमा | 362 | 15,185 | 2,530 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| संगतम | 68 | 5,727 | 257 |
| इमचुंगरू कुझा | 68 | 5,751 | 235 |
| जेमी | 116 | 5,434 | 426 |

ख. यह भी बताया गया है कि उपर्युक्त अल्पसंख्यक भाषाएं एक विषय के रूप में भी पढ़ाई जाती हैं।

## 20.10 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. सूचित किया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा अनिवार्यतः शिक्षण का माध्यम नहीं है। सामान्य तौर पर राजभाषा अर्थात अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है।

ख. राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अल्पसंख्यक भाषाएं विषय के रूप में पढ़ाई जाती हैं, शिक्षण के माध्यम के रूप में नहीं। हालांकि, इनके आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

## 20.11 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

क. सूचित किया गया है कि शिक्षण के माध्यम के रूप में किसी भी अल्पसंख्यक भाषा का अनिवार्यतः इस्तेमाल नहीं किया जाता है। माध्यमिक स्तर पर मुख्यतः राजभाषा अर्थात अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता है।

ख. बताया गया है कि आओ, लोथा, सूमी, तेनाइदी तथा हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तथापि, उनसे संबंधित आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

## 20.12 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

क. सूचना दी गई कि अलग से ऐसी कोई शैक्षणिक संस्था नहीं है जहां अल्पसंख्यक भाषा शिक्षण का माध्यम है।

ख. सूचित किया गया है कि आओ, लोथा, सूमी, तेनाइदी तथा हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तथापि, उनसे संबंधित आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

## 20.13 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएं निम्नवत् हैं:

प्रथम भाषा : मातृभाषा
द्वितीय भाषा : अंग्रेजी
तृतीय भाषा : हिन्दी

ख. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शामिल कक्षा 8, 10 और 12 के छात्रों का विवरण निम्नवत है:

| भाषा | कक्षा 8 | कक्षा 10 | कक्षा 12 |
|---|---|---|---|
| आओ | 1,311 | 641 | 68 |
| लोथा | 1,562 | 762 | 102 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| सूमी | 1,213 | 548 | 58 |
| तेनाइदी | 2,412 | 1,613 | 635 |
| हिंदी | 7,767 | 1,079 | 401 |

सूचित किया गया है कि कक्षा 8 (आठवीं) तक हिंदी अनिवार्य कर दी गई है।

## 20.14 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों के संबंध में बताया गया है कि निधि संबंधी सीमाबद्धता के कारण अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों के कुछ ही स्वीकृत पद हैं। यह भी बताया गया है कि आन्तरिक व्यवस्था के जरिए हिंदी पढ़ाई जाती है।

ख. सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था संबंधित भाषा साहित्य बोर्ड द्वारा की जाती है।

ग. सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के आदान–प्रदान/राज्य में शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

## 20.15 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में उपलब्ध कराई जाती हैं।

ख. अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकों को तैयार तथा प्रकाशित करने के लिए उत्तरदायी एजेंसी के संबंध में सूचित किया गया है कि स्थानीय मुद्रणालय द्वारा इसकी आन्तरिक रूप से व्यवस्था की जाती है।

ग. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें छात्रों को निःशुल्क दी जाती हैं।

## 20.16 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

सूचित किया गया है कि भाषाई वरीयता पंजियों का किसी भी स्तर पर रखरखाव नहीं किया जाता है। तथापि, एम०आई०एल०, हिन्दी के लिए पंजियों का रख–रखाव किया जाता है ताकि उपलब्धि जांच, सी०सी०ई०, अवधिवार परीक्षा इत्यादि के लिए छात्रों की संख्या दर्ज की जा सके।

## 20.17 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

क. राज्य सरकार ने बताया है कि 5(पांच) भाषाई अल्पसंख्यकों अर्थात आओ, लोथा, सूमी, तेनाइदी तथा हिंदी, जिन्हें विश्वविद्यालय स्तर तक शैक्षणिक सुविधाएं प्राप्त है, के अलावा शेष 13(तेरह) भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को कक्षा 8 (आठ) तक सुविधाएं प्राप्त हैं तथा उन्हें उच्चतर कक्षाओं के लिए पाठ्य–पुस्तक तैयार करने का अनुदेश दिया जाता है। उन्हें अपनी भाषा के शब्दकोश तैयार करने/संकलित करने के लिए अनुस्मरण कराया जाता है।

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए सरकार द्वारा स्थापित अकादमियों का

विवरण निम्नवत् है :

| भाषा | अकादमी का नाम | स्थापना वर्ष | 2013–14 के लिए बजट |
|---|---|---|---|
| आओ | आओ साहित्य बोर्ड | 1946 | 1,00,000/– |
| तेनाइदी अंगामी | ऊरा साहित्य बोर्ड | 1939 | 1,00,000/– |
| चोकरी | चोकरी साहित्य बोर्ड | 1970 | 1,00,000/– |
| चांग | चांग साहित्य बोर्ड | 1962 | 1,00,000/– |
| खेजा | खेजा साहित्य बोर्ड | 1963 | 1,00,000/– |
| कोन्यक | कोन्यक साहित्य बोर्ड | 1968 | 1,00,000/– |
| खियाम्नुइनगन | खियाम्नुइनगन साहित्य बोर्ड | 1973 | 1,00,000/– |
| कूकी | कूकी साहित्य बोर्ड | 1968 | 1,00,000/– |
| लोथा | लोथा साहित्य बोर्ड | 1937 | 1,00,000/– |
| लियांगमेई | लियांगमेई साहित्य बोर्ड | 1979 | 1,00,000/– |
| फोम | फोम साहित्य बोर्ड | 1962 | 1,00,000/– |
| पोचुरी | पोचुरी साहित्य बोर्ड | 1989 | 1,00,000/– |
| रेंगमा | रेंगमा साहित्य बोर्ड | 1950 | 1,00,000/– |
| सेमा | सेमा साहित्य बोर्ड | 1947 | 1,00,000/– |
| संगतम | संगतम साहित्य बोर्ड | 1956 | 1,00,000/– |
| यिमचूगरू | इमचुंगेर साहित्य बोर्ड | 1951 | 1,00,000/– |
| जेमी | जेमी साहित्य बोर्ड | 1966 | 1,00,000/– |

## 20.18 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायो के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण एवं समीक्षा करने हेतु राज्य स्तर पर कोई तंत्र/समिति नहीं है।

## 20.19 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

क. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों के बारे में सहित्य समिति, स्थानीय समाचार–पत्र, आकाशवाणी, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय, संबंधित अल्पसंख्यकों के भाषा अधिकारियों द्वारा जागरूकता पैदा की जाती है।

ख. सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए पर्चियाँ अधिकांशतः स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, आपदा प्रबंधन, सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय द्वारा प्रकाशित की जाती हैं।

## 20.20 निष्कर्ष/संस्तुतियां

क. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

ख. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ग. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने और ऐसे संस्थाओं को अनुदान प्रदान करने के संबंध में संवैधानिक प्रावधान को लागू करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

घ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों का रख–रखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में शिक्षा के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/ अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण प्रदान करने के लिए अन्तर– विद्यालय समायोजनों को सुगम बनाया जा सके।

ड़. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

च. राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

छ. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। यह अत्यंत शोचनीय है कि शिक्षकों के लिए निधिकरण की सीमाबद्धता से शिक्षकों की तैनाती बाधित हो रही है। अतः राज्य सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आग्रह है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों की तैनाती एवं प्रशिक्षण के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त निधिकरण हेतु आवश्यक कदम उठाएं।

ज. यह भी सराहनीय है कि राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अधिकतम अकादमियां हैं। अतः राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आग्रह है कि वे राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु पर्याप्त निधिकरण के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

झ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, "एक जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जाना चाहिए जिससे कि भाषाई अल्पसख्यंकों के रक्षोपायों का प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

ञ. नागालैण्ड सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

20.21 नागालैण्ड सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से किया जा सके।

# ओडिशा 21

## भाषाई रूपरेखा

21.1 जनगणना–2001, के अनुसार ओडिशा की जनसंख्या 3,68,04,660 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् है:

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| उड़िया | 3,05,63,507 | 83.04 |
| हिन्दी | 10,43,243 | 2.83 |
| कुई | 9,14,953 | 2.49 |
| तेलुगु | 7,12,614 | 1.94 |
| संथाली | 6,99,270 | 1.90 |
| उर्दू | 6,11,509 | 1.66 |
| बंगाली | 4,90,857 | 1.33 |

21.2 **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा ओड़िया है।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

21.3 यह चिंता का विषय है कि राज्य सरकार से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। ओडिशा राज्य सरकार से पूर्ण एवं स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः 50वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को पुनः दोहराया जा रहा है।

21.4 **संस्तुतियां**

क. राज्य सरकार को उन जिलों/तहसील/तालुका/नगर पालिका जहां की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले हों वहां भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ नियमों, विनियमों, सूचनाओं आदि के संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में अनुवाद एवं प्रकाशन के संबंध में विस्तृत ब्यौरा देना चाहिए।

ख. शिकायतों के निवारण के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं में लिखे अभ्यावेदन प्राप्त करने और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में उनके उत्तर देना सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।

ग. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दिए जाने की आवश्यकता है।

घ. राज्य सरकार को राज्य के सभी स्कूलों में भाषाई अल्पसंयक छात्रों की भाषागत वरीयता दर्ज करने हेतु भाषाई वरीयता पंजियों का रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने हेतु अन्तर स्कूल समायोजन सुसाध्य हो सके।

ङ	यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

च.	उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रचार–प्रसार हेतु राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

छ.	राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण एवं समीक्षा करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसख्ंयकों के रक्षोपायों का प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

ज.	ओडिशा राज्य सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है ताकि संवैधानिक प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

21.5	ओडिशा राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाए जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से किया जा सके।

# सिक्किम 22

## भाषाई रूपरेखा

22.1 जनगणना–2001 के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 5,40,851 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् हैः

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| नेपाली | 3,38,606 | 62.61 |
| भोटिया | 41,825 | 7.73 |
| हिन्दी | 36,072 | 6.67 |
| लेपचा | 35,728 | 6.61 |
| लिम्बू | 34,292 | 6.34 |
| शेरपा | 13,922 | 2.57 |
| तमंग | 10,089 | 1.87 |
| राई | 8,856 | 1.64 |

22.2 क. **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है।

ख. **अतिरिक्त राजभाषा** : बताया गया है कि भोटिया, लेप्चा, लिम्बू, नेवारी, गुरूंग, मंगेर, मुखिया, राई, शेरपा, तथा तमंग की पहचान राज्य की अतिरिक्त राजभाषाओं के रूप में की गई है।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् है :

### 22.3 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. बताया गया है कि कोई भी भाषा राज्य में अल्पसंख्यक भाषा के रूप में चिन्हित नहीं है।

ख. यह भी बताया गया है कि जिन क्षेत्रों/जिलों/तहसीलों/तालुकों/ नगर–पालिकाओं में अल्पसंख्यक भाषा–भाषी वहां की आबादी के 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहाँ नियमों, विनियमों, सूचनाओं आदि का अनुवाद एवं प्रकाशन अल्पसंख्यक भाषा में करने की व्यवस्था नहीं है।

ग. सूचना दी गई है कि शिकायतों के निवारणार्थ अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करने तथा उनका उसी भाषा में उत्तर देने हेतु कोई आदेश नहीं जारी किया गया है।

### 22.4 राज्य सेवाओं में भर्ती

क बताया गया है कि राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित नहीं है।

ख. राज्य की सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रश्न–पत्रों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओ में देने की अनुमति के संबंध में कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई है।

ग. सूचना दी गई है कि राज्य की सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध लागू होते हैं।

### 22.5 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए कोई नियम/विनियम/दिशा–निर्देश नहीं बनाए गए हैं।

ख. सूचित किया गया है कि किसी भी भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता नहीं दी गई है तथा 30 जून, 2014 तक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में मान्यता देने हेतु कोई भी आवेदन लंबित नहीं है।

### 22.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान मंजूर करने के संबंध में कोई नियम/विनियम/दिशानिर्देश नहीं बनाए गए हैं। यह भी बताया गया है कि संदर्भाधीन अवधि के दौरान किसी भी संस्था को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक दर्जे के आधार पर सहायता–अनुदान नहीं दिए गए हैं।

## भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

### 22.7 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा/मातृभाषा को शिक्षण के माध्यम तथा विषय के रूप में पढ़ाने की सुविधा के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

### 22.8 उच्च प्राथमिक स्तर (6 से 8 तक)

सूचना दी गई है कि मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाएं शिक्षण के माध्यम के रूप में नहीं पढ़ाई जा रही हैं। तथापि, बताया गया है कि निम्नलिखित भाषाओं को एक विषय के रूप में उच्च प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 8 तक पढ़ाया जाता हैं:

| भाषा | कक्षा | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| भोटिया | – | – | – |
| लेप्चा | – | – | – |
| लिम्बू | – | – | – |
| गुरूंग | – | – | – |
| मंगेर | – | – | – |
| मुखिया | – | – | – |
| नेवारी | – | – | – |
| राई | – | – | – |
| शेरपा | – | – | – |
| तमंग | – | – | – |

### 22.9 माध्यमिक स्तर (9 से 10 तक)

क. बताया गया है कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर किसी भी अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के माध्यम के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

ख. बताया गया है कि निम्नलिखित अल्पसंख्यक भाषाएं एक विषय के रूप मे पढ़ाई जाती हैं:

| भाषा | विद्यालय | शिक्षक |
|---|---|---|
| भोटिया | – | 69 |
| लेप्चा | – | 46 |
| लिम्बू | – | 48 |

## 22.10 उच्चतर माध्यमिक स्तर (11 से 12)

क. बताया गया है कि शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर किसी अल्पसंख्यक भाषा/मातृभाषा को शिक्षण के माध्यम के रूप में नही पढ़ाया जा रहा है।

ख. निम्नलिखित अल्पसंख्यक भाषाओं को उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है:

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| भोटिया | – | – | 24 |
| लेप्चा | – | – | 8 |
| लिम्बू | – | – | 10 |

## 22.11 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ हैं:

प्रथम भाषा : अंग्रेजी
द्वितीय भाषा : क्षेत्रीय भाषाएं
तृतीय भाषा : हिंदी

ख. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शामिल कक्षा 8, 10 और 12 के छात्रों की संख्या निम्नवत् है:

| भाषा | कक्षा 8 | कक्षा 10 | कक्षा 12 |
|---|---|---|---|
| भोटिया | – | 421 | 296 |
| लेप्चा | – | 577 | 345 |
| लिम्बू | – | 469 | 264 |

## 22.12 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषा को एक विषय तथा शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाए जाने के लिए शिक्षकों के संस्वीकृत/भरे हुए पदों के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## 22.13 अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकें

क. बताया गया है कि पाठ्य–पुस्तकें एवं अन्य शिक्षण सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में ही उपलब्ध करा दी जाती हैं।

ख. भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अल्पसंख्यक भाषा में पाठ्य–पुस्तकों तथा अन्य शिक्षण सामग्री का प्रापण करने वाली एजेन्सियों/अन्तर–राज्य व्यवस्था के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ग. बताया गया है कि पाठ्य–पुस्तकें प्रतिस्पर्धात्मक/रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

## 22.14 स्कूलों में 'भाषागत वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की 'भाषागत वरीयता' दर्ज करने हेतु 'भाषागत वरीयता पंजियों' के रख–रखाव के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## 22.15 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा के संवर्धन की कोई योजना नहीं है। तथापि, सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक मातृभाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए सिक्किम अकादमी का गठन किया गया है।

## 22.16 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की निगरानी तथा समीक्षा करने के लिए किसी तंत्र के संबंध में कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई है। बताया गया है कि राज्य सरकार इस तथ्य के बावजूद कि किसी भी भाषा को अल्पसंख्यक भाषा नहीं चिन्हित किया गया है, सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती है।

## 22.17 संवैधानिक अधिकार एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

बताया गया है कि रक्षोपायों के प्रचार–प्रसार के लिए राज्य में कोई तंत्र गठित नहीं है।

## 22.18 निष्कर्ष/संस्तुतियां

क. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकें की मौजूदगी पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्य सरकार को अल्पसंख्यक/जनजातीय भाषाओं को संसाधन के रूप में मानना चाहिए और इसलिए इन भाषाओं को विलुप्त होने से बचाने के लिए शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा (मातृभाषाओं) में शिक्षा प्रदान करने की सुविधाओं की व्यवस्था करके इन भाषाओं का संर्वधन तथा संरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। राज्य सरकार को केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी०आई०आई०एल०) के सहयोग से लिपिविहीन भाषाओं के लिए उपयुक्त लिपि तैयार करने/अपनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि उन्हें विलुप्त होने के कगार से बचाया जा सके।

ख. जिन जिला/तहसील/तालुका/नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

ग. राज्य सरकार को राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों को राज्य में रोजगार के मामलों में समान अवसर प्राप्त हो सके। राज्य सरकार को अभ्यर्थियों को राजभाषा सीखने के लिए नियत परिवीक्षाधीन अवधि में पर्याप्त समय प्रदान करना चाहिए।

घ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण हेतु पर्याप्त सुविधाएं देने के लिए संवैधानिक रक्षोपायों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

ङ. राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या सहित भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

च राज्य सरकार से अनुरोध है कि अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में विस्तृत सूचना प्रदान करें।

छ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि अन्तर–विद्यालयीन समायोजन के फलस्वरूप इन विद्यालयों में मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।

ज. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

झ. राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं का राज्य में व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

ञ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसख्ंयकों के रक्षोपायों का प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

ट. सिक्किम सरकार के नोडल अधिकारी से अनुरोध है कि वे आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर, का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित करें ताकि संवैधानिक प्राधिकारी नियत समय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

22.19 सिक्किम सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

# त्रिपुरा



## भाषाई रूपरेखा

23.1 जनगणना–2001 के अनुसार त्रिपुरा की जनसंख्या 31,99,203 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् है:

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| बंगाली | 21,47,994 | 67.14 |
| त्रिपुरी / कोकबोरोक | 8,14,375 | 25.46 |
| हिंदी | 53,691 | 1.68 |
| मोघ | 28,850 | 0.90 |
| उड़िया | 23,899 | 0.75 |
| विष्णुप्रिया मणिपुरी | 21,716 | 0.68 |
| मणिपुरी | 20,716 | 0.65 |
| हलाम | 17,990 | 0,56 |
| गारो | 11,312 | 0.35 |

23.2 **राज्य की राजभाषाएँ :** राज्य की राजभाषाएं बंगाली, अंग्रेजी और कोकबोरोक हैं।

23.3 राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ऐसा कोई जिला नही है जहां की जनसंख्या के 60 प्रतिशत या इससे अधिक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएं बोली जाती हैं। तथापि, कोकबरोक भाषा जिले की जनंसख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक द्वारा निम्नवत् बोली जाती है:

| जिला | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| ढोलाई | कोकबोरोक | 54.00 |
| दक्षिण त्रिपुरा | कोकबोरोक | 37.00 |
| उत्तर त्रिपुरा | कोकबोरोक | 25.46 |
| पश्चिम त्रिपुरा | कोकबोरोक | 25.00 |

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नलिखित है:

### 23.4 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. सूचना दी गई है कि महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, आदेशों एवं अधिसूचनाओं इत्यादि के कोकबोरोक भाषा में अनुवाद एवं प्रचार–प्रसार की व्यवस्था की गई है।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, द्वारा कोकबोरोक में जागरूकता संबंधी पर्ची प्रकाशित की गई तथा आई०सी०ए० विभाग कोकबोरोक भाषा में जागरूकता संबंधी पर्चियां प्रकाशित करता है।

ग. ऐसा सूचित किया गया है कि शिकायतों के निवारण हेतु अभ्यावेदन अल्पसंख्यक भाषा में

प्राप्त किए जाते हैं तथा उनपर कार्रवाई की जाती है। यह भी सूचना दी गई है कि उनके उत्तर उसी अल्पसंख्यक भाषा में देने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

## 23.5 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. सूचित किया गया है कि राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित है।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं के प्रश्नों का उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति नहीं है।

ग. राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध अंशतः लागू होते हैं।

## 23.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. राज्य सरकार ने भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता दिए जाने के लिए नियमों/विनियमों/दिशानिर्देशों तथा नाम–निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

ख. सूचित किया गया है कि समीक्षाधीन अवधि में किसी भी भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को भाषावार मान्यता नहीं दी गई है और राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों से उनकी भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता देने के संबंध में कोई अभ्यावेदन/शिकायतें/ याचिकाएं नहीं प्राप्त हुई हैं तथा आज की स्थिति के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक की मान्यता प्रदान करने के संबंध में कोई भी आवेदन, भाषावार लंबित नहीं है।

## 23.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता–अनुदान

बताया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक तथा माध्यमिक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकरण है। तथापि, इस संबंध में समीक्षाधीन अवधि के लिए कोई आंकड़े नहीं प्रस्तुत किए गए हैं।

## भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

## 23.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)

क. सूचना दी गई है कि राज्य में शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर कोई भी अल्पसंख्यक भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है।

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| विष्णुप्रिया मणिपुरी | 36 | 4,451 | 72 |
| चकमा | 58 | 5,472 | 29 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| हलम | 90 | 850 | 45 |
| मोग | 37 | 445 | 37 |
| मणिपुरी | 22 | 1,626 | 22 |
| कुकी–मिजो | 17 | 250 | 17 |

### 23.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8)

क. सूचना दी गई है कि शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर कोई अल्पसंख्यक भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है।

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| कोकबोरोक | 46 | 7,940 | 80 |

### 23.10 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10)

क. सूचना दी गई है कि राज्य में शिक्षा के उच्च माध्यमिक स्तर पर कोई भी अल्पसंख्यक भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है।

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षा के विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| कोकबोरोक | 46 | 7,940 | 80 |

### 23.11 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12)

क. सूचना दी गई है कि राज्य में शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कोई भी अल्पसंख्यक भाषा शिक्षा के माध्यम के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है।

ख. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को विषय के रूप में पढ़ाये जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

### 23.12 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत निम्नलिखित भाषाएं पढ़ाई जाती हैः

प्रथम भाषा : बंगाली / कोकबोरोक / विष्णुप्रिया मणिपुरी / चकमा
द्वितीय भाषा : अंग्रेजी
तृतीय भाषा : अरबी / हिन्दी / संस्कृत

ख. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत कक्षा 8, 10 तथा 12 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निम्नवत् है :

| भाषा | कक्षा 8 | कक्षा 10 | कक्षा 12 |
|---|---|---|---|
| कोकबोरोक | 2,730 | शून्य | शून्य |

## 23.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. कोकबोरोक भाषा को पढ़ाने के लिए शिक्षकों का विवरण निम्नवत है :

| भाषा | विषय के रूप में | |
|---|---|---|
| | स्वीकृत पद | भरे हुए पद |
| कोकबोरोक | 2,517 | 2,517 |

ख. कोकबोरोक भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ाने हेतु, शिक्षकों के प्रशिक्षण का विवरण निम्नवत है :

| प्रशिक्षण संस्थान | अल्पसंख्यक भाषा | |
|---|---|---|
| | माध्यम के रूप में | विषय के रूप में |
| जिला शैक्षणिक प्रशिक्षण संस्थान (डायट) अगरतला, कमालपुर, काकराबन, कैलाशहर | — | कोक—बोरोक |

ग. अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के आदान—प्रदान / शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान / केन्द्र खोलने के लिए पड़ोसी राज्यों से सहयोग / व्यवस्था के संबंध में बताया गया है कि अब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

## 23.14 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य—पुस्तकें

क. सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक को अलपसंख्यक भाषा में पाठ्य—पुस्तकें तथा तथा अन्य शिक्षण समाग्री शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में ही उपलब्ध करा दी जाती है।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य—पुस्तकें और अन्य शैक्षणिक सामग्री तैयार कराने और प्रकाशित कराने हेतु एस०सी०ई०आर०टी०, त्रिपुरा प्रमुख अभिकरण है। कक्षा 8 तक सभी विद्यार्थियों को पाठ्य—पुस्तकें निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं।

## 23.15 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख—रखाव

भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की भाषाई वरीयता दर्ज करने के लिए 'भाषाई वरीयता पंजियों' के रख—रखाव के विषय में सूचना दी गई है कि छात्र सामान्यतः अपनी पंसद के अनुसार भाषा का चयन करते हैं।

## 23.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

क. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं को संबंधित सलाहकार समिति के निर्णयानुसार बढ़ावा दिया जा रहा है।

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित अकादमियों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## 23.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. ऐसा बताया गया है कि संबंधित भाषाओं की सलाहकार समितियां स्थापित की गई हैं।

ख. यह भी बताया गया है कि संबंधित समिति (समितियों) की अध्यक्षता में प्रायः बैठकें आयोजित की जाती हैं।

ग. राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में कोई अल्पसंख्यक आयोग नहीं है। तथापि, बताया गया है कि भाषाई निदेशालय अर्थात कोकबरोक एवं अन्य अल्पसंख्यक भाषा निदेशालय मौजूद है। यह भी बताया गया है कि प्रत्येक भाषाई अल्पसंख्यक की एक सलाकार समिति है जो संबंधित भाषा के रक्षोपायों एवं विकास का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है।

## 23.18 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

सूचना दी गई है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को, उन्हें उपलब्ध सुविधाओं और रक्षोपायों के बारे में जानकारी देने के लिए संबद्ध भाषा सलाहकारी समिति तंत्र है। आई०सी०ए० विभाग तथा दूसरे विभाग भी भाषाई अल्पसंख्यक के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के विस्तृत विवरण वाली पर्चियां, विज्ञापन इत्यादि प्रकाशित करते हैं।

## 23.19 निष्कर्ष/संस्तुतियां

क. राज्य सरकार को राज्य की सेवाओं में भर्ती के समय राज्य की क्षेत्रीय/राजभाषा के पूर्व ज्ञान पर, जोर नहीं देना चाहिए ताकि राज्य में रोजगार के मामले में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार को, अभ्यर्थियों को निर्धारित परिवीक्षा अवधि के भीतर राजभाषा सीखने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करना चाहिए।

ख. राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना से यह स्पष्ट नहीं है कि शिक्षा के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा है या नहीं। राज्य सरकार को इस संबंध में विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

ग. अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षकों के पदों की संख्या के संबंध में प्रदत सूचना स्पष्ट नहीं है क्योंकि इसमें केवल कोकबोरोक का उल्लेख है। अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम एवं विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों को जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षित करने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए जैसा कि कोकबोरोक के मामले में किया जाता है।

घ. राज्य सरकार को राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों का उत्तर अल्पसंख्यक भाषा में देने के लिए अनुमति प्रदान करने पर विचार करना चाहिए तथा राज्य सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए।

ङ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में शिक्षा के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/ अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण प्रदान करने हेतु अन्तर–विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।

च. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई

अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

छ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

ज. राज्य सरकार को राज्य में सभी अल्पसंख्यक भाषाओं/जनजातीय भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।

झ. त्रिपुरा सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है ताकि संवैधानिक प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर महामहिम राष्ट्रपति को पेश कर सकें।

23.20 त्रिपुरा सरकार से अनुरोध है कि ऊपर दिए गए बिन्दुओं को ध्यान में रखे और राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपचारी उपाय करें।

# पश्चिम बंगाल



## भाषाई रूपरेखा

24.1 जनगणना–2001, के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 8,01,76,197 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| बंगाली | 6,83,69,255 | 85.27 |
| हिंदी | 57,47,099 | 7.17 |
| संथाली | 22,47,113 | 2.80 |
| उर्दू | 16,53,739 | 2.06 |
| नेपाली | 10,22,725 | 1.28 |
| उड़िया | 1,86,391 | 0.23 |
| पंजाबी | 67,952 | 0.085 |

24.2 **राज्य की राजभाषा** : राज्य की राजभाषा बंगाली है। दार्जिलिंग जिले के दार्जिलिंग तथा कुर्सियांग अनुमण्डलों में बंगाली और नेपाली को भी राजभाषाएं घोषित किया गया है।

**अतिरिक्त राजभाषा** : बताया गया है कि हिंदी, उर्दू, संथाली, उड़िया तथा पंजाबी को राज्य में अतिरिक्त राजभाषाओं के रूप में घोषित किया गया है।

24.3 बताया गया है कि दार्जिलिंग जिले के 60 प्रतिशत या उससे अधिक जनसंख्या द्वारा नेपाली भाषा बोली जाती है।

24.4 जनपद/तहसील/तालुका/नगरपालिका की जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार) के 15 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली अल्पसंख्यक भाषाओं का विवरण निम्नवत् है:

| जिला | भाषा | तहसील/तालुका/ नगरपालिका | जनसंख्या | भाषाभाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|---|---|
| दार्जिलिंग | हिंदी | माटीगारा | 1,29,326 | 26,646 | 20.60 |
| | | नक्सलबाड़ी | 1,44,915 | 43,237 | 29.84 |
| | | खड़ीबाड़ी | 88,230 | 14,421 | 16.34 |
| | | | | | |
| जलपाईगुड़ी | हिंदी | माल | 2,65,392 | 85,344 | 32.16 |
| | | मटियाल | 1,05,906 | 46,127 | 43.55 |
| | | नागराकाटा | 1,15,907 | 58,243 | 50.25 |
| | | मदारीहाट | 1,85,470 | 71,379 | 38.49 |
| | | कल्चिनी | 2,52,571 | 1,11,682 | 44.22 |
| | | कुमाग्राम | 1,78,047 | 31,822 | 17.87 |
| | | घूपगुरी | 4,18,461 | 1,02,290 | 24.44 |
| | | | | | |
| उत्तर दिनाजपुर | हिंदी | चोपड़ा | 2,23,022 | 75,538 | 33.87 |
| | | इस्लामपुर | 2,41,951 | 1,05,445 | 43.58 |
| | | गोलपोखर–I | 2,45,430 | 66,195 | 26.97 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | गोलपोखर–II | 2,26,472 | 47,207 | 20.84 |
| | | | | | |
| माल्दह | हिंदी | हरिशचन्द्र–II | 1,98,039 | 31,729 | 16.02 |
| | | रतुआ–I | 2,17,356 | 35,942 | 16.54 |
| | | मनिक्चक | 2,14,127 | 44,586 | 20.82 |
| | | | | | |
| बर्धमान | हिंदी | सालनपुर | 1,56,320 | 35,704 | 22.84 |
| | | जमुरिया | 1,12,893 | 21,575 | 19.11 |
| | | रानीगंज | 1,01,626 | 34,429 | 33.88 |
| | | ओन्डाल | 1,68,853 | 57,601 | 34.11 |
| | | पाण्डाबेश्वर | 1,46,541 | 60,285 | 41.14 |
| | | | | | |
| हूगली | हिंदी | चिनसूरा–मागरा | 2,11,049 | 42,496 | 20.14 |
| | | | | | |
| पुरूलिया | हिंदी | जयपुर | 1,11,768 | 45,075 | 40.33 |
| | | जालदा–I | 1,15,748 | 68,151 | 58.88 |
| | | जालदा–II | 1,23,714 | 31,273 | 25.28 |
| | | | | | |
| दक्षिण | संथाली | बंसीहारी | 1,22,091 | 19,199 | 15.73 |
| | | | | | |
| माल्दह | संथाली | गजोल | 2,94,715 | 51,158 | 17.36 |
| | | बामंगगोला | 1,27,252 | 21,138 | 16.61 |
| | | हबीबपुर | 1,87,650 | 52,383 | 27.92 |
| | | | | | |
| बीरभूम | संथाली | मोहम्मद बाजार | 1,39,465 | 24,032 | 17.23 |
| | | बेलपुर श्रींकीटन | 1,78,111 | 29,436 | 16.53 |
| | | | | | |
| बर्धमान | संथाली | मेमारी–II | 1,35,671 | 21,676 | 15.98 |
| | | | | | |
| बांकुरा | संथाली | सलटोरा | 1,21,552 | 20,526 | 16.89 |
| | | छातना | 1,69,215 | 33,521 | 19.81 |
| | | हरिबंध | 72,502 | 13,176 | 18.17 |
| | | संरेगा | 95,128 | 17,426 | 18.32 |
| | | रानीबंध | 1,04,326 | 34,519 | 33.09 |
| | | रायपुर | 1,51,293 | 35,089 | 23.19 |
| | | | | | |
| पुरूलिया | संथाली | नेतउरा | 90,649 | 19,463 | 21.47 |
| | | संतूरी | 69,587 | 21,164 | 30.41 |
| | | काशीपुर | 1,87,038 | 38,271 | 20.46 |
| | | हुरा | 1,27,443 | 21,309 | 16.72 |
| | | बलरामपुर | 1,18,102 | 23,175 | 19.62 |
| | | मानबाजार–II | 85,253 | 30,521 | 35.80 |
| | | बंधवान | 83,694 | 25,007 | 29.88 |
| | | | | | |
| मेदिनीपुर | संथाली | बिनपुर–II | 1,45,977 | 40,111 | 27.48 |
| | | बिनपुर–I | 1,39,148 | 33,391 | 24.00 |
| | | गरबेता–II | 1,31,103 | 25,597 | 19.52 |
| | | जंमबोनी | 1,01,718 | 23,781 | 23.38 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | गोपीबल्लभपुर–I | 94,834 | 21,139 | 22.29 |
| | | नयाग्राम | 1,23,937 | 36,971 | 29.83 |
| | | केशरी | 1,32,061 | 22,796 | 17.26 |
| | | | | | |
| जलपाईगुड़ी | नेपाली | नागराकाटा | 1,15,907 | 19,201 | 16.57 |
| | | मदिरिहट | 1,85,470 | 47,198 | 25.45 |
| | | कल्चीनि | 2,52,571 | 68,479 | 27.11 |
| | | | | | |
| दार्जिलिंग | नेपाली | दार्जिलिंग पुलबाजार | 1,15,907 | 1,09,692 | 94.7 |
| | | रंग्ली रंग्लियोट | 64,349 | 59,588 | 92.6 |
| | | कलिम्पोंग–I | 67,680 | 57,143 | 84.4 |
| | | कलिम्पोंग–II | 60,263 | 48,657 | 80.7 |
| | | गोरूबथान | 54,279 | 49,398 | 91.0 |
| | | जोरबंग्लो सुखियापोयरी | 1,00,724 | 96,355 | 95.7 |
| | | मिरिक | 42,237 | 38,062 | 90.1 |
| | | कुर्सियोंग | 85,867 | 76,442 | 89.0 |

**भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् हैः

### 24.5 राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. सूचित किया गया है कि बंगाली तथा नेपाली दार्जिलिंग जिले के दार्जिलिंग तथा कुर्सियोंग अनुमण्डलों में राजभाषाएं हैं। यह भी सूचित किया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल राजभाषा (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2012 के तहत हिंदी, उड़िया, पंजाबी, संथाली तथा उर्दू को प्रशासनिक प्रयोजन हेतु अतिरिक्त राजभाषा का दर्जा दिया है।

ख. ऐसा बताया गया है कि दार्जिलिंग के तीन पर्वतीय अनुमण्डलों में महत्वपूर्ण शासकीय नियमों, आदेशों तथा अधिसूचनाओं, इत्यादि के नेपाली भाषा में अनुवाद और प्रचार–प्रसार की व्यवस्था है।

ग. सूचना दी गई है कि शिकायतों के निवारण के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को स्वीकार करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। यह भी सूचना दी गई है कि जहां तक व्यवहार्य होता है, शिकायतों के निवारण के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं के अभ्यावेदनों के उत्तर उन्हीं भाषाओं में दिए जाते हैं।

### 24.6 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. सूचना दी गई है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषा/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित है। तथापि, राज्य सेवा में भर्ती होने पर राजभाषा में प्रवीणता प्राप्त के लिए समय–अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है।

ख. सूचित किया गया है कि राज्य की सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति नहीं दी गई है।

ग. राज्य की सेवाओं में भर्ती के समय कोई अधिवासीय प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं और आवेदक भारतीय नागरिक होने चाहिए।

## 24.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. ऐसा बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की मान्यता के लिए नियम एवं विनियम/दिशा निर्देश बहुसंख्यक भाषा वाले विद्यालयों के नियमों एवं विनियमों/दिशा निर्देशों से भिन्न नही हैं। प्राथमिक स्कूलों को विद्यालयी शिक्षा विभाग की संस्तुतियों पर 'पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड' के मार्ग–दर्शन में 'जिला प्राथमिक स्कूल परिषद' द्वारा मान्यता दी जाती है/स्थापित किया जाता है। उसी प्रकार विद्यालयी शिक्षा विभाग की संस्तुतियों पर 'पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, उच्च प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है। मदरसों को सरकार के अल्पसंख्यक कार्य एवं मदरसा शिक्षा विभाग की संस्तुति पर पश्चिम बंगााल मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। ऐसे विद्यालयों में शिक्षण के माध्यम का निर्णय स्थानीय स्तर के प्राधिकारियों द्वारा संबद्ध स्थान की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

यह भी बताया गया है कि राज्य के किसी बोर्ड या परिषद से संबद्ध भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाएं राज्य सरकार के अल्पसंख्यक एवं मदरसा शिक्षा विभाग से अल्पसंख्यक के दर्जे का प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का पात्र है।

ख. राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 3193 भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को भाषावार मान्यता प्रदान की गई है। तथापि, भाषावार आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

ग. समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की मान्यता के लिए लंबित आवेदनों की संख्या के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

## 24.8 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

क. यह सूचित किया गया है कि पश्चिम बंगाल में स्कूलों/मदरसों की स्थापना सरकार द्वारा स्वयं ही अभिगम्यता के मुद्दे से निपटने के लिए ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता के आधार पर की जाती है। फिर भी, स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव लाए जा सकते हैं और उनका मूल्यांकन राज्य द्वारा नियत पहुँच व पड़ोस संबंधी मानकों के अनुसार विभाग द्वारा किया जाता है। ऐसे सभी विद्यालयों को विभाग की संस्तुति पर राज्य सरकार से सहायता–अनुदान के साथ या इसके बगैर मान्यता दी जाती है। यह अल्पसंख्यक भाषा की संस्थाओं पर भी लागू होता है।

ख. बताया गया है कि निजी निकायों/व्यक्तियों के प्रस्तावों का मूल्यांकन अभिगम्यता, पड़ोस तथा ढांचागत सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है और जब किसी संस्था को सरकार द्वारा मान्यता प्रदान करने की संस्तुति की जाती है तो उसे बगैर किसी सहायता–अनुदान के मान्यता प्रदान की जाती है।

ख. यह भी बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम या विषय के रूप में पढ़ने की सुविधाओं से संबंधित निम्नलिखित पैराग्राफ में यथा उल्लिखित सभी सरकारी सहायता–प्राप्त स्कूलों को इस अवधि के दौरान सहायता–अनुदान दिए गए हैं।

## भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

### 24.9 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| हिन्दी | 1,268 | 2,17,458 | 4,957 |
| उर्दू | 462 | 94,723 | 1,246 |
| नेपाली | 1,522 | 1,90,250 | 3,452 |
| उड़िया | 32 | 3,215 | 143 |
| तेलुगु | 21 | 1,854 | 116 |
| संथाली | 320 | 12,814 | 689 |

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| हिन्दी | 1,458 | 2,84,147 | 5,174 |
| उर्दू | 476 | 98,547 | 1,263 |
| नेपाली | 2,241 | 4,81,815 | 2,426 |
| उड़िया | 32 | 2,418 | 119 |
| तेलुगु | 21 | 1,710 | 98 |
| संथाली | 4,437 | 5,50,188 | 2,732 |

### 24.10 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| हिन्दी | 336 | 1,99,257 | 3,314 |
| उर्दू | 112 | 62,478 | 702 |
| नेपाली | 122 | 12,347 | 326 |
| उड़िया | 8 | 1,862 | 52 |
| तेलुगु | 7 | 1,624 | 82 |

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 112 | 62,478 | 702 |
| नेपाली | 2,041 | 2,34,715 | 1,563 |
| संथाली | 2,433 | 2,53,032 | 1,012 |

24.11 **माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)**

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| हिन्दी | 241 | 89,476 | 1,234 |
| उर्दू | 82 | 23,342 | 72 |
| नेपाली | 86 | 4,558 | 216 |
| उड़िया | 4 | 514 | 28 |
| तेलुगु | 6 | 820 | 17 |

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 91 | 24,112 | 84 |
| नेपाली | 1,041 | 1,06,182 | 1,563 |

24.12 **उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)**

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| हिन्दी | 136 | 49,832 | 486 |
| उर्दू | 131 | 51,247 | 482 |
| नेपाली | 6 | 2,114 | 32 |

ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 142 | 54,252 | 498 |
| नेपाली | 24 | 1,257 | 53 |

24.13 **त्रिभाषा सूत्र**

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएं निम्नवत हैं :

प्रथम भाषा : बंगाली, अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, नेपाली, संथाली
द्वितीय भाषा : अंग्रेजी, बंगाली, हिन्दी
तृतीय भाषा : संस्कृत, हिन्दी

ख. बताया गया है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत केवल कक्षा 8 तक 14, 89, 520 छात्रों को

शामिल किया गया है। यह भी बताया गया है कि तृतीय भाषा कक्षा 8 तक ही पढ़ायी जाती है।

## 24.14 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षकों का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | माध्यम | | विषय | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत | भरे हुए | स्वीकृत | भरे हुए |
| उर्दू | 3,362 | 2,430 | 3,745 | 2,563 |
| नेपाली | 4,126 | 3,512 | 4,214 | 3,745 |
| संथाली | 814 | 712 | 814 | 712 |

ख. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाएं शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है जिसका विवरण निम्नवत् हैः

| प्रशिक्षण संस्थान | अल्पसंख्यक भाषा | |
|---|---|---|
| | माध्यम के रूप में | विषय के रूप में |
| पी०टी०टी०आई०/डायट (प्राथमिक स्तर) | 01 | 0 |
| बी०एड०/समकक्ष कालेज | – | 01 |

## 24.15 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री अल्पसंख्यक भाषा के छात्रों को शैक्षणिक सत्र की शुरूआत में उपलब्ध कराई जाती हैं।

ख. पाठ्य–पुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री अल्पसंख्यक भाषाओं के छात्रों को प्राथमिक स्तर पर लाभरहित–हानिरहित आधार पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

ग. बताया गया है कि सभी पुस्तकों का मुद्रण पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा पश्चिम बंगाल पाठ्य–पुस्तक निगम द्वारा किया जाता है।

## 24.16 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

सूचित किया गया है कि विद्यालयों में कोई विशेष पंजिका नहीं रखी जाती है क्योंकि अधिकांश मामलों में अल्पसंख्यक भाषाओं के स्कूल पूर्णतया अल्पसंख्यक भाषा विशेष के लिए ही हैं। तथापि, कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहां प्रमुख राजभाषाओं (उदाहरणार्थ उर्दू/हिन्दी/बंगाली) सहित एक से अधिक भाषाएं या दोनों अल्पसंख्यक भाषाएं (हिन्दी एवं नेपाली) शिक्षण के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती हैं। ऐसे द्विभाषी या बहुभाषी स्कूलों में छात्र अपनी पसंद की भाषा में दाखिले की इच्छा करते हैं।

## 24.17 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

क. ऐसा बताया गया है कि गैर–उर्दू भाषी लोगों के लिए उर्दू भाषा की कक्षाएं पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी द्वारा अल्पसंख्यक कार्य तथा मदरसा शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आयोजित की जाती हैं।

ख. राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए निम्नलिखित अकादमियां स्थापित की हैं:

| भाषा | अकादमी का नाम | कब स्थापित हुई | 2013–14 के लिए बजट (करोड़ में) | 2014–15 के लिए बजट (करोड़ में) |
|---|---|---|---|---|
| उर्दू | पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी | 1978 | 8.0 | 8.0 |
| हिन्दी | पश्चिमबंगा हिन्दी अकादमी | 2011 | 0.0157 | – |
| संथाली | पश्चिमबंगा संथाली अकादमी | 2005 | – | – |

## 24.18 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. बताया गया है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित मद्दों का अनुवीक्षण करने के लिए मुख्य सचिव की नेतृत्ववाली एक राज्य–स्तरीय समिति है जिसमें मुख्य सचिव अध्यक्ष के रूप में तथा अन्य विभागों के प्रधान सचिव/सचिव सदस्य के रूप में हैं। समिति की आयोजित बैठकों के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. यह भी बताया गया कि राज्य में राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित है और यह भाषाई अल्पसंख्यक संबंधी मामलों को नहीं देखता है।

ग. सूचित किया गया है कि जिला तंत्र को विकसित करने तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों की योजना के कार्यान्वयन के लिए मूलभूत ढांचों सहित अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिलावार गठित किया गया है। वर्तमान में जिलाधिकारी तथा अपर जिलाधिकारी (अल्पसंख्यक मामले) भाषाई अल्पसंख्ययकों के मामलों की देखरेख कर रहें हैं।

## 24.19 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

क. ऐसा सूचित किया गया है कि सूचना तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए भाषाई अल्पसंख्यक संबंधी रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार करने की पहल कर रहा है।

ख. यह भी सूचना दी गई है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध सुविधाओं को होर्डिंग, बैनर इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शित करने हेतु जिला तथा तहसील के कार्यालयों को निर्देश देते हुए आदेश जारी करने के संबंध में कार्रवाई की गई है।

## 24.20 निष्कर्ष/सिफारिशें

आयुक्त ने सहायक आयुक्त (प्रभारी पूर्वी अंचल) के साथ कोलकाता का दौरा किया तथा माननीय राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामले एवं मदरसा शिक्षा विभाग, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, अध्यक्ष उर्दू अकादमी और विभिन्न भाषाई अल्पसंख्यक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 12 मार्च, 2015 को चर्चाएं कीं । आयुक्त ने पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल से भी भेंट की तथा उन्हें राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों की स्थिति से अवगत कराया।

राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों को सुविधाएं प्रदान करने के प्रयोजनार्थ स्थानीय जनसंख्या की प्रतिशतता 15 से घटाकर 10 किए जाने तथा राज्य में हिंदी, उर्दू, नेपाली, उड़िया, संथाली और

पंजाबी, गुरूमुखी को अल्पसंख्यक भाषाओं के रूप में अधिसूचित किए जाने के कदम की सराहना करते हुए राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अभ्युक्तियां की गईः—

क. असमिया तथा तेलुगु भाषाभाषियों की स्थिति प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद हेतु आवश्यक व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है।

ग. अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधाओं के संबंध में सूचना अर्थात स्कूलों, छात्रों तथा शिक्षकों की संख्या वहीं है जो विगत वर्ष थी। अतः आग्रह किया जाता है कि आंकड़ों को अद्यतन किया जाए।

घ. त्रिभाषा सूत्र जिसका अनुसरण प्राथमिक स्तर तक किया जाता है, को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक बढ़ाए जाने की जरूरत है जैसा कि भाषाई अल्पसंख्यक समुहों के प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई है।

ङ. कुछेक भाषाई अल्पसंख्यक संस्था (तेलुगु, हिंदी, उडिया तथा उर्दू माध्यम के स्कूल) को मान्यता दिए जाने की मांग पर विचार किए जाने की जरूरत है।

च. शिक्षकों विशेषकर महिला उर्दू शिक्षकों को प्रशिक्षित किए जाने की समुचित सुविधा प्रदान करना। यह भी सुझाव है कि मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में उपलब्ध शिक्षक प्रशिक्षण सुविधा का उपयोग किया जाए।

छ. राज्य सेवा में भाषाई अल्पसंख्यकों की भर्ती के पश्चात अधिमानतः परिवीक्षा अवधि में राज्य की राजभाषा में जानकारी/प्रवीणता प्राप्त करने की समयावधि निर्धारित करना।

ज. यह भी सुझाव है कि स्कूलों के दाखिले के आवेदन—पत्र में आवश्यक स्तंभ बनाए जाएं ताकि मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम और भाषाई अल्पसंख्यक माता—पिता द्वारा तरजीह दी गई तीसरी भाषा की जानकारी हासिल की जा सके। इससे बच्चे अपनी मातृभाषा पढ़ सकेंगे।

झ. हिंदी तथा संथाली भाषाओं को बढावा देने के लिए इन भाषाओं की अकादमियों के लिए बजटीय आवंटन का ब्यौरा दिया जाना आपेक्षित है।

ञ. राज्य/जिला स्तरीय समितियों की पिछली बैठकों के संबंध में सूचना दिए जाने की जरूरत है।

24.21 पश्चिम बंगाल सरकार से आग्रह है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेते हुए आवश्यक उपचारी उपाए किए जाएं ताकि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

# दादरा और नगर हवेली



## भाषाई रूपरेखा

25.1 जनगणना–2001 के अनुसार दादरा और नगर हवेली की जनसंख्या 2,20,490 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् हैः

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| भीली/भिलोडी | 89,132 | 40.42 |
| गुजराती | 52,074 | 23.62 |
| हिन्दी | 33,237 | 15.07 |

25.2 क. उन जिलों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है जहां की जनसंख्या के 60 या उससे अधिक प्रतिशत लोगों द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएं बोली जाती हैं।

ख. आयुक्त के सिलवासा दौरे के दौरान सूचना दी गई है कि निम्नलिखित अल्पसंख्यक भाषाएं जिला/तहसील/तालुक/नगरपालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत अथवा उससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं:–

| जिला | तहसील/तालुक/नगरपालिका | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| दादरा और नगर हवेली | खानवेल, मंडोनी, दुदनी, अम्बोली | मराठी<br>कोंकणी, वर्ली | 55<br>55 |
| दादरा और नगर हवेली | सिलवासा, पाटेलाड | भीली/भिलोडी<br>गुजराती<br>हिन्दी | 55.03<br>21.91<br>15.07 |

25.3 **संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा** : सूचना दी गई है कि हिंदी एवं गुजराती इस संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषाएं हैं। यह भी जानकारी दी गई है कि मराठी इस संघ राज्य क्षेत्र की एक अतिरिक्त राजभाषा है।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् हैः

### 25.4 संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

क. बताया गया है कि सभी महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, आदेशों, तथा अधिसूचनाओं आदि को गुजराती और हिंदी में अनूदित एवं प्रकाशित किया जा रहा है।

ख. सूचित किया गया है कि शिकायतों के निवारण हेतु अभ्यावेदन अल्पसंख्यक भाषा में स्वीकार किए जाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं।

### 25.5 संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती

क. बताया गया है कि राज्य सेवा में भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषा/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र की क्षेत्रीय/राजभाषा में प्रवीणता हासिल करने की भी कोई समय–सीमा नहीं है।

ख. सूचना दी गई है कि संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्रों के उत्तर हिंदी में लिखे जाने की अनुमति दी गई है।

ग. यह भी बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं अर्थात समूह 'ग' के पदों पर भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध लागू होते हैं।

## 25.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. सूचित किया गया है कि इस संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने के संबंध में कोई नियम/विनियम/दिशा–निर्देश नही बनाए गए हैं तथा इस प्रयोजनार्थ किसी भी सक्षम प्राधिकारी को नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया है।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि इस संघ राज्य क्षेत्र में 30 जून, 2014 तक किसी भी भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान को भाषाई आधार पर मान्यता नहीं दी गई है।

ग. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों से उनकी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए कोई अभ्यावेदन/शिकायत/ याचिका प्राप्त नहीं हुई है।

## 25.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

क. सूचना दी गई है कि संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं के लिए कोई विशेष नियम/दिशा निर्देश नहीं बनाए गए हैं।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि सहायता–अनुदान योजना प्राइवेट मान्यताप्राप्त स्कूलों के लिए बनाई गई है। तथापि, इस संबंध में स्कूलों के आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

## भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

## 25.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| हिंदी | 01 | 777 | 17 |
| मराठी | 23 | 3,731 | 65 |

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| हिंदी | 269 | 12,489 | 538 |

## 25.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में

पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| हिंदी | 01 | 1,250 | 17 |
| मराठी | 69 | 5,195 | 125 |

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| हिंदी | 97 | 16,870 | 108 |

## 25.10 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| हिंदी | 01 | 550 | 10 |
| मराठी | 06 | 1,505 | 49 |

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| हिंदी | 01 | 550 | 10 |
| मराठी | 02 | 633 | 08 |

## 25.11 उच्चतर प्राथमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम अथवा एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## 25.12 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ निम्नवत् हैंः

प्रथम भाषा : गुजराती, हिंदी, मराठी
द्वितीय भाषा : मराठी, गुजराती
तृतीय भाषा : अंग्रेजी

ख. त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत कक्षा 8, 10 एवं 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का विवरण निम्नवत् हैः

| भाषा | कक्षा 8 | कक्षा 10 | कक्षा 12 |
|---|---|---|---|
| गुजराती | 3,714 | 2,661 | 2,326 |
| मराठी | 1,162 | 522 | 504 |
| अंग्रेजी | 678 | 992 | 606 |
| हिंदी | 251 | 550 | 268 |

25.13 **अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक**

क. अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम एवं विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के पदों का विवरण निम्नवत् है:

| भाषा | माध्यम | | विषय | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत | भरे हुए | स्वीकृत | भरे हुए |
| हिंदी | 34 | 34 | 646 | 646 |
| मराठी | 190 | 190 | 190 | 190 |

ख. अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के माध्यम एवं विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई हैं।

ग. अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के आदान–प्रदान/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र खोलने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ सहयोग/व्यवस्था के संबंध में बताया गया है कि अब तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

25.14 **अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें**

क. सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षणिक सत्र की शुरूआत में उपलब्ध करा दी जाती है।

ख. बताया गया है कि पाठ्य–पुस्तकों की आपूर्ति गुजरात राज्य (अहमदाबाद/गांधीनगर) से की जाती है तथा अन्य शिक्षण सामग्री बाजार से क्रय की जाती है।

ग. यह भी सूचित किया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक अल्पसंख्यक भाषाओं के छात्रों सहित सभी छात्रों को शिक्षण सामग्री समेत पाठ्य–पुस्तकें मुफ्त प्रदान की जाती हैं।

25.15 **'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव**

संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषाई वरीयता दर्ज करने हेतु 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में किया जाता है।

25.16 **अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन तथा विकास**

बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषा के संवर्धन और विकास की कोई योजना नहीं है। यह भी बताया गया है कि अत्यंत छोटा क्षेत्र होने के नाते भाषाई अकादमी की स्थापना करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

25.17 **रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र**

बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संघ राज्य क्षेत्र में कोई तंत्र/समिति गठित नहीं है।

25.18 **संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार**

बताया गया है भाषाई अल्पसंख्यकों को उन्हें उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के लिए संघ राज्य क्षेत्र में कोई तंत्र नहीं है।

25.19 **निष्कर्ष / संस्तुतियां**

आयुक्त ने 2 से 5 मई 2015 तक सिलवासा का दौरा किया तथा दादरा एवं नगर हवेली के प्रशासक, सचिव, शिक्षा एवं अधिकारियों के साथ संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति पर विचार–विमर्श किया। आयुक्त ने भाषाओं विशेषतौर पर जनजातीय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया क्योंकि जनजातीय भाषाएं अपनी संस्कृति, परंपरा एवं कला को प्रतिबिंबित करती हैं। आयुक्त ने प्रशासक से केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी०आई०आई०एल०), मैसूर के साथ परामर्श करके जनजातीय एवं अल्पसंख्यक भाषाओं (लिपिविहीन) को संरक्षित करने की संभावना तलाशने का अनुरोध किया। उन्होंने इस संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषाओं का संरक्षण एवं संर्वधन करने के लिए भाषाई अकादमियों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया। आयुक्त ने यह भी सुझाव दिया कि यदि प्रशासक उचित समझें तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदत्त रक्षोपायों का विस्तार करने के उद्देश्य से 15 प्रतिशत या अधिक के स्थानीय जनसंख्या संबंधी मानदण्ड को कम करके 10 प्रतिशत पर ला सकते हैं। बैठक के दौरान सी०ई०ओ०, वक्फ बोर्ड द्वारा सूचित किया गया कि संघ राज्य क्षेत्र में 11 मदरसे हैं तथा बच्चों को हिन्दी, उर्दू तथा गुजराती पढ़ाई जाती है। प्रशासक ने संघ राज्य क्षेत्र में बोली जाने वाली जनजातीय तथा अल्पसंख्यक भाषाओं के विकास एवं संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होने यह भी सूचित किया कि इस संघ राज्य क्षेत्र की कला एवं संस्कृति की प्रदर्शनी करने के लिए एक जनजातीय संग्रहालय के निर्माण हेतु एक योजनागत प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। निष्कर्ष तथा अभ्युक्तियां निम्नवत् हैंः

क. संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा सभी स्कूलों में भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषाई वरीयता दर्ज करने के लिए भाषाई वरीयता पंजियों का रखरखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि मातृभाषा में शिक्षा दी जा सके।

ख. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

ग. संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को संघ राज्य क्षेत्र में भीली / भिलोडी, कोंकणी भाषाएं बोलने वालों लोगों की उपस्थिति को समझने तथा इन अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ने की सुविधाओं के बारे में विस्तृत ब्यौरा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

घ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

ड़. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को इस संघ राज्य क्षेत्र में बोली जाने वाली जनजातीय / अल्पसंख्यक भाषाओं को बढ़ावा / संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। संघ राज्य क्षेत्र में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विकास के लिए भाषाई अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

च. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को इस संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने के लिए प्रशासक की अध्यक्षता में संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय कार्यान्वयन समिति गठित करने की सलाह दी जाती है।

25.20 दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि, संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

# दमन और दीव

## 26

## भाषाई रूपरेखा

26.1 जनगणना–2001 के अनुसार दमन और दीव की जनसंख्या 1,58,204 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् हैः

| **भाषा** | **भाषा भाषी** | **प्रतिशतता** |
|---|---|---|
| गुजराती | 1,07,090 | 67.69 |
| हिन्दी | 30,754 | 19.44 |
| मराठी | 6,763 | 4.27 |

26.2 **संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा :** सूचित किया गया है कि गोवा, दमन व दीव राजभाषा अधिनियम 1987 के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषाएं कोंकणी तथा गुजराती है। यह भी सूचित किया गया है कि 30.05.1987 से गोवा राज्य के गठन के बाद दमन और दीव एक पृथक संघ राज्य क्षेत्र बन गया। तत्पश्चात् दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा घोषित करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। यह भी सूचित किया गया है कि राजभाषा अधिनियम, भारत सरकार के अनुसार राज्यों/केन्द्र सरकार के साथ पत्राचार हिंदी/अंग्रेजी में किया जाता है।

26.3 यह भी बताया गया है कि दमन और दीव में ऐसा कोई जिला/तहसील/तालुका/नगरपालिका नहीं है जहां की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या अधिक द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएं बोली जाती हैं।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् है :

### 26.4 संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

क. सूचना दी गई है कि संध राज्य क्षेत्र में कोई भाषाई अल्पसंख्यक नहीं है तथा 15 प्रतिशत या उससे अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली कोई अल्पसंख्यक भाषा नहीं है। यह भी बताया गया है कि सभी नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि को हिन्दी में भी प्रकाशित किया जाता है।

ख. बताया गया है कि शिकायतों के निवारणार्थ सभी अभ्यावेदन गुजराती, हिन्दी या अंग्रेजी में स्वीकार किए जाते हैं। तथापि, यह नहीं बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा के अभ्यावेदनों के उत्तर उसी अल्पसंख्यक भाषा में दिए जाते हैं।

### 26.5 संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं म भर्ती

क. संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित होने के संबंध में बताया गया है कि दमन और दीव 2.43 लाख की कुल जनसंख्या वाला एक छोटा संघ राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र की स्थानीय भाषा गुजराती है तथा राजभाषाएं हिंदी एवं अंग्रेजी हैं। अतः उन्हें भर्ती नियमावली में वांछनीय शर्त के रूप में निर्धारित किया गया है।

ख. सूचित किया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं हेतु भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्रों के उत्तर देने के लिए सामान्यतः हिन्दी, गुजराती और अंग्रेजी भाषाएं ही मान्य हैं। किसी अल्पसंख्यक भाषा में प्रश्नों के उत्तर देने हेतु कोई अनुरोध अब तक प्राप्त नहीं हुआ है।

ग. यह भी सूचना दी गई है कि संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं।

### 26.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

सूचित किया गया है कि दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषाई शैक्षणिक संस्था को मान्यता देने के लिए कोई अधिनियम एवं नियम नहीं है।

### 26.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

सूचित किया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक, प्राथमिक तथा माध्यमिक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी हैं।

## भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

### 26.8 प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक स्तर

शिक्षा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर, भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं के बारे में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने कोई जानकारी नहीं उपलब्ध कराई है।

### 26.9 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएं हैं :

प्रथम भाषा : गुजराती
द्वितीय भाषा : हिन्दी
तृतीय भाषा : अंग्रेजी

ख. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शामिल कक्षा 8, 10 तथा 12 के छात्रों का विवरण निम्नवत है :

| भाषा | कक्षा 8 | कक्षा 10 | कक्षा 12 |
|---|---|---|---|
| गुजराती | 3,102 | 2,876 | 2,008 |
| हिंदी | 3,102 | 2,876 | 2,008 |
| अंग्रेजी | 3,102 | 2,876 | 2,008 |

### 26.10 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

अल्पसंख्यक भाषा को एक विषय तथा शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के स्वीकृत / भरे हुए पदों तथा उनके प्रशिक्षण के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## 26.11 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्‌य–पुस्तकें

सूचित किया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव में कोई अल्पसंख्यक भाषा नहीं है, अतएव अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्‌य–पुस्तकों की कोई आवश्यकता नहीं है।

## 26.12 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

बताया गया है कि दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव लागू नहीं है।

## 26.13 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

सूचना दी गई है कि संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव में कोई अल्पसंख्यक भाषा नहीं है।

## 26.14 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण एवं समीक्षा के लिए संघ राज्य क्षेत्र और जनपद स्तर पर किसी भी तंत्र/समिति की स्थापना नहीं की गई है।

## 26.15 संवैधानिक अधिकारां एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र में, भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों तथा सुविधाओं के प्रचार–प्रसार हेतु कोई तंत्र नहीं है।

## 26.16 निष्कर्ष/संस्तुतियां

आयुक्त ने 2 से 5 मई 2015 तक सिलवासा का दौरा किया तथा दमन एवं दीव के प्रशासक (जो दादरा एवं नगर हवेली के भी प्रशासक हैं), सचिव, शिक्षा एवं अधिकारियों के साथ दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति पर विचार–विमर्श किया। आयुक्त ने भाषाओं विशेषतौर पर जनजातीय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया क्योंकि जनजातीय भाषाएं अपनी संस्कृति, परंपरा एवं कला को प्रतिबिंबित करती हैं। आयुक्त ने प्रशासक से केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी०आई०आई०एल०), मैसूर के साथ परामर्श करके जनजातीय एवं अल्पसंख्यक भाषाओं (लिपिविहीन) को संरक्षित करने की संभावना तलाशने का अनुरोध किया। उन्होंने इस संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषाओं का संरक्षण एवं संर्वधन करने के लिए भाषाई अकादमियों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया। आयुक्त ने यह भी सुझाव दिया कि यदि प्रशासक उचित समझें तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रदत्त रक्षोपायों का विस्तार करने के उद्देश्य से 15 प्रतिशत या अधिक के स्थानीय जनसंख्या संबंधी मानदण्ड को कम करके 10 प्रतिशत पर ला सकते हैं। निष्कर्ष एवं सिफारिशें निम्नलिखित हैः

क. हांलाकि दिनांक 30.05.1987 को दमन और दीव पृथक संघ राज्य क्षेत्र बना, तथापि, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए राजभाषा की घोषणा हेतु कोई अधिसूचना अभी तक नहीं जारी की गई है जिसे शीघ्र घोषित किए जाने की आवश्यकता है तथा यह भी स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है कि कोंकणी दमन और दीव की अभी भी राजभाषा है या नहीं।

ख. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को स्कूलों में स्थानीय स्तर पर मातृभाषा पढ़ने की सुविधाओ की पूर्ण एवं व्यापक सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

ग. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करना चाहिए जिससे कि विद्यालयों में मातृभाषा/ अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।

घ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

ङ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा शिक्षकों के पदों तथा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत सूचना प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

च. संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर, का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि संवैधानिक प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट समय पर तैयार और प्रस्तुत कर सके।

26.17 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन दमन और दीव से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से तथा कुशलतापूर्वक किया जा सके।

# गोवा 

## भाषाई रूपरेखा

27.1 जनगणना–2001 के अनुसार गोवा की जनसंख्या 13,47,668 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् हैः

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| कोंकणी | 7,69,888 | 57.13 |
| मराठी | 3,04,208 | 22.57 |
| हिंदी | 76,775 | 5.70 |
| कन्नड़ | 74,615 | 5.54 |
| उर्दू | 54,163 | 4.02 |

27.2 **राज्य की राजभाषा** : राज्य की राजभाषा देवनागरी लिपि में कोंकणी है।

27.3 यह विचारणीय विषय है कि राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 350 ख (2) में अन्तर्निहित संवैधानिक अधिदेश के अनुसरण में आयुक्त द्वारा प्रेषित प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया हैं।

27.4 इस प्रतिवेदन को भारत के महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु इसे अंतिम रूप देने के समय तक राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

### 27.5 निष्कर्ष / संस्तुतियां

आयुक्त ने सहायक आयुक्त (प्रभारी पश्चिमी अंचल) के साथ 29–30 सितम्बर 2014 को गोवा का दौरा किया तथा राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति पर निदेशक स्कूली शिक्षा, राज्य सरकार के पदाधिकारियों तथा विभिन्न भाषाई अल्पसंख्यक संगठन के प्रतिनिधियों से चर्चाएं की। आयुक्त ने 30 सितम्बर, 2014 को गोवा की महामान्या राज्यपाल से भी मुलाकात की तथा उन्हें भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त के कर्त्तव्यों एवं कार्यकलापों की संक्षिप्त जानकारी दी।

शैक्षणिक प्राधिकारियों के साथ बैठक के क्रम में सूचित किया गया कि गोवा समृद्ध सांस्कृतिक एवं परम्परागत पृष्ठभूमि वाला प्रगतिशील राज्य रहा है। यह बताया गया कि गोवा की खूबी उसकी बहुभाषी तथा बहुसांस्कृतिक समाज है। हालांकि 51वें प्रतिवेदन के लिए प्रश्नावली का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी दौरे के दौरान राज्य के पदाधिकारियों के साथ हुई चर्चाओं के आधार पर निम्नलिखित अभ्युक्तियां की जाती हैंः

क. राज्य में धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं, दोनों के लिए प्रदत्त समान दर्जा एंव सुविधाओं के लिए राज्य सरकार की सराहना की जाती है। सूचित किया गया है कि यहां 800 से अधिक प्राथमिक विद्यालय तथा 300 से अधिक उच्च विद्यालय हैं। यह भी बताया गया है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मातृभाषा / अल्पसंख्यक भाषा अर्थात् मराठी, / कोंकणी / कन्नड़ / हिन्दी / उर्दू शिक्षण के माध्यम हैं। तथापि, पाया गया है कि उच्च विद्यालय / उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने हेतु बहुत कम विद्यालय हैं।

ख. यह भी सराहनीय है कि निदेशक ने अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु मातृभाषा पढ़ने के लिए छात्रों की अपेक्षित संख्या को 20 से घटाकर 15 करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है तथा इस संख्या में कमी लाने पर आसानी से सहमत हो गए।

ग. मलयालम भाषाभाषियों के प्रतिनिधियों ने वास्को, जहां बहुंत अधिक संख्या में मलयालम भाषाभाषी रहते हैं, में मलयालम पढ़ने के लिए सुविधाओं का अनुरोध किया। उन्होने केरल सरकार द्वारा प्रदत्त मलयालम प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों को मान्यता देने की भी मांग की। अतः राज्य सरकार से इस आश्वासन को पूरा करने की अपेक्षा की जाती है।

घ. कन्नड़ भाषाभाषियों के प्रतिनिधियों ने बताया कि वर्तमान में कक्षा 10 में (कन्नड़ माध्यम) में 100 से अधिक छात्र हैं तथापि गोवा में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने के लिए कोई केन्द्र नहीं है। जैसा कि निदेशक द्वारा स्पष्ट किया गया, चूंकि कन्नड़ माध्यम के स्कूल कर्नाटक राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहे हैं, वे सीमा के पार कर्नाटक में नामनिर्दिष्ट केन्द्र में परीक्षा के लिए बैठते हैं। तथापि, भविष्य में, भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों विशेषतौर पर बालिकाओं के लाभार्थ कर्नाटक सरकार के साथ परामर्श करके गोवा में इस सुविधा का लाभ उठाने की संभावना का पता लगाने पर सहमति दी गई। कन्नड़ निरीक्षकों/परीक्षकों के लिए भी इसकी मांग की गई। अतः सरकार से इन मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया जाता है।

ड. उर्दू भाषाभाषियों के प्रतिनिधियों तथा शिक्षकों के संघों ने जानकारी दी कि शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं और बताया कि राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध भी रिक्त पदों की एक वजह है। निदेशक ने स्वीकार किया कि उर्दू शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, भर्ती रोजगार कार्यालय के जरिए की जाती है, तथा गोवा में न्यूनतम 15 वर्षों के अधिवास की अधिवासीय रोक है। चूंकि यह एक नीतिगत मुद्दा है, इसलिए सुझाव है कि सरकार राज्य में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के मामले में अधिवासीय प्रतिबंध में एक बारगी छूट देने पर विचार करे। यह भी सुझाव दिया जाता है कि मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के सहयोजन से उर्दू शिक्षकों के लिए अध्ययन केन्द्र शुरू करने की संभावना का पता लगाया जाए। इसके अतिरिक्त, पदों को भरने को सुसाध्य बनाने के लिए उर्दू शिक्षकों के समाप्त पड़े पदों को पुनर्जीवित करने का सुझाव दिया जाता है।

च. पोंडा के उर्दू भाषाभाषियों के प्रतिनिधियों ने तालुक में उर्दू के ही प्राथमिक स्कूल को जारी रखने तथा भाषाई अल्पसख्ंयक बच्चों विशेष तौर पर उन बालिकाओं के हितार्थ जिन्हे कक्षा–IV के लिए मझगांव जाना पड़ता है, कक्षा–VI के आगे की कक्षाओं को शुरू करने की अनुमति मांगी। अतः अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के तहत उनकी मांग पर विचार करने का आग्रह किया जाता है।

छ. राज्य सरकार द्वारा राज्य सेवाओं में भर्ती के समय राज्य की क्षेत्रीय/राजभाषा के पूर्वज्ञान पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए ताकि राज्य में रोजगार के मामलों में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सके। राज्य सरकार द्वारा अभ्यर्थियों को निर्धारित परिवीक्षा अवधि के भीतर राजभाषा सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए।

ज. राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि अन्तर–विद्यालयीन समायोजन के फलस्वरूप इन विद्यालयों में मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके। यह भी सुझााव

दिया जाता है कि स्कूल में दाखिले के आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ दिए जाएं ताकि बच्चे की मातृभाषा, माता–पिता द्वारा तरजीह दिए गए शिक्षा के माध्यम तथा दाखिले के समय माता–पिता द्वारा अधिमत्त तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चे अपनी मातृभाषा पढ़ सकें।

झ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के व्यापक प्रचार–प्रसार करने की आवश्यकता है। यह भी आग्रह है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए अकादमियां स्थापित की जाएं तथा उर्दू अकादमी स्थापित करने के लिए लंबित प्रस्ताव को पुनर्जीवित किया जाए।

ञ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसख्ंयको के रक्षोपायों का राज्य में प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

ट. गोवा सरकार से भाषाई अल्पसंख्यकों के नोडल अधिकारी को नामित करने का अनुरोध है ताकि आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित हो सके और आयुक्त प्रतिवेदन को महामहिम राष्ट्रपति महोदय को समय पर प्रस्तुत कर सकें।

27.6 गोवा राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि, राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन किया जा सके।

# गुजरात 28

## भाषाई रूपरेखा

28.1 जनगणना–2001 के अनुसार गुजरात की जनसंख्या 5,06,71,017 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् हैः

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| गुजराती | 4,27,68,386 | 84.40 |
| भिली/भिलोड़ी | 24,05,663 | 4.75 |
| हिंदी | 23,88,814 | 4.71 |
| सिंधी | 9,58,787 | 1.89 |
| मराठी | 7,64,002 | 1.51 |
| उर्दू | 5,50,630 | 1.09 |

28.2 **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा गुजराती है।

28.3 राज्य सरकार से उन जनपद/तहसील/तालुक/नगरपालिका जहाँ की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक लोग अल्पसंख्यक भाषा बोलने वाले हों, के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत है :

### 28.4 राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

क. महत्वपूर्ण नियमों, विनियमों तथा अधिसूचनाओं आदि का अनुवाद एवं प्रकाशन अल्पसंख्यक भाषाओं में किए जाने के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति एवं संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में उनके उत्तर देने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

### 28.5 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. बताया गया है कि राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षाएं राज्य के प्रासंगिक नियमों के अनुसार संचालित की जाती हैं।

ख. राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए पूर्वापेक्षा के रूप में क्षेत्रीय/राजभाषा के ज्ञान के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है।

ग. राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध लागू होने के संबंध में कोई स्पष्ट सूचना नहीं दी गई है।

### 28.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग, के आयुक्त सक्षम प्राधिकारी हैं। तथापि, भाषाई अल्पसंख्यक

शैक्षणिक संस्था को मान्यता देने से संबंधित नियमों तथा विनियमों/दिशा निर्देशों का उल्लेख नहीं किया गया है।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि 30 जून 2014 तक कक्षा 11 से 12 तक 16 उर्दू, 12 मराठी, 13 सिंधी, 2 तमिल तथा 71 हिंदी भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई है।

## 28.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

सूचित किया गया है कि प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान स्वीकृत करने हेतु क्रमशः निदेशक, प्राथमिक शिक्षा विभाग तथा स्कूल शिक्षा विभाग के आयुक्त सक्षम प्राधिकारी हैं। तथापि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को समीक्षाधीन अवधि के दौरान सहायता–अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

## भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

## 28.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 135 | 43,113 | 1,061 |
| मराठी | 107 | 46,705 | 1,230 |
| सिन्धी | 03 | 110 | 9 |
| हिंदी | 484 | 1,70,421 | 4,568 |
| अंग्रेजी | 1,991 | 7,56,918 | 27,571 |

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| हिन्दी | 380 | 1,37,642 | 3,372 |

## 28.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 85 | 54,843 | 1205 |
| मराठी | 101 | 47,692 | 945 |
| सिन्धी | 2 | 5,188 | 230 |

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| हिंदी | 27,830 | 31,95,792 | 38,853 |
| अंग्रेजी | 988 | 1,55,580 | 4,120 |

## 28.10 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम या विषय के रूप में पढ़ाए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## 28.11 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् है:

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 16 | 6,132 | 202 |
| मराठी | 12 | 7,931 | 173 |
| सिन्धी | 13 | 2,509 | 81 |
| तमिल | 02 | 861 | 11 |
| हिंदी | 71 | 39,194 | 967 |

ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने संबंधी कोई सूचना नहीं दी गई है।

## 28.12 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के तहत पढ़ाई जाने वाली भाषाओं का विवरण इस प्रकार है :

प्रथम भाषा : गुजराती / हिन्दी / मराठी / अंग्रेजी / उर्दू
द्वितीय भाषा : गुजराती / अंग्रेजी
तृतीय भाषा : हिंदी

ख. त्रिभाषा सूत्र के तहत शामिल कक्षा 8, 10 और 12 के छात्रों का ब्यौरा निम्नवत् है :

| भाषा | कक्षा 8 | कक्षा 10 | कक्षा 12 |
|---|---|---|---|
| गुजराती | 178 | 61,731 | 29,131 |
| अंग्रेजी | 79 | 718 | 643 |
| हिंदी | 61 | 69,379 | 239 |
| उर्दू | 59 | 171 | 29 |
| सिंधी | — | 05 | 05 |

## 28.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षकों के संबंध में, केवल माध्यम के रूप में पढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं के संस्वीकृत पदों का ब्यौरा दिया गया है। अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के भरे हुए एवं संस्वीकृत पदों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षा के माध्यम व विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में सूचना नहीं दी है।

## 28.14 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. यह बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को पाठ्य–पुस्तकें शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में उपलब्ध कराई जाती हैं।

ख. यह भी सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें एवं अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करने एवं उनके प्रकाशन करने वाली एजेंसी गुजरात राज्य पाठ्य–पुस्तक बोर्ड है।

ग. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतियोगी/इमदादी दरों पर उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।

## 28.15 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

गुजरात में विद्यालयों में भाषाई वरीयता पंजियों का रख–रखाव करने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## 28.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

क. राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास हेतु किसी योजना के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है।

ख. सूचित किया गया है कि सिंधी और उर्दू भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए सिंधी अकादमी और उर्दू अकादमी का गठन निम्नवत किया गया है :

| भाषा | अकादमी का नाम | कब स्थापित | बजट वर्ष 2013–14 (लाख में) |
|---|---|---|---|
| उर्दू | उर्दू अकादमी | 1993 | कोई सूचना नहीं दी गई है |
| सिंधी | सिंधी अकादमी | 1993 | |

## 28.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

सूचना दी गई है कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण और समीक्षा हेतु राज्य/जिला स्तर पर कोई समिति/तंत्र गठित नहीं है।

## 28.18 संवैधानिक अधिकार एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

बताया गया है राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के प्रचार–प्रसार के लिए कोई तंत्र नहीं है। साथ ही, राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## 28.19 निष्कर्ष/संस्तुतियां

क. राज्य सरकार द्वारा उन जिलों/तहसीलों/तालुकों/नगरपालिकाओं को अभिज्ञात करने की आवश्यकता है जहां अल्पसंख्यक भाषाभाषियों की आबादी वहां की स्थानीय जनसंख्या के 15 प्रतिशत या अधिक है तथा साथ ही राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ

नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

ख. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब देना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए।

ग. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकार को सभी विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे कि राज्य में मातृभाषा/ अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने हेतु अन्तर–विद्यालय समायोजनों को सुगम बनाया जा सके।

घ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

ड़. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक संस्थानों को मान्यता देने तथा उन्हें सहायता–अनुदान स्वीकृत करने संबंधी सूचना प्रदान करने की आवश्यकता है।

च. यह अत्यंत शोचनीय है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के क्षेत्र में प्रदत्त शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में स्कूलों/छात्रों/शिक्षकों की संख्या उतनी ही है जितनी 50वीं रिपोर्ट के लिए बतलाई गई थी। अतः राज्य सरकार से आग्रह है कि वे राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के क्षेत्र में प्रदत्त शैक्षणिक सुविधाओं के संबंध में आंकड़ों को अद्यतन करें।

छ. राज्य सरकार को राज्य में अल्पसंख्यक भाषा बढ़ाने के लिए शिक्षकों के पदों तथा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के संबंध में विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए।

ज. राज्य सरकार को अकादमियों के लिए किए जाने वाले बजटीय आबंटन की सूचना तथा राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षापायों एवं सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार करने की आवश्यकता है।

झ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसख्ंयको के रक्षोपायों का प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

ञ. गुजरात राज्य सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर, का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर तैयार कर महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

28.20 गुजरात राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि, राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से किया जा सके।

# कर्नाटक 

## भाषाई रूपरेखा

29.1 जनगणना–2001 के अनुसार कर्नाटक की जनसंख्या 5,28,50,562 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् हैः

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| कन्नड़ | 3,48,38,035 | 65.92 |
| उर्दू | 55,39,910 | 10.48 |
| तेलुगु | 36,98,657 | 7.00 |
| मराठी | 18,92,783 | 3.58 |
| तमिल | 18,74,959 | 3.55 |

29.2 **राज्य की राजभाषा** : राज्य की राजभाषा कन्नड़ है।

29.3 क. उन जिलों का ब्यौरा जहाँ की जनसंख्या के 60 प्रतिशत या उससे अधिक अल्पसंख्यक भाषा–भाषी हैं निम्नलिखित हैः

| जिला | तालुक का नाम | भाषा | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| कोलार | गुडीबांदा | तेलगु | 67 |
| | बोगपल्ली | तेलगु | 70.82 |
| | श्रीनिवास पुरा | तेलगु | 61.9 |
| उत्तर कन्नड़ | करकाल | तुलु | 61.64 |

ख. जिले / तहसील / तालुका / नगरपालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या अधिक द्वारा बोली जाने वाली अल्पसंख्यक भाषाओं का ब्यौरा, जैसा कि राज्य ने सूचित किया है, निम्नलिखित हैः

### उर्दू भाषी

| तालुका का नाम | प्रतिशतता |
|---|---|
| बीजापुर | 20.44 |
| सिंदगी | 15.85 |
| गुलबर्गा | 26.89 |
| चितापरु | 20.08 |
| जिवार्गी | 15.07 |
| बास्वकल्याण | 16.91 |
| बीदर | 27.75 |
| होम्नाबाद | 24.21 |
| रायचुर | 16.98 |
| हुबली–धारवाड़ | 24.62 |
| मुंदगोड | 15.55 |
| भटकल | 28.69 |

| | |
|---|---|
| शिगांव | 22.51 |
| सवानूर | 25.26 |
| हंगल | 20.81 |
| होस्पेट | 15.41 |
| हरिहर | 16.18 |
| दावनगिरि | 15.51 |
| शिमोगा | 17.04 |
| तुमकुर | 15.15 |
| कोलार | 18.18 |
| मुलबगल | 15.20 |
| रामनगर | 16.45 |
| मैसूर | 15.09 |

**तेलुगु भाषी**

| तालुका का नाम | प्रतिशतता |
|---|---|
| सेदम | 30.30 |
| मोलाकलमुरू | 24.20 |
| होलालकेरे | 46.90 |
| पवागडा | 37.55 |
| कोलार | 39.40 |
| गौरीबिदनूर | 30.13 |
| चिक्काबलापुर | 35.65 |
| शिडलगट्टा | 36.90 |
| चिंतामणि | 59.90 |
| कोलार | 15.5 |
| मलूर | 34.4 |
| बांगरपेट | 33.06 |
| मुलबगाल | 39.5 |
| बंगलोर | 15.46 |
| बंगलोर दक्षिण | 20.96 |
| अनेकल | 27.26 |
| डोडाबल्लापुर | 15.92 |
| देवेनहाली | 23.9 |
| होसकोटे | 21.95 |

**मथाई भाषी**

| तालुका का नाम | प्रतिशतता |
|---|---|
| खानापुर | 51.96 |
| बसवाकल्याण | 23.74 |
| भालकी | 33.91 |
| औरद | 36.36 |
| हालियल | 55.99 |
| येल्लापुर | 16.26 |

**तमिल भाषी**

| तालुका का नाम | प्रतिशतता |
|---|---|
| बांगरपेट | 28.2 |
| बंगलोर | 18.4 |
| बंगलोर दक्षिण | 16.5 |

**तुलु भाषी**

| तालुका का नाम | प्रतिशतता |
|---|---|
| उदुपी | 42.20 |
| मुदुगिरि | 16.82 |
| मंगलोर | 45.25 |
| बंटावल | 53.08 |
| बेल्टानगढ़ी | 62.34 |
| पुत्तूर | 55.49 |
| सुल्या | 41.27 |

**कोंकणी भाषी**

| तालुका का नाम | प्रतिशतता |
|---|---|
| करवर | 54.59 |
| सूपा | 32.35 |
| येल्लापुर | 19.53 |
| अंकोला | 19.67 |
| कुमता | 18.41 |
| होनावर | 32.08 |
| मंगलोर | 15.84 |

**कोरगी भाषी**

| तालुका का नाम | प्रतिशतता |
|---|---|
| मदीकिरी | 23.19 |
| विराजपेट | 25.18 |

**भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् हैः–

29.4 **राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग**

क. बताया गया है कि महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, आदेशों तथा अधिसूचनाओं, आदि के अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन की कोई व्यवस्था नहीं है।

ख. यह भी बताया गया है कि शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों

को स्वीकार करने और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में उनके उत्तर देने हेतु आदेश जारी किए जा चुके हैं।

## 29.5 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. बताया गया है कि राज्य सेवाओं में भर्ती के समय जिन्हें क्षेत्रीय/राजभाषाओं का ज्ञान न हो उन्हें भर्ती के उपरान्त, दो वर्ष के अन्दर, राजभाषा में प्रवीणता अर्जित करना आवश्यक है।

ख. यह भी बताया गया है कि भर्ती परीक्षाओं के लिए अल्पसंख्यक भाषा के छात्रों को केवल अल्पसंख्यक भाषा के प्रश्न पत्र का उत्तर अल्पसंख्यक भाषा में देने की अनुमति दी गई है। अन्य सभी सामान्य प्रश्न–पत्रों का उत्तर कन्नड़ या अंग्रेजी में दिया जाना अपेक्षित है।

ग. सूचना दी गई कि राज्य सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबन्ध लागू होते हैं।

## 29.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता देने के संबंध में बताया गया है कि राज्य सरकार ने सरकारी आदेश ईडी 27 महिती, 2012 बंगलौर दिनांक 18.06.2014 के अनुसरण में एक समिति गठित की है। भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने के लिए पदनामित प्राधिकारी के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरे निम्नलिखित हैः

| | प्राधिकारी | मंडल |
|---|---|---|
| 1 | आयुक्त, जनशिक्षा, आयुक्त कार्यालय, जन शिक्षा विभाग, के०आर० सर्किल, बंगलौर | बंगलौर और मैसूर |
| 2 | अपर आयुक्त, जनशिक्षा, अपर आयुक्त कार्यालय, जन शिक्षा विभाग, बेलगाम मंडल, धारवाड़ | बेलगाम प्रभाग |
| 3 | अपर आयुक्त, जनशिक्षा, अपर आयुक्त कार्यालय, जन शिक्षा विभाग, गुलबर्गा मंडल, गुलबर्गा | गुलबर्गा मंडल |

ख. बताया गया है कि बंगलौर और मैसूर मंडलों में 4 तुलु तथा 2 तेलुगु, संस्थानों को भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है।

ग. भाषाई अल्पसंख्यकों से अभ्यावेदन/शिकायतें/याचिकाएं प्राप्त होने के संबंध में बताया गया है कि एक रिट याचिका सं०31831–34/2014 जिसमें मलयालम भाषाभाषियों के लिए अल्पसंख्यक दर्जा मांगा गया है, कर्नाटक उच्च न्यायालय में लंबित है।

## 29.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

क. सूचित किया गया है कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के अनुसार सहायता–अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं तथा प्राथमिक शिक्षा के निदेशक और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के भाषाई अल्पसंख्यक विद्यालयों को सहायता–अनुदान स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी हैं।

ख. सूचना दी गई है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई सहायता–अनुदान स्वीकृत नहीं किए गए हैं।

## भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

### 29.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 2,270 | 3,02,529 | 6,575 |
| मराठी | 340 | 69,785 | 1,084 |
| तमिल | 34 | 6,666 | 125 |
| तेलुगु | 17 | 3,255 | 51 |

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 27 | 1,645 | 41 |

### 29.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 2,437 | 1,37,697 | 16,626 |
| मराठी | 695 | 46,535 | 5,573 |
| तमिल | 104 | 2,701 | 690 |
| तेलुगु | 48 | 1,131 | 539 |

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 64 | 4,300 | 167 |
| तमिल | 11 | 377 | 11 |
| तेलुगु | 1 | 54 | 2 |

### 29.10 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 527 | 48,880 | 4,858 |
| मराठी | 277 | 29,801 | 2,970 |
| तेलुगु | 14 | 290 | 186 |
| तमिल | 7 | 306 | 59 |

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नलिखित हैः

| **भाषा** | **विद्यालय** | **छात्र** | **शिक्षक** |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 166 | 13,883 | 209 |
| तमिल | 5 | 80 | 2 |

29.11 **उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)**

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाये जाने के संबंध में राज्य सरकार ने कोई सूचना नहीं दी है।

ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| **भाषा** | **विद्यालय** | **छात्र** | **शिक्षक** |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 91 | 5,965 | 208 |
| तेलुगु | 1 | 54 | 2 |
| तमिल | 11 | 377 | 11 |

29.12 **त्रिभाषा सूत्र**

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएं हैं :

प्रथम भाषा : कन्नड़/उर्दू/मराठी/तेलुगु /तमिल़/अंग्रेजी
द्वितीय भाषा : अंग्रेजी/कन्नड
तृतीय भाषा : हिंदी/अंग्रेजी

ख. त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत शामिल कक्षा 8, 10 एवं 12 के छात्रों का विवरण निम्नलिखित हैः

| **प्रथम भाषा** | **कक्षा 8** | **कक्षा 10** | **कक्षा 12** |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 38,878 | 26,112 | – |
| मराठी | 15,779 | 14,225 | – |
| तेलुगु | 193 | 149 | – |
| तमिल | 181 | 183 | – |

29.13 **अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक**

क. अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम तथा विषय के रूप में पढ़ाने के लिए अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के सृजित पदों का विवरण निम्नवत् हैः

**प्राथमिक विद्यालय (1 से 8)**

| **भाषा** | **माध्यम** | | **विषय** | |
|---|---|---|---|---|
| | **स्वीकृत** | **भरे हुए** | **स्वीकृत** | **भरे हुए** |
| उर्दू | 23,201 | 20,708 | सामान्य | सामान्य |
| मराठी | 6,657 | 5,926 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| तेलुगु | 590 | 487 | | |
| तमिल | 815 | 618 | | |

**माध्यमिक विद्यालय (9 से 10)**

| भाषा | माध्यम | | विषय | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत | भरे हुए | स्वीकृत | भरे हुए |
| उर्दू | 4,858 | 4,343 | – | – |
| मराठी | 2,970 | 2,601 | – | – |
| तेलुगु | 186 | 150 | – | – |
| तमिल | 59 | 52 | – | – |

ख. सूचना दी गई कि अल्पसंख्यक भाषाओं को माध्यम एवं एक विषय के रूप में पढ़ाये जाने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिसका विवरण निम्नवत है:

| प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या | अल्पसंख्यक भाषा | |
|---|---|---|
| | माध्यम के रूप में | विषय के रूप में |
| 38 | उर्दू | उर्दू |
| 61 | मराठी | मराठी |
| 01 | तेलुगु | तेलुगु |
| 17 | तमिल | तमिल |

ग. सूचित किया गया है कि राज्य में अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु कोई अन्तर्राज्यीय सहयोग/व्यवस्था नहीं है।

## 29.14 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. सूचना दी गई है कि अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षणिक सत्र के आरंभ में ही उपलबध कराई जाती है। यह भी सूचित किया गया है कि पाठ्य–पुस्तकें सरकारी/सहायता–प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को निःशुल्क तथा अन्य छात्रों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

ख. यह भी बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकों एवं अन्य शिक्षण सामग्री का प्रापण करने के लिए कर्नाटक सरकार के लोक शिक्षण विभाग के अधीन कर्नाटक राज्य पाठ्य–पुस्तक सोसाइटी एक एजेंसी है।

## 29.15 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

सूचित किया गया है कि राज्य के अधिकतर विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषाई वरीयता दर्ज करने के लिए 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव किया जा रहा है।

## 29.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## 29.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

सूचना दी गई है कि राज्य के भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण एवं समीक्षा हेतु राज्य/जनपद स्तर पर कोई तंत्र/समिति गठित नहीं है। हालांकि जिला स्तर पर डी०डी०पी०आई० (प्रशासन), डी०डी०पी०आई० (विकास) को शिक्षा विभाग के लिए ही नामनिर्दिष्ट किए जाने की सूचना दी गई है।

## 29.18 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

सरकार ने कोई प्रासंगिक सूचना नहीं प्रदान की है।

## 29.19 निष्कर्ष/संस्तुतियां

आयुक्त ने सहायक आयुक्त (प्रभारी पश्चिमी अंचल) के साथ बंगलुरू, मैसूर, बेलगाम, हुबली तथा धारवाड़ का दौरा किया और राज्य के अधिकारियों एवं विभिन्न भाषाई अल्पसंख्यक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 23–28 सितम्बर 2014 तक बात की। 23 सितम्बर, 2014 को उन्होंने अन्य अधिकारियों के साथ–साथ मुख्य सचिव, सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आयुक्त, जन शिक्षा से मुलाकात की और राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। आयुक्त ने माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज विभाग तथा तत्कालीन मंत्री, अवसंरचना विकास एवं सूचना से भी मुलाकात की तथा उन्हें भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के कार्यकलापों की संक्षिप्त जानकारी दी।

हांलाकि अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधाएं सरकार द्वारा भली–भांति प्रदान की गई हैं, फिर भी प्रशासन में अल्पसंख्यक भाषाओं के इस्तेमाल पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। यह बात जानकारी में लाई गई है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में महत्वपूर्ण आदेशों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों तथा नियमों इत्यादि के प्रकाशन से संबंधित शासनादेश सं०पी०ए०आर० 14 एल०एम०एल० दिनांक 31.03.2014 वापिस ले लिया गया है जिससे प्रशासन में अल्पसंख्यक भाषाओं के इस्तेमाल में क्रमबद्ध रूप से उपेक्षा हुई है। यह भी बात जानकारी में आई है कि सीमावर्ती जिलों जैसे कि बेलगाम, बीदर, बीजापुर, गुलबर्गा में सार्वजनिक लेन–देन वाले कार्यालयों में सूचनापट्ट, साइनबोर्ड तथा स्थानीय क्षेत्र में चलने वाली बसों के गंतव्य स्थान के बोर्ड में अल्पसंख्यक भाषाओं का कन्नड़ के साथ इस्तेमाल नहीं किया गया है।

पदाधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान आयुक्त ने अन्य बातों के साथ–साथ अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर के प्रयोग की संभावना का पता लगाने तथा सार्वजनिक लेन–देन वाले कार्यालयों के सूचनापट्ट और स्थानीय स्तर पर चलने वाली बसों में गंतव्य स्थानों के बोर्ड में अल्पसंख्यक भाषा का इस्तेमाल उन क्षेत्रों में सुनिश्चित करने का सुझाव दिया जहां भाषाई अल्पसंख्यकों की आबादी स्थानीय जनसंख्या के 15 प्रतिशत से अधिक हो ताकि उनकी आकांक्षों को पूरा किया जा सके। निष्कर्ष एवं सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

क. 51वीं रिपोर्ट की प्रश्नावली के उत्तर में बेलगाम नगरपालिका में मराठी भाषाभाषियों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है जबकि 25.09.14 को बेलगाम में जिला अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान सूचित किया गया था कि बेलगाम नगरपालिका में मराठी भाषाभाषियों की आबादी 15 प्रतिशत से अधिक है। नगरपालिका आयुक्त ने सूचित किया कि उनके कार्यालय में साइनबोर्ड/नामपट्ट कन्नड़ के साथ–साथ मराठी में प्रदर्शित किए जाते हैं।

ख. इसके अतिरिक्त, बेलगाम जिला/नगरपालिका प्रशासन से आग्रह है कि उन स्थानों में जहां

भाषाई अल्पसंख्यकों की आबादी वहां की स्थानीय आबादी की 15 प्रतिशत हो, सार्वजनिक लेन–देन वाले कार्यलयों के सूचनापट्ट/साइनबोर्ड तथा स्थानीय स्तर पर चलने वाली बसों के गतव्य स्थानों के बोर्ड में कन्नड़ के साथ मराठी का भी इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। यह भी अनुरोध है कि नगर परिषद कृषि उत्पाद विपणन समितियों की कार्यवाही के नोटिस/कार्यवृत्त, ए०पी०एस०सी०; राशनकार्ड, मतदाता सूची, बिजली बिल, भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं के साथ पत्राकार कन्नड के साथ–साथ मराठी में भी हो।

ग. सूचना दी गई है कि राज्य की सेवा की भर्ती में अधिवासीय प्रतिबंध लागू है। अतः राज्य सरकार को राज्य की सेवा में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध न लगाने की सलाह दी जाती हैं ताकि राज्य में रोजगाार के मामलों में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सके।

घ. अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन तथा विकास के लिए सरकार की पहल तथा अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए स्थापित अकादमियों के ब्यौरे के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। तथापि, 50वीं रिपोर्ट के अनुसार उर्दू अकादमी 2006 में स्थापित की गई थी। अतः सरकार से आग्रह किया जाता है कि वे इस संबंध में वास्तविक आंकड़े प्रदान करें।

ड. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने तथा अल्पसंख्यक दर्जा का प्रमाण–पत्र देने के मामले में राज्य सरकार को समानता का सिद्धांत सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। जन शिक्षा आयुक्त ने सूचित किया है कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है और इसलिए इस संबंध में अनुच्छेद 29 एवं 30 के तहत संवैधानिक उपबंधों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जा रहा है।

च. राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए नोडल अधिकारी के संबंध में 51वीं रिपोर्ट से सबंधित प्रश्नावली के उत्तर में कोई सूचना नहीं दी गई है। तथापि, निदेशक, उर्दू और अन्य अल्पसंख्यक भाषा द्वारा संकलित उत्तर शैक्षणिक सुविधाओं को छोड़कर अन्य सुविधाएं जैसे कि संवर्धन संबंधी कार्यकलाप प्राप्त अभ्यावेदनों के ब्यौरे इत्यादि के संबंध में अपूर्ण हैं। अतः मुख्य सचिव से आग्रह किया जाता है कि वे राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए नोडल अधिकारी को नामित करें तथा प्रश्नावली का विस्तृत उत्तर सुनिश्चित करें ताकि आयुक्त राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कर सकें।

छ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति स्थापित करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियां भी गठित की जाएं जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

29.20 कर्नाटक राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि, राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन किया जा सके।

# महाराष्ट्र

## भाषाई रूपरेखा

30.1 जनगणना–2001 के अनुसार महाराष्ट्र की जनसंख्या 9,68,78,627 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् हैः

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| मराठी | 6,66,43,942 | 68.79 |
| हिंदी | 1,06,81,641 | 11.03 |
| उर्दू | 68,95,501 | 7.12 |
| गुजराती | 23,15,409 | 2.39 |

30.2 राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ऐसा कोई जिला नहीं है जहां की जनसंख्या के 60 प्रतिशत या इससे अधिक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक भाषा बोली जाती है। तथापि, जिले की जनसंख्या के 15 प्रतिशत अथवा उससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली अल्पसंख्यक भाषाओं की तहसील–वार/कस्बावार प्रतिशतता निम्नलिखित हैः

| जिला | तहसील/एम०कार्प०/एम० सी०आई/सी०टी०/सी०बी० | भाषा | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| नंदूरबार | तहसील–अक्कलकुवा | भीली/भिलोडी | 80.43 |
| | तहसील–अकरानी | भीली/भिलोडी | 89.06 |
| | | पावरी | 30.15 |
| | तहसील–नंदूरबार | भीली/भिलोडी | 32.37 |
| | | खानदेशी | 24.78 |
| | | अहिरानी | 24.76 |
| | तहसील–नवापुर | भीली/भिलोडी | 71.66 |
| | | मावची | 31.11 |
| | तहसील–शहादे | भीली/भिलोडी | 45.23 |
| | | खानदेशी | 21.96 |
| | | अहिरानी | 21.91 |
| | तहसील–तलोडे | भीली/भिलोडी | 68.18 |
| | तहसील–नंदूरबार (एम०सी०आई०) | उर्दू | 15.02 |
| | | खानदेशी | 20.18 |
| | | अहिरानी | 20.16 |
| | नवापुर (एम०सी०आई०) | गुजराती | 18.68 |
| | शहादे (एम०सी०आई०) | उर्दू | 27.16 |
| | तलोडे (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 15.59 |
| | | भीली/भिलोडी | 22.34 |
| | | खानदेशी | 24.41 |
| | | अहिरानी | 24.41 |
| | पुरूषोत्तम नगर (सी०टी०) | गुजराती | 36.39 |
| | | गुजरो/गुजराव | 35.09 |
| | | भीली/भिलोडी | 15.97 |
| | | खानदेशी | 22.37 |
| | | अहिरानी | 22.37 |
| धूले | तहसील–धूले | खानदेशी | 36.77 |
| | | अहिरानी | 36.76 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | तहसील–सकरी | कोंकणी | 23.32 |
| | | भीली / भिलोडी | 22.23 |
| | | खानदेशी | 35.94 |
| | | अहिरानी | 35.94 |
| | तहसील–शिरपुर | हिन्दी | 15.21 |
| | | भीली / भिलोडी | 23.09 |
| | | खानदेशी | 35.32 |
| | | अहिरानी | 35.17 |
| | तहसील–सिंदखेड़े | खानदेशी | 63.31 |
| | | अहिरानी | 63.31 |
| | धूले (एम०सी०आई०) | उर्दू | 23.91 |
| | डोडाइचा–वारवडे (एम०सी०आई०) | खानदेशी | 38.20 |
| | | अहिरानी | 38.20 |
| | शिरपुर–वारवडे (एम०सी०आई०) | खानदेशी | 28.12 |
| | | अहिरानी | 28.12 |
| जलगांव | तहसील–अमलनेर | खानदेशी | 46.91 |
| | तहसील–अमलनेर | अहिरानी | 46.86 |
| | तहसील–भडगांव | खानदेशी | 45.29 |
| | | अहिरानी | 45.27 |
| | तहसील–चालीसगांव | खानदेशी | 16.84 |
| | | अहिरानी | 16.84 |
| | तहसील–चोपड़ा | खानदेशी | 37.62 |
| | | अहिरानी | 36.58 |
| | तहसील–धरांगांव | खानदेशी | 34.43 |
| | | अहिरानी | 33.62 |
| | तहसील–एरंडोल | खानदेशी | 23.52 |
| | | अहिरानी | 23.49 |
| | तहसील–पैचोर | खानदेशी | 17.28 |
| | | अहिरानी | 17.18 |
| | तहसील– पैरोला | खानदेशी | 52.37 |
| | | अहिरानी | 52.37 |
| | अमलनेर (एम०सी०आई०) | खानदेशी | 17.12 |
| | | अहिरानी | 17.12 |
| | भुसावल (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 16.47 |
| | | उर्दू | 15.51 |
| | चोपडा (एम०सी०आई०) | उर्दू | 23.82 |
| | धरांगांव (एम०सी०आई०) | उर्दू | 21.44 |
| | इंरडोल (एम०सी०) | उर्दू | 18.05 |
| | | खानदेशी | 21.85 |
| | | अहिरानी | 21.70 |
| | फैजपुर (एम०सी०आई०) | उर्दू | 30.96 |
| | पैरोला (एम०सी०आई०) | खानदेशी | 28.12 |
| | | अहिरानी | 28.11 |
| | रावेर (एम०सी०आई०) | उर्दू | 34.40 |
| | सावडा (एम०सी०आई०) | उर्दू | 25.51 |
| | यवल (एम०सी०आई०) | उर्दू | 35.77 |
| | कंडारी (सी०टी०) | हिन्दी | 18.41 |
| बुल्डाना | तहसील–मल्कापुर | उर्दू | 16.61 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | बुल्डाना (एम०सी०आई०) | उर्दू | 19.29 |
| | चिखली (एम०सी०आई०) | उर्दू | 19.18 |
| | दियुलगांव राजा (एम०सी०आई०) | उर्दू | 18.44 |
| | जलगांव (जमोड) (एम०सी०आई०) | उर्दू | 27.95 |
| | खमगांव (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 18.54 |
| | | उर्दू | 19.80 |
| | लोनर (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 18.83 |
| | | उर्दू | 24.09 |
| | मल्कापुर (एम०सी०आई०) | उर्दू | 41.00 |
| | मेहकर (एम०सी०आई०) | उर्दू | 24.84 |
| | नंदूरा (एम०सी०आई०) | उर्दू | 26.64 |
| | शिगांव (एम०सी०आई०) | उर्दू | 20.39 |
| अकोला | तहसील–अकोला | हिन्दी | 28.55 |
| | | उर्दू | 42.81 |
| | तहसील–अकोट | उर्दू | 16.04 |
| | तहसील–बालापुर | उर्दू | 23.92 |
| | तहसील–बरशिताकली | हिन्दी | 15.79 |
| | अकोट (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 15.13 |
| | | उर्दू | 25.25 |
| | अकोला(एम०सी०आई०) | उर्दू | 33.65 |
| | बालापुर(एम०सी०आई०) | उर्दू | 69.20 |
| | मुरतीजपुर (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 16.01 |
| | | उर्दू | 22.26 |
| | पातुर (एम०सी०आई०) | उर्दू | 53.00 |
| | तेल्हारा (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 17.47 |
| वाशिम | तहसील–करांजा | हिन्दी | 32.15 |
| | | उर्दू | 36.22 |
| | तहसील–मंगरूलपीर | हिन्दी | 15.09 |
| | तहसील–मनोरा | हिन्दी | 39.09 |
| | | बंजारी | 34.56 |
| | करंजा (एम०सी०आई०) | उर्दू | 37.34 |
| | मंगरूलपीर (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 17.47 |
| | | उर्दू | 37.08 |
| | रिसोड (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 15.35 |
| | | उर्दू | 17.10 |
| | वाशिम (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 19.01 |
| | | उर्दू | 15.09 |
| अमरावती | तहसील–अचलपुर | उर्दू | 17.61 |
| | तहसील– अमरावती | उर्दू | 17.16 |
| | तहसील–चिखलदारा | कोरकु | 66.96 |
| | तहसील–धरनी | कोरकु | 64.79 |
| | अमरावती(एम०सी०) | उर्दू | 18.75 |
| | अचलपुर (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 18.58 |
| | | उर्दू | 32.00 |
| | अंजानगांव (एम०सी०आई०) | उर्दू | 32.56 |
| | चंदुरबाजार(एम०सी०आई०) | हिन्दी | 16.15 |
| | | उर्दू | 28.85 |
| | चिखलदारा (एम०सी०आई०) | कोरकु | 20.82 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | दरियापुर बनोसा (एम०सी०आई०) | उर्दू | 22.96 |
| | दत्तापुर धमनगांव (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 24.00 |
| | मोर्सी (एम०सी०आई०) | उर्दू | 16.69 |
| | शेंदुर्जाना (एम०सी०आई०) | उर्दू | 17.44 |
| वर्धा | पुलगांव (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 21.98 |
| | | हिन्दी | 19.49 |
| | वर्धा (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 16.93 |
| नागपुर | तहसील–हिग्ना | हिन्दी | 19.67 |
| | तहसील–कंपटी | हिन्दी | 18.40 |
| | तहसील– नागपुर (ग्रामीण) | हिन्दी | 15.71 |
| | तहसील– नागपुर (शहरी) | हिन्दी | 23.73 |
| | तहसील–परसेवनी | हिन्दी | 20.88 |
| | तहसील–रामटेक | हिन्दी | 21.23 |
| | | गोंडी | 17.63 |
| | तहसील–सावनेर | हिन्दी | 22.31 |
| | | हिन्दी | 19.58 |
| | नागपुर (एम०सी०) | हिन्दी | 23.73 |
| | कंपटी (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 21.25 |
| | | उर्दू | 34.47 |
| | केटोल (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 15.16 |
| | खापा (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 21.90 |
| | मोवाड (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 15.30 |
| | रामटेक (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 18.41 |
| | सावनेर (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 29.69 |
| | चिचोली (सी०टी०) | हिन्दी | 17.48 |
| | डिग्डोह (सी०टी०) | हिन्दी | 32.73 |
| | कंपटी (सी०टी०) | हिन्दी | 56.33 |
| | | हिन्दी | 46.64 |
| | कांडरी (सी०टी०) | हिन्दी | 27.82 |
| | | हिन्दी | 36.46 |
| | कंहन (पिपरी) (सी०टी०) | हिन्दी | 17.43 |
| | महाडुला (सी०टी०) | हिन्दी | 15.93 |
| | मंसर (सी०टी०) | हिन्दी | 28.95 |
| | निल्डोह (सी०टी०) | हिन्दी | 32.64 |
| | सिल्लेवाडा (सी०टी०) | हिन्दी | 54.33 |
| | सोनगांव (निपनी) (सी०टी०) | हिन्दी | 29.30 |
| | | हिन्दी | 17.52 |
| | टेकड़ी (सी०टी०) | हिन्दी | 66.93 |
| | टोटंलडोह (सी०टी०) | हिन्दी | 47.77 |
| | वाडी (सी०टी०) | हिन्दी | 18.86 |
| | वालनी (सी०टी०) | हिन्दी | 53.97 |
| | वनडोंगरी (सी०टी०) | हिन्दी | 35.16 |
| | येरखेडा (सी०टी०) | हिन्दी | 20.55 |
| भंडारा | तहसील–तुम्सर | हिन्दी | 16.66 |
| | भंडारा (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 16.73 |
| | देवहाडी (सी०टी०) | हिन्दी | 44.09 |
| | | लोधी | 26.10 |
| गोंडिया | तहसील–अमगांव | हिन्दी | 23.20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | तहसील–देवरी | हिन्दी | 23.77 |
| | | छत्तीसगढ़ी | 17.32 |
| | | गोंडी | 16.81 |
| | तहसील–गोंडिया | हिन्दी | 37.06 |
| | तहसील–गोरेगांव | हिन्दी | 29.39 |
| | | पावरी/पौवरी | 25.43 |
| | तहसील–सलेकासा | हिन्दी | 42.23 |
| | | लोधी | 20.38 |
| | तहसील–तिरोड़ा | हिन्दी | 28.09 |
| | | पावरी/पौवरी | 20.11 |
| | गोंडिया (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 36.20 |
| | तिरोड़ा (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 30.25 |
| गढ़चिरोली | तहसील–अहेरी | तेलुगु | 24.69 |
| | | गोंडी | 38.17 |
| | तहसील–भामरागाड | गोंडी | 67.67 |
| | | मरिया | 51.30 |
| | तहसील–धनौरा | गोंडी | 52.35 |
| | तहसील–एटापल्ली | गोंडी | 69.61 |
| | | मरिया | 61.47 |
| | तहसील–कोर्ची | हिन्दी | 25.57 |
| | | छत्तीसगढ़ी | 25.00 |
| | | गोंडी | 50.57 |
| | तहसील–कुरखेडा | गोंडी | 22.57 |
| | तहसील–मलचेरा | बंगाली | 45.90 |
| | | गोंडी | 27.99 |
| | तहसील–सिरौंचा | तेलुगु | 78.76 |
| चंदूपुर | तहसील–बल्लारपुर | हिन्दी | 16.63 |
| | तहसील–चंद्रपुर | हिन्दी | 17.43 |
| | बल्लारपुर (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 29.35 |
| | चंद्रपुर (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 19.39 |
| | चंदूर (सी०टी०) | हिन्दी | 15.23 |
| | दुर्गापुर (सी०टी०) | हिन्दी | 16.50 |
| | धुगुस (सी०टी०) | हिन्दी | 19.55 |
| | | तेलुगु | 19.90 |
| | नाकोडा (सी०टी०) | हिन्दी | 20.89 |
| | | तेलुगु | 25.19 |
| | सस्ती (सी०टी०) | तेलुगु | 35.45 |
| | शिवाजीनगर (सी०टी०) | हिन्दी | 50.81 |
| यवतमल | तहसील–एमी | हिन्दी | 37.46 |
| | | बंजारी | 28.81 |
| | तहसील–धरवा | हिन्दी | 29.41 |
| | | बंजारी | 24.16 |
| | तहसील–डिगरास | हिन्दी | 37.72 |
| | | बंजारी | 31.12 |
| | तहसील–घटंजी | गोंडी | 16.77 |
| | तहसील–महगांव | हिन्दी | 32.58 |
| | | बंजारी | 28.17 |
| | तहसील–नेर | हिन्दी | 21.15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | बंजारी | 16.41 |
| | तहसील—पुसद | हिन्दी | 31.64 |
| | | बंजारी | 26.19 |
| | तहसील—उमरखेड | हिन्दी | 18.66 |
| | तहसील—यवतमल | हिन्दी | 17.62 |
| | तहसील—जरी—जामनी | तेलुगु | 16.00 |
| | धरवा (एम०सी०आई०) | उर्दू | 35.73 |
| | डिगरास (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 15.40 |
| | | उर्दू | 29.59 |
| | पंधारकौडा (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 15.52 |
| | पुसड (एम०सी०आई०) | उर्दू | 25.40 |
| | उमरखेड (एम०सी०आई०) | उर्दू | 31.59 |
| | यवतमल (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 19.78 |
| | राजौर (सी०टी०) | हिन्दी | 35.73 |
| नांदेड | तहसील—किन्वात | हिन्दी | 25.44 |
| | | बंजारी | 19.28 |
| | तहसील—महूर | हिन्दी | 39.50 |
| | | बंजारी | 34.13 |
| | तहसील—नांदेड | उर्दू | 23.04 |
| | नांदेड—वाधला (एम०सी०) | उर्दू | 29.13 |
| | भिलोली (एम०सी०आई०) | उर्दू | 30.53 |
| | डेग्लुर (एम०सी०आई०) | उर्दू | 25.76 |
| | धर्माबाद (एम०सी०आई०) | तेलुगु | 21.40 |
| | | उर्दू | 17.49 |
| | हडगांव (एम०सी०आई०) | उर्दू | 17.57 |
| | कंधार (एम०सी०आई०) | उर्दू | 32.21 |
| | किन्वात (एम०सी०आई०) | तेलुगु | 20.54 |
| | | उर्दू | 27.41 |
| | कुंदलवाडी (एम०सी०आई०) | तेलुगु | 25.31 |
| | मुडखेड (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 17.12 |
| | | उर्दू | 24.24 |
| | पेठउमरी (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 19.09 |
| | वाजेगांव (सी०टी०) | उर्दू | 55.65 |
| हिंगोली | बासमढ (एम०सी०आई०) | उर्दू | 26.55 |
| | हिंगोली (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 23.30 |
| | | उर्दू | 21.40 |
| | क्लामनुरी (एम०सी०आई०) | उर्दू | 41.43 |
| | बाधुलगांव (सी०टी०) | हिन्दी | 15.32 |
| परभानी | तहसील—परभानी | उर्दू | 21.19 |
| | तहसील—पथरी | उर्दू | 16.72 |
| | गंगाखेड (एम०सी०आई०) | उर्दू | 18.39 |
| | जिंतुर (एम०सी०आई०) | उर्दू | 40.49 |
| | मनवाठ (एम०सी०आई०) | उर्दू | 19.36 |
| | प्रभानी (एम०सी०आई०) | उर्दू | 32.98 |
| | पहरी (एम०सी०आई०) | उर्दू | 47.66 |
| | पुर्णा (एम०सी०आई०) | उर्दू | 20.59 |
| | सैलु (एम०सी०आई०) | उर्दू | 26.78 |
| | सोनपेठ (एम०सी०आई०) | उर्दू | 24.54 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| जलना | तहसील–जालना | हिन्दी | 16.37 |
| | अमबड (एम०सी०आई०) | उर्दू | 20.23 |
| | भोकरदन | उर्दू | 40.57 |
| | जालना (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 20.08 |
| | | उर्दू | 17.04 |
| | पार्टर (एम०सी०आई०) | उर्दू | 30.59 |
| औरंगाबाद | तहसील– औरंगाबाद | उर्दू | 20.51 |
| | तहसील–कन्नड | हिन्दी | 17.62 |
| | तहसील–खुल्दाबाद | उर्दू | 17.94 |
| | तहसील–सिलोड | उर्दू | 19.39 |
| | तहसील–सोएगांव | हिन्दी | 27.72 |
| | | 1 बंजारी | 16.37 |
| | औरंगाबाद (एम०सी०) | उर्दू | 23.87 |
| | गंगापुर (एम०सी०आई०) | उर्दू | 26.51 |
| | कन्नड (एम०सी०आई०) | उर्दू | 34.78 |
| | खुल्दाबाद (एम०सी०आई०) | उर्दू | 53.43 |
| | पैठार (एम०सी०आई०) | उर्दू | 19.98 |
| | सिलोड (एम०सी०आई०) | उर्दू | 36.69 |
| | वैजपुर (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 15.28 |
| | | उर्दू | 19.05 |
| | औरंगाबाद (सी०बी०) | हिन्दी | 31.68 |
| | | उर्दू | 19.34 |
| | पंधारपुर (सी०टी०) | हिन्दी | 20.43 |
| नाशिक | तहसील–बागलन | खानदेशी | 49.18 |
| | | अहिरानी | 49.16 |
| | तहसील–देवला | खानदेशी | 39.86 |
| | | अहिरानी | 39.45 |
| | तहसील–कलवान | कोंकनी | 35.78 |
| | तहसील–मालेगांव | उर्दू | 41.61 |
| | | खानदेशी | 18.42 |
| | | अहिरानी | 18.35 |
| | इजतपुरी (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 19.01 |
| | मालेगांव (एम०सी०आई०) | उर्दू | 75.05 |
| | मनमाड (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 15.09 |
| | सतना (एम०सी०आई०) | खानदेशी | 24.08 |
| | सतना (एम०सी०आई०) | अहिरानी | 24.08 |
| | येवला (एम०सी०आई०) | उर्दू | 27.03 |
| | देवलाली (सी०बी०) | हिन्दी | 23.59 |
| | दयाने (सी०टी०) | उर्दू | 55.43 |
| | छोटी बुद्रक (सी०टी०) | हिन्दी | 15.16 |
| | लसलगांव (सी०टी०) | हिन्दी | 16.65 |
| ठाणे | तहसील–भिवंडी | हिन्दी | 17.23 |
| | | उर्दू | 33.93 |
| | तहसील–दहानु | भीली / भिलोडी | 42.19 |
| | | वरली | 40.78 |
| | तहसील–कल्याण | हिन्दी | 15.31 |
| | तहसील–तलसारी | भीली / भिलोडी | 72.55 |
| | | वरली | 68.51 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | तहसील– ठाणे | हिन्दी | 23.43 |
| | तहसील–उल्हासनगर | हिन्दी | 19.63 |
| | | हिन्दी | 15.74 |
| | | सिंधी | 34.47 |
| | तहसील–वसाई | हिन्दी | 18.15 |
| | कल्याण डोम्बिवली (एम०सी०) | हिन्दी | 15.89 |
| | नवी मुंबई (एम०सी०) | हिन्दी | 23.12 |
| | ठाणे (एम०सी०) | हिन्दी | 19.28 |
| | उल्हासनगर (एम०सी०) | हिन्दी | 19.63 |
| | | हिन्दी | 15.74 |
| | | सिंधी | 34.47 |
| | अंबरनाथ (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 16.91 |
| | भिवंडी (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 20.92 |
| | | उर्दू | 48.89 |
| | दहानु (एम०सी०आई०) | गुजराती | 34.43 |
| | | हिन्दी | 19.80 |
| | मीरा–भयान्डर (एम०सी०आई०) | गुजराती | 18.13 |
| | | हिन्दी | 33.90 |
| | नलसोपारा (एम०सी०आई०) | गुजराती | 17.82 |
| | | हिन्दी | 22.92 |
| | नवधर–मानिकपुर (एम०सी०आई०) | गुजराती | 23.78 |
| | | हिन्दी | 18.24 |
| | पालधर (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 26.11 |
| | | हिन्दी | 20.60 |
| | विरार (एम०सी०आई०) | गुजराती | 16.16 |
| | | हिन्दी | 25.31 |
| | बोइसर (सी०टी०) | हिन्दी | 45.93 |
| | चिंचानी (सी०टी०) | गुजराती | 26.80 |
| | गोखीवारे (सी०टी०) | हिन्दी | 41.26 |
| | करिवली (सी०टी०) | हिन्दी | 41.46 |
| | | उर्दू | 20.00 |
| | कटाई (सी०टी०) | हिन्दी | 46.82 |
| | कटकार (सी०टी०) | हिन्दी | 15.62 |
| | खोनी (सी०टी०) | हिन्दी | 16.82 |
| | | उर्दू | 62.88 |
| | कोन (सी०टी०) | हिन्दी | 17.67 |
| | मैनोर (सी०टी०) | हिन्दी | 18.23 |
| | | उर्दू | 19.83 |
| | मुरबाद (सी०टी०) | हिन्दी | 19.10 |
| | पास्थल (सी०टी०) | हिन्दी | 22.70 |
| | शेलर (सी०टी०) | हिन्दी | 44.85 |
| | तारापुर (सी०टी०) | गुजराती | 15.68 |
| | तारापुर (सी०टी०) | उर्दू | 26.78 |
| | उम्बरपाड़ा नांदेड (सी०टी ) | हिन्दी | 21.15 |
| | वाशिंद (सी०टी०) | हिन्दी | 22.85 |
| | वालिंव (सी०टी०) | हिन्दी | 37.31 |
| (मुंबई उपनगरीय) | वृहत्त मुंबई (एम०सी०) (पार्ट) | गुजराती | 31.21 |
| | | हिन्दी | 57.78 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | उर्दू | 32.21 |
| मुंबई | वृहत्त मुंबई (एम०सी०) | गुजराती | 16.60 |
| | | हिन्दी | 29.89 |
| | | उर्दू | 18.38 |
| | वृहत्त मुंबई (एम०सी०) (पार्ट) | हिन्दी | 19.57 |
| | | उर्दू | 15.36 |
| रायगढ़ | तहसील—म्हासला | उर्दू | 19.61 |
| | तहसील—मुरूड | उर्दू | 18.94 |
| | तहसील—श्रीवर्धन | उर्दू | 19.29 |
| | खोपली (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 17.85 |
| | मैथरन (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 17.75 |
| | मुरूड (एम०सी०आई०) | उर्दू | 28.39 |
| | रोहा अष्टमी (एम०सी०आई०) | उर्दू | 16.96 |
| | श्रीवर्धन(एम०सी०आई०) | उर्दू | 23.30 |
| | उरन (एम०सी०आई०) | उर्दू | 15.25 |
| | गोरेगांव (सी०टी०) | उर्दू | 26.65 |
| | कालुन्द्रे (सी०टी०) | हिन्दी | 25.17 |
| | केगांव (सी०टी०) | हिन्दी | 25.36 |
| | म्हासला (सी०टी०) | उर्दू | 48.05 |
| | मोहपाड़ा उर्फ वासम्बे (सी०टी ) | हिन्दी | 16.04 |
| | नगोयना (सी०टी०) | उर्दू | 22.64 |
| | नवी मुबई<br>पंवेल, रायगढ(सी०टी ) | हिन्दी | 20.93 |
| | तलोजे पंचनाड (सी०टी ) | उर्दू | 58.87 |
| पुणे | जुन्नार (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 27.79 |
| | लोनावाला (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 21.29 |
| | शिरूर (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 20.40 |
| | देदू रोड (सी०बी) | हिन्दी | 20.78 |
| | | हिन्दी | 18.23 |
| | खाडकले (सी०टी०) | हिन्दी | 16.72 |
| | किर्की (सी०बी ) | हिन्दी | 25.74 |
| | | हिन्दी | 22.72 |
| | कुसगांव बुद्रक (सी०टी०) | हिन्दी | 19.34 |
| | मंचर (सी०टी०) | उर्दू | 17.73 |
| | पुणे (सी०बी ) | हिन्दी | 23.47 |
| अहमदनगर | संगमनेर (एम०सी०आई०) | उर्दू | 20.49 |
| | अहमदनगर (सी०बी०) | हिन्दी | 32.99 |
| | भींगर (सी०टी० ) | हिन्दी | 15.56 |
| | | तेलुगु | 18.14 |
| | | वडारी | 17.11 |
| | नागपुर (सी०टी०) | हिन्दी | 20.02 |
| बीड | तहसील—बीड | उर्दू | 17.50 |
| | अम्बेजोगाई (एम०सी०आई०) | उर्दू | 22.43 |
| | बीड (एम०सी०आई०) | उर्दू | 34.75 |
| | धरूर (एम०सी०आई०) | उर्दू | 20.43 |
| | गियोराई (एम०सी०आई०) | उर्दू | 16.88 |
| | मंजिलेगांव (एम०सी०आई०) | उर्दू | 25.56 |
| | पार्ली (एम०सी०आई०) | उर्दू | 21.83 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| लातूर | अहमदपुर (एम०सी०आई०) | उर्दू | 19.32 |
| | औसा (एम०सी०आई०) | उर्दू | 33.68 |
| | उदगिर (एम०सी०आई०) | उर्दू | 30.15 |
| उस्मानाबाद | मुरूम (एम०सी०आई०) | कन्नड | 17.81 |
| | नलदुर्ग (एम०सी०आई०) | उर्दू | 37.40 |
| | उस्मानाबाद (एम०सी०आई०) | उर्दू | 25.41 |
| | परांदा (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 18.17 |
| | | उर्दू | 26.18 |
| सोलापुर | तहसील–अक्कलकोट | कन्नड | 55.97 |
| | तहसील–सोलापुर नॉर्थ | तेलुगु | 18.50 |
| | तहसील–सोलापुर साऊथ | कन्नड | 47.06 |
| | सोलापुर (एम०सी०) | तेलुगु | 20.20 |
| | | उर्दू | 15.28 |
| | अक्कलकोट (एम०सी०आई०) | कन्नड | 31.32 |
| | | उर्दू | 20.89 |
| | दुधानी (एम०सी०आई०) | कन्नड | 74.75 |
| | मैदार्गी (एम०सी०आई०) | कन्नड | 64.21 |
| | | उर्दू | 22.28 |
| सतारा | महाबालेश्वर (एम०सी०आई०) | उर्दू | 26.31 |
| | पंचगनी (एम०सी०आई०) | हिन्दी | 16.35 |
| रत्नागिरी | खेड (एम०सी०आई०) | उर्दू | 15.98 |
| | राजापुर (एम०सी०आई०) | उर्दू | 24.86 |
| | रत्नागिरी (एम०सी०आई० | उर्दू | 18.69 |
| | डपोली कैम्प (सी०टी) | उर्दू | 21.62 |
| सिंधुदुर्ग | तहसील–सांवतवाडी | कोंकनी | 15.40 |
| | मलवाण (एम०सी०आई०) | कोंकनी | 15.33 |
| | सांवतवाडी (एम०सी०आई०) | कोंकनी | 15.10 |
| | वेनगुर्ला (एम०सी०आई०) | कोंकनी | 21.71 |
| | | मलवानी | 16.18 |
| कोल्हापुर | तहसील–गांधींगलाज | कन्नड | 17.29 |
| | गाधींगलाज (एम०सी०आई०) | कन्नड | 15.09 |
| | कुरूडवाड (एम०सी०आई०) | उर्दू | 15.68 |
| | अजरा (सी०टी०) | उर्दू | 40.64 |
| | गांधीनगर (सी०टी०) | सिंधी | 73.74 |
| सांग्ली | तहसील–जट | कन्नड | 34.08 |

30.3 **राज्य की राजभाषा** : राज्य की राजभाषा मराठी है।

**भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति**

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् हैः

30.4 **राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग**

क. बताया गया है कि महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, आदेशों तथा अधिसूचनाओं आदि का अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद और प्रकाशन संबंधी कोई व्यवस्था नहीं है।

ख. यह भी बताया गया है कि शिकायतों के निवारण संबंधी अभ्यावेदन, अल्पसंख्यक भाषाओं में प्राप्त करने तथा उनका उसी भाषा में जवाब देने के लिए कोई आदेश नहीं है।

## 30.5 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. सूचित किया गया है कि राज्य सेवा में भर्ती के लिए क्षेत्रीय/राजभाषा की जानकारी की पूर्वापेक्षा हेतु कोई विशेष नियम नहीं है। तथापि, राज्य की सेवा नियमावली के अनुसार राज्य सरकार में भर्ती के पश्चात दसवीं कक्षा में मराठा एवं हिन्दी भाषाओं में उत्तीर्ण न हुए कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा आयोजित मराठी एवं हिन्दी भाषाओं की निर्धारित परीक्षा में उत्तीर्ण होना होता है।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि राज्य की सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति नहीं हैं। बताया गया है कि महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग अंग्रेजी एवं मराठी में परीक्षा का संचालन करता है।

ग. बताया गया है कि राज्य की सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध के लागू होने के संबंध में कोई विशेष आदेश नहीं है किंतु आरक्षित पदों के लिए अधिवासीय प्रमाण–पत्र अनिवार्य है।

## 30.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. सूचना दी गई है कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 27.5.2013 के संकल्प के अनुसार मान्यता दी जाती है तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, मुम्बई–400032 के संयुक्त सचिव, राज्य में भाषाई अल्पंसख्यक शैक्षिक न्यास, सोसाइटी इत्यादि को मान्यता देने के लिए सक्षम प्रधिकारी हैं।

ख. बताया गया है कि 30 जून 2014 तक राज्य में 1,412 न्यासों/सोसाइटियों को भाषाई अल्पसंख्यक न्यासों/सोसाइटियों के रूप में मान्यता दी गई है। यह भी बताया गया है कि इन न्यासों/सोसाइटी द्वारा संचालित सभी शैक्षणिक संस्थाओं को अल्पसंख्यक दर्जा दिया जाता है।

ग. यह भी सूचित किया गया है कि 30 जून 2014 तक भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं की मान्यता हेतु कोई आवेदन लम्बित नहीं है।

## 30.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

क. बताया गया है कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान स्वीकृत करने के लिए कोई विशिष्ट नियम नहीं है। यह भी बताया गया है कि स्कूली शिक्षा तथा खेल–कूद विभाग द्वारा यथानिर्धारित शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान देने के लिए एक समान नीति है।

ख. जिन भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को राज्य द्वारा सहायता–अनुदान संस्वीकृत किए गए हैं, उनका विवरण निम्नवत् हैः

| भाषा | प्राथमिक स्तर | उच्च प्राथमिक स्तर | माध्यमिक स्तर | उच्च माध्यमिक स्तर |
|---|---|---|---|---|
| हिंदी | 934 | 813 | 373 | 133 |
| उर्दू | 3,295 | 2,593 | 893 | 315 |
| गुजराती | 180 | 170 | 88 | 22 |
| बंगाली | 54 | 44 | 1 | 1 |
| कन्नड़ | 284 | 162 | 46 | 14 |
| सिंधी | 12 | 16 | 10 | 6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| तमिल | 44 | 36 | 0 | 0 |
| तेलुगु | 62 | 53 | 8 | 0 |
| कुल | 4,865 | 3,887 | 1,419 | 491 |

## भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

### 30.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैं:

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| बंगाली | 10 | 4,035 | 19 |
| गुजराती | 91 | 20,760 | 412 |
| हिंदी | 439 | 2,83,880 | 2,159 |
| कन्नड़ | 140 | 19,397 | 310 |
| सिंधी | 4 | 977 | 18 |
| तमिल | 8 | 4,561 | 23 |
| तेलुगु | 11 | 3,249 | 27 |
| उर्दू | 1,445 | 6,85,214 | 5,446 |

ख. शिक्षण के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

### 30.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैं:

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| बंगाली | 44 | 2,121 | 245 |
| गुजराती | 180 | 25,403 | 2,516 |
| हिंदी | 964 | 1,95,086 | 13,691 |
| कन्नड़ | 165 | 12,750 | 1,250 |
| सिंधी | 17 | 1,947 | 178 |
| तमिल | 36 | 2,475 | 284 |
| तेलुगु | 54 | 1,763 | 239 |
| उर्दू | 2,905 | 3,38,293 | 28,310 |

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

### 30.10 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैं:

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| बंगाली | 1 | 77 | 8 |
| गुजराती | 19 | 20,520 | 117 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| हिंदी | 295 | 1,21,591 | 1,944 |
| कन्नड़ | 38 | 6,103 | 201 |
| सिंधी | 5 | 1,621 | 31 |
| तमिल | 1 | 98 | 5 |
| तेलुगु | 9 | 986 | 46 |
| उर्दू | 635 | 1,95,346 | 3,582 |

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## 30.11 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| हिंदी | 28 | 50,083 | 366 |
| कन्नड़ | 1 | 4,415 | 8 |
| सिंधी | 1 | 1,412 | 2 |
| उर्दू | 79 | 77,523 | 346 |

ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## 30.12 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएं निम्नवत् हैंः

प्रथम भाषा : मराठी
द्वितीय भाषा : हिंदी
तृतीय भाषा : अंग्रेजी

ख. राज्य सरकार ने त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शामिल कक्षा 8, 10 और 12 के छात्रों की संख्या के संबंध में सूचना नहीं दी है।

## 30.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षकों के स्वीकृत/भरे हुए पदों के संबंध में सूचना नहीं दी है।

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों की प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## 30.14 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकों को तैयार व प्रकाशित करने के लिए महाराष्ट्र ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन एंड करिकुलम रिसर्च उत्तरदायी है।

ख. यह भी सूचित किया गया है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत पाठ्य–पुस्तकें, निःशुल्क दी जाती हैं। यह भी बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा में पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण

सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षणिक सत्र की शुरूआत में उपलब्ध कराई जाती हैं।

## 30.15 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषाई वरीयता दर्ज करने हेतु भाषाई वरीयता पंजियों' के रख–रखाव के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## 30.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास की कोई योजना नहीं है। तथापि राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित भाषा अकादमी संबंधी विवरण निम्नवत् है :

| भाषा | अकादमी का नाम | स्थापना वर्ष | वर्ष 2013–14 के लिए बजट (लाख में) |
|---|---|---|---|
| उर्दू | उर्दू साहित्य अकादमी | 1975 | 20.00 |
| हिंदी | महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी | 1982 | 50.00 |
| गुजराती | महाराष्ट्र राज्य गुजराती साहित्य अकादमी | 1996 | 35.00 |
| सिंधी | सिंधी अकादमी | 1983 किन्तु वर्तमान में कार्यात्मक नहीं | 1.07 |

## 30.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. बताया गया है कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण एवं समीक्षा हेतु राज्य/जनपद स्तर पर, कोई तंत्र गठित नहीं है।

ख. बताया गया है कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित है लेकिन यह भाषाई अल्पसंख्यकों के मामले नहीं देखता है।

## 30.18 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

क. भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के संबंध में प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता की सुविधाओं के बारे में राज्य सरकार द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है।

ख. समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षापायों के संबंध में प्राप्त/लंबित शिकायतों के बारे में राज्य सरकार ने कोई सूचना नहीं दी है।

## 30.19 निष्कर्ष/संस्तुतियां

आयुक्त ने सहायक आयुक्त (प्रभारी पश्चिमी अंचल) के साथ मुंबई का दौरा किया तथा मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक विकास विभाग, प्राथमिक एवं स्कूली शिक्षा विभाग के अधिकारियों तथा विभिन्न भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के साथ 30 अप्रैल, 2015 को चर्चाएं की। आयुक्त ने महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक विकास एवं वक्फ से भी मुलाकात की तथा उन्हें राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों की स्थिति से अवगत कराया। आयुक्त ने राज्य सरकार द्वारा 8 अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने के लिए प्रदत्त सुविधाओं की सराहना करते हुए मुख्य सचिव से अनुरोध किया कि वे कर्नाटक–महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ बातचीत शुरू करें।

की गई बैठकों तथा चर्चाओं के दौरान आश्वासन दिया गया कि राज्य में महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, आदेशों इत्यादि का अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद व प्रकाशन के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। यह भी आश्वस्त किया गया कि सिंधी अकादमी जो संस्कृति विभाग के अधीन है, को पुनर्जीवित किया जाएगा तथा उर्दू अकादमी को इसके कार्यकलापों के लिए समुचित रूप से वित्तपोषित किया जाएगा। यह देखा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा प्रासंगिक अधिनियमों के तहत स्थापित न्यासों/सोसाइटी को मान्यता प्रदान की जाती है/अल्पसंख्यक दर्जा/प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। तदनुसार, न्यासों/सोसाइटियों द्वारा संचालित संस्थाओं को राज्य में अल्पसंख्यक संस्थाएं माना जाता है। राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों की जरूरत तथा महत्व एवं उनके द्वारा राज्य में संचालित संस्थाओं पर विशेष ध्यान देते हुए संबंधित व्यवस्था की समीक्षा करने की आवश्यकता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में आरक्षण तथा दाखिले के मुद्दे जानकारी में लाए गए हैं जिनपर राज्य सरकार द्वारा समुचित रूप से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित निष्कर्ष/अभ्युक्तियां की जाती हैंः–

क. जिन जिला/तहसील/तालुक/नगर–पालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक भाषाई अल्पसंख्यक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का प्रासंगिक अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

ख. शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति तथा उनके जवाब उन्हीं भाषाओं में दिया जाना सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ग. जनजातीय भाषाओं को पढ़ने की सुविधा के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जानकारी दिए जाने की आवश्यकता है ताकि उनका संरक्षण एवं संवर्धन सुनिश्चित हो सके।

घ. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों की संस्वीकृत/भरी हुई संख्या एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत विवरण प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

ङ. राज्य सरकार को स्कूलों में भाषाई वरीयता पंजियों का रखरखाव करने की आवश्यकता है। यह भी सुझाव दिया जाता है कि आवेदन–पत्र में आवश्यक स्तम्भ शामिल किए जाएं जिससे कि छात्रों की मातृभाषा; प्रथम भाषा तथा उनके माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तीसरी भाषा की जानकारी मिल सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक छात्र अपनी मातृभाषा पढ़ सकेंगे।

च. राज्य सरकार से आग्रह है कि सिंधी अकादमी को पुनर्जीवित करें तथा हिंदी, गुजराती एवं उर्दू अकादमियों के कार्यकलापों का ब्यौरा दें। यह भी आग्रह है कि उनके कार्यकलापों के लिए निधियों में बढ़ोतरी करें जैसा कि भाषाई प्रतिनिधियों की मांग है।

छ. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, एक जनपद स्तरीय समिति का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसख्ंयकों के रक्षोपायों का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

30.20 महाराष्ट्र राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं पर ध्यान दें तथा आवश्यक उपचारी कदम उठाएं ताकि इस राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजनाओं को प्रभावी ढ़ंग से लागू किया जा सके।

# अंडमान और निकोबार 31

## भाषाई रूपरेखा

31.1 जनगणना–2001 के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनसंख्या 3,56,152 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् हैः

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| बंगाली | 91,582 | 25.71 |
| हिंदी | 64,933 | 18.23 |
| तमिल | 62,961 | 17.68 |
| तेलुगु | 45,631 | 12.81 |
| मलयालम | 28,869 | 8.11 |
| निकोबारी | 28,651 | 8.05 |
| कुरूख/ओरां | 13,759 | 3.86 |
| मुण्डा | 4,582 | 1.29 |
| खारिया | 4,090 | 1.15 |

31.2 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि ऐसा कोई जिला नहीं है जहां अल्पसंख्यक भाषाभाषियों की जनसंख्या वहां की जनसंख्या का 15 प्रतिशत या अधिक है।

31.3 **संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा :** संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषाएं हिन्दी एवं अंग्रेजी हैं।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यथासूचित भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् हैः

### 31.4 संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र में, अल्पसंख्यक भाषाओं में नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का प्रकाशन नहीं होता है।

ख. बताया गया है कि शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करने की व्यवस्था है परन्तु यह भी बताया गया है कि ऐसे अभ्यावेदनों के उत्तर उन्हीं भाषाओं में नहीं दिए जाते हैं।

### 31.5 संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती

क. संघ राज्य क्षेत्र की सेवा में भर्ती के लिए क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित है अथवा नहीं, इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।

ख. संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती के लिए प्रश्न–पत्रों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ग. संघ राज्य क्षेत्र में सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

### 31.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए नियमों एवं विनियमों/दिशा–निर्देशों अथवा सक्षम प्राधिकारी के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

### 31.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान देने संबंधी नियम, विनियम/दिशा–निर्देश तथा सक्षम प्राधिकारी के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई हैं। तथापि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान सहायता–अनुदान प्रदत्त संस्थाओं का ब्यौरा निम्नवत है:–

| भाषा | सहायता अनुदान | | | मान्यता | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवेदित | स्वीकृत | लंबित आवेदन | आवेदित | स्वीकृत | लंबित आवेदन |
| इस्लामिक वेलफेयर सोसाइटी, क्रीसिन्ट पब्लिक स्कूल, विम्बरली गुंज | – | – | शून्य | 1000000 | 700000 | शून्य |
| उम्मात पब्लिक स्कूल | – | – | शून्य | 1500000 | 1050000 | शून्य |

## भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

### 31.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है:

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| बंगाली | 75 | 4,985 | – |
| तमिल | 11 | 522 | – |
| तेलुगु | 8 | 630 | – |

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाए जाने के बारे में अलग–अलग सूचना नहीं दी गई है।

### 31.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम एवं विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा नहीं दिया गया है।

### 31.10 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत है:

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| बंगाली | 12 | 2,656 | – |
| तमिल | 8 | 524 | – |
| तेलुगु | 4 | 535 | – |

ख. अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम एवं एक विषय के रूप में पढ़ाए जाने की अलग–अलग सूचना नहीं प्रदान की गई है।

## 31.11 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम एवं विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## 31.12 त्रिभाषा सूत्र

क. सूचित किया गया है कि त्रिभाषा सूत्र के तहत निम्नलिखित भाषाएं पढ़ाई जाती हैं:

| | | |
|---|---|---|
| प्रथम भाषा | : | मातृभाषा |
| द्वितीय भाषा | : | अंग्रेजी / हिंदी |
| तृतीय भाषा | : | संस्कृत / तमिल / तेलुगु / बंगाली |

ख. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा त्रिभाषा सूत्र में शामिल कक्षा 8, 10 एवं 12 के छात्रों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

## 31.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षकों की संस्वीकृत संख्या के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

ख. संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों की प्रशिक्षण सुविधा से संबंधित व्यवस्था के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## 31.14 अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकें

क. बताया गया है कि शिक्षा के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं में पर्याप्त पाठ्य–पुस्तकें उपलब्ध हैं और ये पुस्तकें छात्रों को समय से उपलब्ध हो जाती हैं।

ख. बताया गया है कि एन०सी०ई०आर०टी० अल्पसंख्यक भाषा में पाठ्य–पुस्तकों को तैयार करने, इनका प्रकाशन तथा / अथवा प्रापण करने वाली एजेंसी है।

## 31.15 स्कलों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की भाषाई–वरीयता दर्ज करने के लिए, भाषाई वरीयता पंजियों के रख–रखाव की कोई सूचना नहीं दी गई है।

### 31.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास हेतु किसी योजना के संबंध में कोई सूचना नहीं प्रस्तुत की गई है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए अकादमियों की स्थापना के संबंध में भी कोई सूचना नहीं दी गई है।

### 31.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

रक्षोपायो के कार्यान्वयन के लिए तंत्र के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

### 31.18 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध संवैधानिक अधिकारों तथा रक्षोपायों के प्रचार–प्रसार के संबंध में कोई सूचना नहीं उपलब्ध कराई है।

### 31.19 निष्कर्ष / संस्तुतियां

क. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को इस द्वीप समूह में बोली जाने वाली अल्पसंख्यक तथा जनजातीय भाषाओं के महत्व को समझने जरूरत है। अतः संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से आग्रह है कि वे इन भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उपाएं करें।

ख. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का द्वीपसमूह में बोली जाने वाली भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

ग. शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को प्राप्त करना और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब देना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है।

घ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता और सहायता–अनुदान की स्वीकृति देने के लिए प्राधिकारी को पदनामित करने की आवश्यकता है।

ङ. भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की 50वीं रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों की तुलना में वर्तमान आंकड़ों में बंगाली, तमिल तथा तेलुगु पढ़ाने के लिए स्कूलों तथा शिक्षकों की संख्या में अत्यधिक कमी प्रदर्शित हुई है। अतः संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनुरोध है कि संघ राज्य क्षेत्र में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तृत ब्यौरा दें।

च. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु सभी प्राथमिक विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है जिससे कि मातृभाषा में शिक्षा दी जा सके।

छ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई

अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

ज. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को संघ राज्य क्षेत्र में शिक्षकों की संस्वीकृत संख्या तथा उपलब्धता एवं उनकी प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में विस्तृत सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

झ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण एवं समीक्षा करने हेतु प्रशासक की अध्यक्षता में एक "संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का स्थानीय स्तर पर प्रभावकारी रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

ञ. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के विस्तृत एवं समेकित उत्तर समय से प्रेषित किए जाएं जिसमे कि संवैधानिक प्राधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

31.20 अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से किया जा सके।

# आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना  32

## भाषाई रूपरेखा

32.1 जनगणना 2001 के अनुसार, आन्ध्र प्रदेश/तेलंगाना की जनसंख्या 7,62,10,007 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् हैः

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| तेलुगु | 6,39,04,791 | 83.85 |
| उर्दू | 65,75,033 | 8.63 |
| हिन्दी | 24,64,194 | 3.23 |
| तमिल | 7,69,685 | 1.01 |

32.2 क. **राज्य की राजभाषा** : राज्य की राजभाषा तेलुगु है।

ख. **राज्य की अतिरिक्त राजभाषा** : उर्दू को राज्य में नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं इत्यादि के प्रकाशन तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त राजभाषा घोषित किया गया है।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

32.3 यह चिंता का विषय है कि आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकारों से भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की इस रिपोर्ट से संबंधित प्रश्नावली का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य सरकार से पूर्ण एवं स्पष्ट प्रत्युत्तर प्राप्त न होने के फलस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और अन्य रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अतः 50वीं रिपोर्ट की सिफारिशों को पुनः दोहराया जा रहा है।

32.4 **संस्तुतियां**

क. राज्य सरकारों से आग्रह है कि उन जिले/तहसील/तालुका/नगर–पालिका को चिन्हित करें जहां भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ, नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित करें।

ख. शिकायतों के निवारण हेतु, अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ग. राज्य सरकारों द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता तथा सहायता अनुदान दिए जाने से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु प्रभावी कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।

घ. भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की भाषागत वरीयता के पंजीकरण हेतु राज्य सरकारों द्वारा सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में 'भाषाई प्राथमिकता पंजियों' का

रख–रखाव सुनिश्चित करने का अनुरोध है जिससे कि राज्य में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण देने हेतु अन्तर–विद्यालयीन समायोजन को सुगम बनाया जा सके।

ङ. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

च. राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भाषाई अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है।

छ. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय एवं माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के पदों एवं उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकारों द्वारा विस्तृत सूचना प्रेषित किए जाने की आवश्यकता है।

ज. राज्य सरकारों से आग्रह है कि राज्यों मे अल्पसंख्यक भाषाओं को संरक्षित एवं संवर्धित करने हेतु की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत करें। उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं के प्रति भाषाई अल्पसंख्यकों के मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु राज्य सरकारों को व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू करना चाहिए।

झ. राज्य सरकारों को भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक "राज्य स्तरीय समिति" का गठन करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक "जनपद स्तरीय समिति" का भी गठन किया जा सकता है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

ञ. आन्ध्र प्रदेश/तेलंगाना सरकारों के नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं समेकित उत्तर समय से प्रस्तुत किए जाएं ताकि संवैधानिक प्राधिकारी समय पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

32.5 आन्ध्र प्रदेश/तेलंगाना राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन किया जा सके।

# केरल

## भाषाई रूपरेखा

33.1 जनगणना–2001 के अनुसार केरल की जनसंख्या 3,18,41,374 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् हैः

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| मलयालम | 3,08,03,747 | 96.74 |
| तमिल | 5,96,971 | 1.87 |
| कन्नड़ | 81,406 | 0.26 |
| कोंकणी | 61,376 | 0.19 |

33.2 **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा मलयालम है।

33.3 सूचित किया गया है कि राज्य में ऐसा कोई जनपद नहीं है जहाँ अल्पसंख्यक भाषा–भाषी जनपद की जनसंख्या के 60 प्रतिशत या उससे अधिक हों।

33.4 जिन जिले/तहसील/तालुक/नगरपालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएं बोली जाती हैं उनका विवरण निम्नवत हैः

| जिला | तहसील/तालुक/नगर–पालिका | भाषा | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| कासरगोड | कासरगोड तालुक | तुलु | 18.04 |
| पालक्कड़ | चित्तुर तालुक | तमिल | 20.03 |
| पालक्कड़ | चित्तुर थातमंगलम नगरपालिका | तमिल | 18.41 |
| इदुक्की | – | तमिल | 19.64 |
| इदुक्की | देवीकुलम तालुक | तमिल | 48.53 |
| इदुक्की | पेरूमेडु तालुक | तमिल | 36.55 |

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति इस प्रकार हैः

### 33.5 राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

क. ऐसा कहा गया है कि जिस जिले/तहसील/तालुका/नगरपालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या अधिक लोग भाषाई अल्पसंख्यक हों वहां महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और सूचनाओं आदि के अल्पसंख्यक भाषाओं में, अनुवाद एवं प्रकाशन की कोई व्यवस्था नहीं है।

ख. तथापि, बताया गया है कि राशन कार्ड, मतदाता सूची, विभिन्न आवेदन प्रपत्र, सूचनाएँ तथा नाम–पट्ट, आदि मलयालम के साथ–साथ अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रकाशित/जारी किए/लिखे जाते हैं।

ग. यह भी सूचित किया गया है कि शिकायतों के निवारणार्थ अभ्यावेदन, अल्पसंख्यक भाषा में प्राप्त किए जाने तथा उत्तर देने हेतु, आदेश जारी किए गए हैं। यह भी सूचित किया गया है कि अनुरोध किए जाने पर ऐसे अभ्यावेदनों का उत्तर उन्हीं अल्पसंख्यक भाषाओं में दिया

जाता है। सूचना दी गई है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान राज्य सरकार को अल्पसंख्यक भाषाओं में चार अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

## 33.6 राज्य की सेवाओं में भर्ती

क. राज्य सरकार ने सूचना दी है कि भाषाई अल्पसंख्यक व्यक्ति (तमिल तथा कन्नड़ भाषाभाषी) जो भर्ती परीक्षा में मलयालम से इतर भाषा का इस्तेमाल करते हैं को अपनी परिवीक्षा को पूरा करने के लिए केरल लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित मलयालम भाषा परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।

ख. बताया गया है कि यदि कोई पद विशेष के लिए निर्धारित अर्हता एस०एस०एल०सी० से नीचे हो तो भाषाई अल्पसंख्यक अभ्यर्थी को उनकी भाषाओं (अर्थात तमिल या कन्नड़) में प्रश्न–पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। लिखित परीक्षाओं के लिए प्रश्न–पत्र का माध्यम आयोग के आदेशानुसार निर्धारित किया जाता है।

ग. राज्य की सेवा में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में बताया गया है कि सामान्यतः कोई अधिवासीय प्रतिबंध नहीं लगाए जाते हैं किन्तु अभ्यर्भियों को निम्नलिखित शर्तों का तब अवश्य ही अनुपालन करना चाहिए जब उन्हें प्रत्येक पद से संबंधित अधिसूचना में विशिष्ट रूप से छूट न दे दी गई होः–

(i) अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए या (ii) नेपाल का निवासी होना चाहिए या (iii) भूटान का नागरिक होना चाहिए या (iv) तिब्बती शरणार्थी होना चाहिए जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पूर्व आए हों या (v) भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों–केन्या, यूगाण्डा, संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तंजानिका तथा जंजीबार) से प्रवास किया हो। यह भी बताया गया है कि उपर्युक्त (ii), (iii), (iv) एवं (v) में उल्लखित व्यक्ति भारत सरकार से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करेंगे। उन्हें परीक्षा तथा साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी तथा यदि उनकी किसी पद पर नियुक्ति की जाएगी तो उनकी नियुक्ति पात्रता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन अस्थायी होगी।

## 33.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता

क. सूचित किया गया है कि राज्य सरकार भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने हेतु सक्षम प्रधिकरण है।

ख. बताया गया है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों से उनकी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता दिए जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन/शिकायतें/याचिकाएं नहीं प्राप्त हुई हैं।

ग. सूचित किया गया है कि 30.06.2014 तक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था को मान्यता प्रदान करने हेतु कोई भी आवेदन लम्बित नहीं है।

## 33.8 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

क. बताया गया है कि राज्य सरकार भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकरण है।

ख. समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिन भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को सहायता—अनुदान प्रदान किया गया है, उनका ब्यौरा निम्नलिखित हैः

| स्तर | अल्पसंख्यक भाषा | विद्यालय |
|---|---|---|
| प्राथमिक | तमिल / कन्नड़ | 109 / 91 |
| उच्च प्राथमिक | तमिल / कन्नड़ | 34 / 45 |
| माध्यमिक | तमिल / कन्नड़ | 64 / 49 |
| उच्चतर माध्यमिक | — | — |

## भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

### 33.9 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| तमिल | 109 | 7,513 | 513 |
| कन्नड़ | 91 | 9,157 | 419 |

ख. सूचना दी गई है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, संस्कृत, अरबी तथा उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है, जिसका विवरण निम्नवत् हैंः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| अरबी | 3,162 | 4,27,979 | 3,412 |
| संस्कृत | 3 | 250 | 2 |
| उर्दू | 3 | 41 | 5 |

### 33.10 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| तमिल | 34 | 6,989 | 298 |
| कन्नड़ | 45 | 8,422 | 611 |

ख. सूचना दी गई है कि शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अरबी, संस्कृत तथा उर्दू एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती हैं जिसका ब्यौरा निम्नवत हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| अरबी | 1,619 | 2,36,051 | 1,527 |
| संस्कृत | 1,743 | 1,50,848 | 1,669 |
| उर्दू | 1,089 | 66,533 | 1,042 |

## 33.11 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

क. सूचना दी गई है कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| तमिल | 61 | 8,406 | 356 |
| कन्नड़ | 49 | 10,226 | 402 |

ख. सूचित किया गया है कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अरबी, संस्कृत तथा उर्दू भाषाएं एक विषय के रूप में, पढ़ाई जाती हैं जिसका ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| अरबी | 1,143 | 2,33,959 | 1,404 |
| संस्कृत | 1,161 | 71,535 | 1,128 |
| उर्दू | 447 | 35,808 | 423 |

## 33.12 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

क. बताया गया है कि उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में अंग्रेजी शिक्षण का माध्यम है। इसके अलावा, अभ्यर्थियों को मलयालम में तथा अल्पसंख्यक भाषाओं अर्थात् तमिल या कन्नड़ में परीक्षा देने का विकल्प प्राप्त है।

ख. यह भी बताया गया है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, निम्नलिखित अल्पसंख्यक भाषाएं, एक विषय के रूप में, पढ़ाई जाती हैं:

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| तमिल | 23 | 1,956 | 23 |
| कन्नड़ | 30 | 2,550 | 30 |

## 33.13 त्रिभाषा सूत्र

क. राज्य में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ निम्नवत् हैं :

प्रथम भाषा : क्षेत्रीय भाषा (मलयालम)
द्वितीय भाषा : अंग्रेजी
तृतीय भाषा : हिंदी

ख. त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत शामिल कक्षा 8, 10 और 12 के छात्रों की संख्या निम्नवत् है :

| भाषा | कक्षा 8 | कक्षा 10 | कक्षा 12 |
|---|---|---|---|
| तमिल | 2,555 | 2,995 | शून्य |
| कन्नड़ | 3,338 | 3,441 | शून्य |

## 33.14 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम और एक विषय के रूप, में पढ़ाने के लिए

शिक्षकों के पदों का विवरण निम्नवत् हैः

| भाषा | माध्यम के रूप में | | विषय के रूप में | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत | भरे हुए | स्वीकृत | भरे हुए |
| तमिल | 137 | 137 | 80 | 80 |
| कन्नड़ | 93 | 93 | – | – |

ख. राज्य में अल्पसंख्यक भाषा पढ़ाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था का विवरण निम्नवत हैः

| प्रशिक्षण संस्थान | अल्पसंख्यक भाषा | |
|---|---|---|
| | माध्यम के रूप में | विषय के रूप में |
| जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) | तमिल | तमिल |
| | कन्नड़ | कन्नड़ |

ग. राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के आदान–प्रदान/शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए पड़ोसी राज्यों से सहयोग/समझौते के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

### 33.15 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. यह सूचित किया गया है कि विद्यार्थियों को अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकों एवं अन्य सामग्री की आपूर्ति शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में की जाती है।

ख. सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें और अन्य शैक्षणिक सामग्री तैयार करने एवं प्रकाशन का कार्य, एस०सी०ई०आर०टी० को सौंपा गया है।

ग. यह भी सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री छात्रों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाती है।

### 33.16 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

स्कूलों में, भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषागत वरीयता दर्ज करने के लिए 'भाषाई वरीयता पंजियों' के रख–रखाव के संबंध में निम्नलिखित आकड़े दिए गए हैंः

| | | |
|---|---|---|
| एल०पी० स्कूल | – | 232 |
| यू०पी० स्कूल | – | 90 |
| हाई स्कूल | – | 109 |

### 33.17 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

राज्य में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास हेतु किसी गतिविधि के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

### 33.18 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण और समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। विधान सभा के सदस्य और प्रशासनिक विभागों के प्रमुख इसके सदस्य हैं। इस समिति की पिछली बैठक दिनांक 05.02.2014 को हुई थी।

ख. यह भी बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर एक समिति मौजूद है जिसमें सदस्यों के रूप में शिक्षा तथा कालेजिएट शिक्षा उप निदेशकों के साथ सासदों/विद्यालयों/जिला पंचायत अध्यक्षों/स्थानीय क्षेत्र की अल्पसंख्यक भाषा के तीन प्रतिनिधियों को सहयोजित किया गया है।

## 33.19 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

क. भाषाई अल्पसंख्यकों को उन्हें उपलब्ध रक्षापायों एवं सुविधाओं के बारे में अवगत कराने वाले तंत्र के संबंध में बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों का विवरण देने वाली विवरणिकाएं संबंधित अधिकारियों तथा भाषाई अल्पसंख्यक संगठनों के प्रतिनिधियों को वितरीत की गईं।

ख. यह भी बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ राज्य सरकार ने वर्ष 2002 में एक पुस्तिका "सेफगार्ड्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनरोटिज इन केरल" प्रकाशित की थी।

## 33.20 निष्कर्ष/संस्तुतियां

क. जिन जिला/तहसील/तालुक/नगर–पालिका में भाषाई अल्पसंख्यक 15 प्रतिशत या उससे अधिक हैं, वहां राज्य सरकार द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के हितार्थ नियमों, विनियमों, सूचनाओं, आदि का संबंधित अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रकाशन सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

ख. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं की मान्यता तथा सहायता अनुदान देने के लिए पदनामित प्राधिकारियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

ग. त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही अल्पसंख्यक भाषाओं की स्थिति का उल्लेख नहीं किया गया है। त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत हिन्दी का तृतीय भाषा के रूप में उल्लेख है, हालांकि हिन्दी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या का विवरण नहीं दिया गया हैं। इसे स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, राज्य में कोंकणी पढ़ने की सुविधाओं का भी ब्यौरा दिए जाने की आवश्यकता है।

घ. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषाई वरीयता दर्जा करने के लिए भाषाई वरीयता पंजियों का सभी स्कूलों में रखरखाव किया जाए ताकि राज्य में मातृभाषा/भाषाओं में शिक्षण प्रदान किया जा सके।

ङ. राज्य में, अल्पसंख्यक भाषाओं की रक्षा एवं विकास हेतु प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। राज्य में, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विकास के लिए भाषाई अकादमियों की स्थापना की जानी चाहिए तथा उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाना चाहिए।

च. केरल राज्य सरकार के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर, का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट नियत समय के भीतर प्रस्तुत कर सकें।

33.21 केरल राज्य सरकार से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से किया जा सके।

# लक्षद्वीप



## भाषाई रूपरेखा

34.1 जनगणना–2001 के अनुसार, लक्षद्वीप की जनसंख्या 60,650 दर्ज की गई है तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नलिखित हैः

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| मलयालम | 51,555 | 85 |
| महल/अन्य भाषाएं | 9,095 | 15 |

34..2 **संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा :** लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा अंग्रेजी है।

34.3 महल भाषा मिनीकाय द्वीप में बोली जाती है, जिसका विवरण निम्नलिखित हैंः

| जिला | तहसील/तालुका/नगरपालिका | भाषा | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| लक्षद्वीप | मिनीकाय द्वीप समूह | महल | 100 |

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नलिखित हैः

### 34.4 संघ शासित क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग

क. बताया गया है कि महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और सूचनाओं, आदि का अल्पसंख्यक भाषा में अनुवाद एवं प्रचार–प्रसार के लिए, संघ राज्य क्षेत्र में व्यवस्था मौजूद है। यह भी बताया गया है कि उपर्युक्त प्रयोजन हेतु सचिवालय, कावारत्ती में महल अनुवादक का एक पद सृजित किया गया है।

ख. अनुवाद/प्रचार–प्रसार के भाषावार ब्यौरे के संबंध में, बताया गया है कि एक सरकारी पाक्षिक पत्रिका *लक्षद्वीप टाइम्स* का महल संस्करण लक्षद्वीप के महल भाषाभाषियों को सूचना के प्रचार–प्रसार के लिए प्रकाशित किया जाता है।

ग. भाषाई अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों को स्वीकार करने तथा उनके उत्तर उसी अल्पसंख्यक भाषा में देने संबंधी आदेश के बारे में स्पष्ट सूचना नहीं प्रदान की गई है। हालांकि सूचित किया गया है कि ऐसे कोई अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुए हैं।

### 34.5 संघ शासित क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती

क. सूचना दी गई है कि संघ राज्य क्षेत्र की सेवा में भर्ती हेतु क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित नहीं है। यह भी बताया गया है कि लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन महल अनुवादक के पद पर भर्ती हेतु महल भाषा का समग्र ज्ञान पूर्वापेक्षित है।

ख. संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती हेतु परीक्षा में प्रश्न–पत्रों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषा में देने की अनुमति नहीं है।

ग. संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में अधिवासीय प्रतिबंध लागू होने के संबंध में स्पष्ट सूचना नहीं दी गई है। हालांकि बताया गया है कि सभी, तृतीय श्रेणी, तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पद स्थानीय लोगों से भरे जाते हैं।

### 34.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता

लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता के संबंध में कोई नियम विनियम तथा पदनामित सक्षम प्राधिकारी की कोई सूचना नहीं दी गई है।

### 34.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता अनुदान

भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता–अनुदान प्रदान करने के संबंध में बताया गया है कि चूंकि लक्षद्वीप में कोई पृथक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं नहीं हैं, इसलिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा कोई सहायता–अनुदान संस्वीकृत/जारी नहीं किया जाता है।

## भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षिणिक सुविधाएँ

### 34.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाए जाने संबंधी सूचना नहीं दी गई है।

ख. महल को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर एक, विषय के रूप में पढ़ाये जाने का विवरण निम्नवत् है :

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| महल | जे०बी०सी०सी० मिनीकाय | 89 | 01 |
| महल | ज०बी०एस० मिनीकाय | 165 | 02 |
| महल | एस०बी०एस० मिनीकाय | 124 | 02 |

### 34.9 उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर

शिक्षा के उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम एवं एक विषय के रूप में पढ़ाने के बारे में शून्य सूचना दी गई है।

### 34.10 त्रिभाषा सूत्र

क. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ हैं:

प्रथम भाषा : अंग्रेजी
द्वितीय भाषा : मलयालम/अरबी
तृतीय भाषा : हिन्दी

ख. कक्षा 8, 10 और 12 में त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत शामिल भाषाओं के छात्रों की संख्या निम्नलिखित है:

| भाषा | कक्षा 8 | कक्षा 10 | कक्षा 12 |
|---|---|---|---|
| अंग्रेजी | 994 | 1,307 | 925 |
| मलयालम | 754 | 695 | 316 |
| अरबी | 259 | 485 | 364 |
| हिन्दी | 994 | 1,137 | 239 |

## 34.11 अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षक

क. महल भाषा के शिक्षकों के पदों का विवरण निम्नवत् है:

| भाषा | माध्यम | | विषय | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत पद | भरे हुए पद | स्वीकृत पद | भरे हुए पद |
| महल | – | – | 05 | 03 |

ख. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में या एक विषय के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है।

ग. शिक्षकों के आदान–प्रदान/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/केन्द्र खोलने के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है।

## 34.12 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. सूचित किया गया है अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें छात्रों को शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में ही उपलब्ध करा दी जाती हैं। महल पाठ्य–पुस्तकें महल के छात्रों को मिनीकाय द्वीप में प्रदान की जाती हैं।

ख. अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकों को तैयार करने एवं प्रकाशन हेतु अभिकरण शिक्षा निदेशालय, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र, कावारत्ती है।

ग. कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकें तथा शैक्षणिक सामग्री, शिक्षा विभाग, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निःशुल्क वितरित की जाती है।

## 34.13 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषाई वरीयता के पंजीकरण हेतु 'भाषाई वरीयता पंजियों' के रखरखाव के संबंध में सूचित किया गया है कि चूंकि मिनीकॉय की मूल जनसंख्या में महल भाषाभाषी शामिल हैं, इसलिए महल भाषाभाषी छात्रों (भाषाई अल्पसंख्यक) का ब्यौरा स्कूल अभिलेख के जरिए रखा जाता है।

## 34.14 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र में, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास की कोई योजना नहीं है।

### 34.15 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. सूचित किया गया है कि प्रशासक, लक्षद्वीप की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। अब प्रस्ताव है कि समिति को पुनर्गठित किया जाए।

ख. संघ राज्य क्षेत्र में निदेशक, (सामान्य प्रशासन एवं नयाचार), संघ राज्य क्षेत्र, लक्षद्वीप को भाषाई अल्पसंख्यकों के मामले सौंपे गए हैं।

### 34.16 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

बताया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों का प्रचार पाक्षिक पत्रिका 'लक्षद्वीप टाइम्स' के महल संस्करण के माध्यम से किया जाता है।

### 34.17 निष्कर्ष / संस्तुतियां

क. शिकायतों के निवारणार्थ अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदन स्वीकार करने तथा उसी भाषा उत्तर दिए जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ख. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा माध्यमिक स्तर पर भी शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है।

ग. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से आग्रह है किवे अल्पसंख्यक भाषाओं के रिक्त पद को भरें।

घ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से आग्रह है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए यथाशीघ्र एक समिति गठित करें।

ड. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन लक्षद्वीप के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों का विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर, समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि संवैधानिक प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट समय पर तैयार कर महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर सकें।

34.18 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि, राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से, किया जा सके।

# पुदुच्चेरी



## भाषाई रूपरेखा

35.1 जनगणना–2001 के अनुसार पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या 9,74,345 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषायी रूपरेखा निम्नवत् हैः

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| तमिल | 8,61,502 | 88.42 |
| तेलुगु | 50,908 | 5.22 |
| मलयालम | 42,782 | 4.39 |

35.2 क. **संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषाः** सूचित किया गया है कि पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषाएं तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा अंग्रेजी हैं।

ख. **अतिरिक्त राजभाषाएंः** तमिल पुदुच्चेरी तथा कराइकल क्षेत्रों में जबकि मलयालम तथा तेलुगु को संघ राज्य क्षेत्र के क्रमशः माहे तथा यनम क्षेत्रों में राजभाषाओं के रूप में घोषित किया गया है।

35.3 सूचित किया गया है कि कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां के जिले/तहसील/नगरपालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या अधिक द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएं बोली जाती हैं।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत् है :

### 35.4 संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग

क. बताया गया है कि महत्वपूर्ण सरकारी नियमों, आदेशों तथा अधिसूचनाओं इत्यादि का अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं प्रचार–प्रसार की कोई व्यवस्था नहीं है।

ख. संघ राज्य क्षेत्र में शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदन प्राप्त करने तथा उनका प्रत्युत्तर उसी भाषा में देने की व्यवस्था नहीं है।

### 35.5 संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती

क. बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान पूर्वापेक्षित है।

ख. यह भी बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं में प्रश्नपत्रों के उत्तर देने की अनुमति नहीं है।

ग. सूचित किया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र की सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध लागू होते हैं।

## 35.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. बताया गया है कि पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र में कोई भी संस्था भाषाई अल्पसंख्यक के अंतर्गत नहीं आती है। तथापि, सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को सचिव (शिक्षा), पुदुच्चेरी सरकार मान्यता प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी हैं।

ख. बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र को समीक्षाधीन अवधि के दौरान भाषाई अल्पसंख्यकों से उनकी भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने के संबंध में कोई अभ्यावेदन/शिकायतें/याचिकाएं प्राप्त नहीं हुई हैं।

ग. सूचित किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने से संबंधित कोई भी अभ्यावेदन/आवेदन लम्बित नहीं है।

## 35.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

बताया गया है कि सहायता–अनुदान अनुभाग, स्कूल शिक्षा निदेशालय, पुदुच्चेरी शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकरण है। वर्ष 2013–14 के लिए सहायता–अनुदान प्रदत्त, भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं की भाषावार संख्या के संबंध में बताया गया है कि पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र में कोई भी प्राइवेट संस्था भाषाई अल्पसंख्यक के अंतर्गत नहीं आती है।

## भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

## 35.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| फ्रेंच | 4 | 111 | 36 |

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| हिन्दी | 10 | 298 | 6 |
| अरबी | 3 | 33 | 4 |
| संस्कृत | 2 | 21 | 2 |

## 35.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| फ्रेंच | 4 | 123 | 36 |

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| हिन्दी | 14 | 3,765 | 18 |
| अरबी | 5 | 358 | 7 |
| संस्कृत | 1 | 18 | 2 |

## 35.10 माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)

क. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| फ्रेंच | 4 | 113 | 36 |

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| हिन्दी | 14 | 2,417 | 18 |
| अरबी | 6 | 256 | 7 |
| संस्कृत | 1 | 5 | 2 |

## 35.11 उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में पढ़ाने की सुविधा के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है।

ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | छात्र | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| हिन्दी | 8 | 421 | 10 |
| फ्रेंच | 9 | 634 | 8 |
| अरबी | 4 | 207 | 1 |

## 35.12 त्रिभाषा सूत्र

क. संघ राज्य क्षेत्र के पुदुच्चेरी, तथा कराईकल क्षेत्र में द्विभाषा सूत्र का अनुसरण किया जा रहा है। तथापि, संघ राज्य क्षेत्र के यनम तथा माहे क्षेत्रों में त्रिभाषा सूत्र लागू है जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :

### पुदुच्चेरी क्षेत्र

प्रथम भाषा : तमिल
कक्षा 1 से 12 तक

|  |  |  |
|---|---|---|
|  |  | हिंदी / फ्रेंच / संस्कृत<br>केवल कक्षा 11 से 12 में (कुछ विद्यालयों में कक्षा 6 से लागू) |
| द्वितीय भाषा | : | अंग्रेजी<br>कक्षा 1 से 12 तक |
| तृतीय भाषा | : | पुदुच्चेरी क्षेत्र में कोई तृतीय भाषा नहीं है। |

**कराईकल क्षेत्र**

|  |  |  |
|---|---|---|
| प्रथम भाषा | : | तमिल<br>कक्षा 1 से 12 तक<br>हिंदी / फ्रेंच / संस्कृत,<br>केवल कक्षा 11 से 12 में (कुछ विद्यालयों में कक्षा 6 से लागू) |
| द्वितीय भाषा | : | अंग्रेजी<br>कक्षा 1 से 12 तक |
| तृतीय भाषा | : | कराईकल क्षेत्र में कोई तृतीय भाषा नहीं है। |

**माहे क्षेत्र**

|  |  |  |
|---|---|---|
| प्रथम भाषा | : | मलयालम<br>कक्षा 1 से 12 तक<br>हिंदी /अरबी,<br>केवल कक्षा 1 एवं 12 में (कुछ विद्यालयों में कक्षा 6 से लागू) |
| द्वितीय भाषा | : | अंग्रेजी<br>कक्षा 1 से 12 तक |
| तृतीय भाषा | : | हिंदी |

**यनम क्षेत्र**

|  |  |  |
|---|---|---|
| प्रथम भाषा | : | तेलुगु<br>कक्षा 1 से 12 तक<br>हिंदी/ संस्कृत<br>केवल कक्षा 6 से 12 में (कुछ विद्यालयों में कक्षा 6 से लागू) |
| द्वितीय भाषा | : | अंग्रेजी<br>कक्षा 1 से 12 तक |
| तृतीय भाषा | : | हिंदी |

ख. त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शामिल कक्षा 8, 10 और 12 में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों का विवरण निम्नवत है:

**माहे क्षेत्र**

| भाषा | कक्षा 8 | कक्षा 10 | कक्षा 12 |
|---|---|---|---|
| हिंदी | 578 | 588 | 166 |
| अरबी | 136 | 111 | 112 |

**यनम क्षेत्र**

| भाषा | कक्षा 8 | कक्षा 10 | कक्षा 12 |
|---|---|---|---|
| हिंदी | 486 | 536 | 29 |

## 35.13 अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक

क. अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के सृजित/निर्धारित पदों का विवरण निम्नवत है :

| भाषा | माध्यम के रूप में | | विषय के रूप में | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत पद | भरे हुए | स्वीकृत पद | भरे हुए |
| फ्रेंच | 68 | 25 | 10 | 8 |
| संस्कृत | – | – | 3 | 2 |
| हिन्दी | – | – | 65 | 37 |
| अरबी | – | – | 23 | 11 |

ख. सूचित किया गया है कि माहे क्षेत्र में डायट, टिलीचरी, कोझिकोडू और कन्नूर विश्वविद्यालय (केरल) से विशेषज्ञों को अल्पसंख्यक भाषाओं जैसे कि अरबी, हिंदी, फ्रेंच तथा संस्कृत में सेवारत शिक्षकों के लिए उनके कौशल उन्नयन के प्रयोजन से अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

ग. यनम क्षेत्र में, डायट, बोमावरम् तथा कालेज ऑफ एडूकेशन राजामुंदरी (आंध्र प्रदेश) के विशेषज्ञ व्यक्तियों को अल्पसंख्यक भाषाओं जैसे कि हिंदी, आदि में पुनःश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने हेतु आमंत्रित किया जाता है।

## 35.14 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. सूचित किया है कि प्रशिक्षण के दौरान भाषाई कार्यप्रणाली के मुद्दों तथा अल्पसंख्यक की विशिष्ट अंतर्वस्तु पर चर्चा करने हेतु हैंड्स–आउट तथा वर्कशीट का इस्तेमाल किया जाता है।

ख. सूचित किया गया है कि पाठ्य–पुस्तकों एवं अन्य शिक्षण–सामग्री को तैयार करने एवं उनके प्रकाशन का कार्य पड़ोसी राज्यों के शिक्षा बोर्ड को सौंपा गया है जिसका विवरण निम्नवत है :

1. केरल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, तिरूवनंतपुरम
2. एस०सी०ई०आर०टी०, तिरूवनंतपुरम, केरल
3. आंध्र प्रदेश बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, हैदराबाद
4. बोर्ड आफ इण्टरमीडिएट एजूकेशन, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
5. हिन्दी प्रचार सभा, नई दिल्ली एवं चेन्नई

ग. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकें प्राप्त करने हेतु सामान्यतया नजदीकी जिलों जैसे कि पुदुच्चेरी क्षेत्र के लिए कुडालोर, विल्लुपुरम तथा माहे क्षेत्र के लिए यनम और तिलेचेरी के मुख्य शिक्षा अधिकारी से सलाह ली जाती है।

घ. सूचित किया गया है कि चूंकि ये पुस्तकें संबंधित राज्यों की सरकार की पाठ्य–पुस्तक

समितियों द्वारा मुद्रित और प्रकाशित की जाती हैं, अतः इनकी आपूर्ति तुलनीय दरों पर विद्यार्थियों को की जा सकती है।

## 35.15 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

विद्यालयों में भाषाई वरीयता पंजियों के रख–रखाव के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है।

## 35.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

सूचित किया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए कोई योजना अथवा अकादिमयों की स्थापना नहीं की गई है।

## 35.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण और समीक्षा के लिए संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर कोई समिति गठित नही की गई है। तथापि यह कहा गया है कि निदेशक, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक मामलों के लिए संघ राज्य क्षेत्रों के चार क्षेत्रों अर्थात पुदुच्चेरी, कराईकल, माहे और यनम के नोडल अधिकारी हैं। साथ ही, ऐसा बताया गया है कि पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र में धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक स्वतंत्र आयोग की स्थापना का कार्य प्रक्रियाधीन है।

## 35.18 संवैधानिक अधिकारों और रक्षोपायों का प्रचार–प्रसार

बताया गया है कि संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों और सुविधाओं के प्रचार–प्रसार हेतु संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा कोई तंत्र स्थापित नहीं है।

## 35.19 निष्कर्ष / संस्तुतियां

क. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को संघ राज्य क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली अल्पसंख्यक भाषाओं पर समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है।

ख. संघ राज्य क्षेत्र सेवाओं में भर्ती के समय संघ राज्य क्षेत्र की क्षेत्रीय / राजभाषा के पूर्व ज्ञान पर प्रशासन को जोर नहीं देना चाहिए। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु परिवीक्षा अवधि के दौरान संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा सीखने के लिए सहमतिजन्य रक्षोपायों के अनुसार अनुबद्ध समय निर्धारित करना चाहिए।

ग. शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की प्राप्ति और संबंधित अल्पसंख्यक भाषा में जवाब सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

घ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने तथा जहां कहीं आवश्यक हो, इन्हें सहायता–अनुदान स्वीकृत करने से संबंधित संवैधानिक रक्षोपायों को लागू करने के लिए उपाए शुरू किए जाने की आवश्यकता है।

ङ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को माहे तथा यनम क्षेत्रों सहित संघ राज्य क्षेत्र में स्कूलों में मातृभाषा / अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने के लिए उपलब्ध स्कूलों / शिक्षकों की संख्या सहित सुविधाओं के संबंध में पूर्ण एवं व्यापक सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

च. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को संघ राज्य क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन

सुनिश्चित करना चाहिए ताकि भाषाई अल्पसंख्यक छात्र स्कूलों में अपनी मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषा का अध्ययन करने में समर्थ हो सकें।

छ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से आग्रह है कि वे भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषाई वरीयता दर्ज करने के लिए 'भाषाई वरीयता पंजियों' का अनुरक्षण प्रदेश के सभी स्कूलों में सुनिश्चित करें ताकि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा/अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण सुगम हो सके।

ज. यह भी सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में आवश्यक स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि दाखिले के समय बच्चों की मातृभाषा, शिक्षण के माध्यम तथा माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई तृतीय भाषा की जानकारी हो सके। इससे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए उनकी मातृभाषा की शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

झ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को प्रदेश में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण एवं समीक्षा करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय समिति को गठित करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति भी गठित की जा सकती है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

ञ. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू करना चाहिए ताकि प्रदेश में भाषाई अल्पसंख्यकों में जागरूकता का प्रसार हो सके।

ट. संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के नोडल अधिकारी द्वारा आयुक्त की प्रश्नावलियों के विस्तृत एवं समेकित प्रत्युत्तर, का समय पर, प्रेषण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट नियत समय में तैयार कर प्रस्तुत कर सकें।

35.20 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, पुदुच्चेरी से अनुरोध है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लेकर आवश्यक उपचारी कदम उठाएं जिससे कि प्रदेश में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन प्रभावी रूप से किया जा सके।

# तमिलनाडु



## भाषाई रूपरेखा

36.1 जनगणना–2001 के अनुसार तमिलनाडु की जनसंख्या 6,24,05,679 दर्ज की गई तथा इसकी व्यापक भाषाई रूपरेखा निम्नवत् है:

| भाषा | भाषा भाषी | प्रतिशतता |
|---|---|---|
| तमिल | 5,57,98,916 | 89.41 |
| तेलुगु | 35,27,594 | 5.65 |
| कन्नड़ | 10,45,238 | 1.67 |
| उर्दू | 9,42,299 | 1.51 |
| मलयालम | 5,57,705 | 0.89 |

36.2 क. **राज्य की राजभाषा :** राज्य की राजभाषा तमिल है।

ख. **अतिरिक्त राजभाषा** : सूचना दी गई है कि अंग्रेजी को संप्रेषण के प्रयोजन हेतु अतिरिक्त राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है।

36.3 क. सूचना दी गई है कि ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ भाषाई अल्पसंख्यकों की संख्या जिले की जनसंख्या के 60 प्रतिशत या इससे अधिक हो।

ख. यह भी जानकारी दी गई है कि निम्नलिखित अल्पसंख्यक भाषाएं जिले/तालुक/तहसील/ नगरपालिका की आबादी (जनगणना 2001 के अनुसार) के 15 प्रतिशत या इससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं:

| जिला | तहसील/तालुक/नगरपालिका | भाषा | प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| तिरूवल्लुर | तिरूत्तानी | तेलुगु | 27.11 |
| तिरूवल्लुर | तिरूवल्लुर | तेलुगु | 16.21 |
| वेल्लौर | वनियामबोडी | उर्दू | 19.31 |
| कन्याकुमारी | 1. कलकुलम<br>2. कुजीतुरई | मलयालम | 30<br>20 |
| विरूदनगर | राजापल्लयम | तेलुगु | 21.07 |
| मुदुरई | कोडाईकैनाल | तेलुगु | 17.36 |
| डिंडीगुल | पालनी | तेलुगु | 16.46 |
| मदुरई | पेरियाकुलम | तेलुगु | 20.19 |
| नीलगिरि | मिटटूपल्लयम | कन्नड़ | 53.77 |
| धर्मपुरी | होसुर | तेलुगु | 29.07 |
| सालेम | सालेम | तेलुगु | 19.55 |
| कोयम्बटूर | कोयम्बटूर | तेलुगु | 22.82 |
| इरोड | गोबीचेट्टीपलयम | तेलुगु | 16.14 |

## भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति

समीक्षाधीन अवधि में भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नवत है:

36.4 **राज्य में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग**

क. सूचना दी गई है कि कन्याकुमारी जिले में, पद्मनाभपुरम, किल्लुयुर एवं विलवानकोड निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची मलयालम भाषा में भी प्रकाशित की जा रही है।

ख बताया गया है कि शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदन स्वीकार करने के लिए आदेश जारी नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन के उत्तर में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं दी गई है।

36.5 **राज्य की सेवाओं में भर्ती**

क. सूचित किया गया है कि राज्य की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के उत्तर सिर्फ तमिल और अंग्रेजी में देने की अनुमति है।

ख. राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान राज्य सेवा के अधीन निम्नलिखित पदों पर भर्ती के लिए ही पूर्वापेक्षित हैः

1. जिला शिक्षा अधिकारी
2. सहायक लोक अभियोजक ग्रेड–II
3. कृषि अधिकारी (एक्सटेंशन)

बताया गया है कि तमिल से इतर मातृभाषा वाले अभ्यर्थियों को द्वितीय श्रेणी भाषा की परीक्षा तमिलनाडु राज्य तथा अधीनस्थ सेवा नियमावली के नियम 12क (ख) के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के भीतर उत्तीर्ण करनी होगी, ऐसा न करने पर उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा।

ग. बताया गया है कि तमिलनाडु से इतर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को 'अन्य' अर्थात 'सामान्य' श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाता है।

घ. इस संबंध में कि राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षा के लिए प्रश्नपत्रों का उत्तर देने में अल्पसंख्यक भाषाएं प्रयुक्त किए जाने की अनुमति है या नहीं, बताया गया है कि सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रश्न–पत्र सामान्यतः अंग्रेजी तथा तमिल में तैयार किए जाते हैं। कतिपय पदों जैसे कि सहायक चिकित्सा अधिकारी, (सिद्ध और यूनानी) के लिए प्रश्न पत्र क्रमशः तमिल/उर्दू में तैयार किए जाते हैं क्योकि ये विषय इन्ही भाषाओं में पढ़ाए जाते हैं। तमिलनाडु लोक सेवा आयोग द्वारा अनुपालित परीक्षा स्कीम के अनुसार, सभी तकनीकी पदों के लिए प्रश्न पत्रों में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं।

ङ. राज्य सेवाओं में भर्ती के समय अधिवासीय प्रतिबंध लागू होने के संबंध में बताया गया है कि तमिलनाडु राज्य तथा अधीनस्थ सेवा नियमावली का पैरा 12 लागू होता है जिसका विवरण निम्नवत् हैः
राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को अवश्य हीः

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए अथवा
(ख) नेपाल का निवासी होना चाहिए अथवा
(ग) भूटान का निवासी होना चाहिए अथवा

(घ) तिब्बती शरणार्थी होना चाहिए जो भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आए थे।

अथवा

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देशों– केन्या, यूगाण्डा, तंजानिया संयुक्त गणराज्य (पूर्ववर्ती तंजानिका तथा जंजीबार) जाम्बिया मालावी, जायरे तथा इथियोपिया से प्रवास किया हो।

बशर्ते कि श्रेणी (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से संबंधित अभ्यर्थी वैसे व्यक्ति होंगे जिनके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र दिया गया हो।

वैसे अभ्यर्थी जिनके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, को तमिलनाडु लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा संचालित परीक्षा अथवा साक्षात्कार में शामिल किया जा सकता है तथा उन्हें अस्थाई रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा उन्हें आवश्यक प्रमाण–पत्र दिया गया हो।

अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों (तमिलनाडु के अभ्यर्थियों को छोड़कर) को सभी भर्तियों के लिए अन्य अर्थात सामान्य श्रेणी के रूप में माना जाएगा।

## 36.6 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता

क. बताया गया है कि तमिलनाडु द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल (विनियमन) अधिनियम 1973, नियमावली 1974 तथा तमिलनाडु अल्पसंख्यक विद्यालय (मान्यता एवं अनुदानों की अदायगी) नियमावली 1977 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जाती है।

ख. यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार ने शासनादेश (एम०एस०) सं० 270, उच्चतर शिक्षा (जे1) विभाग दिनांक 17.06.1988 के तहत शैक्षणिक संस्थाओं को भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। तद्नुसार, भाषाई अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी सरकार है।

ग. इसके अलावा, शासनादेश (एम०एस०) सं० 48, उच्चतर शिक्षा (ई1) विभाग दिनांक 12.03.2007 के तहत अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करने तथा इसे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित शर्तें भी निर्धारित की गई हैं:

i) सहायता प्राप्त/स्ववित्तपोषित कला एवं विज्ञान महाविद्यालयों को प्रथम बार वर्ष 2007–08 से पांच वर्षों का अल्पसंख्यक दर्जा दिया जा सकता है।

ii) उन संस्थाओं को जिन्हें पहले ही अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा चुका है, के लिए अल्पसंख्यक दर्जे का विस्तार वर्ष 2007–08 से पांच वर्षों तक किया जा चुका है।

iii) निदेशक, कालेजिएट शिक्षा अथवा क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, कालेजिएट शिक्षा, संस्था का वार्षिक निरीक्षण करेंगे।

iv) यदि कोई अल्पसंख्यक संस्था भूल–चूक से अल्पसंख्यक दर्जे के विरूद्ध कोई

कार्य करती है तो विभागाध्यक्ष अल्पसंख्यक दर्जा वापिस लेने के लिए सरकार की जानकारी में इस बात को लाएगा तथा सरकार संबंधित संस्था को एक अवसर देकर अल्पसंख्यक दर्जा वापिस लेने के लिए आगे की कार्रवाई कर सकती है।

घ. बताया गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग अपने क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी है।

ङ. सूचना दी गई है कि 30 जून 2014 तक राज्य में निम्नलिखित भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान की गई हैः

| **भाषा** | **प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल** | **छात्र** | **शिक्षक** |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 276 | 26,877 | 935 |
| तेलुगु | 458 | 18,709 | 1,150 |
| मलयालम | 39 | 1,372 | 96 |
| कन्नड़ | 56 | 3,331 | 154 |
| हिन्दी | 3 | 301 | 6 |
| गुजराती | 2 | 56 | 2 |
| सौराष्ट्र | 1 | 121 | 5 |

| **भाषा** | **उच्च विद्यालय** | **उच्चतर माध्यमिक विद्यालय** |
|---|---|---|
| तेलुगु | 53 | 54 |
| उर्दू | 09 | 18 |
| हिन्दी | — | 7 |
| मलयालम | 23 | 36 |
| गुजराती | — | 3 |
| कन्नड | 3 | 5 |

| **भाषा** | **उच्चतर शिक्षा (कला एवं विज्ञान)** |
|---|---|
| तेलुगु | 1 |
| मलयालम | 1 |

| **भाषा** | **उच्चतर शिक्षा (इंजीनियरिंग)** |
|---|---|
| तेलुगु | 43 |
| कन्नड | 1 |
| हिन्दी | 1 |
| मलयालम | 2 |
| सौराष्ट्र | 2 |

च. 30 जून, 2013 तक भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था के रूप में मान्यता हेतु लंबित आवेदनों की स्थिति निम्नवत् हैः

प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल—शून्य

**<u>उच्चतर शिक्षा</u>**

कालेज — तेलुगु —2

तकनीकी शिक्षा — तेलुगु —7

मलयालम — 1

### 36.7 भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को सहायता–अनुदान

क. सूचित किया गया है कि तमिलनाडु द्वारा मान्यताप्राप्त प्राइवेट स्कूल निजी विद्यालय विनियमन अधिनियम, 1974 की धारा 14क के अनुसार 01.06.1991 के बाद किसी नई शैक्षणिक संस्था को कोई सहायता नहीं दी गई है।

ख. राज्य में वर्ष 2013–14 के लिए भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को स्वीकृत सहायता–अनुदान का विवरण निम्नलिखित है:

| स्तर | स्कूलों की संख्या | अल्पसंख्यक भाषाओं के नाम | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | उर्दू | तेलुगु | मलयालम | कन्नड़ | हिंदी | सौराष्ट्र | गुजराती |
| प्राथमिक | 46 | 0 | 7 | 27 | 2 | 4 | 5 | 1 |
| उच्च प्राथमिक | 21 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |

## भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए शैक्षणिक सुविधाएँ

### 36.8 प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

क. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैं :

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 230 | 22,670 | 609 |
| तेलुगु | 391 | 12,796 | 808 |
| मलयालम | 29 | 978 | 69 |
| कन्नड़ | 47 | 2,361 | 87 |
| हिंदी | 3 | 301 | 6 |
| गुजराती | 2 | 56 | 2 |

ख. शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत हैं:

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 170 | 19,169 | 432 |
| तेलुगु | 276 | 9,071 | 460 |
| कन्नड़ | 15 | 541 | 31 |
| मलयालम | 29 | 1,009 | 79 |
| हिंदी | 3 | 228 | 9 |

### 36.9 उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

क. सूचित किया गया है कि शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत हैं:

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 46 | 4,207 | 127 |
| तेलुगु | 67 | 5,913 | 342 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| मलयालम | 10 | 394 | 27 |
| कन्नड़ | 9 | 970 | 67 |

शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा (उच्च विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा रिपोर्ट के अनुसार) निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 36 | 5,986 | 202 |
| तेलुगु | 66 | 4,448 | 162 |
| मलयालम | 58 | 2,256 | 115 |
| कन्नड़ | 15 | 2,555 | 77 |

ख. शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैंः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 128 | 15,419 | 323 |
| तेलुगु | 126 | 5,210 | 294 |
| कन्नड़ | 1 | 10 | 1 |
| मलयालम | 13 | 657 | 41 |
| हिंदी | 3 | 840 | 27 |

उच्च विद्यालय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| उर्दू | 105 | 14,918 | 289 |
| तेलुगु | 67 | 4,245 | 152 |
| कन्नड़ | 1 | 132 | 4 |
| मलयालम | 11 | 508 | 29 |

36.10 **माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 10 तक)**

क. बताया गया है कि माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| तेलुगु | 70 | 5,735 | 241 |
| मलयालम | 46 | 5,023 | 189 |
| उर्दू | 06 | 362 | 06 |
| कन्नड़ | 08 | 957 | 33 |
| हिन्दी | 10 | 274 | 24 |
| गुजराती | 02 | 12 | – |
| अरबी | 12 | 4,448 | 66 |

ख. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय के रूप में पढ़ने की

सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| अरबी | 4 | 450 | 15 |

36.11 **उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 से 12 तक)**

क. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर, अल्पसंख्यक भाषाओं को शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैंः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| तेलुगु | 28 | 1,176 | 62 |
| मलयालम | 5 | 304 | 4 |
| उर्दू | 1 | 95 | – |
| कन्नड़ | 2 | 688 | 7 |
| हिन्दी | 2 | 153 | 1 |
| अरबी | 2 | 80 | 2 |

ख. शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को एक विषय के रूप में पढ़ने की सुविधा का ब्यौरा निम्नवत् हैः

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | शिक्षक |
|---|---|---|---|
| गुजराती | 2 | 90 | – |
| अरबी | 3 | 327 | 3 |

36.12 **त्रिभाषा सूत्र**

क. सूचित किया गया है कि राज्य में द्विभाषा सूत्र का अनुपालन किया जाता है। इसका ब्यौरा निम्नलिखित हैंः

प्रथम भाषा : तमिल – मातृभाषा
द्वितीय भाषा : अंग्रेजी

ख. यह भी सूचना दी गई है कि जो अपनी भाषा पढ़ना चाहते हैं उन्हें तीसरी भाषा अतिरिक्त भाषा के रूप में पढ़नी होगी।

36.13 **अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए शिक्षक**

क. अल्पसंख्यक भाषाओं को माध्यम एवं एक विषय के रूप में पढ़ाने के लिए शिक्षकों के स्वीकृत एवं भरे हुए पदों का विवरण निम्नवत है :

**प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा**

| भाषा | माध्यम के रूप में | | विषय के रूप में | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत पद | भरे हुए पद | स्वीकृत पद | भरे हुए पद |
| तेलुगु | 801 | 702 | 194 | 208 |
| मलयालम | 95 | 97 | 95 | 93 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| उर्दू | 570 | 428 | 131 | 94 |
| कन्नड़ | 160 | 116 | 4 | 4 |
| हिंदी | 7 | 7 | 7 | 8 |
| गुजराती | 2 | 2 | 2 | 2 |

**माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा**

| भाषा | माध्यम के रूप में | | विषय के रूप में | |
|---|---|---|---|---|
| | स्वीकृत पद | भरे हुए पद | स्वीकृत पद | भरे हुए पद |
| तेलुगु | 299 | 271 | 203 | 116 |
| मलयालम | 110 | 106 | 118 | 114 |
| उर्दू | 279 | 266 | 281 | 255 |
| कन्नड़ | 42 | 21 | 14 | 8 |
| अरबी | 5 | 5 | 5 | 5 |

ख. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

ग. बताया गया है कि अल्पसंख्यक शिक्षकों के आदान–प्रदान के लिए पड़ोसी राज्यों से कोई परस्पर सहयोग नहीं लिया जाता है।

## 36.14 अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें

क. बताया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा में पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में ही उपलब्ध करा दी जाती है। तमिलनाडु पाठ्य–पुस्तक निगम द्वारा शैक्षणिक सत्र 2013–14 के दौरान अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्यपुस्तकों की 4,98,700 प्रतियां मुद्रित तथा सप्लाई की गई हैं।

ख. सूचना दी गई है कि सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकें निःशुल्क सप्लाई की जाती है। प्राइवेट स्कूलों के छात्रों को बिक्री–प्रतियों की आपूर्ति वहनीय दरों पर की जाती है।

## 36.15 विद्यालयों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव

बताया गया है कि 470 प्राथमिक विद्यालयों, 63 उच्च प्राथमिक विद्यालयों, 28 माध्यमिक, 60 उच्चतर माध्यमिक, 48 तकनीकी शिक्षा तथा 7 उच्चतर शिक्षा स्कूलों में 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव किया जा रहा है।

## 36.16 अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन और विकास

क. बताया गया है कि राज्य में अल्पसंख्यक भाषा के संवर्धन की कोई योजना नहीं है।

ख. उर्दू भाषा के संवर्धन एवं विकास के लिए स्थापित अकादमी का विवरण निम्नवत है :

| भाषा | अकादमी का नाम | कब स्थापित की गई | 2013–14 के लिए बजट |
|---|---|---|---|
| उर्दू | उर्दू अकादमी | शासनादेश (एम.एस.) सं० 210, उच्चतर शिक्षा विभाग दिनांक 12.7.2006 | शून्य |

## 36.17 रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र

क. सूचित किया गया है कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग, भाषाई अल्पसंख्यकों के मामलों की देखभाल कर रहा है। तमिलनाडु के राज्य अल्पसंख्यक आयोग को पिछली बार 28.12.2012 को पुनर्गठित किया गया। अध्यक्ष तथा 6 सदस्यों ने 01.01.2013 को प्रभार ग्रहण किया। इसकी पिछली बैठक 10 नवम्बर, 2014 को आयोजित की गई थी।

ख. राज्य अल्पसंख्यक आयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से संस्तुतियां करता हैः

i. भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन को सुनिश्चित किए जाने हेतु।

ii. अध्ययन, अनुसंधान, और विश्लेषण करने तथा अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव को दूर करने के उपाय का सुझाव देने हेतु।

iii. राज्य में साम्प्रदायिक सदभाव को सुनिश्चित करने, बनाए रखने तथा बढावा देने हेतु संस्तुति करने के लिए।

iv. अल्पसंख्यकों के संबंध में सरकार द्वारा किए जाने के लिए उपयुक्त विधिक एवं कल्याणकारी उपायों का सुझाव देने हेतु।

ग. बताया गया है कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/ संबद्ध शिक्षा विभागों के मुख्य शिक्षाधिकारियों को भाषाई अल्पसंख्यक मामलों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है।

## 36.18 संवैधानिक अधिकारों एवं रक्षोपायों का प्रचार

क. यह सूचित किया गया है कि शासनादेश (एम० एस०) सं० 455 पब्लिक (पार्टीसन) विभाग दिनांक 14.3.1961 में इस आशय के आदेश जारी किए गए हैं कि सभी महत्वूपर्ण सरकारी नोटिस, नियमावली तथा मतदाता सूची तथा प्रपत्रों इत्यादि का प्रकाशन अल्पसंख्यक भाषाओं में किया जाएगा। अल्पसंख्यक भाषाओं में दस्तावेजों के पंजीकरण इत्यादी की सुविधाएं उन क्षेत्रों में प्रदान की जाएंगी जहाँ की स्थानीय जनसंख्या के 20 प्रतिशत या अधिक लोग तमिल से भिन्न अल्पसंख्यक भाषाओं को बोलने वाले हैं।

ख. ऐसा सूचित किया गया है कि जिला स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं/विद्यालयों के बुनियादी विकास की योजना, स्कूल शिक्षा विभाग, द्वारा संबद्ध राजस्व जनपदों के मुख्य शिक्षाधिकारी की अध्यक्षता में तैयार की गई है।

## 36.19 निष्कर्ष/संस्तुतियां

आयुक्त ने 4–8 सितम्बर, 2014 तक सहायक आयुक्त (दक्षिणी अंचल) के साथ चेन्नई, जिंजी, वनियमबडी, वेल्लौर का दौरा किया तथा राज्य के अधिकारियों एवं विभिन्न भाषाई अल्पसंख्यक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। उन्होंने 5 सितम्बर, 2014 को मुख्य सचिव तथा पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उच्चतर शिक्षा, स्कूल शिक्षा के प्रमुख सचिवों एवं विभिन्न भाषाई अल्पसंख्यक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ चेन्नई में मुलाकात की तथा राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की स्थिति पर विस्तृत विचार–विमर्श किए। उनके निष्कर्ष तथा सिफारिशें निम्नलिखित हैंः

क. हालाकिं राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक भाषाएं पढ़ने की सुविधाएं प्रदान की हैं, फिर भी, भाषाई अल्पसंख्यकों ने इस बात की जानकारी दी कि तमिल शिक्षा अधिनियम 2006 से भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चे पाठ्यक्रम के तहत एक मूलभूत भाषा के रूप में अपनी मातृभाषा पढने से वंचित रह जांएगे।

अतः राज्य सरकार से आग्रह है कि भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्याओं का निवारण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि अनुच्छेद 350 क के तहत संवैधानिक रक्षोपाय लागू हो ताकि राज्य में अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में सुनिश्चित हो सके।

ख. अतः राज्य सरकार से आग्रह है कि वे "त्रिभाषा सूत्र" को लागू करें जिससे कि भाषाई अलपसंख्यक छात्र अपनी भाषाएं पढ़ सकें।

ग. अल्पसंख्यक भाषा के स्कूलों/छात्रों/शिक्षकों के संबंध में प्रदत्त आंकड़े पिछली रिपोर्ट के लिए प्रदत्त आंकड़ों से काफी अलग है और उन्हें समेकित तथा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता है।

घ. राज्य में अल्पसंख्यक भाषा के शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधा के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वे सूचना प्रदान करें।

ङ सौराष्ट्र भाषा पढ़ने की सुविधा के संबंध में सूचना को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

च. राज्य सरकार से आगह है कि जिन जिला/तहसील/तालुका/नगरपालिका की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएं बोली जाती है वहां महत्वपूर्ण नियमों, विनियमों, सूचनाओं इत्यादि का अनुवाद और प्रकाशन अल्पसंख्यक भाषाओं में सुनिश्चित करें।

छ. राज्य सरकार को शिकायतों के निवारण के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदन प्राप्त करने तथा उनका उन्हीं भाषाओं में उत्तर देना सुनिश्चित करना चाहिए।

ज. राज्य सरकार को राज्य सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न–पत्रों के लिए उत्तर में अल्पसंख्यक भाषाओं के इस्तेमाल की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए।

झ. उर्दू अकादमी को पुनर्जीवित किए जाने की आवश्यकता है तथा इसके संवर्धन एवं संरक्षण के लिए आवश्यक निधि दी जानी चाहिए। अन्य अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए अकादमियों के गठन की भी अनुशंसा की जाती है।

ञ. राज्य सरकार को भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों तथा सुविधाओं का व्यापक प्रचार–प्रसार शुरू करना चाहिए जिससे कि राज्य में उनमें जागरूकता फैल सके।

ट. राज्य सरकार को राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित करने की सलाह दी जाती है। उसी प्रकार जिलाधिकारी की अध्यक्षता से जिला स्तरीय समिति भी गठित की जा सकती है ताकि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

36.20 तमिलनाडु सरकार से आग्रह है कि उपर्युक्त बिन्दुओं का संज्ञान लें तथा आवश्यक उपचार उपाय करे ताकि राज्य मे भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

# सिफारिशें 37

## राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

### भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए नोडल अधिकारी

37.1 आंचलिक परिषदों के उपाध्यक्षों की समिति की प्रथम बैठक (नवम्बर,1961) में सहमति बनी थी कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक नोडल अधिकारी होना चाहिए जो मुख्य सचिव के निर्देश पर कार्य करेगा। इसपर भी सहमति हुई थी कि इस अधिकारी द्वारा समय–समय पर एक टिप्पणी तैयार की जानी चाहिए जिसमें (1) भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन की प्रगति; (2) भारत सरकार, भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त तथा अन्य राज्य सरकारों के पास भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित लंबित पत्र–व्यवहार,यदि कोई हो;(3) भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के दौरे, यदि कोई हो; तथा (4) राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा निहित होगी। तथापि, भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त की रिपोर्ट की प्रश्नावली के उत्तर में यह देखने में आया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए नोडल अधिकारी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। नोडल अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि आयुक्त की प्रश्नावली के व्यापक एवं विस्तृत उत्तर समय से भेजे जाएं जिससे कि संवैधानिक प्राधिकारी अपनी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को नियत समयावधि के भीतर प्रस्तुत कर सकें। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह किया जाता है कि वे भाषाई अल्पसंख्यकों के मामलों की देखभाल करने के लिए एक सक्षम अधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित करें।

### भाषाई अल्पसंख्यकों की आबादी वाले क्षेत्रों को चिन्हित एवं घोषित करना

37.2 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भाषाई रूपरेखा 2001 की जनगणना पर आधारित हैं। 2011 की जनगणना के भाषाई आंकड़ों की अभी भी प्रतीक्षा है। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2011 की जनगणना से भाषाई अल्पसंख्यकों की आबादी का निर्धारण करना चाहिए ताकि उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भाषाई अल्पसंख्यकों की जनसंख्या के संबंध में अस्पष्टता दूर हो सके। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उन भाषाई अल्पसंख्यकों की आबादी वाले क्षेत्रों को घोषित/अधिसूचित भी करना चाहिए जो स्थानीय स्तर अर्थात जिला/नगरपालिका/तालुक स्तरों पर स्थानीय जनसंख्या के 15 प्रतिशत से अधिक हों जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

### सरकारी प्रयोजनों के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं का इस्तेमाल

37.3 मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन 1961 में सहमति बनी थी कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आधिकारिक भाषा व्यापक रूप से सरकारी प्रयोजनों के लिए अभिप्रेत है। तथापि, आम लोगों के साथ संप्रेषण का उद्देश्य यह होना चाहिए कि बहुसंख्यक लोग यह समझ सकें कि उन्हें क्या संप्रेषित किया जाता है। अतः जहां प्रचार–प्रसार अपेक्षित हो, वहां राजभाषा के साथ–साथ उस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली अन्य भाषाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

37.4 इसपर भी सहमति दी गई कि किसी जिले या किसी छोटे क्षेत्र जैसे कि नगरपालिका या तहसील जहां कहीं, भाषाई अल्पसंख्यकों की आबादी कुल आबादी का 15 से 20 प्रतिशत हो तो यह वांछनीय होगा कि महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाएं तथा नियम अल्पसंख्यकों की भाषा में, किसी अन्य

भाषा या भाषाएं जिनमें ऐसे दस्तावेज सामान्य क्रम में अन्यथा प्रकाशित होते हैं, के साथ प्रकाशित करवाए जाएं। राज्य के मुख्यालय में अनुवाद ब्यूरो की स्थापना करने तथा इस प्रयोजनार्थ अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद की सुविधा प्रदान करने पर सहमति दी गई थी।

37.5 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त उत्तरों में पाया गया है कि अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक भाषाओं का इस्तेमाल स्थानीय आधिकारिक संव्यवहार में नहीं किया जा रहा है। महत्वपूर्ण नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं, राशन कार्ड,मतदाता सूची इत्यादि के अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं आपूर्ति की व्यवस्था की उपेक्षा की गई है। भाषाई अल्पसंख्यकों की आबादी वाले कई जिलों से भी सूचना मिली है कि सार्वजनिक लेन–देन वाले कार्यालयों के सूचना–पट्ट, साइन–बोर्ड तथा बसों के गंतव्य स्थानों के बोर्ड राजभाषाओं के साथ–साथ अल्पसंख्यक भाषाओं में नहीं लिखे जाते हैं। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह है कि वे महत्वपूर्ण नियमों, आदेशों अधिसूचनाओं इत्यादि के अल्पसंख्यक भाषाओं में अनुवाद एवं आपूर्ति की सुविधा स्थापित करें।

37.6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त उत्तरों में यह भी पाया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों की स्वीकृति तथा उन्हीं भाषाओं में उनके जवाब देने का प्रचलन अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नहीं है। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि किसी व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी अल्पसंख्यक भाषा में स्वीकार किया जाए तथा संविधान के अनुच्छेद 350 के तहत किए गए उपबंध के अनुसार उसी भाषा में उत्तर देने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाए।

**राज्य सेवाओं में भर्ती**

37.7 मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन 1961 में सहमति दी गई थी कि राज्य की सेवाओं की भर्ती में भाषा अवरोध नहीं होनी चाहिए। अतः राज्य की राजभाषा के अलावा,परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी या अंग्रेजी का इस्तेमाल करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। चयन होने के उपरांत तथा परिवीक्षा समाप्त होने से पूर्व राज्य की राजभाषा में प्रवीणता की जांच–परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए।

37.8 तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त उत्तरों में बताया गया है कि राज्य की सेवा में भर्ती के लिए अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान एक पूर्वापेक्षा रही है। यह भी बताया गया है कि राज्य सेवा की भर्ती परीक्षा में प्रश्न–पत्रों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में दिए जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। राज्य की सेवाओं में आने के समय एक पूर्वापेक्षा के रूप में राज्य की राजभाषा के ज्ञान पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक भाषाओं में परीक्षा के उत्तर लिखने का विकल्प दिया जाना चाहिए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भाषाई अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन, 1961 में लिए गए निर्णयानुसार परिवीक्षा की अवधि के भीतर राज्य की राजभाषा में अर्हता हासिल करने के लिए पर्याप्त समय भी देना चाहिए।

37.9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त उत्तर से यह पता चला है कि कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए अभी भी अधिवासीय प्रतिबंध लगा रहे हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रस्तावित रक्षोपायों से संबंधित भारत सरकार के ज्ञापन,1956 में यह अत्यंत सुस्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य की सेवाओं की किसी भी शाखा या संवर्ग में आवास के संदर्भ में कोई भी प्रतिबंध लगाना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों से संबंधित दक्षिणी आंचलिक परिषद की मंत्रालयीन समिति, 1959 में भी कहा गया था कि लोक सेवाओं में भर्ती को अधिवासीय प्रतिबंधों द्वारा सीमाबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह किया जाता है कि वे राज्य की सेवाओं में भर्ती के लिए अधिवासीय प्रतिबंध न लगाएं तथा विशेषतौर पर भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षकों की भर्ती के मामले में नीति की समीक्षा करें जिससे कि अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बढ़ी संख्या में रिक्त पड़े पदों को भरा जा सके।

**भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना एवं संबद्ध करना**

37.10 राज्य पुनर्गठन आयोग (एस आर सी) की सिफारिशों तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्रस्तावित रक्षोपायों से संबंधित भारत सरकार के ज्ञापन, 1956 में शैक्षणिक संस्थाओं को नए या पुनर्गठित राज्यों में स्थित उपयुक्त विश्वविद्यालयों या शिक्षा बोर्ड से संबद्ध करने तथा मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर चर्चा की गई थी। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन,1961 में सहमति दी गई थी कि शैक्षणिक संस्थाओं जैसे कि स्कूलों तथा कालेजों को मातृभाषा में पाठ्यक्रम के संबंध में, उसी राज्य में तथा कतिपय मामलों में उस राज्य के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों तथा अन्य प्राधिकरणों से संबद्ध किया जा सकता है।

37.11 यद्यपि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ने के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करते हैं, तथापि, भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना अपेक्षित है, जैसा कि धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थाओं के मामले में किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा तथा उन्हें अपनी पसन्द की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित एवं प्रशासित करने के अधिकार का प्रावधान है। तथापि, अनेक राज्यों से सूचना प्राप्त हुई है कि भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता देने की प्रक्रिया धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थाओं के समतुल्य नहीं है। यह एक सर्वसम्मत तथ्य है कि भाषाई अल्पसंख्यक एक राज्य–आधारित संकल्पना है और इसलिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थाओं के समकक्ष मान्यता देने के संबंध में यथोचित विचार करें।

37.12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे उचित विनियम लाकर भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को उनकी राज्य या केन्द्रीय बोर्ड जैसे कि सी०बी०एस०ई, आई०सी०एस०ई इत्यादि से संबद्धता के आधार पर भेदभाव किए बगैर मान्यता या अल्पसंख्यक दर्जा प्रदान करें।

**भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए प्राधिकारी**

37.13 हाल के समय में भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त के कार्यालय तथा आंचलिक कार्यालयों में अनेक भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं तथा वैयक्तिक संस्थाओं को भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए अभ्यावेदनों तथा प्रश्नों की भरमार हो गई थी। यह भी सूचना प्राप्त हुई है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के निमित्त कार्यरत व्यक्तियों एवं निकायों को भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर कोई पदनामित प्राधिकारी नहीं हैं। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह है कि वे अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के निमित्त कार्य करने वाले व्यक्तियों तथा संगठनों को भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश बनाएं तथा जिला/राज्य स्तरों पर प्राधिकारियों को नामित करें।

**अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ने की सुविधाएं**

37.14 भाषाविदों तथा शिक्षाविदों के लिए यह चिंता का बड़ा कारण रहा है कि अनेक भारतीय भाषाएं विशेषकर जनजातीय तथा अल्पसंख्यक भाषाएं जो लिपिविहीन हैं,लुप्त होने के कगार पर हैं। यह बात भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की जानकारी में लाई गई है तथा समुचित उपचारी कार्रवाईयों के लिए इसे केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी०आई०आई०एल), मैसूर के साथ उठाया गया है। साथ ही, मातृभाषा में शिक्षण या विषय के रूप में मातृभाषा पढ़ने की मौजूदा सुविधाएं भी कुछ राज्यों की उदासीनता तथा उनके द्वारा प्राथमिक स्तर पर राजभाषा/प्रधान भाषाओं की शिक्षा देने की नीति के कारण संकट में है। यह सिद्ध एवं सार्वभौमिक रूप से माना हुआ है कि मातृभाषा में शिक्षा बच्चों की उनके जीवन के आरंभिक चरण में मानसिक क्षमता को विकसित करने की सर्वोत्तम पद्धति है।

37.15 संविधान के अनुच्छेद 350क में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। तथापि, अनेक भाषाई अल्पसंख्यक संगठनों के साथ हुई बातचीत तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त उत्तर के आधार पर पाया गया है कि अल्पसंख्यक भाषा पढ़ने की सुविधाएं किसी–न–किसी कारण से कम होती जा रही हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों की योजना में भी परिकल्पित था कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए पृथक स्कूलों तथा पृथक अनुभागों के संबंध में 1 नवम्बर,1956 तक की स्थिति के अनुसार शिक्षकों सहित छात्रों की संख्या तथा स्कूल की सुविधाओं का पता लगाया जाएगा तथा इन्हें कमी किए बगैर जारी रखा जाएगा। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे अनुच्छेद 350क के तहत उपबंधित संवैधानिक रक्षोपाय को मूलभाव में लागू करें ताकि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षण के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित हो सके।

37.16 प्रांतीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन,1949 में अपनाए गए संकल्प में स्पष्ट रूप से परिकल्पित है कि अवर बुनियादी (जूनियर बेसिक) स्तर पर बच्चे की शिक्षा और परीक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा ही होनी चाहिए, और जहां मातृभाषा प्रादेशिक अथवा राज्य की भाषा से भिन्न हो, वहां छात्र की मातृभाषा में शिक्षा के लिये कम से कम एक अध्यापक की नियुक्ति का प्रबन्ध किया जाना चाहिए बशर्ते कि इस भाषा को बोलने वाले छात्रों की संख्या समस्त स्कूल में 40 से कम या एक कक्षा में 10 से कम न हों। छात्र की मातृभाषा वही मानी जायेगी जिसकी घोषणा उसके माता–पिता या अभिभावक करेंगे। यदि प्रादेशिक या राज्य की भाषा मातृभाषा से भिन्न हो तो उसकी शिक्षा तीसरी कक्षा के पहले और अवर बुनियादी स्तर की समाप्ति के बाद आरम्भ होनी चाहिये। माध्यमिक स्तर पर प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने में इन छात्रों को सुविधा हो, इसके लिये इन छात्रों को अवर बुनियादी स्तर के बाद शुरू के दो वर्ष तक मातृभाषा में भी प्रश्नों के उत्तर देने की छूट देनी चाहिए। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भी अपनी मातृभाषा पढ़ने की पर्याप्त सुविधा दी जाती हो।

**मातृभाषा का अनिवार्य पंजीकरण**

37.17 भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त द्वारा यह निर्देश दिया जाता रहा है कि सभी स्कूलों में भाषाई वरीयता पंजियों (अग्रिम पंजी) का अनुरक्षण किया जाए ताकि स्थानीय स्तर पर अल्पसंख्यक बच्चों की मातृभाषा पढ़ने की मांग का निर्धारण किया जा सके। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे स्कूलों में भाषाई वरीयता पंजियों का अनुरक्षण करें ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक भाषाओं का शिक्षण सुगम हो सके, दाखिले के समय बच्चों का अन्तर–विद्यालय समायोजन सुगम हो सके तथा भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के छात्रों के हितार्थ पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

37.18 इसके अलावा, आयुक्त ने अपनी 50वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया कि स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन–प्रपत्रों में उपयुक्त स्तंभ शामिल किए जाएं ताकि (i) बच्चे की मातृभाषा; (ii) तरजीह दी गई प्रथम भाषा; (iii) वैकल्पिक विषय/तीसरी भाषा–जो माता–पिता पढ़वाना चाहते हों, का निर्धारण हो सके जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि संविधान के अनुच्छेद 350 क में यथा उल्लिखित अल्पसंख्यक भाषाई वर्ग के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपनी कृत कार्रवाई रिपोर्ट (ए०टी०आर०) में सूचित किया है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी०बी०एस०ई०) से संबद्ध सभी स्कूलों को सी०बी०एस०ई० के पत्र संख्या सी०बी०एस०ई०/जे०एस० (ए०एंड०एल०)/2014 दिनांक 29.09.2014 के तहत छात्रों के दाखिले फार्म में (i) बच्चे की मातृभाषा (ii) तरजीह दी गई प्रथम भाषा (iii)

माता–पिता द्वारा तरजीह दी गई वैकल्पिक/तीसरी भाषा दर्ज करने का अनुदेश दिया गया है। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे देश में स्कूलों में दाखिले के आवेदन–प्रपत्र में उपर्युक्त आवश्यक स्तम्भ को शामिल करें ताकि बच्चे की मातृभाषा से संबंधित सूचना तथा त्रिभाषा सूत्र के तहत अध्ययन के लिए भाषाओं की तरजीह का निर्धारण हो सके और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

## त्रिभाषा सूत्र

37.19 त्रिभाषा सूत्र भाषा विषयों को पढ़ाने के लिए शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अपनाए जाने हेतु, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है। मुख्यमंत्रियों के सम्मलेन,1961 में सहमति बनी थी कि इस सूत्र को सरल किया जाना चाहिए तथा शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के लिए भाषा विषय निम्नवत होने चाहिएः

(क) क्षेत्रीय भाषा तथा मातृभाषा जिसमें मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा से भिन्न हो;
(ख) हिन्दी अथवा, हिन्दी भाषी क्षेत्रों में कोई अन्य भारतीय भाषा; तथा
(ग) अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा।

''त्रिभाषा सूत्र'' का अनुपालन तमिलनाडु और पुदुच्चेरी को छोड़कर प्रायः सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जा रहा है। यह भी पाया गया है कि अधिकांश राज्यों में राज्य की राजभाषा पढ़ना पाठ्यक्रम में अनिवार्य कर दिया गया है। अनुच्छेद 350क के तहत उल्लिखित संवैधानिक रक्षोपायों के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने प्रदेश के भीतर भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करें तथा शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा प्रदान करें। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह है कि वे अपनी शिक्षा नीति की समीक्षा करें तथा उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में त्रिभाषा सूत्र लागू करें।

## भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षकों की भर्ती एवं प्रशिक्षण

37.20 विभिन्न भाषाई अल्पसंख्यक संगठनों के साथ हुई बातचीत तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रत्युत्तरों में यह देखा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षकों के पद देश भर में बड़ी संख्या में रिक्त पड़े हुए हैं। यह भी पाया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षक के प्रशिक्षण की सुविधा अपर्याप्त है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इस मामले में उपेक्षा प्रदर्शित हुई है। यह गंभीर चिंता का मामला रहा है। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया जाता है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भाषाई वर्गों के बच्चों के हितार्थ अल्पसंख्यक भाषाओं के पर्याप्त प्रशिक्षित शिक्षक तैनात किए जाएं।

## अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकें तथा शिक्षण सामग्री

37.21 ऐसा पाया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में ही उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। यह भी पाया गया है कि विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के पाठ्यक्रम में भिन्नता होने से अन्तर–राज्य व्यवस्था द्वारा पुस्तकों की आपूर्ति में देरी होती रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री की आपूर्ति रियायती मूल्यों पर की जाने की अपेक्षा की जाती है। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह है कि वे उपयुक्त तंत्र स्थापित करके भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के हितार्थ शैक्षणिक सत्र के आरम्भ में ही पाठ्य–पुस्तकों का अन्तर–राज्यीय मुद्रण/प्रापण और आपूर्ति सुनिश्चित करें।

**अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन एवं विकास**

37.22 भाषाओं का संवर्धन एवं विकास देश भर में सरकारी तथा गैर–सरकारी, दोनों स्तरों पर किया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम०एच०आर०डी०) ने संरक्षण एवं प्रचार–प्रसार की एक व्यवस्थित प्रणाली के जरिए सभी भारतीय भाषाओं का संवर्धन एवं संरक्षण करने हेतु केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी०आई०आई०एल०) तथा केन्द्रीय हिंदी संस्थान और राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एन०सी०पी०यू०एल०) स्थापित किए हैं। अल्पसंख्यक भाषाओं की साहित्यिक विरासत को परिरक्षित करने तथा नए लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अकादमियां स्थापित की हैं। तथापि, अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्धन एवं विकास के लिए योजनाओं, अकादमियों तथा बजट आवंटन के संबंध में राज्यों द्वारा प्रदत्त सूचना आशावर्धक प्रतीत नहीं होती है। अनेक राज्यों में अकादमियां स्थापित हैं किन्तु निष्क्रिय हैं। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से आग्रह है कि वे यह सुनिश्चित करें कि अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्धन एवं विकास करने के लिए पर्याप्त उपाए किए जाते हों।

37.23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों एवं सुविधाओं का प्रचार–प्रसार करना है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रत्युत्तरों में पाया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध रक्षोपायों तथा सुविधाओं का प्रचार–प्रसार करने के लिए तंत्र/सुविधा तंत्र स्थापित नही किया गया है। अतः अनुरोध किया जाता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को उनके लिए प्रदत्त अधिकारों एवं सुविधाओं के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मीडिया, पैम्फलेट, हैंड–आऊट इत्यादि के जरिए भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध रक्षोपायों तथा सुविधाओं का प्रचार–प्रसार करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

**रक्षोपायों के कार्यान्वयन के लिए तंत्र**

37.24 मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन, 1961 में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों की सहमतिजन्य योजना में रक्षोपायों का मूलरूप में कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य/जिला स्तरों पर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन हेतु तंत्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रत्युत्तरों एवं अध्ययन संबंधी दौरों में देखा गया है कि अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे किसी तंत्र की स्थापना नहीं की गई है। भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की रिपोर्टों में भाषाई अल्पसंख्यकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए राज्य/जिला स्तरीय समितियों की स्थापना तथा उनके लिए रक्षोपायों के कार्यान्वयन में आ रही अड़चनों को दूर करने की आवश्यकता को प्रायः दोहराया गया है। स्थानीय स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच राष्ट्रीय एकीकरण, एकता एवं शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व सुनिश्चित करने की भी परिकल्पना की गई है। अतः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे राज्य/जिला स्तरीय समितियों को गठित करें तथा रक्षोपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

## भारत सरकार
## प्रधान मंत्री कार्यालय
### मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन

37.25 मुख्यमंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों की एक बैठक दिनांक 11 तथा 12 अगस्त, 1961 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई। चर्चा का मुख्य विषय भाषा तथा इसके विभिन्न पहलुओं का सवाल था। पंड़ित जी ने उस विषय पर संविधान में मौजूद उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए चर्चा की शुरूआत की। उन्होंने विशेषतौर पर अनुच्छेद 29, 30, 350 क और 350 ख का उल्लेख किया। उन्होंने भारत सरकार के 4 सितम्बर, 1956 के ज्ञापन का भी हवाला दिया जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों के संबंध में राज्य पुनर्गठन आयोग (एस०आर०सी०,1956) की सिफारिशों पर विचार करने के बाद तैयार किया गया था। इसे राज्यों के

मुख्यमंत्रियों के साथ परामर्श करने के बाद जारी किया गया था। यह ज्ञापन एक प्रकार से अखिल भारतीय संहिता के रूप में था जिसमें सभी राज्यों के भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए स्वीकृत न्यूनतम रक्षोपायों को निर्दिष्ट किया गया था।

37.26 बैठक इस बात के साथ समाप्त हुई कि राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के अत्यधिक महत्व को देखते हुए, की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करने तथा जब भी आवश्यक हो, आगे की कार्रवाई का सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों की और अधिक बारम्बार बैठकें की जानी चाहिए। इस उद्देश्य को मूर्त रूप देने में सफलता सभी राज्यों तथा केन्द्र सरकार की सतत निगरानी तथा सहयोग पर निर्भर थी। राष्ट्रीय एकीकरण की अत्यधिक महत्ता के दृष्टिगत सहमति दी गई कि इसपर राष्ट्रीय योजना में कार्रवाई की जानी चाहिए। इस प्रयोजनार्थ, अपेक्षाकृत बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाना चाहिए जिसमें मुख्यमंत्रियों तथा केन्द्रीय मंत्रियों के साथ–साथ संसद में विभिन्न दलों के प्रमुख सदस्य तथा शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों तथा पेशेवर व्यक्तियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति होने चाहिए। पांच दशक बीत जाने पर भी ऐसा कोई सम्मेलन नहीं आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री से सहृदय अनुरोध किया जा सकता है कि वे मुख्यमंत्रियों एवं केन्द्रीय मंत्रियों, संसद में विभिन्न दलों के प्रमुख सदस्यों तथा शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों एवं पेशेवर लोगों सहित विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मेलन आयोजित करें जिससे कि पचास से भी अधिक वर्ष पूर्व तैयार किए गए भाषाई अल्पसंख्यक संबंधी रक्षोपायों की योजना की पुनः अभिपुष्टि की जा सके।

## गृह मंत्रालय

### राष्ट्रीय एकीकरण परिषद/आंचलिक परिषदों की बैठकें:

37.27 हालांकि राष्ट्रीय एकीकरण परिषद की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं, फिर भी हाल के वर्षों में भाषाई अल्पसंख्यकों की विषय–वस्तु पर चर्चा नहीं की गई है। उदीयमान आधुनिक समाज को ध्यान में रखते हुए तथा समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए देश में भाषाई अल्पसंख्यकों की बढ़ती हुई मांगों तथा आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना अनिवार्य है। भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त राष्ट्रीय एकीकरण परिषद तथा आंचलिक परिषद की बैठकों में "विशेष आमंत्रित सदस्य" रहे हैं। तथापि, भाषाई अल्पसंख्यक की विषय–वस्तु पर विगत कुछ समय से चर्चा नहीं की गई है। अतः आग्रह किया जाता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्याओं से निपटने तथा भाषाई सामंजस्य और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों की विषय–वस्तु को इन बैठकों की कार्य–सूची में नियमित विषय बना दिया जाना चाहिए।

### भाषाई सर्वेक्षण

37.28 ब्रिटिश शासन के दौरान 1894 से 1928 तक भारतीय भाषाओं का एक व्यापक सर्वेक्षण किया गया। भारत का नवीन भाषाई सर्वेक्षण प्रोजेक्ट वर्ष 1984 में, भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त के भाषा प्रभाग द्वारा शुरू किया गया था। तथापि, सर्वेक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है और सर्वेक्षण की स्थिति ज्ञात नहीं है। इसी बीच एक गैर–सरकारी संगठन द्वारा भारतीय लोगों के भाषाई सर्वेक्षण के बारे में मीडिया में व्यापक रूप से खबर छायी रही है। अतः गृह मंत्रालय से आग्रह है कि भारत के नवीन भाषाई सर्वेक्षण प्रोजेक्ट की स्थिति तथा इस संबंध में भावी कार्यनीति स्पष्ट करें।

37.29 2011 की जनगणना प्रकाशित हो चुकी है। तथापि, भारत के महापंजीयक तथा जनगणना आयुक्त द्वारा अभी तक भाषाई आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए हैं। भाषाई आकड़ों की अनुपलब्धता की वजह से रक्षोपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु भाषाई अल्पसंख्यकों की आबादी वाले जिलों/तालुकों/नगरपालिकाओं को चिन्हित तथा घोषित करने की प्रक्रिया भी विलम्बित हुई है। अतः गृह मंत्रालय, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त से आग्रह है कि वे जनगणना,

2011 के भाषाई आंकड़ों को यथाशीघ्र प्रकाशित करें ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भाषाई अल्पसंख्यकों की आबादी वाले जिलों/तालुकों/नगरपालिकाओं को चिन्हित कर सकें।

## क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल

37.30 गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/14013/01/2005 रा०भा० (नीति) दिनांक 30 जनवरी, 2006 में बताया गया है कि सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए अभिप्रेत विभागीय साहित्य तथा प्रपत्र को हिंदी तथा अंग्रेजी के साथ–साथ क्षेत्रीय भाषा में मुद्रित किया जाना अपेक्षित है। ऐसे प्रपत्र तीनों भाषाओं में सम्मिलित रूप में अथवा अलग–अलग मुद्रित किए जा सकते हैं जिससे कि वे सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हो सकें। कार्यालय ज्ञापन संख्या 1/14013/67/2010– रा०भा० (नीति–1) दिनांक 07 अप्रैल 2011 में कहा गया है कि विभागों में साइनबोर्ड, नामपट्ट इत्यादि तीन भाषाओं में होने चाहिए। तथापि, सूचित किया गया है कि इस पद्धति की अनेक विभागों तथा कार्यालयों द्वारा स्थानीय स्तर पर उपेक्षा की गई है। अतः आग्रह है कि गृह मंत्रालय को आम जनता के साथ संव्यवहार करने वाले विभागों/कार्यालयों मे प्रपत्रों, साइनबोर्ड, नामपट्ट इत्यादि में स्थानीय स्तर पर क्षेत्रीय तथा अल्पसंख्यक भाषाओं के इस्तेमाल को दोहराना चाहिए।

## अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
## राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश

37.31 राज्यों/संध राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रत्युत्तरों में तथा अध्ययन दौरों के क्रम में पाया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना के कार्यान्वयन की घोर उपेक्षा की गई है। भाषाई अल्पसंख्यकों को उनके अपने देश में द्वितीयक नागरिकों के रूप में मानने की सूचना अक्सर प्राप्त होती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दर्शाई गई उदासीनता के परिणामस्वरूप भाषाई अल्पसंख्यकों में असंतोष व्याप्त हो गया है और स्थानीय स्तर पर आंदोलन एवं उपद्रव होते हैं। अतः अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित रूप से अनुदेश/निर्देश जारी करने का आग्रह किया जाता है जिससे कि भाषाई अल्पसंख्यकों के रक्षोपायों की योजना का मूलरूप में कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

## भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त को सशक्त बनाना

37.32 भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त के कर्तव्यों, शक्तियों तथा कार्यों को संविधान के अनुच्छेद 350 ख के तहत संवैधानिक अधिदेश को छोड़कर किसी संविधि के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन 1961 में अंगीकृत रक्षोपायों की राष्ट्रीय सहमतिजन्य योजना को अभी तक संहिताबद्ध नहीं किया गया है और इसलिए इसे राज्यों द्वारा प्रभावी ढ़ंग से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। अतः अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से उपयुक्त विधान बनाने का अनुरोध किया जाता है ताकि रक्षोपायों की योजना का कार्यान्वयन करने के लिए, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की तरह उनके कर्तव्यों, शक्तियों तथा कार्यों को परिभाषित किया जा सके।

37.33 संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के लिए उनकी पसंद की शैक्षणिक संस्थाओं को स्थापित एवं प्रशासित करने के अधिकार का प्रावधान है। हाल के वर्षों में आयुक्त के कार्यालय तथा आंचलिक कार्यालयों में अनेक भाषाई अल्पसंख्यक संगठनों तथा वैयक्तिक संगठन को भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए प्रश्नों तथा अभ्यावेदनों की भरमार हो गई थी। यह भी सूचित किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण तथा संवर्धन के निमित्त कार्यरत व्यक्तियों तथा निकायों को भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र जारी करने के प्रयोजनार्थ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर कोई पदनामित प्राधिकारी नहीं हैं। अतः अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से आग्रह है

कि वे अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के निमित्त कार्यरत व्यक्तियों तथा संगठनों को भाषाई अल्पसंख्यक प्रमाण–पत्र जारी करने से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने हेतु भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त को शक्तियां प्रदान करने के लिए समुचित विधान बनाएं।

37.34 भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए एक प्राधिकरण की व्यापक मांग की जाती रही है जैसे कि धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए ''राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग'' (एन सी एम ई आई) है। अतः भाषाजात अल्पसंख्यक आयुक्त को भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता देने के लिए एन सी एम ई आई के सदृश पदनामित करने के लिए उपयुक्त विधान लाने की आयुक्त, भाषाजात अल्पसंख्यक की सिफारिश दुहराई जाती है।

**अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए योजनागत स्कीम/कार्यक्रम**

37.35 अनेक भाषाई अल्पसंख्यक संगठनों ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के समकक्ष दर्जा एवं अधिकारों के लिए अपनी मांग के समर्थन में संवैधानिक उपबंधों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के साथ–साथ विभिन्न तथ्य एवं तर्क प्रस्तुत किए हैं। उनके द्वारा बारम्बार दिया गया उद्धरण संविधान के अनुच्छेद 30(1) की व्याख्या है जिसमें मुख्य रूप से दो अल्पसंख्यकों अर्थात् धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की बात कही गई है। संविधान धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच फर्क नहीं करता है। तथापि, देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए तैयार की गई विभिन्न योजनागत स्कीम/कार्यक्रमों के सदृश अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा कोई भी योजनागत स्कीम/कार्यक्रम तैयार या लागू नहीं किए गए हैं। चूंकि देश मे एकता एवं संबद्धता लाने के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील कारक है, इसलिए भाषाई अल्पसंख्यकों की मांगों, सरोकार तथा आकांक्षाओं पर प्रभावी ढंग से ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि देश में समावेशी विकास, सामंजस्य एवं शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए उन्हें समान अवसर प्रदान किया जा सके। अतः अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से अनुरोध है कि वे भाषाई अल्पसंख्यकों को धार्मिक अल्पसंख्यकों के समकक्ष रखने के लिए उनकी मांगों पर विचार करें तथा देश में भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उपयुक्त योजनागत स्कीम/कार्यक्रम शुरू करें।

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**
**मातृभाषा का अनिवार्य पंजीकरण**

37.36 भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त मातृभाषा के अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में 50वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम०एच०आर०डी०) द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय से अवगत कराना चाहते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपनी कृत कार्रवाई रिपोर्ट में सूचित किया है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी०बी०एस०ई०) से संबद्ध सभी स्कूलों को सी०बी०एस०ई० के पत्र संख्या सी०बी०एस०ई०/जे०एस० (ए०एंड०एल०)/2014 दिनांक 29.04.2014 के तहत अनुदेश दिया गया है कि छात्रों के दाखिले के प्रपत्र में (i) बच्चे की मातृभाषा; (ii) तरजीह दी गई प्रथम भाषा; (iii) वैकल्पिक विषय–तृतीय भाषा जो माता–पिता/बच्चे पढ़वाना/पढ़ना चाहते हों, को दर्ज किया जाए। अतः भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध करते हैं कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्कूलों में दाखिले के आवेदन–प्रपत्र में उपर्युक्त आवश्यक स्तम्भ को शामिल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समुचित रूप से सलाह दी जाए ताकि बच्चे की मातृभाषा से संबंधित सूचना तथा त्रिभाषा सूत्र के तहत अध्ययन के लिए भाषाओं की तरजीह का निर्धारण हो सके और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।

## त्रिभाषा सूत्र

37.37 त्रिभाषा सूत्र भाषा विषयों को पढ़ाने के लिए शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर अपनाए जाने हेतु, राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है। मुख्यमंत्रियों के सम्मलेन,1961 में सहमति बनी थी कि इस सूत्र को सरल किया जाना चाहिए तथा शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर शिक्षण के लिए भाषा विषय निम्नवत होने चाहिए:

(क) क्षेत्रीय भाषा तथा मातृभाषा जिसमें मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा से भिन्न हो;
(ख) हिन्दी अथवा, हिन्दी भाषी क्षेत्रों में कोई अन्य भारतीय भाषा; तथा
(ग) अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा।

''त्रिभाषा सूत्र'' का अनुपालन तमिलनाडु और पुदुच्चेरी को छोड़कर प्रायः सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जा रहा है। यह भी पाया गया है कि अधिकांश राज्यों में राज्य की राजभाषा पढ़ना पाठ्यक्रम में अनिवार्य कर दिया गया है। अनुच्छेद 350 क के तहत उल्लिखित संवैधानिक रक्षोपायों के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का यह कर्तव्य है कि वह अपने प्रदेश के भीतर भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करें तथा शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा प्रदान करें। अतः मानव संसाधन विकास मंत्रालय से आग्रह है कि वे अपनी शिक्षा नीति की समीक्षा करें तथा अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में त्रिभाषा सूत्र का अनुपालन करके अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए समान अधिकार उपलब्ध कराएं।

## भारतीय भाषाओं के संरक्षण हेतु उपाय

## विलुप्तप्राय भाषाओं के लिए आयोग

37.38 भाषाविदों तथा शिक्षाविदों के लिए यह गंभीर चिंता का कारण रहा है कि अनेक भारतीय भाषाओं विशेषतौर पर जनजातीय तथा अल्पसंख्यक भाषाओं जिनकी लिपियां नहीं हैं, के लुप्त होने का खतरा है। यह बात भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की जानकारी में भी लाई गई है तथा समुचित उपचारी कार्रवाइयों हेतु इसे केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सी०आई०आई०एल०) के साथ उठाया गया है। इसके अलावा, 1971 की जनगणना में शुरू किए गए जनसंख्या मानदण्डों तथा अनुवर्ती जनगणनाओं से ऐसी अनेक जनजातीय भाषाएं लुप्त हो गई हैं जो 10,000 से कम व्यक्तियों द्वारा बोली जाती थी। इससे यह राय बनती है कि ऐसी भाषाएं वर्तमान में अस्तित्व में नहीं हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए वर्तमान व्यवस्था ऐसे लघुत्तम भाषाई जनसमुदाय को विलुप्त होने से नहीं बचा सकती है। वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर ऐसे भाषाभाषियों को "विलुप्तप्राय भाषाभाषी" के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और उनके लिए एक अलग खण्ड प्रकाशित किया जाना चाहिए। उन्हें मौजूदा रक्षोपायों के अतिरिक्त न केवल विशेष देखभाल वरन पृथक संवैधानिक रक्षोपायों की आवश्यकता है। अतः मंत्रालय से आग्रह है कि वे भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त की अध्यक्षता में "विलुप्तप्राय भाषाओं के लिए आयोग" की एक पृथक संस्था सृजित करें।

## मातृभाषा दिवस का अनुपालन

37.39 भारत में भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त अपनी रिपोर्टों में अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास की महत्ता को निरन्तर दोहराते आ रहे हैं। यह भी दोहराया जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भारतीय भाषाओं के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास पर लक्षित उपयुक्त नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार करने हेतु पहल करनी चाहिए। सरकार द्वारा मातृभाषा दिवस (22 फरवरी) को मान्यता प्रदान करने के लिए हाल में की गई पहलों के दृष्टिगत, भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का कार्य सौंपा जाना चाहिए कि प्रत्येक राज्य

तथा संघ राज्य क्षेत्र मातृभाषा दिवस का अनुपालन करें। इससे भारत के भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त को यह समझने में मदद मिलेगी कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने भाषाई अल्पसंख्यकों को कितनी मान्यता दे रहे हैं तथा साथ ही भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित हो सकेगा।

## सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

37.40 मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन, 1961 में सहमति दी गई थी कि राष्ट्रीय एवं भावनात्मक एकीकरण को बढावा देने के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार अपेक्षित है। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय से इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की आशा थी। आयुक्त 50वीं रिपोर्ट में निहित इस अभ्युक्ति को दोहराना चाहेंगे कि महत्वपूर्ण विज्ञापनों को अल्पसंख्यक भाषा के समाचार–पत्रों में रिलीज/प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। अतः सरकारी विज्ञापनों का उद्देश्य देश भर के सभी वर्गों तक नही पहुँच रहा है। अतः सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से अनुरोध है कि राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण विज्ञापनों को अल्पसंख्यक भाषाओं में भी जारी करने के लिए आवश्यक प्रावधान करें। यह भी अनुरोध है कि उर्दू तथा अन्य भाषाओं के रिक्त पदों को अविलम्ब भरा जाए।

## डाक विभाग

37.41 सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए अभिप्रेत फॉर्म में अल्पसंख्यक भाषाओं के प्रयोग की व्यापक मांग को देखते हुए डाक विभाग से आग्रह है कि वे गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के उन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें जो फॉर्म, साइनबोर्ड, नामपट्ट इत्यादि को हिंदी तथा अंग्रेजी के साथ–साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित करने के संबंध में हैं।

परिशिष्ट–I

# आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक

## 1. भविष्य निरुपण

भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक सुरक्षणों को प्रभावी रूप में लागू करने हेतु कार्यान्वयन तंत्र व प्रणाली को सुप्रवाही और सशक्त करना, जिससे कि अल्पसंख्यक भाषा बोलने वालों के अधिकारों का संरक्षण हो सके और समावेशीय एवं एकीकृत विकास में सभी भारतीय भाषाओं का महत्वपूर्ण योगदान हो।

## 2. लक्ष्यों पर वक्तव्य

देश में समावेशीय और सुव्यवस्थित संवृद्धि के लिए सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में, भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सुरक्षणों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

## 3. कार्य

क. भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदत्त सुरक्षणों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण।

ख. भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक और स्वीकृत सुरक्षणों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में भारत के महामहिम राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

ग. प्रश्नावलियों, दौरों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, बैठकों तथा पुनुरीक्षा तंत्र आदि के द्वारा सुरक्षणों के कार्यान्वयन की स्थिति का अनुवीक्षण करना।

## 4. मूल उद्‌देश्य

क. संविधान के अनुच्छेद 350बी(2) में अधिदेशित भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक और राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सुरक्षणों के कार्यान्वयन पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

ख. समावेशी विकास और राष्ट्रीय एकीकरण के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों को समान अवसर प्रदान करना।

ग. भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध सुरक्षणों के बारे में उनके बीच जागरूकता का प्रसार करना।

घ. भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा स्वीकृत अन्य सुरक्षणों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

ड. भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु अभ्यावेदनों को निपटाना।

# संगठन

| | | |
|---|---|---|
| **आयुक्त** | : | **प्रो० अख़्तरूल वासे**<br>14/11, जाम नगर हाउस,<br>शाहजहां रोड,<br>नई दिल्ली–110011<br>फोन / फैक्स: 011-23072651-52<br>मोबाइल: 91+ 9810541045 |
| **उपायुक्त** | : | **पद रिक्त** |
| **प्रशासनिक अधिकारी** | : | **पद रिक्त** |
| **अनुसंधान अधिकारी** | : | **श्री दिनेश कुमार राय** |
| **सहायक आयुक्त**<br>(उत्तरी एवं मध्य अंचल) | : | **पद रिक्त**<br>40, अमरनाथ झा मार्ग,<br>इलाहाबाद–211002 (उ0प्र0)<br>फोन : 0532–2468560 / 65<br>फैक्स : 0532–2468544 |
| **सहायक आयुक्त**<br>पूवी अंचल एवं उत्तर–पूर्वी अंचल | : | **पद रिक्त**<br>67, बेन्टिक स्ट्रीट, वेस्ट विंग, चौथा तल,<br>**कोलकता**–700069<br>फोन / फैक्स : 033–22373572 (कार्यालय) |
| **सहायक आयुक्त**<br>पश्चिमी अंचल | : | **पद रिक्त**<br>बिल्डिंग नं0 23 (1) किला,<br>**बेलगांम**–510016<br>फोन / फैक्स : 0831–2422764 (कार्यालय) |
| **सहायक आयुक्त**<br>दक्षिणी, पश्चिमी एवं पूर्वी अंचल | : | **डॉ० एस0 शिवकुमार**<br>राजाजी भवन, द्वितीय तल, ई–विंग,<br>बेसेन्ट नगर, **चेन्नै**–600090<br>फोन / फैक्स : 044–24919348 (कार्यालय) |

नोट:: भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त का कार्यालय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं० 3–10 / 2013–सी०एल०एम०, दिनांक 6 जून, 2014 के अनुसरण में नई दिल्ली से कार्य कर रहा है।

# भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षण

भाषाजात अल्पसंख्यकों के सुरक्षण दो स्रोतों से अपने प्राधिकार प्राप्त करते हैं :

(क) भारत का संविधान
(ख) समय समय पर अखिल भारतीय स्तर पर स्वीकृत सुरक्षणों का कार्यान्वयन

(क) भारत के भाषाई अल्पसंख्यकों के संवैधानिक सुरक्षण

**(i) अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यक–वर्गों के हितों का संरक्षण**

(1) भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।

(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य–निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

**(ii) अनुच्छेद 30: शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और संचालन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार**

(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक–वर्गों को अपनी रूचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।

(1क) खण्ड (1) में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक–वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सम्पत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खण्ड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बन्धित या निराकृत न हो जाए।

(2) शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरूद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।

**(iii) अनुच्छेद 347 : किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध**

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाय तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाय।

### (iv) अनुच्छेद 350: व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

### (v) अनुच्छेद 350 (क): प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

### (vi) अनुच्छेद 350 (ख): भाषाई अल्पसंख्यक–वर्गों के लिए विशेष अधिकारी

(1) भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

(2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

### (vii) संविधान के अनुच्छेदों जो सभी नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकारों की गारंटी देता है

सभी नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकारों की गारंटी देने वाले संविधान के अनुच्छेद जैसे कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म–स्थान के आधार पर विभेद की वर्जना (अनुच्छेद 15) तथा सरकारी नौकरियों के मामलों में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16) भाषाजात अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों के रूप में भी कार्य करते हैं।

## (ख) राष्ट्रीय स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए स्वीकृत सुरक्षण

सुरक्षणों के कार्यान्वयन की विस्तृत योजना का निर्धारण विभिन्न सम्मेलनों इत्यादि के निर्णयों के आधार पर लिया गया है:

(क) शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 1949
(ख) भारत सरकार का ज्ञापन 1956
(ग) दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् के निर्णय 1959
(घ) मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन 1961
(ङ.) क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्षों की समिति की बैठक 1961

परिशिष्ट–III

**भाषाजात अल्पसंख्यक आयुक्त**
**COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES**
**प्रतिवेदन हेतु प्रश्नावली**
**Questionnaire for Report**
**(जुलाई, 2013 से जून, 2014 की अवधि हेतु)**
**(For the Period from July, 2013 to June, 2014)**

**पूर्ण रूप से भरी हुई प्रश्नावली की प्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि**
Date for receipt of Questionnaire, duly completed in all respects
**31 अक्टूबर, 2014**
31 October, 2014

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
**Name of the State/UT** ..........................................................

मुख्य सचिव का नाम
**Name of the Chief Secretary** ..........................................................

(दूरभाष) (Phone)....................................
(मोबाइल) (Mobile)..................................
(फैक्स) (Fax).........................................
ई मेल पता/e-mail address........................

सचिव, शिक्षा, (प्राथमिक एवं माध्यमिक) का नाम ..........................................................
**Name of the Secretary, Education (Primary & Secondary)**

(दूरभाष) (Phone)....................................
(मोबाइल) (Mobile)..................................
(फैक्स) (Fax).........................................
ई मेल पता/E mail Address........................

सम्पर्क/समन्वय अधिकारी का नाम व विवरण ..........................................................
**Name and Particulars of the Nodal Officer**

पदनाम/Designation: ...............................
(दूरभाष) (Phone)....................................
(मोबाइल) (Mobile)..................................
(फैक्स) (Fax).........................................
ई मेल पता/e-mail address........................

नोट : मुख्य सचिव द्वारा आई०ए०एस० अधिकारी को भाषाई अल्पसंख्यकों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना अपेक्षित है क्योंकि इनका कार्य राज्य के विभिन्न विभागों से समन्वय तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों की योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए प्रश्नावली का विस्तृत तथा समेकित उत्तर अपने हस्ताक्षर से समय पर अग्रसारित करना होता है।

NB : The nodal officer for Linguistic Minorities nominated by the Chief Secretary should preferably be an I.A.S. Officer as his duties involve coordination among various departments of the State and ensuring effective implementation of the Scheme of Safeguards for linguistic minorities and forwarding a comprehensive and consolidated response to the Questionnaire under his signature in time.

सांख्यिकी
**Statistics**

## A. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का संक्षिप्त भाषाई विवरण /Linguistic Profile of the State/UT

1. संक्षिप्त भाषाई विवरण (भाषा–भाषियों के अवरोही क्रम में)/Languages spoken (in descending order of number of speakers)

| क्रम **Sl. No.** | भाषा **Language** | बोलने वालों की संख्या **Number of Speakers** | प्रतिशतता **Percentage** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2. उन जनपदों के नाम जहाँ उस क्षेत्र की जनसंख्या के 60 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएँ बोली जाती हैं :
Name the district where minority languages are spoken by 60% or more of its population:

| जिला **District** | भाषा **Language** | प्रतिशतता **Percentage** |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

3. उस क्षेत्र (जिला/तहसील/तालुका/नगरपालिका) का नाम जहाँ की जनसंख्या के 15 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों द्वारा अल्पसंख्यक भाषाएं बोली जाती हैं:
Name the areas (district/tehsil/taluka/municipality) where minority languages are spoken by 15% or more of the population:

| जिला **District** | तहसील/तालुक/नगरपालिका **Tehsil/Taluk/Municipality** | भाषा **Language** | प्रतिशतता **Percentage** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पृष्ठ लगाएँ)/Attach a separate sheet, if required.

## B. भाषाई अल्पसंख्यक/Linguistic Minorities

4. (a) 'भाषाई अल्पसंख्यक' से आपका क्या अभिप्राय है? 'भाषाई अल्पसंख्यक' को आप कैसे परिभाषित करना चाहेंगे? कृपया अपने विचारों से अवगत कराएं।
What is your perception of the term 'Linguistic Minorities', please state as to how would you like to define the term 'linguistic minority'?

(b) क्या अल्पसंख्यक भाषाओं के बोलने वालों की आकांक्षाओं की पूर्ति तथा उनके भाषाई अधिकारों को संरक्षित करने हेतु, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विद्यमान सुरक्षणों की योजना पर्याप्त है? यदि नहीं, तो कृपया अपने सुझाव दें।

Is the exiting Scheme of Safeguards for linguistic minorities sufficient to protect the linguistic rights and linguistic aspirations of the speakers of minority languages. If 'No' please give your suggestions.

(c) भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों की योजना के कार्यान्वयन में, यदि कोई कठिनाई/कमी हुई है, तो इसका उल्लेख करें। कृपया बताएं कि भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों के कार्यान्वयन तंत्र को कैसे और बेहतर बनाया जाए।

Please state difficulties/short-falls, if any, in the implementation of the Scheme of safeguards for the linguistic minorities. Please state how best to improve upon the mechanism of implementation of Safeguards for the linguistic minorities.

## C. प्रशासन में अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग
## Use of Minority Languages in Administration

5. (a) क्या उन क्षेत्रों (जिला/तहसील/तालुका/नगरपालिका) में जहाँ पर अल्पसंख्यक भाषाओं के बोलने वालों की संख्या जनसंख्या की 15% या उससे अधिक है, महत्वपूर्ण सरकारी नियम, शासनादेश, अधिसूचनाएं, इत्यादि अल्पसंख्यक भाषाओं में अनूदित एवं प्रकाशित किए जाते हैं ?

Are there arrangements for translation and dissemination of important Government Rules, Orders and Notifications, etc. in minority languages where their speakers constitute 15% or more of the District/Tehsil/Taluka/Municipality population?

(b) आलोच्य वर्ष में, ऐसे प्रकाशनों का भाषानुक्रम में विवरण विनिर्दिष्ट करें।

Please specify the language-wise details of translation/dissemination during the year.

6. (a) क्या अल्पसंख्यक भाषाओं में अभ्यावेदनों/शिकायतों को स्वीकार किए जाने हेतु आदेश जारी किए गए हैं? समीक्षाधीन अवधि में, प्राप्त ऐसे अभ्यावेदनों के आंकड़े दें।

Do orders exist for receipt of representations for redress of grievances in minority languages? Please furnish statistics on such representations received during the period.

(b) शिकायतों के निवारण हेतु अल्पसंख्यक भाषाओं में प्राप्त अभ्यावेदनों/आवेदनों का किस सीमा तक उसी भाषा में उत्तर दिया जाता है?
To what extent, are representations for redress of grievances in minority languages, replied to in the same language?

## D. राज्य सेवाओं में भर्ती/Recruitment to State Service

7. क्या राज्य की सेवाओं में भर्ती हेतु क्षेत्रीय/राजभाषा का ज्ञान होना पूर्वापेक्षित है? यदि 'नहीं' तो भर्ती के उपरांत वहाँ की क्षेत्रीय/राजभाषा में दक्षता प्राप्त करने हेतु समय–सीमा क्या है?
Is knowledge of regional/official language a pre-requisite for recruitment to State Services? If 'No', what is the time period on recruitment for acquiring proficiency in the regional/official language of the State?

8. क्या राज्य सेवाओं की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों के उत्तर अल्पसंख्यक भाषाओं में देने की अनुमति है?
Are minority languages permitted to be used in answering Question Papers for recruitment examinations to State Services?

9. क्या राजकीय सेवाओं में भर्ती के लिए वहां का अधिवासी होने की बाध्यता है?
Are there any domiciliary restrictions imposed at the time of recruitment to the State Services?

## E. राजभाषा(एँ)/Official Language (S)

10. (a) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा/Official Language of the State/UT:

(b) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजभाषा अधिनियम की प्रति उपलब्ध कराएँ।
Please furnish copy of the Official Language Act of the State/UT.

11. उन भाषाओं का उल्लेख करें जिन्हें अतिरिक्त राजभाषा घोषित किया गया है। कृपया घोषित ऐसी अतिरिक्त राजभाषा का उल्लेख करते हुए उनके प्रयोजन एवं प्रयोग की सीमा निर्दिष्ट करें।
Name other language(s) declared as Additional Official Language(s). Please mention the extent and purposes for which the language(s) have been so declared.

## F. भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को मान्यता
## Recognition of Linguistic Minority Institutions

12. भाषाई अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने वाले पदनामित सक्षम प्राधिकारी तथा तत्संबंधी नियमों और विनियमों/दिशा निर्देशों का उल्लेख करें। (कृपया तत्संबंधी नियमों/विनियमों/दिशा निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराएँ)
Mention the Rules & Regulations/Guidelines for recognition of linguistic minority educational institutions and the competent authority designated for the purpose.
(Please furnish a copy of the Relevant Rules/Regulation/Guidelines)

13. (a) कितने भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को 30 जून 2014 तक भाषाई अल्पसंख्यक संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की गई है?
How many linguistic minority educational institutions have been recognized language-wise as on June 30, 2014?

(b) भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने हेतु उनसे क्या कोई प्रत्यावेदन/शिकायत/याचिका राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को प्राप्त हुआ है? यदि 'हाँ' तो इस पर अनुवर्ती कार्रवाई की जानकारी दें।
Is the State Government/UT in receipt of any representations/complaints/ petitions from linguistic minorities about recognition of their minority educational institutions? If 'yes' please state the action taken in this regard.

14. भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्ति हेतु 30 जून 2014 तक भाषावार कितने आवेदन लम्बित हैं?
How many applications, language-wise, are pending for recognition as linguistic minority educational institution, as on 30 June 2014?

## G. भाषाई अल्पसंख्यक संस्थाओं को अनुदान
## Grants to Linguistic Minority Institutions

15. प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के भाषाई अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को सहायता–अनुदान स्वीकृत करने हेतु पदनामित प्राधिकारी और तत्संबंधी नयमों/विनियमों/ दिशा निर्देशों का उल्लेख करें। (कृपया तत्संबंधी धिनियमों/नियमों/विनियमों/दिशा–निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराएँ)

Mention Rules/Regulations/Guidelines for sanction of grants-in-aid to primary and secondary linguistic minority educational institutions and the authority designated for the purpose. (Please furnish a copy of the relevant Acts/Rules/Regulations/Guidelines).

16. वर्ष 2013–14 के लिए, भाषावार, कितने भाषाई अल्पसंख्यक संस्थानों को सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया है?
How many linguistic minority institutions, language wise, have been sanctioned grants- in-aid for the year 2013 – 14?

| स्तर<br>**Level** | अल्पसंख्यक भाषा<br>**Name of Minority Language** | विद्यालयों की संख्या<br>**Number of Schools(s)** |
|---|---|---|
| प्राथमिक /Primary | | |
| उच्च प्राथमिक / मध्य<br>Upper Primary/Middle | | |
| माध्यमिक /Secondary | | |
| उच्चतर माध्यमिक<br>Higher Secondary | | |

## H. प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक सुविधाएं (कक्षा I से V तक)<br>Educational Facilities in Primary Education [Class I to V]

17. जिन विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषाएं शिक्षण का माध्यम है, उनके विवरण दें :
Please give details, where minority language(s) are a medium of instruction:

| भाषा<br>**Language** | विद्यालय<br>**Schools** | विद्यार्थी<br>**Students** | अध्यापक **Teachers** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

18. जिन विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषा शिक्षण का माध्यम नहीं है किन्तु एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है उनके विवरण दें :
Please give details where minority languages are taught as a subject and not as a medium of instruction:

| भाषा<br>**Language** | विद्यालय<br>**Schools** | विद्यार्थी<br>**Students** | अध्यापक<br>**Teachers** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## I. उच्च प्राथमिक (मध्य) स्तर पर शैक्षणिक सुविधाएं (कक्षा VI से VIII तक)<br>Educational Facilities in Upper Primary (Middle) Education [Class VI to VIII]

19. जिन विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषाएं शिक्षण का माध्यम हैं, कृपया उनके विवरण दें :
Please give details, where the minority languages are the medium of instruction.

| भाषा<br>**Language** | विद्यालय<br>**Schools** | विद्यार्थी<br>**Students** | अध्यापक<br>**Teachers** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

20. जिन विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषाएं शिक्षण का माध्यम नहीं हैं किन्तु एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है उनके निम्नानुसार विवरण दें :
Please detail below where the minority languages are taught as a subject only and not as the medium of instruction:

| भाषा<br>**Language** | विद्यालय<br>**Schools** | विद्यार्थी<br>**Students** | अध्यापक<br>**Teachers** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## J. माध्यमिक स्तर पर शैक्षणिक सुविधाएं (कक्षा IX से X तक)
## Educational Facilities in Secondary Education [Class IX to X]

21. जिन विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषाएं शिक्षण का माध्यम हैं कृपया उनके निम्नानुसार विवरण दें :
Please give details, where the minority languages are the medium of instructions as below:

| भाषा<br>**Language** | विद्यालय<br>**Schools** | विद्यार्थी<br>**Students** | अध्यापक<br>**Teachers** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

22. जिन विद्यालयों में अल्पसंख्यक भाषाएं एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है तथापि शिक्षण का माध्यम नहीं है:
Where the minority languages are taught as a subject though these are not the medium of instruction.

| भाषा<br>**Language** | विद्यालय<br>**Schools** | विद्यार्थी<br>**Students** | अध्यापक<br>**Teachers** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## K. उच्च माध्यमिक शिक्षा (कक्षा XI से XII तक) में शैक्षणिक सुविधाएँ :
## Educational Facilities in Higher Secondary Education [Class XI to XII]

23. जहाँ अल्पसंख्यक भाषाएं शिक्षण का माध्यम है, कृपया उनके निम्नवत् विवरण दें :
Please give details, where the minority language is the medium of instructions, as below:

| भाषा | विद्यालय | विद्यार्थी | अध्यापक |
|---|---|---|---|

| Language | Schools | Students | Teachers |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

24. जहां अल्पसंख्यक भाषाएं एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है तथापि यह शिक्षण का माध्यम नहीं है:
Where the minority language is taught as a subject though it is not the medium of instruction:

| भाषा **Language** | विद्यालय **Schools** | विद्यार्थी **Students** | अध्यापक **Teachers** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## L. त्रिभाषा सूत्र / Three Language Formula

25. ''त्रिभाषा सूत्र'' के अन्तर्गत पढ़ाई जाने वाली भाषाओं का उल्लेख करें :
Please mention the languages taught under the "Three Language Formula":

**1.** प्रथम भाषा / First Language :
**2.** द्वितीय भाषा / Second Language :
**3.** तृतीय भाषा / Third language :

26. कक्षा VIII, कक्षा X तथा कक्षा XII में त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत छात्रों की संख्या
The number of students covered under the Three Language Formula in Classes VIII, Class X and Class XII.

| **भाषा Language** | **कक्षा 8 Class VIII** | **कक्षा 10 Class X** | **कक्षा 12 Class XII** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## M. अल्पसंख्यक भाषा के अध्यापक / Minority Language Teachers

27. अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय और शिक्षण के माध्यम के रूप में पढ़ाने हेतु शिक्षकों के स्वीकृत /भरे हुए पदों, का कृपया उल्लेख करें :
Please mention the sanctioned/filled up posts of teachers to teach minority languages as a medium of instruction and as a subject:

| **भाषा Language** | **माध्यम Medium** | | **विषय Subject** | |
|---|---|---|---|---|
| | **स्वीकृत पद Sanctioned Posts** | **भरे हुए पद Filled up Posts** | **स्वीकृत पद Sanctioned Posts** | **भरे हुए पद Filled up Posts** |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

28. (a) क्या अल्पसंख्यक भाषाओं को एक विषय अथवा माध्यम के रूप में अध्यापन हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था है? यदि हां' तो निम्नानुसार विवरण दें :
Are there any arrangements for training of teachers for teaching of minority languages as a medium and as a subject? If yes, please give details as below:

| **प्रशिक्षण संस्थान**<br>**Training Institute** | **अल्पसंख्यक भाषा**<br>**Minority Language** | |
|---|---|---|
| | **पढ़ाई का माध्यम**<br>**As a medium** | **विषय के रूप में**<br>**As a subject** |
| | | |
| | | |
| | | |

(b) अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षकों के आदान–प्रदान / शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान / केंद्र खोलने हेतु क्या पड़ोसी राज्यों से कोई सहयोग / व्यवस्था है? यदि 'हां' तो कृपया विवरण दें :
Please give details of collaboration/arrangement, if any, with neighbouring States for exchange of minority language teachers/opening of teachers' training institutes/centers:

## N. अल्पसंख्यक भाषा की पाठ्य–पुस्तकें / Minority Language Text-Books

29. (a) क्या शैक्षणिक सत्र आरम्भ होने पर अल्पसंख्यक भाषाओं की पुस्तकें तथा अन्य पाठ्य–सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को मिल जाती है?
Are text-books in minority language and other teaching material available to linguistic minority students at the beginning of the Academic Session?

(b) भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें तथा अन्य पाठ्य–सामग्री प्राप्त करने हेतु एजेसियों / अंतर्राज्यीय व्यवस्था, यदि कोई है, तो उसका विवरण दें।
Please give details of the agencies/inter-state arrangements, if any, for procuring minority language(s) text-books and other teaching materials for linguistic minorities students.

30. क्या अल्पसंख्यक भाषाओं की पाठ्य–पुस्तकें व अन्य पाठ्य सामग्री भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों को प्रतियोगी / कम दरों पर उपलब्ध कराई जाती है?
Are minority language(s) textbooks and other teaching materials available to the linguistic minority students at competitive/subsidized rates?

## O. भाषाई वरीयता पंजियों का रख–रखाव
## Maintenance of Language Preference Registers

31. भाषाई अल्पसंख्यक छात्रों की भाषागत वरीयता पंजीकृत करने के लिए क्या 'भाषाई वरीयता पंजियों' का रख–रखाव प्राथमिक/उच्च प्राथमिक (मिडिल)/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हो रहा है ? भाषाई वरीयता पंजियों के रख–रखाव संबंधी आकड़े दें।
Please furnish statistics on maintenance of Language Preference Registers for registering language preference of linguistic minority pupils in the primary/upper primary (middle)/secondary/higher secondary schools? Please furnish statistics on maintenance of Language Preference Registers.

## P. अल्पसंख्यक भाषाओं का संवर्द्धन तथा विकास
## Promotion and Development of Minority Languages

32. (a) क्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में अल्पसंख्यक भाषा के संवर्धन हेतु कोई योजना है? कृपया विवरण दें।
Are there any Schemes to promote minority languages in the State/UT? Please furnish details.

(b) कृपया अल्पसंख्यक भाषाओं के संवर्द्धन तथा विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित अकादमियों का विवरण दें।
Please give details about the Academies set up by the State Government for promotion and development of minority languages.

| **भाषा Language** | **अकादमी का नाम Name of the Academy** | **स्थापना की तारीख Date of Establishment** | **वर्ष 2013–14 के लिए बजट Budget for year 2013-14** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## Q. सुरक्षणों के कार्यान्वयन के लिए तन्त्र
## Machinery for Implementation of Safeguards

33. (a) क्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण एवं समीक्षा के लिए कोई व्यवस्था/समिति गठित है? यदि हाँ, तो समिति की संरचना क्या है? क्या वरीयता के आधार पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के किसी क्षेत्रीय सांसद को 'विशेष' अतिथि' के रूप में इस समिति में सहयोजित किया गया है? इसकी अंतिम बैठक कब हुई?
Is there a mechanism/Committee at the State/UT level to monitor and review the implementation of the Safeguards for linguistic minorities? If so, what is the composition of the Committee? Whether any local Member of Parliament, preferably belonging to linguistic minority, has been co-opted as a 'Special Invitee' to the Committee? When did the committee hold its last meeting?

(b) मुख्य सचिव की अध्यक्षता में भाषाई अल्पसंख्यकों की राष्ट्रीय स्तर पर सहमतिजन्य एवं संवैधानिक सुरक्षणों के कार्यान्वयन हेतु बैठकों का विवरण दें?
Please give details of the meetings held under the Chairmanship of Chief Secretary to implement Nationally agreed and Constitutional Safeguards for linguistic minorities?

(c) यदि राज्य में अल्पसंख्यक आयोग है तो क्या यह आयोग भाषाई अल्पसंख्यकों के मामले भी देखता है? यदि हां, तो कृपया विस्तृत जानकारी दें।
In case there is a Minorities Commission in the State, does it handle the linguistic minorities' affairs? If yes, please furnish details.

34. (a) क्या भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों की योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर समिति गठित है? यदि ऐसा है तो क्या वरीयता के आधार पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के, क्षेत्रीय के विधायक को उस जिला स्तरीय समिति में सहयोजित किया गया है?
Does a Committee exist to ensure implementation of the Safeguards for the linguistic minorities at the District level? If so, has a local MLA, preferably belonging to linguistic minority been co-opted in the District Level Committee?

(b) जिला स्तर के अधिकारी जिन्हें भाषाई अल्पसंख्यकों के मामले की जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके नाम, पदनाम, दूरभाष/मोबाइल/फैक्स संख्या, आदि दें (आवश्यकतानुसार अलग से सीट संलग्न करें)।
Mention the Name, designation and phone/mobile/fax no. of the officers entrusted with linguistic minorities' affairs at the district level. (Attach a separate sheet, if required.)

## R. सुरक्षणों के लिये प्रचार
## Publicity of the Safeguards

35. (a) भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदत्त सुरक्षणों एवं उपलब्ध सुविधाओं के बारे में उन्हें जानकारी देने हेतु क्या व्यवस्था की गई है?
What is the mechanism for informing the linguistic minorities about the Safeguards and the facilities available to them?

(b) राज्य में भाषाई अल्पसंख्यकों को उपलब्ध सुरक्षणों के प्रति जागरूकता के प्रसार हेतु कृत कार्रवाई की कृपया विस्तृत जानकारी दें।
Please elaborate the action taken to spread awareness about the Safeguards available to the linguistic minorities in the State.

(c) भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों से संबंधित विवरणिका अंतिम बार कब प्रकाशित हुई? क्या ये अल्पसंख्यक भाषाओं में छपी थीं? यदि हां, तो कृपया विवरण दें।
When were the Pamphlets detailing Safeguards for the linguistic minorities last published? Were they published in minority languages? If so, please give details.

36. क्या ज़िला तथा तहसील कार्यालयों को निदेश दिए गए हैं कि वे भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों एवं उपलब्ध सुविधाओं के बारे में, प्रदर्शन, बोर्ड तथा बैनर के माध्यम से सूचना दें?
Whether orders have been issued directing the district and tehsil offices to exhibit the Safeguards and concessions available to linguistic minorities through hoardings, banners, etc.?

## S. भाषाई अल्पसंख्यकों से प्राप्त शिकायतें
## Grievances/Complaints received from linguistic minorities

37. भाषाई अल्पसंख्यकों से समीक्षाधीन अवधि में प्राप्त शिकायतों और राज्य सरकार द्वारा कृत अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण दें।
Detail the complaints received from linguistic minorities during the period under report and the action taken thereon by the State Government.

38. (a) राज्य में कितनी निबंधित भाषाई अल्पसंख्यक एसोसिएशन/समिति कार्यशील है?
How many registered Linguistic Minorities Associations/Societies are functioning in your State? Please furnish details of such Associations.

(b) इन एसोसिएशन/समितियों की सूची, उनके दूरभाष, पत्राचार का पता आदि दें।
Please, furnish a list, along with telephone numbers and postal addresses of such Associations/Societies.

**Note:–**

**1.** प्रश्नावली वेबसाइट **:www.nclm.nic.in** पर भी उपलब्ध है। कोई भी प्रश्न अनुत्तरित/खाली न छोड़ें। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर सारगर्भित व ब्यौरेवार देने पर उचित ध्यान दें।

**The Questionnaire is also uploaded in the website :www.nclm.nic.in. No Question should be left unanswered/ blank. Due care be taken to furnish detailed and comprehensive reply to each Question.**

**2.** किसी स्पष्टीकरण हेतु कृपया संपर्क करें/**For any clarification, please contact:**

| | |
|---|---|
| आयुक्त/**Commissioner** | 110, प्रथम तल, पर्यावरण भवन,<br>110, 1st Floor, Paryavaran Bhawan,<br>सी०जी०ओ० कॉम्पलेक्स, लोधी रोड,<br>C.G.O. Complex, Lodhi Road,<br>नई दिल्ली–110003 New Delhi-110003<br>011-24368380 (फोन/फैक्स/Phone/Fax)<br>hqofficeclm@gmail.com (ई मेल/E-mail)<br>http://www.nclm.nic.in (वेबसाइट/Web site) |
| 3. **सहायक आयुक्त**,<br>Assistant Commissioner<br>(**उत्तरी एवं मध्य अंचल**)<br>(Northern & Central Zone) | 40, अमरनाथ झा मार्ग, इलाहाबाद–211002 (उ0प्र0)<br>40, Amar Nath Jha Marg, Allahabad – 211002 (U.P.)<br>0532-2468565 (फोन/Phone)<br>0532-2468544 (फैक्स/Fax) |
| 4. **सहायक आयुक्त**,<br>Assistant Commissioner<br>(**पूर्वी अंचल**)<br>(Eastern Zone) | 67, बेन्टिक स्ट्रीट, बेस्ट विंग,<br>67, Bentinck Street, West Wing,<br>चौथा तल, कोलकाता–700069, (पश्चिम बंगाल)<br>4th Floor,Kolkata – 700 069. (West Bengal)<br>033–22373572 (फोन/फैक्स/Phone/Fax) |
| 5. **सहायक आयुक्त**,<br>Assistant Commissioner<br>(**पश्चिमी अंचल**)<br>(Western Zone) | बिल्डिंग नं0 23 (1) किला, बेलगाम–510016<br>Building No. 23(1), Fort, Belgaum –510016<br>(कर्नाटक)<br>(Karnataka)<br>0831–2422764 (फोन/फैक्स/Phone/Fax) |
| 6. **सहायक आयुक्त**,<br>Assistant Commissioner<br>(**दक्षिणी अंचल**)<br>(Southern Zone) | राजाजी भवन, द्वितीय तल, ई–विंग,<br>बेसेन्ट नगर, चेन्नै–600090<br>(तमिलनाडु)<br>Rajaji Bhawan, "E" Wing, 2nd Floor,<br>Besant Nagar, Chennai–600090,<br>(Tamil Nadu)<br>044–24919348 (फोन/फैक्स/Phone/Fax) |

*****

# अगस्त, 1949 में प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संकल्प

अवर बुनियादी (जूनियर बेसिक) स्तर पर बच्चे की शिक्षा और परीक्षा का माध्यम उसकी मातृभाषा ही होनी चाहिए, और जहां मातृभाषा प्रादेशिक अथवा राज्य की भाषा से भिन्न हो वहां बालक की मातृभाषा में शिक्षा के लिये कम से कम एक अध्यापक की नियुक्ति का प्रबन्ध किया जाना चाहिए बशर्ते कि इस भाषा को बोलने वाले बालकों की संख्या समस्त स्कूल में 40 से कम या एक कक्षा में 10 से कम न हों। बालक की मातृभाषा वही मानी जायेगी जिसकी घोषणा उसके माता–पिता या अभिभावक करेंगे। यदि प्रादेशिक या राज्य भाषा मातृभाषा से भिन्न हो तो उसकी शिक्षा तीसरी कक्षा के पहले और अवर बुनियादी स्तर की समाप्ति के बाद आरम्भ होनी चाहिये। माध्यमिक स्तर पर प्रादेशिक भाशाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने में इन छात्रों को सुविधा हो, इसके लिये इन बालकों को अवर बुनियादी स्तर के बाद षुरू के दो वर्श तक मातृभाषा में भी प्रश्नों के उत्तर देने की छूट देनी चाहिए।

माध्यमिक स्तर पर यदि किसी क्षेत्र में ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी मातृभाषा प्रादेशिक या राज्य भाषा से भिन्न कोई भाषा है, इतनी हो कि उनके लिये उस क्षेत्र में एक अलग स्कूल खोलने का औचित्य हो तो इस स्कूल में शिक्षा का माध्यम विद्यार्थी की मातृभाषा को रखा जा सकता है। यदि इस प्रकार के स्कूल का गठन और स्थापना गैर सरकारी संस्थाओं या अधिकरणों द्वारा की जाय तो उन्हें निर्धारित नियम के अनुसार सरकार से मान्यता और सहायता अनुदान प्राप्त करने का भी अधिकार होगा। सरकार उन सभी सरकारी, नगर पालिका और जिला बोर्ड के स्कूलों में भी इसी प्रकार की सुविधा देगी जिनमें स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या के एक तिहाई विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना चाहें और उस क्षेत्र में इस भाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान न हों तो सरकार उस स्कूल से उन विद्यार्थियों को उनकी ही मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रबन्ध करने की अपेक्षा करेगी। तथापि, सम्पूर्ण माध्यमिक स्तर की शिक्षा के दौरान क्षेत्रीय भाषा एक अनिवार्य विषय रहेगी।

उपर्युक्त व्यवस्था विशेष रूप से राजधानियों या उन स्थानों के लिए आवश्यक होगी जहां विभिन्न भाषा भाषी लोग बड़ी संख्या में रहते है, या फिर उन क्षेत्रों में आवश्यक होगी जहां भिन्न भाषा भाषी लोग बड़ी संख्या में बराबर आते जाते रहते है।

# भारत सरकार का 1956 का ज्ञापन

राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के चौथे भाग में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये जिन सुरक्षणों का सुझाव दिया गया, उनकी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ परामर्श करके ध्यानपूर्वक जांच कर ली गई है, और भारत सरकार का इरादा आयोग की सिफारिशों में से अधिकांश को स्वीकार कर लेने का है। इस विषय में जो कार्यवाही अब तक की जा चुकी है या जिसे करने का विचार है, उसका निर्देश निम्नलिखित पैराओं में किया गया।

1. **प्राथमिक शिक्षा :**

इस संबंध में संविधान (नवां संशोधन) विधेयक के खण्ड 21 की ओर ध्यान दिलाया जाता है जिसमें शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधाओं के विषय में संविधान में एक नया अनुच्छेद अर्थात 350क जोड़ने की व्यवस्था की गई है। संविधान के प्रस्तावित अनुच्छेद 350क के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जो निर्देश जारी किये जायेंगे और जिन्हें कानून का रूप दिए जाने का प्रस्ताव है वे सम्भवतः अगस्त 1949 में प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकृत संकल्प के आधार पर होंगे। अभिप्राय यह है कि जिन उपबन्धों को इस सम्मेलन में सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया है, उन्हें उन राज्यों और क्षेत्रों में भी लागू कर दिया जाए जहाँ उन्हें अभी तक अपनाया नहीं गया है।

2. **माध्यमिक शिक्षा :**

आयोग ने सिफारिशें की है कि भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के विषय में एक स्पष्ट नीति निर्धारित करनी चाहिए और उसे कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए। आयोग ने मत प्रकट किया है कि जहां माध्यमिक शिक्षा का संबंध है, उसके लिए प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है, और इसलिए आयोग ने माध्यमिक स्कूल स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश नहीं की है।

3. **अगस्त 1949 में प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव में माध्यमिक शिक्षा के विषय में निम्नलिखित व्यवस्थाएं करने का विचार था:–**

(क) यदि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या, जिनकी मातृभाषा प्रादेशिक या राजभाषा से भिन्न है, इतनी हो कि उनके लिए उस क्षेत्र में एक अलग स्कूल खोल देना उचित हो, तो इस स्कूल में शिक्षा का माध्यम विद्यार्थियों की मातृभाषा हो सकती है। यदि इस प्रकार के स्कूलों का गठन और स्थापना गैर सरकारी अभिकरणों द्वारा की गयी हो तो उन्हें निर्धारित नियमों के अनुसार सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए मान्यता दी जायगी।

(ख) सरकार उन सभी और जिला बोर्ड स्कूलों में इसी प्रकार की सुविधाएं देगी जिनमें स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या के एक तिहाई विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना चाहे।

(ग) यदि सरकार से सहायता प्राप्त किसी स्कूल के एक–तिहाई विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करना चाहें और उस क्षेत्र में इस भाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं विद्यमान न हों, तो सरकार उस स्कूल से इन विद्यार्थियों को उनकी ही मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रबंध करने की अपेक्षा करेगी।

(घ) सम्पूर्ण माध्यमिक स्तर की शिक्षा के दौरान क्षेत्रीय भाषा एक अनिवार्य विषय होगी।

4. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट तथा उसी विषय पर अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत किए गए संकल्प पर विचार कर लेने के बाद माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में मातृभाषा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, ताकि भाषाई अल्पसंख्यक छात्र माध्यमिक स्कूल स्तर पर पढ़ाने के लिए प्रस्तावित तीन भाषाओं में से अपनी मातृभाषा को एक वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ सकें। आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके भारत सरकार का विचार है कि माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा के प्रयोग और उसके स्थान के विषय में स्पष्ट नीति निर्धारित कर दी जाय और उसे कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी उपाय किये जायें।

5. **अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं का प्रयोग करने वाले स्कूलों तथा कालेजों को सम्बद्ध करनाः**

पिछले पैराग्राफों में दिए गए प्रस्तावों से संबंधित एक प्रश्न नये अथवा पुनर्गठित राज्यों में स्थित शिक्षा संस्थाओं को समुचित विश्वविद्यालय अथवा शिक्षा बोर्डो से सम्बद्ध करने का भी है। अभीष्ट तो यही है कि इस बात का पूरा–पूरा प्रयत्न किया जाए कि, जहां तक मातृभाषा संबंधी पाठ्यक्रमों का प्रश्न है, स्कूल और कालेजों जैसी शिक्षा संस्थाएं उसी राज्य में अवस्थित विश्वविद्यालयों तथा अन्य प्राधिकरणों से सम्बद्ध की जा सकें। तथापि, शायद सदैव ऐसा प्रबन्ध करना संभव न हो सके और, इस प्रकार की संस्थाओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए कभी–कभी संबंधित विश्वविद्यालयों या शिक्षा प्राधिकरणों के और स्वयं उक्त शिक्षा संस्थाओं के हित की दृष्टि से भी उन्हें राज्य से बाहर अवस्थित उपायुक्त शिक्षा निकायों से सम्बद्धता प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करना अधिक सुविधाजनक होगा। वस्तुतः इसे संविधान के अनुच्छेद 30 के उपबन्धों का एक अनिवार्य उपप्रमेय ही माना जाना चाहिए, जिसके द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रबन्धन करने का अधिकार दिया गया है।

6. इसलिए राज्य सरकारों को यह सलाह देने का विचार है कि इस प्रकार के सभी मामलों में राज्य से बाहर के निकायों से सम्बद्ध होने की अनुमति बिना किसी कठिनाई के दे दी जानी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि इस प्रकार से सम्बद्ध किसी भी संस्था को सहायता अनुदान और अन्य सुविधाओं के मामले में केवल इसलिये अपात्र नहीं माना जाना चाहिए कि सैद्धान्तिक दृष्टि से राज्य के शैक्षणिक प्रशासन के ढांचे में ठीक नहीं बैठती। इसलिए प्रस्ताव है कि सभी संस्थाओं को, चाहे वे राज्य के अन्दर के शिक्षा निकायों से सम्बद्ध हों या राज्य के बाहर के निकायों से, उन राज्यों से निरन्तर सहायता मिलती रहनी चाहिए जिनमें वे स्थित हैं। जहां आवश्यक हो, विश्वविद्यालय और शिक्षा बोर्डों से संबंधित विधान पर इस दृष्टि से पुनर्विचार कर लिया जाए। है कि यदि इस बारे में मांग की जाए और राष्ट्रपति को विश्वास हो जाय कि किसी राज्य की आबादी का एक खासा बड़ा हिस्सा किसी भाषा विशेष के प्रयोग को राज्य द्वारा मान्यता दिलाना चाहता है, तो वे निर्देश दे सकते है कि उस भाषा को सम्पूर्ण राज्य में अथवा उसके किसी भाग में सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त होगी। आयोग ने सिफारिश की है कि भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके राज्य प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न भाषाओं के प्रयोग के विषय में एक स्पष्ट संहिता निर्धारित कर देनी चाहिए और इस संहिता के अनुपालन के सुनिश्चयन के लिए अनुच्छेद 347 के अधीन कार्यवाही करनी चाहिए।

7. **अल्पसंख्यक भाषाओं को राज्य भाषाओं के रूप में मान्यता देने के विषय में अनुच्छेद 347 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निर्देशों का जारी किया जानाः**

संविधान के अनुच्छेद 347 की ओर ध्यान दिलाया जाता है, जिसमें यह व्यवस्था है कि यदि इस बारे में मांग की जाए और राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि किसी राज्य की आबादी का एक

खासा बडा हिस्सा किसी भाषा विशेष के प्रयोग को राज्य द्वारा मान्यता दिलाना चाहता है, तो वे निर्देश दे सकते है कि उस भाषा को सम्पूर्ण राज्य में अथवा उसके किसी भाग में सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त होगी। आयोग ने सिफारिश की है कि भारत सरकार को राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके राज्य प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न भाषाओं के प्रयोग के विषय में एक स्पष्ट संहिता निर्धारित कर देनी चाहिए और इस संहिता के अनुपालन के सुनिश्चयन के लिए अनुच्छेद 347 के अधीन कार्यवाही करनी चाहिए।

8. आयोग का प्रस्ताव है कि किसी राज्य को तभी एक भाषी माना जाना चाहिए जब कोई एक भाषा वर्ग वहां की जनसंख्या का 70 प्रतिशत या उससे अधिक हो; तथा जहां एक खासा बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग हो, जिसकी संख्या कुल आबादी का 30 प्रतिशत या उससे अधिक हो, उस राज्य को प्रशासन की दृष्टि से द्विभाषी माना जाना चाहिए। आयोग ने आगे यह सुझाव भी दिया है कि जिला स्तर पर भी यह सिद्धान्त अपनाया जाए अर्थात् यदि जिले की कुल जनसंख्या की 70 प्रतिशत या अधिक आबादी ऐसे लोगों की हो जो सम्पूर्ण राज्य की दृष्टि से अल्पसंख्यक हो, तो उस जिले की सरकारी भाषा उस अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा होगी, न कि राज्य की भाषा।

9. भारत सरकार इन प्रस्तावों से सहमत है और राज्य सरकारों को भी इन सुझावों को अपनाने का परामर्श देना चाहती है।

10. द्विभाषी माने जाने वाले किसी भी राज्य अथवा जिले में दो या अधिक राजभाषाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए जो प्रबन्ध किये जायेंगे, उनसे राज्य के किसी भी निवासी के संवैधानिक अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जो उसे ंविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार मिला है और जिसके अनुसार वह अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए संघ या राज्यों में प्रयुक्त होने वाली किसी भी भाषा में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

11. आयोग ने यह सुझाव भी दिया है कि जिलों अथवा नगरपालिकाओं और तहसीलों जैसे छोटे क्षेत्रों में, जहां कोई भाषाई अल्पसंख्यक उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 15 या 20 प्रतिशत तक हों, महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाओं तथा नियमों को उस भाषा या भाषाओं के अतिरिक्त जिनमें इस प्रकार के कागज वैसे भी सामान्यतः प्रकाशित किये जाते हों, उन अल्पसंख्यकों की भाषा में प्रकाशित करना भी लाभप्रद रहेगा।

12. भारत सरकार का विचार यह सुझाव देने का है कि प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से राज्य सरकारों को इस प्रस्तावित कार्यविधि को अपनाना चाहिए।

13. **राज्य सेवाओं में भर्ती के वास्ते ली जाने वाली परीक्षाओं के लिये अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं को माध्यम के रूप में मान्यताः**

इस संबंध में आयोग की इस सिफारिश की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाना है कि (अधीनस्थ सेवाओं के अतिरिक्त) राज्य सेवाओं में भर्ती के वास्ते ली जाने वाली परीक्षाओं में उम्मीदवारों को यह छूट मिलनी चाहिए कि वे अंग्रेजी/हिंदी या राज्य की 15 से 20 प्रतिशत या अधिक आबादी द्वारा बोली जाने वाली किसी भी अल्पसंख्यक भाषा को परीक्षा के माध्यम के रूप में चुन सकें। जो उम्मीदवार अल्पसख्ंयक भाषा के माध्यम से परीक्षा दें, उनका चुनाव हो जाने के बाद परिवीक्षा अवधि की समाप्ति से पहले राज्य की भाषा में उनकी प्रवीणता की परीक्षा ली जाय। भारत सरकार का विचार राज्य सरकारों से यह भी सिफारिश करने का है कि जहां अधीनस्थ सेवाओं में सम्मिलित किसी संवर्ग (कैडर) को जिले के संवर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त हो, वहा जिलों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में उस भाषा को भी परीक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया जाए जिसे वहां की अतिरिक्त सरकारी भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हो। इस टिप्पणी (नोट) के

आठवें पैरा में निर्दिष्ट आयोग के सुझावों को स्वीकार कर लेने के परिणामस्वरूप यह अंतिम सुझाव स्वतः स्वीकार हो जाएगा।

14. **निवास सम्बन्ध नियमों और अपेक्षाओं का पुनरीक्षण:**

आयोग ने इस पर जोर दिया है कि कुछ राज्यों में लागू अधिवास (डोमिसाइल) की शर्तों से अल्पसंख्यक वर्गों को नुकसान हो रहा है, और यह सिफारिश की है कि भारत सरकार संविधान के अनुच्छेद 16(3) के अधीन संसद द्वारा बनाये जाने वाले कानून का रूप क्या हो, इस विषय में समय–समय पर दिये गये विभिन्न सुझावों पर भारत सरकार ने बहुत सावधानी पूर्वक विचार किया है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सारी परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए राज्य सेवाओं की किसी भी शाखा या किसी भी संवर्ग मे फिलहाल किसी भी प्रकार का निवास संबंधी प्रतिबन्ध लगाना न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय।

15. आवास संबंधी भेद भाव न बरतने के सामान्य नियम में तेलंगाना क्षेत्र में कुछ छूट देनी पड़ सकती है और कुछ पिछड़े हुए क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों के बारे में विशेष व्यवस्था करने के प्रश्न पर भी विचार करना पड़ सकता है। तथापि, आशा की जाती है कि इस अंतरिम प्रबन्ध को संक्रमण काल की अवधि के बाद जारी रखने की आवश्यक ता नहीं होगी।

16. भारत सरकार का उपर्युक्त बातों के प्रकार के अनुरूप स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यथाशीघ्र कानून बनाने का विचार है। इस बीच राज्य सरकारों से कहा जाएगा कि वे पैरा 14, में बताई गई स्थिति ध्यान में रखते हुए राज्य सेवाओं के लिए भर्ती के नियमों का पुनरीक्षण करें।

17. **ठेकों, मछलीपालन आदि के सम्बन्ध में निजी अधिकारों पर प्रतिबन्ध:**

व्यापार, वाणिज्य, उद्योग. धन्धों की स्वतंत्रता और समान अधिकारों के बारे में संविधान में नये उपबन्धों की ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया जा रहा है और यह सुझाव दिया जा रहा है कि इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रतिबंधों का पुनरीक्षण किया जाए।

18. **अखिल भारतीय सेवाओं में नए प्रवेश पाने वालों की कम से कम पचास प्रतिशत भर्ती राज्य के बाहर से की जाए:**

इस प्रश्न पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अनौपचारिक बातचीत की गई है। किसी प्रकार के कड़े नियमों की आवश्यक ता जरूरी नही समझी गई लेकिन भविष्य में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए आवंटन करते समय आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखा जाएगा।

19. **एक तिहाई जजों की भर्ती राज्य के बाहर से की जाए:**

आयोग की सिफारिश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के ध्यान में लाया जा रहा है। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करते समय कुछ मामलों में कठिनाई आ सकती है लेकिन कोशिश यह होनी चाहिए किए जहां तक सम्भव हो सके, भविष्य में नियुक्तियां करते समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखा जाए ।

20. **दो या दो से अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का गठन:**

राज्य के लोक सेवा आयोगों के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएं इस प्रस्ताव का राज्य सरकारों ने स्वागत नहीं किया इसलिए इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।

अनुच्छेद 315 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों के गठन के संबंध में संविधान में पहले से ही उपबंध विद्यमान हैं। यदि कभी दो या दो से अधिक राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों के गठन की आवश्यक ता महसूस की जाए तो इस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया का बाद में अनुकरण किया जा सकता है।

21. **संरक्षणों को लागू करने के लिए एजेंसी:**

राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षणों को लागू करने के लिए राज्यों के राज्यपालों की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए। आयोग ने राज्यपालों को कोई स्वैच्छिक कार्य देने के बारे में कोई विचार नहीं किया। उन्होंने एक ऐसी सरल सी प्रक्रिया अपनाने के बारे में सुझाव दिया जिसे वर्तमान संवैधानिक ढांचे के अन्तर्गत अपनाया जा सके। राज्य पुनर्गठन विधेयक और संविधान के (नवें संशोधन) विधेयक पर संसद और संयुक्त प्रवर समिति दोनों में ही व्यक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के नमूने पर केन्द्र में अल्पसंख्यकों के आयुक्त की नियुक्ति का प्रस्ताव किया है यह अधिकारी छोटे भाषा ग्रुपों के लिए किये गए संरक्षणों के क्रियान्वयन पर राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट ऐसे अन्तरालों के बाद प्रस्तुत करेगा जिसके लिए राष्ट्रपति उसको निर्देश दें और उसकी रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

22. समाप्त करने के पहले भारत सरकार राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट में आयोग के निम्नलिखित पैरे में टिप्पणी का समर्थन करना चाहेगी:–

''हम यह जोर देकर कहना चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों को दिये गए संरक्षण तब तक सुरक्षित नहीं हैं जब तक राज्य सरकार किसी प्रकार की भेदभावपूर्ण नीति अपनाती रहेगी। राज्य स्तर पर सरकारी गतिविधियां व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू पर वास्तविक रूप से बहुत प्रभाव डालती हैं और एक प्रजातांत्रिक सरकार को लोगों के राजनीतिक और नैतिक स्तरों को अवश्य प्रतिबिम्बित करना चाहिए। इसलिए यदि प्रमुख ग्रुप अल्पसंख्यकों के प्रति वैर भाव रखता है तो अल्पसंख्यकों का विद्रोही हो जाना अवश्यम्भावी है। बहुसंख्यक समुदाय भेदभाव रहित रवैया अपनाए इसका और कोई विकल्प नहीं है और बदले में अल्पसंख्यकों को भी राज्य की सम्पूर्ण एवं नियमित प्रगति में अपनी ओर से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।''

# भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों पर विचार करने के लिये 1959 में हुई दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् की मंत्री-स्तर समिति की बैठक में लिए गए निर्णय

भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षणों पर विचार करने के लिए दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् की मंत्री–स्तर समिति की शनिवार 16 मई और इतवार 17 मई को उटकमंड में हुई बैठक में निम्नलिखित व्यक्तियों ने भाग लिया

1. श्री सी॰सुब्रहमण्यम, वित्त मंत्री,
   मद्रास (संयोजक)
2. श्री ई॰एम॰एस॰नम्बूदरीपाद, मुख्यमंत्री,
   केरल
3. श्री एस॰बी॰पी॰ पट्टाभिरामा राव, शिक्षा मंत्री,
   आन्ध्र प्रदेष
4. श्री के॰ब्रहमानंद रेड्डी, वित्त मंत्री,
   आन्ध्र प्रदेष
5. श्री अन्न राव गनामुखी, शिक्षा मंत्री,
   मैसूर

श्री आर०ए० गोपालस्वामी, आई०सी०एस०, द्वितीय सदस्य, राजस्व बोर्ड, मद्रास, श्री के०वी० रामानाथन, आई०ए०एस०, उप सचिव, मद्रास सरकार, स्वास्थ्य शिक्षा और स्थानीय प्रशासन विभाग और श्री एन०जयरामन, उपसचिव, मद्रास सरकार, पब्लिक (पार्टीशन) विभाग, मद्रास राज्य, श्री बी०रामचन्द्रन, आई०ए०एस०, उप सचिव, केरल सरकार शिक्षा विभाग, केरल राज्य और श्री सिद्दव पुरनायक, अवर सचिव, मैसूर सरकार, शिक्षा विभाग और मैसूर राज्य के शिक्षा मंत्री के निजी सचिव भी बैठक में शामिल हुए।

2. **कार्य सूची की मद संख्या–1 शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों को मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना।**

समिति ने भाषाई अल्पसंख्यकों वर्गो के छात्रों को सभी राज्यों के प्राथमिक और प्रारंभिक स्कूलों में उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की सुविधायें प्रदान करने के प्रश्न पर अगस्त, 1949 में प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर स्वीकार किए गए प्रस्ताव की दृष्टि से विचार किया। भाषाई अल्पसंख्यकों वर्ग के छात्रों द्वारा प्राथमिक तथा उसके बाद के स्तर पर क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन के प्रश्न पर भी विचार किया गया। अन्ततः निम्नलिखित निर्णय किये गयेः

(क) चार राज्यों से प्रत्येक में 1 नवम्बर, 1956 को भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए पृथक वर्गो तथा उनमें छात्रों और अध्यापकों की संख्या एवं स्कूल संबंधी अन्य सुविधाओं के विषय में स्थिति मालूम की जायेगी और उनमें कोई कमी किये बिना उन्हें उसी तरह जारी रखा जायेगा। परन्तु मद्रास में तेलुगु छात्रों तथा आन्ध्र प्रदेश में तमिल छात्रों के संबंध में उपर्युक्त निर्णायक तारीख 1. 11.56 न होकर 1.11.53 होगी।

यदि छात्रों की संख्या कम हो जाए तो उसके अनुरूप ही अध्यापकों और स्कूल संबंधी अन्य सुविधाओं में कमी की जा सकती है परन्तु किसी भी विशिष्ट मामले पर लागू होने वाले सरकार के विशेष आदेश के बिना कोई कमी नहीं की जानी चाहिये। यदि छात्रों की संख्या बढ़

जाये तो अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षण की अतिरिक्त सुविधाएं जिनमें अध्यापक भी शामिल है, एक ऐसे पैमाने पर उपलब्ध की जायेगी जो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए लागू मानकों से कम उदार नहीं होगी। यदि कोई राज्य शिक्षक उपलब्ध करने के विषय में और अधिक उदारता दिखाता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी और ऐसे विशेष मामलों में जहां अधिक उदार पैमाने पर सुविधाओं की मांग की जाये तो संबंधित राज्य सरकार को चाहिए कि आदेश देते समय इस प्रकार के प्रत्येक मामले की विशेषताओं को ध्यान में रखें।

(ख) उपर्युक्त सुरक्षणों को कार्यान्वित करने के लिये यह व्यवस्था की जायेगी कि सारे प्राथमिक स्कूल वार्षिक सत्र प्रारंभ होने से 15 दिन पहले समाप्त होने वाले तीन मासों की अवधि तक भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के माता–पिता के बच्चों से प्रवेश और मातृभाषा में शिक्षा के लिए आवेदन–पत्र लेते रहें। इन आवेदन पत्रों को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। विभाग की ओर से इस बात का प्रबंध किया जाना चाहिए, कि इस प्रकार के किसी आवेदन को प्रवेश देने से केवल इसलिए इन्कार न किया जाए कि जिस स्कूल में अर्जी दी गई है उस स्कूल में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की संख्या अपर्याप्त है। जहां आवश्यक हो वहां अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के प्रवेश की समस्या स्कूलों के परस्पर सामंजस्य द्वारा हल की जानी चाहिए।

(ग) इन चारों राज्य में से प्रत्येक में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को चौथी कक्षा से अतिरिक्त वैकल्पिक भाषा के रूप में क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने की सुविधाएं भी दी जायेंगी ताकि यदि इन वर्गो के छात्र माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा पढ़ना चाहे तो उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। इन सुविधाओं के लिए खर्च सरकार करेगी, अर्थात् सार्वजनिक यानी सरकारी अथवा नगरपालिकाओं के स्कूलों में यह सुविधा मुफ्त दी जायेगी तथा सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों को इस प्रकार की सुविधाओं के लिए सरकार से अनुदान मिल सकेगा।

### 3. मद संख्या–2 : शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषाओं का अध्ययन

त्रिभाषासूत्र के अनुरूप तथा दक्षिणी क्षेत्र के सभी राज्यों द्वारा स्वीकृत शर्तो के अनुसार शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिये उनकी मातृभाषा के अध्ययन की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया गया। यह देखा गया कि चारों में से प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गो के लिए मातृभाषा के अध्ययन की व्यवस्था की जा रही है अथवा की जायेगी।

मद्रास में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग का छात्र क्षेत्रीय भाषा (भाषा पाठ्यक्रम का भाग 1) अथवा हिंदी या भाग 1 में न शामिल की गयी किसी अन्य भारतीय भाषा (भाषा पाठ्यक्रम का भाग 2) के स्थान पर अपनी मातृभाषा पढ़ सकता है। आन्ध्र प्रदेश और मैसूर में वह मातृभाषा को पहली भाषा के रूप में या तो क्षेत्रीय भाषा के पूर्ण विकल्प के रूप में पढ़ा सकता है अथवा एक से अधिक भाषाओं के मिले–जुले पाठ्यक्रम के एक अंश के रूप में। जहाँ तक राज्यों में क्षेत्रीय भाषा के विकल्प के रूप में मातृभाषा ली जा सकती है वहां तक क्षेत्रीय भाषा पढ़ना अनिवार्य नहीं है। यह निर्णय किया गया है कि यह स्थिति संतोषजनक है और इसको जारी रखना चाहिए। भारत सरकार की इस सिफारिश पर विचार किया गया है कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए मातृभाषा के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने की भी व्यवस्था अनिवार्यतः होनी चाहिये और पढ़ाई जानेवाली संबंधित भाषाओं की संख्या को देखते हुए यह निर्णय किया गया कि इस प्रकार की अनिवार्यता न वांछनीय है और न सम्भव ही है।

4. लोक सेवाओं में भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में दक्षता के लिए जो योग्यता निर्धारित की जाती है उससे क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर मातृभाषा का अध्ययन करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को कोई छूट दी जानी चाहिये या नहीं, इस प्रश्न पर लोक सेवाओं में भर्ती के विषय में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षणों के प्रश्न के अंश के रूप (नीचे मद 9 में) में विचार किया गया।

## 5. मद सख्या 3: भाषाई अल्पसंख्यकों को माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की सुविधायें प्रदान करना।

समिति ने भाषाई अल्पसंख्यकों को माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधायें प्रदान करने के प्रष्न पर विचार किया। अगस्त 1949 में प्रान्तीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर स्वीकृत प्रस्ताव पर भी समिति ने ध्यान दिया जिसमें सरकार से अपेक्षा की गई थी कि (क) यह उन क्षेत्रों में, जहां भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की संख्या इतनी है कि उनके लिये अलग स्कूल खोलना उचित हो, ऐसे अलग स्कूल खोलें या उन स्कूलों को मान्यता प्रदान करें जिनमें मातृ में शिक्षा दी जाती हो, (ख) वह उन सभी सरकारी या नगरपालिकाओं के स्कूलों में जिनमें छात्रों की कुल संख्या के एक तिहाई छात्र अपनी मातृभाशा में शिक्षा प्राप्त करना चाहें, अलपसंख्यक वर्ग की भाषा के माध्यम से शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करें तथा (ग) वह इसकी व्यवस्था करें कि सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल भी समान परिस्थितियों में उसी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करें। शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक और विविध पाठ्यक्रमों के वैकल्पिक विषयों की शिक्षा अल्पसंख्यकों की भाषाओं के माध्यम से देने में उपस्थित होने वाली कठिनाइयों पर भी समिति ने विचार किया। मद्रास ने यह विचार रखा कि प्रान्तीय मंत्रियों के सम्मेलन के संकल्प में एक तिहाई की बात भाषाई अल्पसंख्यकों और सरकार दोनों की दृष्टि से असंतोषप्रद है, क्योंकि बड़े स्कूलों में चाहे अनुपात एक तिहाई से कम भी हो पर वहाँ अलग वर्ग खोलना आवश्यक और सम्भव हो सकता है। जबकि छोटे स्कूलों में अनुपात एक तिहाई से अधिक भी हो तो भी अलग वर्ग खोलने में खर्च अधिक होगा और वैसा करना अव्यवहारिक भी होगा। इस विचार को सामान्य रूप से स्वीकार किया गया। परन्तु इस बात पर काफी बहस हुई कि अल्पसंख्यक भाषाओं में शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए प्रत्येक कक्षा में तथा सारे स्कूल में कुल मिलाकर अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। अन्त में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय किये गये:

(अ) 1.11.1956 को भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अलग माध्यमिक स्कूलों तथा अन्य माध्यमिक स्कूलों में उनके लिए अलग वर्गों की स्थिति मालूम की जाए। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की संख्या और अल्पसंख्यक भाषा में अध्यापन की क्षमता रखने वाले अध्यापकों और स्कूल संबंधी अन्य सुविधाओं की स्थिति के बारे में विषेश जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए और इस स्थिति को बिना परिवर्तन के जारी रखा जाना चाहिए।

(ब) किसी स्थान विशेष क्षेत्र में यदि छात्रों की संख्या इतनी कम हो जाए कि वहाँ सुविधाओं को कम कर देना उचित हो तो वह कम की जा सकती है, परन्तु किसी भी मामले में सरकार से विशेष रूप से आदेश किये बिना कोई कमी नही की जानी चाहिए।

(स) यदि छात्रों की संख्या बढ़ जाए तो जिन नियमों के अनुसार और जिस हिसाब से अन्य स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ने के साथ—साथ अध्यापकों में वृद्धि की जाती है, उसी हिसाब से इनमें अध्यापकों को बढ़ा देना चाहिए।

(द) जहाँ अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं में शिक्षा देने की सुविधायें विद्यमान न हों वहाँ ये सुविधायें देने के लिए आवश्यक होगा कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षाक्रम की नई 8वीं से 11वीं तक की कक्षाओं में कुल मिलाकर कम से कम 60 छात्र और प्रत्येक कक्षा में कम से कम 15 छात्र होने चाहिए, परन्तु इन सुविधाओं को प्रारंभ करने के प्रथम चार वर्षो तक उस प्रत्येक कक्षा में जिसमें ये सुविधाएँ दी गई हों, 15 की संख्या भी पर्याप्त होगी। कुल कक्षाओं में मिलाकर 60 की संख्या और प्रत्येक कक्षा में 15 की संख्या विविध पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक पाठ्क्रमों में से प्रत्येक के लिए अलग—अलग मानी जाएगी और जहां शैक्षिक पाठ्यक्रमों में विषयों के विभिन्न वर्गो की व्यवस्था हो, वहाँ वैकल्पिक विषयों के प्रत्येक वर्ग के लिए अलग—अलग गिनी जायेगी।

6. **मद संख्या 4: शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना।**

क्या राज्य द्वारा संचालित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाले माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा का प्रबंध करना आवश्यक है? यदि यह प्रबंध आवश्यक हो तो क्या इसे छात्रों के किसी वर्ग विशेष तक सीमित रखा जाना चाहिये या इस प्रकार की शिक्षा बिना किसी प्रतिबंध के सब छात्रों को उपलब्ध होनी चाहिए, इन प्रश्नों पर समिति ने विस्तारपूर्वक चर्चा की। समिति के सामने यह बात आई कि चारों राज्यों की यहीं निर्धारित नीति है कि शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषा ही शिक्षा का माध्यम होनी चाहिये तथा इस सामान्य नियम का एक मात्र अपवाद यह है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गो के छात्रों को उनकी मातृभाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की रियायत देने के रूप में इस सामान्य नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा परित्याग नहीं किया जाना चाहिए। संयोजक का विचार था कि जो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते है उनके बच्चों को (चाहे वे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गो के हो अथवा बहुसंख्यक वर्गो के) अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने की स्वीकृति दी जा सकती है, क्योंकि इस समय अंग्रेजी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें देश के सब भागों में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। परन्तु जो लोग प्रायः एक ही स्थान पर रहते है, उनके बच्चों को इस प्रकार की सुविधायें प्रदान करना किसी प्रकार से उचित प्रतीत नहीं होता। अगर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गो के प्रायः एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों के बच्चों को किसी कारण से अपनी मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा न दी जा सकती हो तो उन्हें अंग्रेजी के बजाय प्रादेशिक भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। इस बात पर सब सहमत थे कि जिन बच्चों के माता–पिता का स्थानान्तरण होता रहता है उनकों अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देने का प्रबंध किया जाना चाहिये तथा बहुसंख्यक के प्रायः एक स्थान पर रहने वाले लोगों के बच्चों को प्रत्येक राज्य में एक मात्र क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा दी जानी चाहिये। इस बात पर काफी बहस हुई कि क्या भाषाई अल्पसंख्यकों के प्रायः एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों को बच्चो को कम से कम कुछ विशेष वर्गों के लिये अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था उचित न होगी। आन्ध्र प्रदेश के शिक्षामंत्री ने यह मत प्रकट किया कि जहाँ भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को उनकी मातृभाषा की शिक्षा प्रदान करने का प्रबंध सम्भव न हो, वहाँ पर यदि अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हों तो उन्हें अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने की स्वीकृति दे दी जानी चाहिये। अन्त में सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय किये गयेः–

(अ) सरकार से मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के अलग सेक्शनों मे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा सुविधाओं के विषय में 1.7.1958 को विद्यमान स्थिति मालूम की जाये और बिना परिवर्तन के जारी रखी जाए।

(ब) भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को आश्वासन दिया जाना चाहिए कि मान्यता प्राप्त स्कूलों के अलग वर्गों में 1.7.1958 जितने स्थान उपलब्ध थे उनकी संख्या उससे कम न होगी। बहुसंख्यक वर्गों को भी इसी प्रकार का आश्वासन दिया जाये या नही, इस बात का निश्चय प्रत्येक राज्य स्वयं करेगा।

(स) ऊपर बताई गई बातों के अनुरूप राज्य सरकारों को माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के विषय में अपनी नीति को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने की स्वतंत्रता रहनी चाहिये। एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते–जाते रहने वाले माता–पिता के बच्चों की (चाहे वे भाषाई बहुसंख्यक वर्ग के अथवा अल्पसंख्यक वर्ग के हो) संख्या में होने वाली वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली आवश्यकता के सिवाय अन्य किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकारों पर यह दायित्व नहीं होना चाहिए कि वे 1.7.1958 को विद्यमान अंग्रेजी माध्यम से माध्यमिक स्कूलों की सुविधाओं में वृद्धि करें।

7. **मद संख्या 5: अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं का प्रयोग करने वाले स्कूलों और कालेजों को राज्य के बाहर स्थित निकायों से सम्बद्ध करना।**

समिति ने भारत सरकार की राज्य सरकारों को यह सलाह देने के प्रस्ताव पर विचार किया कि

स्कूलों, कालेजों और अन्य संस्थाओं को राज्य के बाहर स्थित  शिक्षा निकायों के साथ सम्बद्ध होने की स्वीकृति बिना कठिनाई के दे दी जानी चाहिये। इस प्रकार की सम्बद्ध संस्थाओं को सहायता अनुदान और अन्य सुविधाओं के मामले में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिये। सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि स्कूलों को राज्य से बाहर के शिक्षा निकायों के साथ सम्बद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक कालेजों का संबंध है, इस पर विचार करना अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड का काम है।

8. **मद संख्या 6ः सरकारी कामकाज के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोगः**

राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की है कि जिस राज्य में किसी भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी राज्य की कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत या अधिक हो उस राज्य को प्रशासन की दृष्टि से द्विभाषी माना जाना चाहिये तथा यदि किसी जिले की 70 प्रतिशत अथवा अधिक आबादी ऐसे लोगों की हो जो समस्त राज्य के लिहाज से भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के है तो उस जिले की सरकारी भाषा राज्य की भाषा न होकर उस अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा होगी। जिलो, नगर पालिकाओं और उनसे भी छोटे क्षेत्रों में जहाँ अल्पसंख्यक वर्गो की आबादी वहाँ की जनसंख्या का 15 से 20 प्रतिशत है सरकारी सूचनायें, चुनावों की नामावलियां आदि दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जानी चाहिए तथा अदालतों में कागज–पत्र अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं में भी प्रस्तुत करने की स्वीकृति होनी चाहिये। समिति ने इन सिफारिशों पर विचार किया और पाया कि चारों में से किसी में भी कोई ऐसा भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग नहीं है, जिसकी आबादी राज्य की कुल जनसंख्या के 30 प्रतिशत से अधिक हो अथवा कोई जिला ऐसा नहीं है, जहाँ भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग की जनसंख्या 70 प्रतिशत  अथवा अधिक हो। समिति ने विचार प्रकट किया कि दोनों सुरक्षणों में से कोई भी सुरक्षण (अर्थात राज्य को द्विभाषी घोषित करना अथवा बहुसंख्यकों की भाषा के अतिरिक्त किसी भाषा को जिले की सरकारी भाषा घोषित करना) चारों में से किसी भी राज्य में लागू नहीं होता है। जिलों या इनसे छोटे क्षेत्रों में किन्ही विशिष्ट कार्यो के लिए अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं को मान्यता प्रदान करने विषयक आयोग के सुझाव के संबंध में यह निर्णय किया गया कि इस दृष्टि से प्रत्येक नगरपालिका शासित शहर और प्रत्येक तालुका में नगरपालिका के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्र को इस उद्देश्य हेतु एक अलग स्थानीय क्षेत्र समझा जाना चाहिए और ऐसे स्थानीय क्षेत्रों जहाँ एक तालुका या नगर पालिका के 20 प्रतिशत लोग राज्य के बहुसंख्यक वर्ग की भाषाओं से भिन्न भाषा बोलते है, उनकी एक सूची तैयार की जानी चाहिए। इस प्रकार से तैयारी की गई सूची में सम्मिलित प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कार्य किये जाने चाहिये।

(अ) सब महत्वपूर्ण सरकारी सूचनायें और नियम, चुनावों की नामावलियां इत्यादि अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा अथवा भाषाओं में प्रकाशित की जानी चाहिये;

(ब) जनता के प्रयोग में आने वाले प्रपत्र प्रादेशिक भाषा एवं अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा दोनों छापे जाने चाहिये;

(स) अल्पसंख्यक भाषाओं में भी अभिलेखों के पंजीयन की सुविधाएं होनी चाहिए;

(द) अल्पसंख्यक भाषा में भी सरकारी कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार की स्वीकृति होनी चाहिये;

(य) इन क्षेत्रों के न्यायालयों में कागज–पत्र अल्पसंख्यक वर्ग की भाषाओं में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी जानी चाहिये;

(र) प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जहाँ तक व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव हो सके, यह प्रयत्न किया जाना चाहिये कि इन स्थानीय क्षेत्रों में ऐसे सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाये जिन्हे क्षेत्र की अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा का पर्याप्त ज्ञान हो।

आन्ध्र प्रदेश सरकार का पहले यह विचार था कि राज्य की सरकारी भाषा निर्धारित करने के मुख्य प्रश्न के साथ ही इस विषय में आयोग के सुझावों को स्वीकार करने के प्रश्न पर विचार

किया जाये परन्तु बाद में यह इस बात के लिये राजी हो गई कि वह भी वही करेगी जो अन्य राज्य करेंगे।

## 9. मद संख्या 9: राज्यों में लोक सेवाओं में भर्ती के विषय में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सुरक्षण

मद संख्या 9 व्यापक थी और मद 7 और 8 इसकी अंग थी इसलिए इस पर उनसे पहले विचार किया गया।

10. समिति ने इस बात पर ध्यान दिया कि जहां अंग्रेजी राजभाषा बनी रहती है, तथा सेवा में भर्ती के लिये राज्य की बहुसंख्यक वर्ग की भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं होता और जहां सेवाओं में भर्ती के लिये भी ली जाने वाली समकक्ष परीक्षाओं में बहुसंख्यक वर्ग की भाषा में ही उत्त्तर लिखना आवश्यक नहीं है, वहां राज्य की लोक सेवाओं की भर्ती के मामले में भाषाई अल्पसंख्यक को किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। परन्तु मद्रास ने तमिल को राज्य की राजभाषा घोषित किया है तथा यह व्यवस्था की है कि किसी सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिये राज्य की राजभाषा, अर्थात तमिल का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक होगा और तमिल के पर्याप्त ज्ञान की परिभाषा इस प्रकार है:

1. जिसने हाई स्कूल पाठ्यक्रमों में तमिल में शिक्षा पाई हो; अथवा

2. जो चाहे उनकी मातृभाषा तमिल हो या न हो, पर तमिल पढ़, लिख और बोल सकता हो; अथवा

3. जिसने तमिल में द्वितीय श्रेणी भाषा परीक्षा पास की हो।

मद्रास लिपिक वर्गीय सेवाओं, मद्रास न्यायिक लिपिकीय वर्गीय सेवाओं आदि में भर्ती के लिये मद्रास लोक सेवा आयोग जो चतुर्थ वर्ग परीक्षाएं लेता है, उनमें बैठने वाले उम्मीदवार को क्षेत्रीय भाषा में लिखे जाने वाले पत्रों को तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या उर्दू में भी लिख सकने की जो छूट मद्रास राज्य ने 1958 तक दे रखी थी वह उसने वापिस ले ली है। इस प्रकार से इन परीक्षाओं में बैठने वाले परीक्षार्थियों के लिये इन उत्तर पत्रों को केवल तमिल में लिखना अनिवार्य हो गया। इससे भाषाई अल्पसंख्यकों के लिये समस्याएं खड़ी हो गई, क्योंकि एकाएक उन्हें इस शर्त का सामना करना पड़ा कि राज्य सेवा में नियुक्ति से पहले तमिल का पर्याप्त ज्ञान अनिवार्य है। उन्हें तमिल भाषी उम्मीदवारों के साथ तमिल माध्यम वाली परीक्षाओं में प्रतियोगिता करना पड़ गया था। जब अन्य राज्य भी कुछ समय बाद अंग्रेजी के स्थान पर बहुसंख्यक वर्ग की भाषा में कामकाज आरम्भ करेंगे, तब वहां के भाषाई अल्पसंख्यक को भी उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिये सब राज्यों ने इस आवश्यक ता का अनुभव किया कि उन लोगों की ठीक–ठीक परिभाषा की जाये जो इस प्रकार के नीति विषयक निर्णय से, जैसे कि मद्रास सरकार ने इस विषय में किये, प्रभावित होंगे और उनके लिये क्षेत्रीय भाषा के पर्याप्त ज्ञान के मामले में तथा राज्य की लोक सेवाओं में भर्ती के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम के मामले में विशेष सुरक्षणों की व्यवस्था की जाये। समिति ने निम्नलिखित प्रश्नों पर विशेष रूप से विचार किया:

1. जिन लोगों के लिये विशेष सुरक्षणों की व्यवस्था की जानी है उनकी परिभाषा कैसी की जाये;
2. उनके लिये किन–किन सुरक्षणों की व्यवस्था की जाये;
3. वे सुरक्षण कितने समय तक दिये जाते रहें;

## 11. सुरक्षणों के पात्र लोगों की परिभाषा

मद्रास सरकार ने आरम्भ में यह सुझाव दिया था कि लोगों के एक वर्ग विशेष को ही भर्ती के विषय में सुरक्षण दिये जाएं जिसे इस प्रयोजन के लिये भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग का नाम दिया जाये और ''भाषाई अल्पसंख्यक'' वर्ग की परिभाषा में वह हर व्यक्ति शामिल हो जिसकी मातृभाषा तेलुगु, मलयालम,

कन्नड़ या उर्दू हो बशर्ते कि उस व्यक्ति के माता–पिता में से एक मद्रास राज्य की वर्तमान भौगोलिक सीमाओं के अन्दर पैदा हुआ हो अथवा वहां का स्थायी निवासी हो। मैसूर सरकार का विचार था कि भाषाई अल्पसंख्यकों की परिभाषा की शर्त माता–पिता मे से किसी एक की लगातार पांच वर्ष या अधिक की रिहायश या स्थायी रूप से बस जाने की इच्छा का कोई विशिष्ट प्रमाण होना चाहिये, जबकि भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त का विचार था कि मद्रास सरकार की परिभाषा में रखी गई रिहायश संबंधी शर्त संविधान के उपक्रमों के विरूद्ध होगी। इस पर मद्रास सरकार ने अपनी प्रस्तावित परिभाषा की संवैधानिक मान्यता के विषय में अपने महाधिवक्ता की राय मालूम की। उनकी राय पर, जो समिति की बैठक से पहले प्राप्त हो चुकी थी, समिति ने विचार किया। महाधिवक्ता का विचार था कि यद्यपि भर्ती के नियमों में छूट की भाषाई अल्पसंख्यकों में से किसी एक सीमित समूह तक के लिये सीमित कर देने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती, तथापि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग की ऐसी परिभाषा करना अनुचित होगा जिसमें केवल यह सीमित वर्ग ही सम्मिलित हो। किसी नागरिक अथवा उसके माता पिता के जन्म स्थान को भाषाई अल्पसंख्यकों की किसी सामान्य परिभाषा की कसौटी नहीं बताया जा सकता। वर्तमान परिभाषा के सीमित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग की परिभाषा करना आवश्यक नहीं है, अपितु जिन लोगों को भर्ती के नियमों में छूट का लाभ दिया जाता है उन्हें गैर–तमिल भाषी उम्मीदवार अथवा तमिलेतर मातृभाषा वाले उम्मीदवारों की संज्ञा दी जा सकती है; जिनकी परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि जिनमें वह प्रत्येक व्यक्ति शामिल है जिसकी मातृभाषा तमिल से भिन्न है और जिसने संबंधित पद के लिये निर्धारित अर्हता प्रदान करने वाली परीक्षा मद्रास राज्य के किसी स्कूल, कालेज या अन्य संस्था से पास की है। समिति ने मद्रास राज्य महाधिवक्ता के इस सुझाव को मान लेने का निर्णय किया और इस विषय पर सहमति प्रदान की कि सेवाओं में भर्ती के मामले में क्षेत्रीय भाषाओं के पर्याप्त ज्ञान तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम संबंधी नियमों में छूट मद्रास में गैर–तमिल भाषियों को, आन्ध्र प्रदेष में गैर–तेलुगु भाषियों को, मैसूर में गैर कन्नड़ भाषियों को और केरल में गैर–मलयालम भाषियों को दी जानी चाहिये और उनकी परिभाषा में वह सब लोग शामिल होंगे जिनकी मातृभाषा तमिल या, यथास्थिति, तेलुगु या कन्नड़ या मलयालम से भिन्न कोई भाषा हो, और जिन्होंने उस पद के लिये, जिसके लिये भर्ती की जानी है, अर्हता प्रदान करने वाली परीक्षा मद्रास (या आन्ध्र प्रदेश या मैसूर या केरल) राज्य की किसी शिक्षा संस्था के पास की हो। भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के जिन व्यक्तियों ने अर्हक परीक्षा राज्य की किसी संस्था से न पास की हो, सेवाओं में भर्ती के अधिकार से वंचित होंगे, परन्तु उन्हें ऊपर बताए गए नियमों से छूट की रियायत का अधिकार न होगा।

## 12. सुरक्षणों का स्वरूप

छूट के स्वरूप के विषय में मद्रास ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत कियेः

### 1. भर्ती की पात्रता के लिये तमिल के पर्याप्त ज्ञान की शर्त

राज्य के भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के किसी भी उम्मीदवार को किसी भी पद के लिये आवेदन–पत्र देने का अधिकार होना चाहिये, चाहे आवेदन पत्र देने के समय उसे सामान्य नियमों के अभिप्राय के अनुसार तमिल का पर्याप्त ज्ञान न हो। उसे नीचे खण्ड (3) में बताई गई शर्तों के अधीन रहते हुए चुने जाने का पात्र भी समझा जाना चाहिये।

### 2. परीक्षा का माध्यम

जहां मद्रास लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाला सार्वजनिक परीक्षा के माध्यम के रूप में तमिल को लेना आवश्यक हो, मद्रास राज्य के भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग का कोई सदस्य, यदि चाहे, तो नीचे खण्ड (3) में बताई गई शर्तों के अधीन रहते हुए, तमिल के स्थान पर अपनी मातृभाषा को परीक्षा का माध्यम रखा जा सकता है।

### 3. नियमों से छूट के साथ लगी शर्तें

ऊपर खण्ड 1 और 2 में बताये गये सामान्य नियमों में छूट इस शर्त पर दी जायेगी कि उम्मीदवार निर्धारित समय में तमिल में द्वितीय श्रेणी भाषा परीक्षा पास कर ले। इसके साथ शर्त यह है कि उसे यह परीक्षा परिवीक्षा की अवधि के समाप्त होने से पहले और राज्य की स्थायी लोक सेवा में स्थायी होने से पहले पास कर लेनी होगी।

समिति ने उपर्युक्त सुरक्षणों का इस शर्त पर अनुमोदन किया कि उसमें निम्नलिखित परिवर्तन कर दिये जायें:–

1. वे सुरक्षण मद्रास में उन सब गैर–तमिल भाषियों, आन्ध्र प्रदेश में गैर–तेलुगु भाषियों, मैसूर में गैर–कन्नड़ भाषियों और केरल में गैर–मलयालम भाषियों को प्राप्त होंगे जो पिछले पैरा में बताई गई कसौटी की दृष्टि से नियमों में छूट के अधिकारी होंगे।

2. परीक्षा के माध्यम के विषय में इन छह भाषाओं में से किसी को अर्थात तमिल, कन्नड़, मलयालम, उर्दू और अंग्रेजी को माध्यम के रूप में चुनने की छूट होनी चाहिये। राज्यों को अधिकार होना चाहिये कि वे चाहें तो अन्य भारतीय भाषाओं में भी परीक्षा के उत्तर पत्र लिखने की छूट दे दें।

3. चुने गये उम्मीदवारों को क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा पास करनी होगी जिसका स्तर चारों राज्यों की परस्पर सहमति से निर्धारित किया जाना चाहिये।

### 13. सुरक्षणों के जारी रहने की अवधि

इन सुरक्षणों की अवधि के विषय में सब एक मत थे कि सुरक्षणों को इस समय उनकी समाप्त की तिथि निष्चित किये बिना आरम्भ कर देना चाहिये और 1.5.1964 के बाद जल्दी से जल्दी जब इस रियायत से लाभ उठाने वालों लोगों की संख्या के विषय में सूचना उपलब्ध हो जाये, इस प्रश्न पर पुनः विचार कर लिया जाये।

### 14. मद संख्या 7: राज्य सेवा में भर्ती के वास्ते ली जाने वाली परीक्षाओं में अल्पसंख्यक भाषाओं को परीक्षा के माध्यम के रूप में मान्यता प्रदान करना।

समिति ने राज्य पुनर्गठन आयोग के इस सुझाव पर विचार किया ''राज्य सेवा'' कहलाने वाली सेवाओं में, अर्थात् उच्च या राजपत्रित सेवाओं में जिनके लिए प्रतियोगिता की परीक्षायें होतीं हैं, भर्ती के लिये उम्मीदवार को छूट होनी चाहिए कि वह संघ की भाषा अंग्रेजी या हिंदी अथवा किसी ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा को, जिसकी आबादी राज्य की जनसंख्या का 15 से 20 प्रतिशत या अधिक हो, राज्य की मुख्य भाषा के विकल्प के रूप में परीक्षा का माध्यम चुन सके। राज्य की राजभाषा में उसकी दक्षता की परीक्षा सेवा के लिये चुने जाने के बाद परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति से पहले ली जाय। समिति ने महसूस किया कि वह उस बड़ी समस्या का भाग है जिस पर मद 9 के अंतर्गत विचार किया गया है तथा इस समय राज्य सेवाओं में भर्ती के विषय में चारो राज्यों में किसी भी भाषाई अल्संख्यक वर्ग को किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो प्रतियोगिता परीक्षायें हो रही है, उन सब का माध्यम अंग्रेजी है। इस बात पर सब सहमत हुए कि इस मामले में सब राज्यों को भाषाई अल्पसंख्यकों को निम्नलिखित रूप में सुरक्षण देने चाहिये :–

(अ) ऐसे सुरक्षण केवल उन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए होगें, जिनकी मातृभाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या उर्दू और केवल आन्ध्र प्रदेश और मैसूर राज्यों में मराठी होगी।
(ब) यदि किसी राज्य सेवा में भर्ती के वास्ते ली जाने वाली किसी प्रतियोगिता परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर राज्य की क्षेत्रीय भाषा कर दी जाये तो इन अल्पसंख्यक वर्गो की

परीक्षा के उत्तर–पत्र अंग्रेजी या हिन्दी में लिखने की छूट दी जानी चाहिए।

(स) यदि कोई राज्य उपर्युक्त खण्ड (1) मे बताई गई भाषाओं के अतिरिक्त कोई और भाषा बोलने वाले भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग को भी रियायतें दे तो उनमें कोई आपत्ति नहीं है।

**15. मद संख्या 8: जिलों के लिए संवर्ग मानी जाने वाली अधीनस्थ सेवाओं के संवर्गों की भर्ती।**

भारत सरकार का यह सिफारिश करने का विचार है कि जहां राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में सम्मिलित कोई संवर्ग जिला संवर्ग, के रूप में समझा जाये, वहां जिले की मान्यता प्राप्त सरकारी भाषा को जिले की प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम के रूप में भी स्वीकार किया जाना चाहिए। समिति ने इस बात पर ध्यान दिया कि दक्षिणी प्रदेश की किसी भी राज्य का कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ के 70 प्रतिशत लोग राज्य की भाषा से भिन्न कोई भाषा बोलते हों। राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार किसी अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा को जिले की सरकारी भाषा घोषित करने के लिये यह आवश्यक शर्त है। इस प्रकार की यह सिफारिश दक्षिणी प्रदेश के किसी भी राज्य पर लागू नहीं होती।

**16. मद संख्या 10: निवास संबंधी नियमों और अपेक्षाओं का पुनरीक्षण।**

समिति ने इस बात पर ध्यान दिया कि भारत सरकार द्वारा सरकारी रोजगार (निवास संबंधी शर्ते), अधिनियम 1957 पास किये जाने पर राज्य की सेवाओं में प्रवेश के लिये अधिवास विषयक योग्यताओं के संबंध में सारी पाबंदियां हटा दी गई है, इसलिये इस विषय में अब कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

**17. मद संख्या 11: ठेकों, मछली पालन आदि के संबंध में निजी अधिकारों पर प्रतिबंध।**

समिति ने नोट किया कि चारों राज्यों से किसी एक में भी वाणिज्य, व्यापार और उद्योग धंधो के मामले में अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है।

**18. मद संख्या 12: अखिल भारतीय सेवाओं में नए प्रवेश पाने वाले के न्यूनतम प्रतिशत की भर्ती राज्य के बाहर से की जाए।**

**मद संख्या 13: किसी राज्य के उच्च न्यायालय के जजों की एक निश्चित संख्या की भर्ती राज्य के बाहर से की जाए।**

**मद संख्या 14: दो या दो से अधिक राज्यों के लिये लोक सेवा आयोगों का गठन, इस प्रश्नों पर किसी भी राज्य सरकार ने कोई टिप्पणियां नहीं भेजी हैं।**

**19. मद संख्या 15: सुरक्षणों को लागू करने के लिए अभिकरण।**

समिति इस बात से अवगत हुई कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति के निदेशानुसार समय–समय पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्गो को दिये सुरक्षणों के अनुसार हो रहे काम पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक भाषाई अल्पसंख्यकों का आयुक्त नियुक्त किया जा चुका है। समिति का विचार था कि दक्षिणी क्षेत्र के सब राज्यों द्वारा स्वीकार किये गये भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण और समन्वय करने के अभिकरण के रूप में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की एक स्थायी समिति नियुक्त की जानी चाहिये। प्रत्येक राज्य में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए मंत्रियों में से एक मंत्री इस स्थायी समिति में अपने–अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेगा। यह समिति भाषाई अल्पसंख्यक वर्गो को दिये गये सुरक्षणों के अनुपालन के संबंध में उठाने वाली सारी समस्याओं पर विचार–विमर्श करेगी। सर्वसम्मति से तय किया गया कि ऐसी एक समिति बना दी जानी चाहिये।

20. भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने समिति को एक नोट भेजा था जिसमें उन्होने कई राज्यों में प्रचलित इस प्रथा की ओर संकेत किया था कि वहाँ आर्ट्स और साइन्स कोलेजों के विज्ञान पाठ्यक्रमों और व्यावसायिक कालेजों और पालिटेक्निकों में सभी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिये प्रादेशिक भाषा के पूर्व ज्ञान पर एक अनिवार्य शर्त के रूप में बल दिया जाता है। उन्होने यह भी कहाँ कि उन्हे शिकायतें भी मिली हैं कि इस शर्त पर केवल इसलिये जोर दिया जाता है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवार को प्रवेश न मिल सके। समिति ने पाया कि दक्षिण क्षेत्र के चारों राज्यों में से किसी में भी ऐसा कट्टरपन नहीं पाया जाता है।

1. ऊपर दी गई रिपोर्ट में दक्षिण क्षेत्रीय परिशद 16 अप्रैल, 1960 को नई दिल्ली में हुई बैठक में निम्नलिखित निर्णय किये गयेः—

(क) दक्षिण क्षेत्र के राज्यों में स्कूलों को बाहर की संस्थाओं के साथ संबंद्ध करने की अनुमति देने के प्रश्न पर विचार किया गया। मद्रास के शिक्षा मंत्री श्री सुब्रहमण्यम ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि जहाँ तक कालेजो का प्रश्न है इस बात का फैसला करना अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड का काम है, सरकारों का नहीं। चर्चा के समय यह भी स्पष्ट किया गया कि राज्यों के स्कूलों में परीक्षा केवल क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं, वरन् विभिन्न अल्पसंख्यक भाषाओं में भी ली जाती है, और यदि कोई समस्या उठे तो उस पर स्थायी समिति द्वारा विचार कर लिया जायेगा जिसके निर्माण मंत्रियों की समिति ने की है।

(ख) चर्चा के समय श्री सुब्रहमण्यम ने कहा कि यद्यपि भारत के किसी भी नागरिक को, जिसके पास अपेक्षित अहर्ता हो, राज्य सेवाओं में प्रवेश के लिये समान शर्त पर प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने का अधिकार है, तथापि मंत्रियों की समिति ने प्रत्येक राज्य के अन्तर्गत भाषाई अल्पसंख्यक वर्गो को कुछ छूट स्वीकृत करने की अनुशंसा की है। इसके लिए किसी अभ्यर्थी को राज्य के भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य तभी समझा जायेगा जब उसने आवश्यक अर्हता परीक्षा उसी राज्य से पास की हो और उसकी मातृभाषा राज्य की क्षेत्रीय भाषा से भिन्न कोई भाषा हों। लोक सेवा में भर्ती को अधिवास संबंधी प्रतिबंधों से समिति नहीं किया गया क्योंकि ऐसा करना सरकारी रोजगार (निवास संबंधी शर्त) अधिनियम, 1957 के विरूद्ध होगा, दक्षिण क्षेत्र के चारों में से किसी में भी इस प्रकार की पाबंदियां नहीं है। यह तय हुआ कि हिन्दी को भी उन भाषाओं की सूची में जोड़ दिया जाय जिनमें भाषाई अल्पसंख्यक वर्गो के सदस्य लोक सेवा में भर्ती की परीक्षाओं क उत्तर लिख सकते है।

(ग) कुछ विचार—विमर्श के बाद परिषद् ने रिपोर्ट का अनुमोदन किया और इस बात पर सहमति प्रकट की कि यदि समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करने में किसी प्रकार की कठिनाई उपस्थित हो तो मामला स्थायी समिति के सामने रखा जाय। प्रस्तावित स्थायी समिति के गठन के संबंध में यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व एक—एक मंत्री करेगा और उस वर्ष के लिये परिषद का उपाध्यक्ष समिति का संयोजक होगा। उस वर्ष के लिये क्षेत्रीय परिषद का सचिव समिति का सचिव होगा। यह भी तय किया गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त को भी समिति में ले लिया जाए।

# अगस्त, 1961 में में हुई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों की बैठक द्वारा जारी किया गया वक्तव्य

राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर विचार करने के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक 10 अगस्त, 1961 को बुलाई गई। प्रधान मंत्री ने इसकी अध्यक्षता की और मंत्रिमंडल के मंत्रियों तथा राज्यों और केन्द्रीय सरकार के कुछ अन्य मंत्रियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।

पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री डा. बी. सी. राय को छोड़कर अन्य मुख्य मंत्री बैठक में 10 अगस्त से लेकर आगे तक उपस्थित थे। पष्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने विदेष से वापस आने पर 11 और 12 अगस्त को हुई बैठक में भाग लिया, राजस्थान के मुख्य मंत्री भी उपस्थित नहीं हो सके क्योंकि जब वे 10 अगस्त की बैठक में भाग लेने के लिए जयपुर से दिल्ली कार द्वारा आ रहे थे, रास्ते में दुर्भाग्यवश दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे।

**10 अगस्त**

(1) अपने उद्घाटन भाषण में प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय एकता के सांस्कृतिक, शैक्षिक, भाषाई और शासन सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं का जिक्र किया। उन्होंने जातिवाद और भाषाई समस्याओं का हवाला दिया और इन प्रश्नों का अखिल भारतीय स्तर पर हल निकालने के लिए कहा।

(2) केन्द्रीय गृह मंत्री ने 31 मई और 1 जून, 1961 को हुए मुख्य मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में हुई चर्चा और जातिवाद से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए उपायों का हवाला दिया। उन्होंने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153क में संशोधन के लिए दो विधेयक के बारे में विस्तार से बताया। यह विधेयक संसद में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। उन्होंने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के संशोधन के प्रस्ताव के बारे में भी बताया।

(3) बैठक इस बारे में सहमत थी कि यदि कोई व्यक्ति या ग्रुप देश के किसी हिस्से को भारत संघ से अलग करने की बात करता है, तो इसे दण्डनीय अपराध माना जाना चाहिए। इस मामले पर आगे विचार बाद में किया जाएगाा।

(4) प्रधान मंत्री ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश का हवाला दिया कि अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाए। इंजीनियरी, चिकित्सा और वन विभागों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं के सिद्धान्त को इस शर्त के साथ स्वीकार कर लिया गया कि इस विषय पर तैयार किये जाने वाले प्रारूप को विचार के लिए राज्य सरकारों में परिचालित किया जाएगा।

(5) बैठक का मत था कि वर्तमान अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की केन्द्र और राज्यों के बीच अदला–बदली करने के नियम का और अधिक कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।

(6) बैठक ने राज्य के बाहर से प्रत्येक उच्च न्यायालय में कुछ न्यायाधीशों को लेने की वांछनीयता को भी स्वीकार किया गया है।

**11 और 12 अगस्त**

**1. प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों कीबैठक की कार्यवाही 11 और 12 अगस्त को जारी रही। यह कार्यवाही 11 अगस्त को सुबह और दोपहर दोनों समय चलती रही, और 12 अगस्त को सुबह भी।**

2. बातचीत का मुख्य विषय भाषा और उसके विभिन्न पहलुओं का सवाल था। प्रधान मंत्री ने इस विषय पर संविधान के उपबंधों की ओर ध्यान दिलाते हुए विचार विमर्ष आरम्भ किया। उन्होंने विशेष रूप से अनुच्छेद 29, 30, 350(क) और 350(ख) की ओर ध्यान दिलाया। प्रधान मंत्री ने भारत सरकार के 4 सितम्बर, 1956 के ज्ञापन की चर्चा की, जो भाषाई अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले सुरक्षणों के बारे में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिषों पर विचार करने के बाद तैयार किया गया था। यह ज्ञापन राज्यों के मुख्य मंत्रियों से परामर्ष करने के पश्चात् जारी किया गया था। एक प्रकार से यह ज्ञापन अखिल भारतीय संहिता (कोड) के रूप में था जिसमें सभी राज्यों के भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए स्वीकृत न्यूनतम सुरक्षणों का उल्लेख था।

3. यद्यपि ज्ञापन के सामान्य सिद्धान्तों को फिर से पुष्टि कर दी गई, तथापि उनमें कुछ संशोधन स्वीकार किए गए जो निम्नलिखित हैं :–

(क) **प्राथमिक शिक्षाः** भाषाई अल्पसंख्यकों की प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाई के अधिकार की बात पुनः स्वीकार की गई। इसे वास्तव में संविधान के अनुच्छेद 350क से संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है और राष्ट्रपति को, जहां भी आवश्यक हो, निदेश देने का अधिकार प्राप्त है।

प्राथमिक शिक्षा के संबंध में दक्षिणी क्षेत्रों के राज्यों के निर्णय सिद्धान्तरूप में स्वीकार कर लिए गए। चूँकि ये निर्णय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखकर वहां की तत्कालीन विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए दिए गए थे, अतः वे अन्य राज्यों पर पूर्णतया लागू नहीं हो सके। परन्तु सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया और उसे यथोचित रूप देने का निश्चय किया गया। मुख्य उद्देश्य यह है कि जो सुविधाएं मिल रही हैं, उन्हें कम नहीं किया जाए और जहां सम्भव हो सुविधाएं बढ़ाई जाएं।

(ख) **माध्यमिक शिक्षाः** इस संबंध में भी 1956 के ज्ञापन की सामान्य व्यवस्थाओं की पुनः पुष्टि की गई और इस बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों के निर्णय सिद्धान्तरूप से स्वीकार कर लिए गए। इन सिद्धान्तों पर राज्यों के शिक्षा विभागों को इस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि वे अपने राज्यों में वर्तमान परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए इसे अपना सकें।

मातृभाषा फार्मूला माध्यमिक स्तर की शिक्षा के माध्यम के बारे में पूर्णतया लागू नहीं हो सकता। इस स्तर पर छात्रों को ऐसी उच्च शिक्षा दी जाती है जिसमें पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कोई व्यवसाय अपना सकें। यह शिक्षा छात्रों को विश्वविद्यालयों की उच्चतर शिक्षा के लिए भी तैयार करती है। इस में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषायें संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेखित आधुनिक भारतीय भाषायें तथा अंग्रेजी ही होना चाहिये।

4. प्राथमिक और माध्यमिक दोनों ही प्रकार के स्कूलों के लिए उपर्युक्त पाठ्य–पुस्तकों की महत्ता पर भी जोर दिया गया। सामान्यतः ये पाठ्य–पुस्तकें राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित की जानी चाहिए और निजी प्रकाशनों के हाथ में नहीं छोड़नी चाहिए। पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की बननी चाहिए जिसमें छात्रों के दिमाग में समन्वित दृष्टिकोण और भारतीय एकता की भावना पैदा हो, तथा उससे उन्हें भारत की मूलभूत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की भी जानकारी मिल सके। साथ ही उन्हें भारत व अन्य देशों की आधुनिक परिस्थितियों की जानकारी भी दी जानी चाहिए। इस प्रकार की पाठ्य–पुस्तकें तैयार करने का काम अधिक योग्यता वाले व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को प्राथमिक व माध्यमिक दोनों स्तरों के लिए समर्थन पाठ्य–पुस्तकें तैयार करनी चाहिए।

5. भारत की प्रादेशिक भाषाओं के विकास और शिक्षा में धीरे–धीरे उनका प्रयोग बढ़ाने से अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क के लिए एक अखिल भारतीय भाषा का शीघ्र विकास आवश्यक हो जाता है। अब तक यह काम अंग्रेजी करती रही है। यद्यपि आने वाले कुछ समय तक के लिए अंग्रेज़ी माध्यम बनी रहेगी पर यह स्पष्ट है कि हिन्दी को माध्यम बनाने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए ताकि वह उद्देश्य यथासंभव जल्दी से जल्दी पूरा हो सके अन्यथा ऐसा खतरा है कि विभिन्न राज्यों के बीच भाषा संबंधी सम्पर्क का कोई साधन नहीं रहेगा।

6. अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क और आधुनिक विज्ञान खास तौर से विज्ञान, उद्योग और प्राद्यौगिकी के भारत में विकास के कारण यह महत्वपूर्ण है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा की व्यापक रूप से जानकारी होनी चाहिए। यद्यपि यह कोई भी महत्वपूर्ण यूरोपीय भाषा हो सकती है परन्तु अंग्रेजी यह काम अधिक आसानी से पूरा कर सकेगी क्योंकि भारत में इसकी अच्छी जानकारी है। अतः अंग्रेजी इस लिये महत्वपूर्ण है।

7. यह अवष्य याद रखने की बात है कि यदि भाषाओं को अच्छी तरह पढ़ना है तो उन्हें पढ़ाई के आरम्भिक काल में शुरू कर देना चाहिए क्योंकि उस समय बच्चे के लिए सीखना आसान होता है। इसलिए आरम्भिक अवस्था से ही अंग्रेजी और हिन्दी दोनों पढ़ाई जानी चाहिए।

8. बैठक की यह राय थी कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए एक समान लिपि केवल वांछनीय ही नहीं है, बल्कि वह विभिन्न भारतीय भाषाओं में सम्पर्क की एक शक्तिशाली कड़ी भी सिद्ध होगी। इसलिए वह राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में बहुत सहायक होगी। भारत में ऐसी एक समान लिपि वर्तमान परिस्थितियों में देवनागरी ही हो सकती है। यद्यपि निकट भविष्य में एक समान लिपि को अपनाना कठिन हो सकता है पर यह उद्देश्य सामने रखकर उसके लिए काम करना चाहिए।

9. शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषा विषय पढ़ाने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके एक त्रिभाषा फार्मूला तैयार किया था। इस विषय में सहमति रही कि इस फार्मूले को सरल बनाया जाए और अंग्रेजी का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है।

शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर भाषा विशयों की पढ़ाई निम्न प्रकार से होनी चाहिएः

(क) क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा जबकि मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा से भिन्न हो;
(ख) हिन्दी या हिन्दी भाषी क्षेत्रों में अन्य भारतीय भाषा; और
(ग) अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा।

10. अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग करने वाले स्कूलों और कालेजों को राज्य से बाहर के विश्वविद्यालयों या अन्य प्राधिकरणों से सम्बद्ध कराने के विषय पर विचार किया गया। यह स्वीकार किया गया कि अधिकांश मामलों में इस प्रकार की संस्थाओं को राज्य के अन्दर के विश्वविद्यालयों या मण्डलों से सम्बद्ध कराने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। परन्तु जहां राज्य के अन्दर के विश्वविद्यालयों अथवा मण्डलों से सम्बद्ध कराने में कोई अनिवारणीय कठिनाई हो तो ऐसी संस्थाएं राज्य से बाहर के विश्वविद्यालयों या मण्डलों से सम्बद्ध कराई जा सकती हैं।

11. यद्यपि प्रत्येक राज्य में सरकारी कार्य के लिए एक या अधिक भाषाएं हो सकती हैं पर यह माना जाना चाहिए कि कोई भी राज्य पूर्णतया एकलभाषी राज्य नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखकर शिक्षा आदि के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं के प्रबन्ध का सुझाव दिया गया है। सरकारी भाषा सामान्यतः सरकारी कार्य के लिए है। कोई बात जनता को बताते समय उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो बात बताई जाए उसे अधिक से अधिक लोग समझ सकें। इसलिए जहां प्रचार की आवश्यकता हो वहां सरकारी भाषा के अलावा उस क्षेत्र में प्रचलित भाषाओं का भी प्रयोग होना चाहिए।

12. यदि किसी जिले की आबादी के कम से कम 60 प्रतिशत लोग राज्य की सरकारी भाषा के अलावा कोई अन्य भाषा बोलते हों या उसका प्रयोग करते हों तो वह अल्पसंख्यक भाषा उस जिले में राज्य की सरकारी भाषा के अलावा सरकारी भाषा समझी जानी चाहिए। इस कार्य के लिए साधारणतया केवल उन प्रमुख भाषाओं को मान्यता दी जा सकती है जो संविधान की आठवीं अनुसूची में दी हुई हैं। असम के पहाड़ी जिलों और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के संबंध में अपवाद हो सकता है, जहां आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं के अलावा अन्य भाषाएं प्रचलित हैं।

13. जहां जिले या नगरपालिका या तहसील जैसे छोटे क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की संख्या कुल जनसंख्या का 15 से 20 प्रतिशत हो, वहां यह वांछनीय होगा कि महत्वपूर्ण सरकारी सूचनाएं और नियम आदि उस अन्य भाषा या भाषाओं के अलावा, जिनमें सामान्यतः ऐसे दस्तावेज प्रकाशित होते हैं, अल्पसंख्यक भाषा में भी प्रकाशित किए जाएं।

14. प्रशासन का आन्तरिक कार्य, जैसे फाइलों पर टिप्पणी लिखना, विभिन्न सरकारी कार्यालयों के पत्र व्यवहार आदि सामान्यतः और सुविधाजनक रूप में उस राज्य की सरकारी भाषा या केन्द्र की सरकारी भाषा में होना चाहिए। लेकिन जहां प्रशासन का जनता के साथ सम्पर्क हो, वहां प्रार्थना पत्र, आवेदन आदि अन्य भाषाओं में भी स्वीकार किए जाने चाहिए और जहां भी सम्भव हो इस तरह का इंतजाम किया जाना चाहिए कि जिस भाषा में जनता से आवेदन प्राप्त हों, उसी भाषा में उनके उत्तर दे दिए जाएं। राज्यों या जिलों में जहां कहीं भी भाषाई अल्पसंख्यक 15 से 20 प्रतिशत हों, वहां महत्वपूर्ण कानूनों, नियमों, विनियमों आदि के सारांश का अनुवाद अल्पसंख्यक भाषा में प्रकाशित करने का प्रबन्ध होना चाहिए। यह तथ्य भी स्वीकार किया गया कि इस काम के लिए राज्य के मुख्यालय में अनुवाद कार्यालय की स्थापना वांछनीय होगी। जहां राज्य सरकार का कोई परिपत्र या अन्य आदेश या विज्ञप्ति स्थानीय जनता के सूचनार्थ जारी होना हो वहां जिला अधिकारियों को अधिकृत किया जाए कि वे उनका उस जिले या नगरपालिका क्षेत्र (जैसे भी स्थिति हो) की स्थानीय भाषा में अनुवाद करा सकें।

15. राज्य के मुख्यालय और जिले के बीच पत्र–व्यवहार आन्तरिक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में आता है, अतः साधारणतया यही उपयुक्त होगा कि राज्य और जिला मुख्यालय के बीच पत्र–व्यवहार राज्य की सरकारी भाषा में हो। राज्य की सरकारी भाषा के स्थान पर इस कार्य के लिए केन्द्र की सरकारी भाषा के प्रयोग की भी राज्य राजभाषा के स्थान पर उपयोग करने की अनुमति होनी चाहिए। इस तरह की यह केन्द्रीय सरकारी भाषा, हिन्दी या अंग्रेजी होगी।

16. राज्य सरकार के अधीन राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए भाषा बाधक नहीं होनी चाहिए। इसलिए राज्य की सरकारी भाषा के अलावा परीक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी या हिन्दी का प्रयोग करने की छूट भी दी जानी चाहिए। राज्य की सरकारी भाषा में प्रवीणता की परीक्षा चयनोपरान्त परन्तु परिवीक्षा की समाप्ति के पहले होनी चाहिए।

17. राज्य में सेवकों की नियुक्ति के लिए जहां विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा होना अर्हता के अन्तर्गत अनिवार्य है, उस स्थिति में केन्द्रीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य सभी विश्वविद्यालय या संस्थाओं द्वारा प्रदत्त डिग्रियॉ या डिप्लोमा मान्य होने चाहिए।

18. विश्वविद्यालयों में षैक्षिक माध्यम के प्रश्न पर विस्तार से चर्चा हुई। विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाने की जो प्रवषत्ति है वह कई प्रकार से वांछनीय तो है पर जब तक कि एक अखिल भारतीय भाषा के रूप में कोई कड़ी न हो इस प्रवृत्ति में इस प्रकार के विश्वविद्यालयों का शेष भारत से अलगाव हो सकता है। एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालयों को छात्र और अध्यापक आसानी से नहीं आ–जा सकेंगे और विभिन्न भाषा–भाषी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों में परस्पर सामान्य सम्पर्क के अभाव में शिक्षा का अहित हो सकता है। विश्वविद्यालयों के बीच इस परस्पर समन्वय सम्पर्क के महत्व पर. जोर दिया गया। ऐसी सम्पर्क भाषा अन्ततः अंग्रेजी या हिन्दी ही हो सकती है। आखिरकार इस भाषा को हिन्दी ही होना है। अतः यह आवश्यक है कि इस काम के लिए हिन्दी को उपयुक्त बनाने की हर सम्भव कोशिश की जाए।

हिन्दी या सामान्यतः अन्य क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना तभी प्रभावकारी हो सकता है जबकि इस प्रकार की भाषा आधुनिक शिक्षा के लिए और विषेशतः वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों के लिए पर्याप्त रूप से विकसित हो जाए। इस कार्य के लिए हिन्दी और अन्य भाषाओं का विकास करने का हर संभव प्रयत्न किया जाना चाहिए। जब तक ऐसा हो सके तब तक के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए और हिन्दी या प्रादेशिक भाषा शुरू करने का काम कई चरणों में या विषयों में विभाजित कर लिया जाए। इस प्रकार वैज्ञानिक और तकनीकी विषय तब तक अवश्य ही अंग्रेजी में पढ़ाए जा सकते है और अन्य विषय हिन्दी या क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाए जा सकते हैं। इन दोनों स्थितियों में स्कूलों व कालेजों में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में अध्यापन का स्तर उँचा उठाया जाना चाहिए और विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में उच्च्व स्तर बनाए रखा जाना चाहिए।

19. जैसा कि केन्द्रीय सरकार निर्णय ले चुकी है, सभी तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार पर आधारित होनी चाहिए और सभी भारतीय भाषाओं में एक समान होनी चाहिए।

20. बैठक में इस बारे में केन्द्रीय सरकार की ओर से की गई इस घोषणा का स्वागत किया गया कि हिन्दी के अखिल भारतीय सरकारी भाषा बन जाने पर भी अखिल भारतीय सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग शासकीय सह भाषा के रूप में चलता रहेगा। यह तथ्य संघ की राजभाषा के सम्बन्ध में जारी किये गये राष्ट्रपति के आदेश से पुनः पुष्ट हो जाता है।

21. यह स्वीकार किया गया कि भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए निर्धारित नीति पर अमल करने और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त के कार्य का ब्यौरा अनुच्छेद 350ख में दिए गए हैं। यद्यपि स्पष्टतः ही आयुक्त को सुरक्षणों के कार्यान्वयन हेतु कोई कार्यकारी अधिकार नहीं सौंपे जा सकते हैं, पर इस बात पर पुनः बल दिया गया कि सभी राज्यों को उन्हें पूरा सहयोग देना चाहिए। भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त को न केवल वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए बल्कि समय–समय पर अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी अधिक रिपोर्ट बनानी चाहिए जो सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों को भेजी जाए और गृह मंत्रालय को भी भेजी जाए जो इसे सभी मुख्य मंत्रियों में परिचालित करें।

22. क्षेत्रीय परिषदों को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनके कार्यक्षेत्र में इस नीति को पूर्णरूपेण कार्यान्वित किया जाए। केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जानी चाहिए जिसमें क्षेत्रीय परिषदों के उप–प्रधान सम्मिलित हों। यदि आवश्यक समझा जाए तो केन्द्रीय गृह मंत्री अन्य मुख्य मंत्रियों को उस समिति की बैठक में भाग लेने लिए आमंत्रित कर लें। यह समिति भाषाई अल्पसंख्यकों को दिये गए सुरक्षणों के कार्यान्वयन और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के अन्य कार्यों में निकट सम्पर्क बनाए रखेगी।

23. राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन के विशेष महत्व को दृष्टि में रखते हुए मुख्य मंत्रियों और केन्द्रीय मंत्रियों की बैठकें और कम समय के अन्तर में होनी चाहिए ताकि वे हो रही कार्यवाही पर नजर डाल सकें और जब भी आवश्यक हो आगे के कदम सुझा सकें। इस उद्देश्य की सफलता सभी राज्यों की सरकारों और केन्द्र सरकार की निरन्तर निगरानी और सहयोग पर निर्भर है।

24. बैठक में यह भी स्वीकार किया गया कि राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता को बढ़ावा देने के लिए बेहतर और अधिक व्यापक प्रचार वांछनीय है। केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस विषय पर एक लेख तैयार करेगा और उसे आगे की बैठक में विचारार्थ मुख्य मंत्रियों को भेजेगा।

25. राष्ट्रीय एकता के अत्यधिक महत्व को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया कि उसका कार्यान्वयन राष्ट्रव्यापी आधार पर होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए बड़ा सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए जिसमें मुख्य मंत्री और केन्द्रीय मंत्रियों के अलावा संसद की विभिन्न पार्टियों के प्रमुख सदस्य और शिक्षा शास्त्रियों, वैज्ञानिकों तथा विभिन्न व्यवसायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाये।

# क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्षों की नवम्बर 1961 में हुई समिति की पहली बैठक का कार्यवृत्त

## उपस्थित

1. श्री लाल बहादुर शास्त्री, गृह मंत्री — **अध्यक्ष**
2. श्री प्रताप सिंह कैरो, मुख्य मंत्री, पंजाब (उपाध्यक्ष, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद)
3. श्री वाई० बी० चव्हाण, मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र (उपाध्यक्ष, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद)
4. श्री वी० पी० चलिहा, मुख्य मंत्री, असम (उपाध्यक्ष, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद)
5. श्री सी०बी० गुप्त, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश (केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद)
6. श्री सी० सुब्रहमण्यम, वित्त मंत्री, मद्रास (दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष के प्रतिनिधि)

## भारत सरकार के अधिकारी

1. श्री बी०एन० झा, सचिव, गृह मंत्रालय
2. श्री विष्वनाथन, विशेष सचिव, गृह मंत्रालय
3. श्री पी०एन० कृपाल, सचिव, शिक्षा मंत्रालय
4. श्री हरि शर्मा, अपर सचिव, गृह मंत्रालय
5. श्री एल० पी० सिंह, अपर सचिव, गृह मंत्रालय
6. श्री आर० प्रसाद, संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय
7. श्री आर०पी० नायक, सयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय
8. श्री पी०एन० कौल, उप सचिव, गृह मंत्रालय

2. **कार्य सूची की मद संख्या 1**: नम जिससे समिति को संबोधित किया जाए।

यह स्वीकार किया गया कि इस समिति को 'राष्ट्रीय एकता के लिए क्षेत्रीय परिशदों की समिति' कहा जाए।

3. **कार्य सूची की मद संख्या** 2: (क) क्षेत्रीय स्तर और (ख) राज्य स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों को दिए गए संरक्षण को लागू करने वाली एजेंसी की संरचना।

(क) **क्षेत्रीय स्तर**: यह स्वीकार किया गया कि प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद एक स्थायी समिति को नियुक्त करें जिसमें क्षेत्र के मुख्यमंत्री हों और वह समिति राष्ट्रीय एकता और भाषाई अल्पसंख्यकों को दिए गए सुरक्षणों के संबंध में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए नीति निर्णयों को लागू करने में हुई प्रगति का समय–समय पर परीक्षण करे।

(ख) (I) **राज्य स्तर**: समिति का विचार था कि राष्ट्रीय एकता (भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षणों सहित) से संबंधित कार्यो के समन्वय का उत्तरदायित्व मुख्य मंत्री का होना चाहिए और इस कार्य में उनकी मुख्य सचिव द्वारा सहायता की जानी चाहिए। यह भी स्वीकार किया गया कि प्रत्येक राज्य में एक अधिकारी होना चाहिए जो मुख्य सचिव के निदेशाधीन काम करे।

यह भी स्वीकार किया गया कि यह अधिकारी (I) भाषाई अल्पसंख्यकों को दिए संरक्षण को लागू करने में हुई प्रगति, (II) भारत सरकार के भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त और अन्य राज्य सरकारों के साथ भाषाई अल्पसंख्यकों के संबंध में यदि कोई पत्र–व्यवहार हुआ हो और यह लम्बित पड़ा हो, (III) भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने यदि कोई दौरा किया हो, और (IV) राश्ट्रीय एकता से संबंधित अन्य प्रकरण, इन सबका समय–समय पर पुनरीक्षण करते हुए टिप्पणी तैयार करे।

(ग) (II)**जिला स्तर**: समिति ने स्वीकार किया कि जिला स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यकों को दिए संरक्षणों और राष्ट्रीय एकता से संबंधित काम के समन्वय का दायित्व जिला अधिकारी का होना चाहिए। यह भी स्वीकार किया गया कि राज्य सरकारें स्थानीय निकायों का संचालन करने वाले नियमों में यदि आवश्यक समझें तो कोई संशोधन कर सकती हैं ताकि इन निकायों द्वारा राष्ट्रीय एकता से संबंधित नीति निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

4. **कार्य सूची की मद संख्या 3**: 10 से 12 अगस्त, 1961 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गए निर्णयों परराज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही का पुनरीक्षण।

यह पता चला कि अभी तक केवल सात राज्य सरकारों और चार संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्राप्त हुए हैं और कुछ मामलों में दी गई सूचना अधूरी है। तत्काल उपलब्ध सूचना के आधार पर 10 से 12 अगस्त, 1961 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा जारी किए गए विवरण में निहित विभिन्न नीति निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में समिति ने पुनरीक्षण किया और निम्नलिखित निर्णय लिए:

(I) **प्राइमरी और माध्यमिक स्तर की शिक्षा अपनी मातृभाषा में लेने का भाषाई अल्पसंख्यक का अधिकार (विवरण का पैरा 3)**

यह स्वीकार किया गया कि सभी राज्य सरकारों (दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों को छोड़कर) का ध्यान दक्षिणी क्षेत्र के राज्यों द्वारा लिए गए निर्णय की शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता की ओर दिलाया जाना चाहिए क्योंकि इन्हें मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया गया था।

समिति का यह भी विचार था कि प्रत्येक राज्य में पिछले 4–5 वर्षो के दौरान प्राइमरी और माध्यमिक स्तरों के अल्पसंख्यक भाषा समूहों के लिए स्कूल की संख्या, प्रत्येक ऐसे समूह मे आने वाले विद्यार्थियों की संख्या और प्रत्येक समूह के लिए उपलब्ध अध्यापकों की संख्या के बारे में सूचना एकत्रित की जाए ताकि समिति स्थिति का ठीक–ठीक मूल्यांकन कर सके।

## (ii) समुचित पाठ्य–पुस्तकों का प्रबन्ध (विवरण का पैरा 4)

यह बात ध्यान में लाई गई कि विभिन्न राज्यों में प्राइमरी और माध्यमिक स्तरों पर प्रयोग में लाई जा रही वर्तमान पाठ्य–पुस्तकों की जांच के बाद माडल पाठ्य–पुस्तकें तैयार करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने यह कार्यक्रम तैयार किया था और उन्होंने राष्ट्रीय एकता सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार एक उच्च शक्ति प्राप्त सलाहकार समिति के गठन का भी प्रस्ताव दिया था। यह स्वीकार किया था कि पाठ्य–पुस्तकों को तैयार करने का प्रश्न शिक्षा मंत्रालय पर छोड़ दिया जाए जो राज्य सरकारों के परामर्श से उस पर कार्रवाई करेगा। लेकिन किसी बाद की बैठक में समिति द्वारा सामान्य पुनरीक्षण के लिए विभिन्न राज्यों से विस्तृत रिपोर्ट मंगाई जाए।

## (iii) शुरू के स्तरों पर अंग्रेजी और हिंदी को पढ़ाना (विवरण का पैरा 7)

यह स्वीकार किया गया कि इस बारे में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा लिए गए निर्णयों पर विचार करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाए।

## (iv) त्रिभाषा–सूत्र (विवरण का पैरा 9)

समिति का विचार था कि राज्य सरकारों द्वारा की गई और की जाने वाली 22 कार्यवाही के बारे में सभी राज्यों से सूचना एकत्रित की जाए, ताकि बाद की बैठक में मामले पर पूरी तरह से विचार किया जा सके।

## (v) बाहरी संस्थानों से स्कूलों और कालेजों को सम्बद्ध करना (विवरण का पैरा 10)

यह स्वीकार किया गया है कि अल्पसंख्यक भाषाओं को पढ़ाने वाले स्कूलों और कालेजों को विभिन्न राज्य के बोर्डो और विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध करने के बारे में स्थिति की जांच राज्य प्राधिकारियों द्वारा यह बात ध्यान में रख कर की जाय कि सम्बद्ध करने के मामले में इन संस्थानों को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना तो नही करना पड़ेगा।

## (vi) जनता के साथ पत्र–व्यवहार और प्रसार के उद्दश्यों के लिए अल्पसंख्यक भाषाओं का प्रयोग (विवरण का पैरा 11 और 13)

यह स्वीकार किया गया है कि जिन राज्यों में जिलों या नगर पालिकाओं, तहसीलों जैसे छोटे क्षेत्रों की सूची तैयार नहीं है, जहां कि 15 प्रतिशत या उससे अधिक जनसंख्या भाषाई अल्पसंख्यकों की है जो उन्हें ये सूचियां तैयार करने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए।

## (vii) जिला स्तर पर अल्पसंख्यक भाषा को सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देना (विवरण का पैरा 12)

यह ध्यान में लाया गया कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गए निर्णय के अनुसरण में असम के कछार जिले में बंगला भाषा को और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नेपाली भाषा को सरकारी तौर पर मान्यता दी गई थी।

## (viii) प्रशासन द्वारा जनता के साथ पत्र–व्यवहार में अल्पसंख्यक भाषा का प्रयोग (विवरण का पैरा 14)

यह ध्यान में लाया गया कि कुछ राज्यों के राज्य–मुख्यालयों में पहले से ही अनुवाद ब्यूरो काम कर रहे हैं, हालांकि उन्हें और सुदृढ़ करने की आवश्यकता हो सकती है। यह विचार किया गया कि इस विषय पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गए निर्णय की ओर सभी राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया जाय और समिति की अगली बैठक में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की गई

कार्यवाही से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

(IX) **राज्य मुख्यालयों और जिलों के बीच पत्र–व्यवहार (विवरण का पैरा 15)**

यह ध्यान में लाया गया कि अभी तो सभी राज्यों में जिला मुख्यालयों के साथ पत्र–व्यवहार में केवल संघ की सरकारी भाषा (हिन्दी या अंग्रेजी) का या फिर राज्य की सरकारी भाषा के साथ–साथ उसका उपयोग किया जाता है।

(X) **राज्य सेवाओं में भर्ती (विवरण का पैरा 16)**

यह ध्यान में लाया गया कि भाषाई अल्पसंख्यकों के आयुक्त ने इस विषय को कई राज्यों के साथ उठाया है जिनमें भर्ती के वास्ते अनिवार्य परीक्षा क्षेत्रीय भाषा में ली गई थी। समिति ने निर्णय किया कि आयुक्त और केन्द्रीय गृह मंत्रालय को सम्बद्ध राज्यों से अन्तिम उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद किसी बाद की बैठक में स्थिति का पुनरीक्षण समिति द्वारा किया जाएगा।

(XI) **सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा दी गइ डिग्रियों या डिप्लोमा को मान्यता देना (विवरण का पैरा 17)**

समिति का विचार था कि सम्बन्धित राज्य सरकारों से मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गये निर्णय के अनुसरण में विद्यमान नियमों में संशोधन करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध किया जाए। यह स्वीकार किया गया कि राज्य सरकारों से प्राप्त आगे की सूचना को देखते हुए समिति की अगली बैठक द्वारा स्थिति का पुनरीक्षण किया जा सकता है।

(XII) **विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम (विवरण का पैरा 18)**

इस मद पर समिति की बाद की बैठक में विचार किया जाएगा।

(XIII) **अन्य राज्यों से एक तिहाई जजों की नियुक्ति**

अध्यक्ष ने समिति को सूचित किया कि उन्होने इस विषय पर सभी मुख्य मंत्रियों को 23 सितम्बर, 1961 को लिखा था लेकिन अन्तिम उत्तर केवल उड़ीसा से ही प्राप्त हुआ है। कुछ बहस के बाद यह स्वीकार किया गया कि मामले को शीघ्र निपटाने के लिए मुख्य मंत्री अपने मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं।

(XIV) **नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन**

अध्यक्ष ने समिति को सूचित किया कि इंजीनियरी, वन और स्वास्थ्य की अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने के लिए योजनांए तैयार की गई है और इन्हें शीघ्र ही राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिये भेजा जाएगा। अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की कि राज्य सरकारें इन योजनाओं पर शीघ्र विचार करेंगी ताकि अनुचित देरी किये बगैर संसद में एक विधेयक पेश करने की आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

5. **कार्य–सूची की मद संख्या 4** : समिति के कार्य का विस्तार क्षेत्र

यह तय हुआ कि समिति, भाषाई अल्पसंख्यकों को दिए गए सुरक्षणों सहित, राष्ट्रीय एकता से संबंधित सभी मामलों को निपटायेगी।